

ਸਾਮਾਜਿਕ ਵਿਜਾਨ

ਭਾਗ -2

ਨੌਰੀਂ ਕਥਾ

ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ
ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।



ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਬੋਰ्ड

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਹ ਨਗਰ

© Punjab Government

प्रथम संस्करण : 2018 31,993 प्रतियां

All rights, including those of translation, reproduction
and annotation etc., are reserved by the Punjab Government.

संयोजक व सम्पादक

इतिहास : सीमा चावला, विषय विशेषज्ञ, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड
नागरिक शास्त्र : सुखबीर सिंह (रिटा), विषय विशेषज्ञ, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड¹
हरप्रीत कौर मान, विषय संयोजक, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड

चेतावनी

1. कोई भी एजेंसी-होल्डर अधिक पैसे लेने के उद्देश्य से पाठ्य-पुस्तकों पर जिल्दबन्दी नहीं कर सकता। (एजेंसी-होल्डरों के साथ हुए समझौते की धारा नं. 7 के अनुसार)
2. पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकों के जाली और नकली प्रकाशन (पाठ्य-पुस्तकों) की छपाई, प्रकाशन, स्टॉक करना, जमाखोरी या बिक्री आदि करना भारतीय दंड प्रणाली के अन्तर्गत गैरकानूनी जुर्म है।

मूल्य : ₹ 86.00

एह धुसउव विकरी लषी नहीं है।

सचिव, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, विद्या भवन फेज़-8 साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर 160062
द्वारा प्रकाशित तथा मैस तानीया ग्राफिक्स जालन्धर द्वारा मुद्रित।

प्राक्कथन

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड अपनी स्थापना के समय से ही स्कूल स्तर पर सभी कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक तैयार करने के प्रयास में लगा हुआ है। प्रस्तुत पुस्तक उसी श्रृंखला में से एक है और यह ९वीं कक्षा के समाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए तैयार की गयी है। प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यक्रम राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 पर आधारित (पी. सी. एफ) 2013 की सिफारिशों के अनुसार बच्चों के विद्यालयी जीवन को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए तथा विद्यार्थी-केंद्रित प्रणाली को स्थापित करने के लिए ‘पुस्तक-आधारित शिक्षण’ की परम्परा से ‘गतिविधि-आधारित शिक्षण’ की ओर बढ़ने का एक कदम है।

इस पुस्तक के लिए किए गए प्रयास की सफलता काफी सीमा तक स्कूल प्रमुख व अध्यापकों पर निर्भर करती है। जो विद्यार्थियों की स्वाध्याय व रचनात्मक रूचियों को प्रेरित कर उनके भीतर सृजनात्मकता के गुण उत्पन्न करने में सहायक होंगे। यह प्राथमिकता तभी पूर्ण उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगी अगर हम विद्यार्थियों के केवल निश्चित ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा उन्हें अध्यापन-शिक्षण प्रक्रिया में पूर्णतः भागीदार बना सकेंगे। पुस्तक की सार्थकता अध्यापकों के अतिरिक्त मूल्यांकन विधियों पर भी निर्भर करेगी जो विद्यालय स्तर पर विद्यार्थी शिक्षण शैली को बोझिल व उदासीन बनाने की अपेक्षा उसे रोचक व व्यवहारिक बनाने में सहायक होगी।

पाठ्य पुस्तक में इतिहास विषय के अन्तर्गत सिक्ख धर्म की स्थापना व विकास, इतिहास तथा बदलता विश्व तथा समाज की साँस्कृतिक पहचान सम्बन्धी पक्षों को भिन्न-भिन्न अध्याय द्वारा उजागर करने के लिए सम्बंधित विषय वस्तु को सम्मिलित किया गया हैं जबकि नागरिक शास्त्र नागरिकों के सैद्धान्तिक, राजनैतिक तथा व्यावहारिक पाठ्य क्रम का अध्ययन है, जिसके अन्तर्गत भारतीय लोकतंत्र तथा निर्वाचन एवं मौलिक अधिकारों के भारतीय स्वरूप को सम्मिलित किया गया है।

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड इस पुस्तक को तैयार करने हेतु पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा किये गए सौहार्द्र प्रयासों की प्रशंसा करता है। बोर्ड भविष्य में पाठ्य पुस्तक के संशोधन के लिए प्राप्त टिप्पनियों व सुझावों का हार्दिक स्वागत करता है।

चेयरमैन

ब्लाईटी विभाग

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड

(iv)

पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति

सलाहकार समिति

- डॉ. एम. राजीव लोचन, प्रोफैसर इतिहास विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़।
- डॉ. संसार सिंह ज़मुँया, प्रोफैसर, राजनीति शास्त्र, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला।
- डॉ. परमवीर सिंह, प्रोफैसर, सिक्ख विश्वकोष विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला।
- डॉ. मंजु मल्होत्रा, प्रोफैसर, इतिहास विभाग, युएस ओएल, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़।

सदस्य: इतिहास विभाग

- डॉ. परमिंदर सिंह, प्रोफैसर (इतिहास), शहीद उथम सिंह सरकारी कॉलेज, सुनाम।
- डॉ. शंकर चौधरी, लैक्चरार सरकारी सीनीयर सैकेण्डरी स्कूल, बल्लूआना (फाजिल्का)
- डॉ. भूपिंदरपाल सिंह, लैक्चरार (इतिहास), सरकारी सीनीयर सैकेण्डरी स्कूल, ३बी-१, मोहाली।
- डॉ. हरपाल सिंह, टी. जी. टी. सरकारी सीनीयर सैकेण्डरी स्कूल, गीगे माज़रा मोहाली
- श्रीमती बलजीत कौर टिवाना, अस्सिटेंट प्रोफैसर (इतिहास), एम.सी.एम.डी.ए.वी. कॉलेज सैकटर-३६, चंडीगढ़।
- श्री राम मूर्ति शर्मा, लैक्चरार (इतिहास), सरकारी सीनीयर सैकेण्डरी स्कूल, लालडू, मोहाली
- श्री विशाल बत्ता, लैक्चरार (इतिहास), आदर्श सीनीयर सैकेण्डरी स्कूल, भागु।
- श्री अमनीश कुमार, लैक्चरार (इतिहास), सरकारी सीनीयर सैकेण्डरी स्कूल, छांजली संगरूर।
- कुमारी नवजोत कौर, सहायक प्रोफैसर, इतिहास विभाग, श्री गुरु गोबिद सिंह कालेज सैकटर-२६, चंडीगढ़।

सदस्य लेखक: नागरिक शास्त्र

- श्री मेवा सिंह, लैक्चरार, सरकारी सीनीयर सैकेण्डरी स्कूल नाढ़ा, मोहाली।
- श्रीमती हरमिंदर कौर, लैक्चरार सीनीयर सैकड़री स्कूल मनोली, मोहाली,

अनुवादक व भाषा संशोधक

- डॉ. हरजेशवरपाल सिंह, सहायक प्रोफैसर, इतिहास विभाग, श्री गुरु गोबिद सिंह कालेज सैकटर-२६, चंडीगढ़।
- डॉ. अजय वर्मा, सहायक प्रोफैसर, इतिहास विभाग, रीजनल सेंटर, बठिंडा।
- श्रीमती जसबीर कौर, सेवानिवृत डिप्टी डायरैक्टर, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड।
- श्री मती मंजीत कौर, सेवानिवृत विषय विशेषज्ञ, एस. सी. ई. आर. टी, पंजाब
- श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत प्रिंसिपल, आदर्श सी. सै. स्कूल कोटभाई।
- श्री अभिजीत वधवा, सरकारी सी. सै. स्कूल, नानक नगरी, अबोहर।
- श्रीमती राजिन्द्र कौर, सेवानिवृत अध्यापक, पंचम सोसायटी, सैक्टर ६८, मोहाली।
- श्रीमती मीनू अरोड़ा, सैक्टर ३८ (वैस्ट), चण्डीगढ़।

डिजाइन/चित्र/ग्राफिक

- श्री कुंवर अरोड़ा, अशोका यूनीवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा।
- श्री जसविंदर सिंह, डाटा-ऐंटरी-आपरेटर - पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, एस. ए. एस. नगर।
- श्री मंजीत सिंह आर्टिस्ट, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड, एस. ए. एस. नगर।

आभार

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड डॉ. राजीव लोचन, प्रोफेसर, इतिहास विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, डॉ. संसार सिंह जन्मुँया, प्रोफेसर राजनीति शास्त्र विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के अमूल्य योगदान को कृतज्ञता से स्वीकार करता है, जिन्होंने पांडुलिपि के समीक्षक की सलाहकार कमेटी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की है। बोर्ड सिक्ख इतिहास से सम्बद्धित अध्यायों के पुनर्विचार के लिए सिक्ख इतिहास अनुसंधान बोर्ड एस.जी.पी.सी. के मैंबर डॉ. परमवीर सिंह प्रोफेसर, सिक्ख विश्वकोष विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला की सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए शिरोमिणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को अपना अभार प्रकट करता है।

हमारा प्रयास रहा है कि इस पुस्तक के प्रारूप के विषय में प्राप्त सुझाव व विचारों को शामिल किया जाए। हम विषय विशेषज्ञों डॉ करमजीत कौर मल्होत्रा, प्रौफेसर पंजाब इतिहासिक अध्ययन विभाग, पंजाबी पटियाला, श्री रणबीर सिंह एवं कुमारी नवनीत कौर विषय विशेषज्ञ, एस सी आर टी, पंजाब, श्री राजीव गक्खड़, प्राध्यक इतिहास, सरकारी सी स. स्कूल मोरांवाली (फरीदकोट), श्री गुरदेव सिंह लैक्चरार, इतिहास विवेक हाई स्कूल सैक्टर 38 चण्डीगढ़, श्री मती राजेन्द्र कौर, सेवानिवृत अध्यापिका, पंचम सोसाइटी, सैक्टर 68 एस ए एस नगर, श्रीमती लवली सबरवाल, लैक्चरार सरकारी सीनीयर सैकण्डरी स्कूल, बीजा, लुधियाना, श्रीमती प्रकाश कुमारी, लैक्चरार सरकारी सीनीयर सैकण्डरी स्कूल फेज 3बी1 मोहाली, श्रीमती हरमिंदर कौर, लैक्चरार सीनीयर सैकड़री स्कूल मनोली, मोहाली, श्रीमती रेखा चावला, सरकारी.स.स.स्कूल, पंडवाला, मोहाली, श्री रणजीत आनंद, सलाहकार गुरुद्वारा कमेटी, सैक्टर 34, चण्डीगढ़, उपरोक्त सभी माहिरों ने जिन्होंने पांडुलिपि की समीक्षा करने में सहयोग के लिए, इन सबका हम धन्यवाद करते हैं।

इस पाठ्य पुस्तक की रचना के दौरान सर्दभ पाठ्य पुस्तकों 'दी सिक्ख्स आफ पजांਬ' (जे एस. गरेवाल), 'सिक्ख इतिहास' (तेजा सिंह एवं गडां सिह), 'हिस्टरी आफ सिक्ख्स' (हरी राम गुप्ता), 'एडुकौम पब्लीकेशन-9' तथा 'एन. सी. ई. आर. टी. कक्षा-9' की सहायक पुस्तकों के लिए सबधित माहिरों व सस्थाओं के भी धन्यवादी हैं।

हम श्री प्रितपाल सिंह, विषय विशेषज्ञ, ईचांरज, कम्प्यूटर लैब; श्री मती दलविंदर कौर, डाटा एंट्री आपेटर; श्री मती श्रेष्ठा, डाटा एंट्री आपेटर; तथा कम्प्यूटर लैब की समस्त टीम को पुस्तक की कंपोजिंग के कार्य में सहयोग देने के लिए धन्यवाद करते हैं।

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड इस पुस्तक को तैयार करने में पाठ्यपुस्तक विकास समिति के द्वारा किये गये ईमानदार प्रयासों की सराहना करता है। हम इस पाठ्यपुस्तक में भावी सुधार व संशोधन के लिए टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करते हैं।

विषय-सूची

अध्याय	पाठ का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	पंजाब : भौगोलिक विशेषताएँ तथा प्रभाव	3-15
2.	श्री गुरु नानक देव जी तथा समकालीन समाज	16-28
3.	सिक्ख धर्म का विकास (1539 ई. 1581 ई.)	29-36
4.	श्री गुरु अर्जुन देव जी: सिक्ख धर्म के विकास में योगदान और उनकी शहीदी	37-44
5.	फ्राँसीसी क्राँति	47-60
6.	रूसी क्राँति	61-69
7.	वन्य समाज तथा बस्तीवाद	73-86
8.	पहनावे का सामाजिक इतिहास	87-99
9.	वर्तमान लोकतंत्र का इतिहास, विकास एवं विस्तार	103-115
10.	लोकतंत्र का अर्थ एवं महत्व	116-125
11.	भारतीय लोकतंत्र की स्थापना एवं स्वरूप	129-138
12.	भारत का संसदीय लोकतंत्र	139-151
13.	लोकतंत्र व चुनाव राजनीति	155-164
14.	संविधान के अन्तर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार	165-175

(viii)

इकाई - ।



घटनाएं तथा प्रक्रियायें
सिक्ख धर्म की स्थापना तथा विकास 1450ई-1606ई

ਪੰਜਾਬ : ਭੌਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਏਂ ਤਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

1

ਪੰਜਾਬ ਵਰ्तਮਾਨ ਭਾਰਤ ਕਾ ਏਕ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਵਿ਷ਯ ਮੌਹ ਜਾਨਤੇ ਹਨ, ਉਸਕਾ ਸ਼ਵਰੂਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਸਮਾਂ-ਸਮਾਂ ਪਰ ਇਸਕੇ ਨਾਮ ਵ ਸੀਮਾਓਂ ਮੌਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਭਾਰਤ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋ ਭੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਯਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਮਹਾਨ् ਸਿੱਖੁ ਘਾਟੀ ਸਭਿਤਾ (ਹੁਣਪਾ ਸਭਿਤਾ) ਕੀ ਜਨਮ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਹੀ ਹੁਆ ਥਾ। ਭਾਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰਨਥ '਋ਗਵੇਦ' ਕੀ ਰਚਨਾ ਭੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਹੁੰਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੰਛ ਪ੍ਰਾਚੀਨਤਮ ਤਕਾਸ਼ਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦ੍ਯਾਲਿਅ ਭੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਸਥਿਤ ਥਾ।



ਸਿੱਖੁ ਘਾਟੀ (ਹੁਣਪਾ) ਸਭਿਤਾ ਕੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਕੇ ਚਿਤ੍ਰ



ਤਕਾਸ਼ਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦ੍ਯਾਲਿਅ

- ਤਕਾਸ਼ਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦ੍ਯਾਲਿਅ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਮੌਹ ਕਹਾਂ ਸਥਿਤ ਹੈ? 1947 ਕੇ ਪਹਲੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮਾਨਚਿਤ੍ਰ ਪਰ ਦਰਸਾਏ।

ਗਤਿਵਿਧਿ



ਸਿੱਖੁ ਘਾਟੀ (ਹੁਣਪਾ) ਸਭਿਤਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਵ

ਹਮਾਰੇ ਮਹਾਨ् ਸਿਕਖ ਗੁਰੂਆਂ ਕੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਭੀ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਮਾਨਵਤਾ ਕੀ ਸਾਂਦੇਸ਼ ਦਿਯਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਹ ਜੀ ਨੇ 'ਖਾਲਸਾ ਪਥ' ਕੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਹ ਜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੇ ਬਾਬਾ ਬਨਦਾ ਸਿੰਹ ਬਹਾਦੁਰ ਕੀ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਮੌਹ ਸਿਕਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਕੀ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕੀ ਸਾਮਨਾ ਕਰਤੇ ਹੁਏ ਅਤੁਲਨੀਧ ਕੁਰਬਾਨੀਅਂ ਦੇਤੇ ਹੁਏ ਪਹਲੇ ਸਿਕਖ ਰਾਜਾ ਕੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀ। ਜਿਸ ਪਰ ਆਗੇ ਚਲਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਹ ਨੇ ਪ੍ਰਭੁਸਤਾ ਸਮੱਨ ਸਿਕਖ ਰਾਜਾ ਕੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਵੀਰਾਂ, ਦੇਸ਼ਭਕਤਾਂ ਵ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤੀਧ ਸ਼ਵਤੰਤਰਾ ਸਾਂਗ੍ਰਾਮ ਮੌਹ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਗਤਿਵਿਧਿ



ਇਸ ਚਿਤ੍ਰ ਕੇ ਧਿਨ ਪੂਰਕ ਦੇਖਤੇ ਹੁਏ ਬਤਾਏਂ ਕਿ ਚਿਤ੍ਰ ਮੌਹ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਰਸਮ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਹਾਂ ਸਮੱਨ ਹੁੰਈ ਥੀ?

ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਹਮੇਂ ਇਸਕੀ ਭੌਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇ਷ਤਾਓਂ ਵ ਉਨਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਰ ਪਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਯ ਮੋਂ ਹਮ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਸੇ ਸਿਨ੍ਧੁ ਨਦੀ ਕੇ ਬੀਚ ਕੇ ਕ्षੇਤਰ ਕੀ ਚੱਚਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਜਿਸੇ ਮਧਕਾਲ ਮੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਨਾਮ ਦਿਯਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨ ਐਤਿਹਾਸਿਕ ਨਾਮ

ਵੈਦਿਕਕਾਲ ਮੋਂ ਆਈਂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਋ਗਵੇਦ ਮੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਸਪਤ ਸਿੰਧੁ (ਸਾਤ ਨਦੀਆਂ ਕੀ ਧਰਤੀ) ਕਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਹ ਸਾਤ ਨਦੀਆਂ ਹੈਂ—ਸਿੰਧੁ, ਵਿਤਸਤਾ (ਜੇਹਲਮ), ਆਸਿਕਨੀ (ਚਿਨਾਬ), ਪਰਘਣੀ (ਰਾਵੀ), ਵਿਪਾਸਾ (ਵਾਸ), ਸ਼ਤੁਦ੍ਰਿ (ਸਤਲੁਜ) ਅਤੇ ਸਰਸ਼ਵਤੀ ਅਥਵਾ ਨਦੀ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਹਾਕਾਵਿ ਰਾਮਾਯਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਤਥਾ ਪੁਰਾਣਾਂ ਮੋਂ ਇਸਕੋ ਪੰਚਨਦ ਕਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਪੇਂਟਾਪੋਟਾਮਿਆ (Pentapotamia) ਨਾਮ ਦਿਯਾ, ਜਿਸ ਮੋਂ ਪੇਂਟਾ ਕਾ ਅਰਥ ਹੈ—ਪਾਂਚ ਅਤੇ ਪੋਟਾਮਿਆ ਕਾ ਅਰਥ ਹੈ—ਨਦੀ, ਅਰਥਤਾਂ ਪਾਂਚ ਨਦੀਆਂ ਕੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਤਕ ਟਕ ਕਬੀਲੇ ਕਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਸਕੋ ਟਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਥਵਾ ਟਕੀ ਭੀ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਯਾਤ੍ਰੀ ਹ੍ਰਯੂਨਸਾਂਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇ ਸੇਕਿਆ ਨਾਮ ਦਿਯਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਹ ਕੇ ਸਮਝ ਲਾਹੌਰ ਸੂਬਾ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਗਲ ਸਮਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਨਾਮ ਦਿਯਾ ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਪਂਜ’ ਅਤੇ ‘ਆਬ’ ਦੇ ਮਿਲਕਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।



ਹੈ। ਪੰਜ ਕਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਂਚ ਅਤੇ ਆਬ ਕਾ ਅਰਥ ਹੈ—ਪਾਨੀ। ਇਸ ਤਰਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਯਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। 1849 ਈ. ਮੋਂ ਅੰਗੇਜ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਅੰਗੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜਿਆ ਮੋਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਕੋ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਾ ਨਾਮ ਦਿਯਾ। 1947 ਈ. ਮੋਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸ਼ਾਨ ਕੇ ਵਿਭਾਜਨ ਕੇ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਭੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਮੋਂ ਬੱਟ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸ਼ਾਨ ਕੇ ਹਿੱਸੇ ਮੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬ (ਜਿਸਮੋਂ ਸਿੰਧੁ ਜੇਹਲਮ, ਚਿਨਾਬ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਕੋ ਪਾਂਛਿਚਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਪੰਜਾਬ (ਜਿਸਮੋਂ ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਕੋ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਨ੍ਹੂ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੇ ਲੋਗਾਂ ਮੋਂ ਇਸਕਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਹੈ।

1. ਵੈਦਿਕਕਾਲ (਋ਗਵੇਦ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ)— ਸਪਤ ਸਿੰਧੁ	4. ਚੀਨੀ ਯਾਤ੍ਰੀ ਹ੍ਰਯੂਨਸਾਂਗ—ਸੇਕਿਆ
2. ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਹਾਕਾਵਿ ਵ ਪੁਰਾਣਾਂ ਮੋਂ—ਪੰਚਨਦ	5. ਮਧਕਾਲ ਮੋਂ—ਲਾਹੌਰ ਸੂਬਾ, ਪੰਜਾਬ
3. ਟਕ ਕਬੀਲੇ ਕਾ ਸ਼ਾਸਨ—ਟਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਥਵਾ ਟਕੀ	6. 1849 ਈ. ਮੋਂ— ਪੰਜਾਬ

पंजाब का बदलता राजनैतिक स्वरूप

ऋग्वैदिक काल से लेकर भारत की आजादी के बाद तक भी पंजाब की सीमाओं में लगातार बदलाव होते रहे हैं।

- ऋग्वेद के समय सिंधु नदी से सरस्वती नदी के बीच का क्षेत्र (सप्त सिंधु) पंजाब में शामिल था।
- चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम की ओर अफगानिस्तान और बलोचिस्तान के क्षेत्रों तक अपने राज्य का विस्तार करके पंजाब की सीमाओं को हिंदुकुश के पहाड़ों तक पहुँचा दिया - और तक्षशिला भी पंजाब का हिस्सा बन गया।
- हिंद-बाखतरी और हिंद-पारथी राजाओं के समय में पंजाब की सीमा अफगानिस्तान तक लगती थी और राजधानी साकला (सियालकोट, पाकिस्तान) थी।
- दिल्ली सल्तनत काल में पंजाब (लाहौर प्रांत) की सीमा सतलुज नदी से पेशावर तक थी।
- मुगल बादशाह अकबर ने पंजाब को दो प्रांतों में विभाजित कर दिया जिसका नाम लाहौर व मुल्तान प्रांत रखें गए।
- महाराजा रणजीत सिंह के समय पंजाब पूर्व में सतलुज नदी से लेकर पश्चिम में खैबर दर्रे तक फैल गया, जिस की राजधानी लाहौर थी।
- 1849 ई. में पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया और 1857 ई. के विद्रोह के बाद दिल्ली (सतलुज नदी से यमुना नदी तक के क्षेत्र) को भी पंजाब का हिस्सा बना दिया गया।
- 1901 ई. में लार्ड कर्ज़न ने पश्चिम में सिंधु नदी के पार के क्षेत्र को पंजाब से अलग करके उत्तर-पश्चिमी सीमान्त प्रदेश बना दिया।
- 1911 ई. में लार्ड हार्डिंग ने पूर्व में सतलुज नदी से यमुना नदी तक के क्षेत्र को एक बार फिर पंजाब से अलग करके दिल्ली को हिन्दुस्तान की राजधानी बना दिया। इस प्रकार इतिहास में पंजाब पहली बार सही अर्थों में पाँच नदियों की धरती के स्वरूप में आया।
- 1947 ई. में भारत की आजादी के समय पंजाब का पुनः विभाजन हुआ। पंजाब का पश्चिमी हिस्सा, जो कि मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था, नए बने देश पाकिस्तान में चला गया और पूर्वी हिस्सा भारत में ही रह गया। उस समय पंजाब के 29 ज़िलों में से 13 ज़िले पाकिस्तानी पंजाब और 16 ज़िले भारतीय पंजाब के हिस्से आए।

1956 में राज्य-पुनर्गठन के कारण मालवा की रियासतें (सतलुज नदी से घग्गर नदी तक) भंग करके पंजाब राज्य के साथ मिला दी गई।

01 नवंबर 1966 को भाषा के आधार पर हुए राज्यों के पुनर्गठन की माँग को लेकर पंजाब का विभाजन करके एक नया राज्य हरियाणा बना दिया गया और पंजाब का कुछ पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया।

स्वतंत्रता के समय भारतीय पंजाब (पूर्वी पंजाब)

भारतीय पंजाब (पूर्वी पंजाब) में अंबाला, अमृतसर, बठिंडा, फिरोजपुर, जालन्धर, गुरदासपुर, गुड़गाँव (गुरुग्राम), हिसार, होशियारपुर, कांगड़ा, कपूरथला, महेन्द्रगढ़, पटियाला, रोहतक, संगरुर व शिमला ज़िले शामिल किए गए।

1 नवम्बर 1966 को पंजाब के ज़िलों के विभाजन के समय अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुड़गाँव, महेन्द्रगढ़ व जींद तहसील के प्रदेश हरियाणा के हिस्से में आए। ज़िला शिमला, कांगड़ा व ऊना तहसील उस समय के केन्द्रीय शासित प्रदेश के हिस्से में आए।


क्या आप जानते हैं ?

पंजाबी की उपभाषाएँ

पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला की ओर से किए गए सर्वेक्षण के अनुसार पंजाबी की 28 उपभाषाएँ हैं। इनमें से भारतीय पंजाब की मुख्य उपभाषाएँ माझी, दुआबी, मलवई, पुआधी और डोगरी हैं। माझी भारतीय पंजाब के गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर व तरनतारन ज़िलों में बोली जाती है। पंजाबी का वास्तविक (टकसाली) रूप इस उपभाषा के सबसे निकट है। दुआबी उपभाषा जालन्धर, शहीद भगत सिंह नगर, कपूरथला और होशियारपुर ज़िलों में बोली जाती है। फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मानसा और लुधियाना ज़िले मलवई उपभाषा के क्षेत्र हैं। रोपड़, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला ज़िले पुआधी उपभाषा के क्षेत्र हैं। डोगरी भाषा जम्मू और कश्मीर प्रदेश के जम्मू क्षेत्र की बोली है।

पंजाब की भौगौलिक विशेषताएँ

हम जिस पंजाब की भौगौलिक विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं, वह सिंधु नदी और यमुना नदी के बीच का क्षेत्र है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर-पश्चिम में सुलेमान और किरथार की पर्वत शृँखलाएँ, पूर्व में यमुना नदी और दक्षिण में सिंध व राजस्थान का थार मरुस्थल है। भौगौलिक दृष्टिकोण से पंजाब को तीन भागों में बाँटा जा सकता है-



क) हिमालय व उत्तर-पश्चिमी पर्वत शृँखलाएँ

1) हिमालय-हिमालय अर्थात् हिम+आलय जिसका अर्थ है। बर्फ का घर भी कहा जाता है, भारत के उत्तर में स्थित है। इसकी पश्चिम से पूर्व की ओर लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर औसतन चौड़ाई लगभग 250 किलोमीटर है। हिमालय में संसार की सबसे ऊँची चोटी मांडुट एक्वरेस्ट (8848 मीटर) स्थित है, परन्तु हिमालय की सभी पहाड़ियों की ऊँचाई एक जैसी नहीं है। ऊँचाई के अनुसार हिमालय पर्वत की तीन श्रेणियाँ हैं।

गतिविधि



- किन्हीं पाँच पहाड़ी क्षेत्रों के नाम लिखिए।
1.
 2.
 3.
 4.
 5.

हिमालय की तीन श्रेणियां

विशाल हिमालय (औसत ऊँचाई 20,000 फुट)
मध्य हिमालय (औसत ऊँचाई 6000-7000 फुट)
बाह्य हिमालय (औसत ऊँचाई 4000-5000 फुट)



ख) उप-पर्वतीय क्षेत्र-

हिमालय की पीर-पंजाल शृँखलाओं के दक्षिण में शिवालिक और कसौली की पहाड़ियों के ढलान वाले क्षेत्र को पंजाब का तराई अथवा उप-पर्वतीय क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में पहाड़ियों की औसत ऊँचाई 1000-3000 फुट है। इसमें सियालकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, कांगड़ा, ऊना और अम्बाला के क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ वर्षा तो काफी होती है, परन्तु मिट्टी रेतीली व पथरीली होने के कारण यह क्षेत्र अधिक उपजाऊ नहीं है। यहाँ की मुख्य फसलें धान, मक्की, आलू व गेहूँ हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है।



मैदानी क्षेत्र

ग) मैदानी क्षेत्र

पंजाब के उप-पर्वतीय क्षेत्र से नीचे दक्षिण की ओर सिंधु नदी से लेकर यमुना नदी तक मैदानी क्षेत्र है, जोकि पंजाब की नदियों द्वारा हिमालय से बहाकर लाई गई जलोड़ मिट्टी से निर्मित हुआ है। यह पंजाब का सबसे बड़ा भाग है, जिसको वास्तविक पंजाब भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को मुख्य तीन भागों में बाँटा गया है-

1. **पंच दोआब-** दोआब अकबर के समय में पंजाब को पाँच दोआबों में विभाजित किया गया था। इन दोआबों के नाम उन दोनों नदियों के नाम के पहले अक्षर को जोड़ कर बनाया गया, जिन नदियों के बीच वे इलाके स्थित थे। यह विभाजन अकबर के समय से आज तक उसी तरह ही कायम है।

दोआब का नाम	नदियों	दोआब से संबंधित प्रसिद्ध शहर
सिंधु सागर दोआब	सिंध, जेहलम	जेहलम, रावलपिंडी, अटक, मीयांवाली
चज दोआब	चिनाब, जेहलम	झंग, गुजरात, शाहकोट
रचना दोआब	रावी, चिनाब	गुजरांवाला, सियालकोट, शेखुपुरा
बारी दोआब	ब्यास रावी	अमृतसर, लाहौर
बिस्त दोआब	ब्यास सतलज	जालन्धर, होशियारपुर, कपूरथला

- (i) **सिंधु सागर दोआब-** इस दोआब का क्षेत्र सिंधु और जेहलम नदी के बीच फैला हुआ है। यह दोआब कम उपजाऊ है।
- (ii) **चज दोआब-** इस दोआब का क्षेत्र चिनाब और जेहलम नदियों के बीच का क्षेत्र है। यह दोआब, सिंधु सागर दोआब से अधिक उपजाऊ है।
- (iii) **रचना दोआब-** यह दोआब नदी रावी और चिनाब के बीच स्थित है। यह क्षेत्र भी बहुत उपजाऊ है।
- (iv) **बारी दोआब-** यह दोआब ब्यास और रावी नदियों के बीच फैला हुआ है। पंजाब के मध्य में स्थित होने के कारण, इसको माझा भी कहा जाता है। यह दोआब काफी उपजाऊ है।
- (v) **बिस्त जालन्धर दोआब-** ‘वर्तमान में’ ब्यास और सतलज नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को बिस्त जालन्धर दोआब के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र का प्रचलित नाम दोआबा ही है। यह क्षेत्र भी अत्यन्त उपजाऊ है।

गतिविधि-पंजाब के मानचित्र पर उपरोक्त नदियों तथा उनके बीच के दोआबों को छायांकित करें

2. मालवा और बांगर- पंजाब के सतलुज दरिया और यमुना नदी के बीच विशाल मैदानी क्षेत्र है, जिस को मालवा और बांगर दो भागों में बँटा गया है।

(i) मालवा- सतलुज और घग्गर नदी के बीच के समतल क्षेत्र को मालवा कहते हैं और यहाँ के निवासियों को मलवई कहा जाता है। इस में पटियाला, रोपड़, सरहिन्द, लुधियाना, फिरोजपुर, बठिण्डा, फरीदकोट, मानसा, फाजिल्का आदि प्रसिद्ध नगर हैं।

(ii) बांगर- घग्गर और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को बांगर कहा जाता है। उसे हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है।

क्या आप जानते हैं?

महाभारत का युद्ध, पानीपत के तीन युद्ध व तराइन के दो युद्ध बांगर के मैदानी क्षेत्र में ही लड़े गए थे।

इस क्षेत्र में अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, थानेसर, रोहतक, जींद, गुड़गाँव (गुरुग्राम) आदि प्रसिद्ध नगर शामिल हैं।

3. दक्षिण-पश्चिम के मरुस्थल- पंजाब के दोआबों के निम्न ओर दक्षिण-पश्चिम में कम वर्षा वाला रेतीला क्षेत्र है, जोकि उपजाऊ नहीं है। यह क्षेत्र अब पाकिस्तान में है, जिस में सिंध, मुल्तान ओर बहावलपुर के क्षेत्र शामिल हैं। वर्तमान पंजाब फाजिलका, बठिण्डा, मानसा, श्री मुक्तसर साहिब जिला के कुछ क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं।



मरुस्थल का दृश्य

क्या आप जानते हैं?

- पंजाब को भारत का प्रवेश द्वारा कहा जाता है।
- दर्रे:- पहाड़ों के बीच में से गुज़रने के लिए प्रकृति द्वारा बनाए गए वे रास्ते हैं, जिनके द्वारा पहाड़ों को पार किया जा सकता है।

गतिविधि



प्राचीन पंजाब के सांस्कृतिक व सामाजिक इतिहास को दर्शाने वाले कोई तीन स्रोत बताएँ।

पंजाब की भौगोलिक स्थिति का पंजाब के इतिहास पर प्रभाव :- किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति वहाँ के इतिहास पर गहरा प्रभाव डालती है। पंजाब की भौगोलिक स्थिति ने पंजाब के ही नहीं अपितु भारत के इतिहास को हर पक्ष से प्रभावित किया है। भारत की समृद्धि ने विदेशी हमलावरों को हमेशा ही अपनी ओर आकर्षित किया है।

ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਕਾ ਸੁਰਕ਼ਦਾ ਢਾਰ ਥਾ, ਜਿਸਕੋ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਕੋ ਜੀਤਾ ਜਾ ਸਕਤਾ ਥਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਰ ਇਸਕੀ ਭੌਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਨਿਮਲਿਖਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡਾਲੇ ਹੈ।

-ਵਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-

- ਕ) ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਕ्षੇਤਰ ਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ
- ਖ) ਸਾਂਸਕ੃ਤਿਕ ਵ ਸਾਮਾਜਿਕ ਕ्षੇਤਰ ਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ
- ਗ) ਧਾਰਮਿਕ ਕਥੇ ਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ
- ਘ) ਆਰਥਿਕ ਕਥੇ ਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕ) ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਕਥੇ ਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ

1. **ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਕਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਢਾਰ-** ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਉਤਰ-ਪਿੰਡ ਮੰਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਔਰ ਕਿਰਥਾਰ ਪਹਾੜਿਆਂ ਮੰਨੇ ਸਥਿਤ ਦੋਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਕਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਢਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤਕ ਭਾਰਤ ਮੰਨੇ ਈਰਾਨੀ, ਯੂਨਾਨੀ, ਸ਼ਾਕ, ਹੂਣ, ਕੁ਷ਾਣ, ਤੁਰਕ, ਮਾਂਗੋਲ ਔਰ ਮੁਗਲ ਆਦਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਇਨ ਦੋਵੇਂ ਕੇ ਮਾਰਗ ਸੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਕਿਥੋਕਿ ਯੇ ਦੋਵੇਂ ਤਨਕੇ ਮਧਿਆਏਸ਼ਿਆ ਸੇ ਸੀਧਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਧਰਤੀ ਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਤੇ ਥੇ।
2. **ਪੰਜਾਬ ਯੁਦਧਾਂ ਕਾ ਮੈਦਾਨ-** ਦਿੱਲੀ ਪਰ ਆਕਮਣ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਭੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਬੀਚ ਮੰਨੇ ਸੇ ਗੁਜਰਾਨਾ ਹੀ ਪਡ੍ਹਤਾ ਥਾ, ਇਸ ਲਿਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਕਾ ਸਾਮਨਾ ਸਥਾਪਨਾ ਪਹਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਗ ਹੀ ਕਰਤੇ ਥੇ। ਭਾਰਤੀਯ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇ ਕਈ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਯੁਦਧ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਮੰਨੇ ਹੀ ਲਡੇ ਗਏ। ਕਰੀ ਮੰਨੇ ਸਿਕਨਦਰ-ਪੋਰਸ ਕਾ ਯੁਦਧ, ਤਰਾਇਨ ਮੰਨੇ ਪੂਰਵੀਂ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਔਰ ਮੌਹਮਦ ਗੌਰੀ ਕੇ ਯੁਦਧ ਔਰ ਪਾਨੀਪਟ ਕੀ ਤੀਨ ਲਡਾਇਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਯ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋ ਬਦਲ ਕਰ ਰਖ ਦਿਯਾ।
3. **ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਵਨਾਂ ਤਥਾ ਪਰਵਤਾਂ ਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵ-** ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਵਨਾਂ ਤਥਾ ਪਰਵਤਾਂ ਨੇ ਭੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਯਾ ਹੈ। ਸਿਕਖਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤਥਾ ਅਹਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਔਰ ਸਮਕਾਲੀਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਕੇ ਵਿਰੁਦਧ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਵਨਾਂ ਏਵਮ

ਪਰਵਤਾਂ ਮੰਨੇ ਸ਼ਾਰਣ ਲੀ ਔਰ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁਦਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਨਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿਕਖ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨੇ ਅਪਨਾ ਸ਼ਵਤੰਤ੍ਰ ਰਾਜਿ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕੇ।

4. **ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-** ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਕੇ ਪੂਰ੍ਵੀਂ ਤਟ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਢਾਰਾ ਭਾਰਤ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟ ਹਨ। ਵੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਤਜਰ ਕੀ ਆਏ ਬਢੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਔਰ ਭੌਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੇ ਕਾਰਣ ਹੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕੇ।

ਖ) ਸਾਂਸਕ੃ਤਿਕ ਵ ਸਾਮਾਜਿਕ ਕਥੇ ਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ

1. **ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਕ੃ਤਿ-** ਮਧਿਆਏਸ਼ਿਆ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਸਭੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸਥਾਪਨਾ ਪਹਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨੇ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕੁਛ ਹਮਲਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨੇ ਹੀ ਬਸ ਗਏ ਔਰ ਤਨਾਂਨੇ ਯਹਾਂ ਕੀ ਸ਼ਿਵਿਆਂ ਸੇ ਵਿਵਾਹ ਭੀ ਕਰਵਾ ਲਿਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਵਾਂਸਾਂ ਕੀ ਹਿੰਦੁਆਂ ਨੇ ਅਪਨੀ ਜਾਤੀ ਮੰਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਸੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਯਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਈ ਨਈ ਜਾਤੀਆਂ ਕਾ ਜਨਮ ਹੁਆ। ਇਸ ਤਰਹ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨੇ ਏਕ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਨਈ ਸਭਿਆਚਾਰ ਔਰ ਸੰਸਕ੃ਤਿ ਕਾ ਜਨਮ ਹੁਆ। ਇਸਕੇ ਅਤਿਵਿਕਤ ਜਬ ਭੀ ਯੇ ਹਮਲਾਵਰ ਯਹਾਂ ਸੇ ਵਾਪਿਸ ਗਏ, ਤਥਾ ਯਹਾਂ ਕੀ ਸੰਸਕ੃ਤਿ ਭੀ ਅਪਨੇ ਸਾਥ ਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਮੰਨੇ ਭਾਰਤੀਯ ਸੰਸਕ੃ਤਿ ਕਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਆ।
2. **ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ-** ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਗਾਂ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਕਾ ਸਾਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪਢਾ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯੁਦਧ ਮੰਨੇ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਥੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਮੰਨੇ ਸਾਹਸ, ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਮੇਹਨਤ ਕੀ ਗੁਣ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁਆ। ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਗਾਂ ਕੇ ਸਮੱਕ ਮੰਨੇ ਆਨੇ ਕੇ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੇ ਖਾਨ-ਪਾਨ, ਰੀਤ-ਰਿਵਾਜ਼, ਭਾ਷ਾ, ਰਾਹਨ-ਸਹਨ ਔਰ ਪਹਨਾਵੇ ਮੰਨੇ ਭੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏ।
3. **ਕਲਾ ਔਰ ਸਾਹਿਤਿ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ-** ਪ੍ਰਾਚੀਨਕਾਲ ਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਲਾ ਔਰ ਸਾਹਿਤਿ ਮੰਨੇ ਬਹੁਤ

उन्नति की थी, परन्तु सदियों तक पंजाब पर हुए आक्रमणों के कारण पंजाब की कला और साहित्य को अत्यन्त क्षति उठानी पड़ी। इस समय के दौरान विदेशी संस्कृति के सम्पर्क के कारण पंजाब की भवन निर्माण कला में गुम्बद और मिहराब आदि का प्रयोग होने लगा।

ग) धार्मिक क्षेत्र में प्रभाव

- वैदिक धर्म का जन्म तथा विकास-** वैदिक धर्म का आरम्भ वेदों से माना जाता है। वेद चार हैं ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। इनमें से ऋग्वेद प्रचीन और शिरोमणी है। जिसकी रचना पंजाब की धरती पर हुई है। इस प्रकार यह क्षेत्र वैदिक धर्म के प्रचार का केन्द्र रहा है।
- इस्लाम धर्म का प्रसार-** इस्लाम धर्म का जन्म मक्का-मदीना में हुआ और तेज़ी से मध्य एशिया के क्षेत्रों में फैल गया। इन देशों से मुस्लिम हमलावर, धर्म-प्रचारक, व्यापारी, सूफी संत आदि उत्तर-पश्चिमी दर्दों के रास्ते भारत आए। मुस्लिम आक्रमकों ने पंजाब पर अपना अधिकार किया और यहाँ के लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए विवश किया। हिन्दू समाज में प्रचलित कठोर रीति-रिवाज़ों और जाति भेदभाव के कारण निम्न जातिय के कई लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। इस तरह पंजाब में इस्लाम धर्म काफी तेज़ी से फैला।
- सिक्ख धर्म का जन्म-** विदेशी हमलावरों ने पंजाब के लोगों पर कई प्रकार के अत्याचार किए। हिन्दू समाज जाति भेद, कर्मकाण्डों और पाखण्डों की भेट चढ़ चुका था। इस तरह लोगों का जीवन अत्यन्त दयनीय हो गया था। इस अत्याचार के दौर में पंजाब की धरती पर महान जैसे क्रांतिकारी महापुरुष श्री गुरु नानक देव जी ने जन्म लिया। उन्होंने प्रचलित वर्ण भेद, कर्मकाण्डों, पाखण्डों और राजनैतिक अत्याचारों का विरोध किया। उन्होंने संसार को सर्वस्व के कल्याण (सरबत दा भला) का संदेश

दिया और सिक्ख धर्म की स्थापना की। श्री गुरु नानक देव जी के बाद नौ गुरुओं ने भी सिक्ख धर्म का प्रचार व प्रसार किया। अत्याचारों के विरुद्ध और धर्म की रक्षा के लिए सिक्ख गुरुओं ने बलिदान दिए। जिस के कारण पंजाब में सिक्ख धर्म तेज़ी से विकसित हुआ।

घ) आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव

- पंजाबियों का मुख्य व्यवसाय कृषि-** पंजाब का अधिकाँश क्षेत्र मैदानी है। यहाँ सारा वर्ष बहती नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने मैदान बहुत ही उपजाऊ हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ गेहूँ, चावल, कपास, दालें, मक्की, ज्वार, चने, गन्ना, तिलहन व सरसों की खेती की जाती है। यहाँ के पहाड़ी लोग भेड़-बकरियाँ पालते हैं।
- विदेशी व्यापार-** पंजाब की समृद्धि ने विदेशी हमलावरों को हमेशा ही अपनी ओर आकर्षित किया है। उत्तर-पश्चिमी पर्वत शृँखलाओं में स्थित दर्दे पंजाब को मध्य एशिया से जोड़ते थे। ये दर्दे व्यापारिक मार्ग थे। इन दर्दों को भारतीय और विदेशी व्यापारी मध्य-मार्ग की तरह प्रयोग करते थे। इसी लिए प्राचीन काल से ही पंजाब के मध्य एशिया से अच्छे व्यापारिक सम्बन्ध रहे हैं।



पंजाब में खेती का एक दृश्य

3. **व्यापारिक नगरों का जन्म-** अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पंजाब व्यापार का बड़ा केन्द्र बन गया। मध्य एशिया में पंजाब में घरेलू और विदेशी व्यापार फलने-फूलने के कारण कई बड़े नगर अस्तित्व में आए। इनमें लाहौर, मुल्तान, पेशावर, गुजरांवाला, अमृतसर, जालन्धर, हिसार और फिरोज़पुर प्रमुख हैं।

निष्कर्ष पंजाब के विभिन्न धरातलीय स्वरूपों जैसे-पहाड़ों, मैदानों व मरुस्थल और भिन्न-भिन्न नदियों ने यहाँ के लोगों के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक राजनैतिक व सांस्कृतिक पहलुओं को ऐतिहासिक रूप से प्रभावित किया है।



महत्वपूर्ण तिथियाँ-

1. 1849 ई. में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया।
2. 1857 ई. में दिल्ली और हिसार के क्षेत्र पंजाब में शामिल किए गए।
3. 1901 ई. में पंजाब प्रदेश में से उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रदेश बनाया गया।
4. 1911 ई. में दिल्ली को पंजाब से अलग कर दिया गया।
5. 1947 ई. में भारत के विभाजन के समय पंजाब दो भागों- पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब में बँट गया।
6. 1 नवंबर, 1966 ई. को पंजाब भाषा के आधार पर पंजाब और हरियाणा दो प्रांतों में बँटा गया और कुछ इलाका हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया।

इस धरती पर हज़ारों वर्ष पूर्व नदियों के किनारों पर दुनिया की प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता ने जन्म लिया। विभिन्न कालों में इसकी राजनैतिक सीमाएँ फैलती व सिकुड़ती रहीं।

यहाँ की समृद्ध धरती को विदेशियों ने अपनी ओर आकर्षित किया, जिसने इसके समस्त इतिहास को प्रभावित किया।



याद रखने योग्य तथ्य-

1. **पंजाब** शब्द फ़ारसी भाषा के दो शब्द-पंज और आब के मिलने से बना है।
2. वैदिक काल में पंजाब को सप्त सिंधु कहा जाता था।
3. यूनानियों ने पंजाब का नाम पेंटापोटामिया रखा था।
4. प्राचीनकाल में पंजाब में एक टक कबीला रहता था। इसलिए पंजाब को टकी प्रदेश कहा जाता था।
5. भारत में मुगल साम्राज्य दौरान पंजाब को लाहौर प्रांत कहा जाता था।
6. 1849 ई. में अंग्रेज़ों ने पंजाब का नाम पंजाब प्रदेश रखा।
7. भारत के विभाजन के समय पंजाब का जो हिस्सा भारत के हिस्से में आया, उसको पूर्वी पंजाब कहा जाता है।
8. दो नदियों के बीच वाले इलाके को दोआब कहा जाता है।
9. पंजाब में पाँच दोआब हैं।
10. बारी दोआब के इलाके को 'माझा' दोआब भी कहा जाता है।
11. पंजाब को भारत का 'प्रवेश द्वार' कहा जाता है।

अध्यास

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न



(क) बहुविकल्पीय प्रश्न :

1. ऋग्वेद के अनुसार पंजाब का नाम क्या था?

क) हड़प्पा ख) सप्त सिंधु
ग) पंचनद घ) पेंटापोटामिया
2. निम्न लिखित में चीनी यात्री कौन था?

क) चाणक्य ख) लार्ड कर्जन
ग) ह्यूनसांग घ) कोई भी नहीं
3. पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया?

क) 1849 ई. ख) 1887 ई.
ग) 1889 ई. घ) 1901 ई.
4. यह दोआब कम उपजाऊ है-

क) चज्ज दोआब ख) सिंधु सागर
दोआब
ग) रचना दोआब घ) बारी दोआब
5. घग्गर और यमुना के बीच का क्षेत्र-

क) मालवा ख) बांगर
ग) माझा घ) कोई भी नहीं
6. मालवा क्षेत्र किन नदियों के मध्य स्थित है?

क) सतलुज और यमुना ख) सतलुज और
घग्गर
ग) घग्गर और यमुना घ) सतलुज और
ब्यास

(ख) रिक्त स्थान भरें-

1.सभ्यता का जन्म पंजाब में हुआ था।
2. 'पेंटा' का अर्थ.....है और 'पोटामिया' का अर्थ... है।
3. भौगोलिक दृष्टिकोण से पंजाब को.....भागों में बाँटा गया है।

4.चिनाब और जेहलम नदियों के बीच का इलाका है।
5. सिक्ख धर्म के संस्थापक.....थे।
6. भाषा के आधार पर.....को पंजाब का पुनर्गठन किया गया।
7. माउंट ऐवरेस्ट की ऊँचाई.....मीटर है।

(ग) सही मिलान करो

क	ख
---	---

- | | |
|--------------|--------------------------|
| 1. ऋग्वेद | (i) उत्तर-पश्चिमी पर्वत |
| 2. सुलेमान | (ii) सेकिया |
| 3. बांगर | (iii) उप-पर्वतीय क्षेत्र |
| 4. शिवालिक | (iv) सप्त सिंधु |
| 5. ह्यूनसांग | (v) घग्गर और यमुना |

(घ) निम्नलिखित में अन्तर स्पष्ट करें-

1. 'मालवा' तथा 'बांगर'
2. 'पश्चिमी पंजाब' तथा 'पूर्वी पंजाब'
3. 'दर्रे' तथा दोआब'
4. हिमालय तथा उप पर्वतीय क्षेत्र
5. 'चज' दोआब तथा 'बिस्त जालंधर दोआब'

2. अति लघु उत्तरों वाले प्रश्न -



1. पंजाब शब्द से क्या भाव है?
2. यूनानियों ने पंजाब का क्या नाम रखा?
3. 'सप्त सिंधु' से क्या भाव है?
4. 1947 ई. में पंजाब को किन दो भागों में बाँटा गया था?
5. पंजाब की उत्तर-पश्चिमी सीमा में स्थित किन्हीं दो दर्रे के नाम लिखो।
6. पंजाब को भाषा के आधार पर कब और कितने राज्यों में बाँटा गया?

3. लघु उत्तरों वाले प्रश्न-



- पंजाब के भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक नामों पर प्रकाश डालें।
- पंजाब के इतिहास का अध्ययन करने के लिए पंजाब की भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन क्यों ज़रूरी है?
- पंजाब को भारत का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है?
- पंजाब में इस्लाम धर्म का प्रसार तेज़ी से क्यों हुआ?
- पंजाब की भौगोलिक स्थिति का लोगों के आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़े?

4. दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न



- पंजाब की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करो।
- पंजाब की भौगोलिक स्थिति ने पंजाब के राजनैतिक और धार्मिक क्षेत्र के इतिहास पर क्या प्रभाव डाला? विस्तार सहित बताओ।
- विदेशी हमलों का पंजाब के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़े?

नक्शे सम्बंधी प्रश्न

- मुख्य दरियां (सिंध, जेहलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज)।
- मुख्य दर्ते

प्रोजेक्ट

- निम्न चित्रों में दर्शाए पंजाब से संबंधित देश भगतों द्वारा देश के लिए दिए योगदान के बारे में श्रेणी में चर्चा करें तथा नोट लिखे।

पंजाब के मध्य व्यक्तित्व



- लोक-गाथाओं में पंजाब की क्या महत्ता है? किसी एक लोकगाथा के बारे में अपने अध्यापक महोदय से चर्चा करो।




अभ्यास के लिए मानचित्र



प्रमुख नदियाँ

अभ्यास के लिए मानचित्र



प्रमुख दर्ते

श्री गुरु नानक देव जी तथा समकालीन समाज

2

15वीं शताब्दी के मध्य से 16वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक पंजाब में लोधी वंश के शासकों का राज्य था। उनकी नीतियों के कारण पंजाब में राजनैतिक अस्थिरता फैली हुई थी। पंजाब की सामाजिक अवस्था भी अच्छी नहीं थी। समाज दो प्रमुख वर्गों- हिन्दू और मुस्लिम में बँटा हुआ था। समाज में स्त्रियों की दशा दयनीय थी। समाज में जाति प्रथा व अन्य अनेकों कुरीतियाँ प्रचलित थीं। लोग अज्ञानता, अंधविश्वास और भ्रमों में फँसे हुए थे। उस समय गुरु नानक देव जी ने धर्म और समाज को नया रास्ता दिखाया। आओ, उनके जीवन, शिक्षाओं और समकालीन समाज की अवस्था के बारे में अध्ययन करें।

श्री गुरु नानक देव जी का जीवन

श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोय की तलवंडी गाँव में हुआ, जो कि आजकल पाकिस्तान में है। अब इस जगह को श्री ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल, 1469ई. में हुआ। परन्तु यह कार्तिक की पूर्णिमा (अक्टूबर-नवम्बर में) को मनाया जाता है। गुरु जी की माता का नाम तृप्ता था, जोकि धार्मिक विचारों वाली स्त्री थीं। गुरु जी के पिता का नाम मेहता कालू था, जोकि पटवारी थे। उनका विवाह 14 वर्ष की आयु में बटाला (ज़िला गुरदासपुर) के मूलचंद की पुत्री बीबी सुलक्ष्णी जी से हुआ। गुरु नानक देव जी के घर दो पुत्रों श्री चन्द और लखमीचंद ने जन्म लिया।

जनेऊ की रस्म



पुरातन जन्म साखी के अनुसार नौ वर्ष की आयु में हिन्दू रीति-रिवाजों के अनुसार गुरु नानक देव जी की जनेऊ धारण करने की रस्म की गई। कुल-पुरोहित हरदयाल ने गुरु नानक देव जी को जनेऊ धारण करने के लिए कहा, तो गुरु जी ने जनेऊ पहनने से इन्कार कर दिया। इस प्रकार केवल नौ वर्ष की आयु में ही उन्होंने रूढ़िवादी सामाजिक-धार्मिक रीतियों को चुनौती दे दी थी।

गतिविधि-

गुरु नानक देव जी का जन्म वैशाख (15 अप्रैल) को होने के बावजूद भी यह अक्टूबर-नवंबर में कार्तिक की पूर्णिमा को क्यों मनाया जाता है? इसके ऐतिहासिक कारणों एवं परम्पराओं की जानकारी एकत्र करें।

सच्चा सौदा



गुरु नानक देव जी के पिता ने गुरु जी का ध्यान सांसारिक कार्यों में लगाने के लिए कुछ रकम देकर 'चूहड़काने' नगर में कोई व्यापार करने के लिए भेज दिया। गुरु जी मण्डी की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें कुछ ज़रूरतमंद लोग और साधु मिले, जोकि भूखे थे। गुरु जी ने पिता की दी हुई रकम से राशन खरीद कर उन ज़रूरतमंद लोगों और भूखे फकीर-साधुओं को भोजन करवा दिया। जब गुरु नानक देव जी खाली हाथ घर वापिस आए, तो पिता मेहता कालू बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने रकम का हिसाब माँगा, तो गुरु जी ने सारी घटना सच-सच बता दी। इस घटना को सच्चा सौदा कहा जाता है।

मोदीखाने की घटना

मेहता कालू जी ने गुरु नानक देव जी को सुल्तानपुर लोधी में अपने दामाद जय राम (जोकि सूबेदार दौलत खां लोधी के पास बड़ी पदवी पर कार्य करते थे) के पास नौकरी करने के लिए भेज दिया। गुरु जी को मोदीखाने (अनाज का भंडार) में नौकरी मिल गई। गुरु जी पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करते थे। वे काम करते समय भी प्रभु-भक्ति में लीन रहते। उन्होंने मोदीखाने में वेतन के रूप में मिलने वाले अपने हिस्से का अनाज गरीबों को मुफ्त बाँटना शुरू कर दिया। सूबेदार को शिकायत की गई कि नानक मोदीखाने का अनाज मुफ्त लुटा रहा है परन्तु जब उसने मोदीखाने में अनाज के भण्डार की जाँच करवाई, तो भण्डार में अनाज पूरा था। इस घटना के बाद गुरु जी की महिमा दूर-दूर तक फैल गई।

ज्ञान प्राप्ति 1499ई.

सुल्तानपुर लोधी में रहते हुए गुरु जी प्रतिदिन वेई नदी में स्नान करने जाते थे। 1499 ई. को एक दिन गुरु जी वेई नदी में स्नान करने गए, तो आसपास के प्राकृतिक दृश्य ने उनके मन पर ऐसा प्रभाव डाला कि गुरु जी तीन दिन तक वेई नदी के किनारे स्थित जंगल में अन्तर ध्यान रहे। यहीं गुरु जी को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। आजकल इस स्थान पर गुरुद्वारा 'तप-स्थान' बना हुआ है।

श्री गुरु नानक देव जी की उदासियाँ/यात्राएँ

ज्ञान प्राप्ति के उपरांत जब गुरु जी घर वापिस लौटे, तो वे चुप थे। गुरु जी ने जब चुप्पी तोड़ी, तो उन्होंने कहा- 'न को हिन्दू, न को मुसलमान।' जब ब्राह्मणों और काजियों ने इस वाक्य का अर्थ पूछा, तो गुरु जी ने कहा कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही असल धर्म के रास्ते से भटक चुके हैं। इसके बाद श्री गुरु नानक देव जी ने मोदीखाने की नौकरी छोड़ दी और अपना अगला जीवन लोगों में ज्ञान प्रचार करने में व्यतीत किया।

श्री गुरु नानक देव जी ने तत्कालीन समाज और धर्मों में फैली अज्ञानता, अंध-विश्वास को दूर करने और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने के सिद्धांत का प्रचार करने के उद्देश्य से 1499 ई. से 1521 ई. तक देश-विदेश की यात्राएँ कीं, जिनको उदासियाँ भी कहा जाता है।

पहली उदासी (1499 ई.-1510 ई.)

श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी पहली उदासी (यात्रा) 1499 ई. में आरम्भ की। इस यात्रा के दौरान वे पूर्वी भारत की ओर गए। भाई मरदाना जी उनके साथ थे। इस यात्रा के दौरान वे लाहौर, सैय्यदपुर, सियालकोट, तालुम्बा, कुरुक्षेत्र, पानीपत, दिल्ली, हरिद्वार, गोरखमता (वर्तमान समय नानकमता), बनारस, गया, पटना, ढाका, कटक, धूबरी, कामरूप, सिलहट, जगन्नाथपुरी से मध्य भारत के रास्ते चंद्रेशी, भोपाल, ग्वालियर, आगरा, मथुरा होते हुए, 1510 ई. में गुरु जी वापिस अपने गाँव तलवंडी पहुँचे। उन्होंने भाई मरदाना को अपने घर जाने की इजाज़त दे दी और वे स्वयं तलवंडी से कुछ दूर एकांत में रहने लगे।

पहली उदासी की मुख्य घटनाएँ

सैय्यदपुर-एमनाबाद

यहाँ गुरु जी गरीब बढ़ई भाई लालो जी के घर ठहरे। वहाँ के अमीर मलिक भागो ने गुरु जी को अपनी हवेली में ठहरने और भोजन करने का बुलावा भेजा। परन्तु गुरु जी ने इन्कार कर दिया, क्योंकि मलिक भागो ने गरीबों का खून चूस कर दौलत कमाई थी, जबकि भाई लालो की कमाई मेहनत और ईमानदारी की थी। इस प्रकार गुरु जी ने लोगों को संदेश दिया कि हमें हक व मेहनत की कमाई करनी चाहिए।



गुरु नानक देव जी भाई लालो के घर

हरिद्वार

अपनी यात्रा के दौरान जब गुरु जी हरिद्वार पहुँचे, वहाँ लोग कर्मकाण्डों में फँसे हुए अज्ञानतावश गंगा नदी में पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपने मृत पुरुखों (पितरों) तक पानी पहुँचाने के लिए सूरज को पानी दे रहे थे। लोगों को इन अंधविश्वासों में से निकालने के लिए गुरु जी ने पश्चिम दिशा की ओर मुख करके हथेलियों से पानी देना शुरू कर दिया। जब लोगों ने गुरु जी से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि वे अपने खेतों को पानी पहुँचा रहे हैं। लोगों ने सवाल किया कि आपके द्वारा दिया पानी इतनी दूर खेतों तक कैसे पहुँच सकता है? गुरु जी ने उत्तर दिया कि यदि आपके द्वारा दिया पानी दूसरी दुनिया में आपके पितरों तक पहुँच सकता है, तो मेरा पानी कुछ सौ मील की दूरी पर स्थित मेरे खेतों तक क्यों नहीं पहुँच सकता? गुरु जी के इस तर्क से लोग बहुत प्रभावित हुए।



गुरु नानक देव जी हरीद्वार में

तालुम्बा

यहाँ सज्जन नामक ठग रहता था, जोकि अपनी हवेली में ठहरने वाले यात्रियों को कत्ल करके उनका सामान लूट लेता था। गुरु जी ने अपने उपदेशों के द्वारा उसका मन परिवर्तित किया। वह गुरु नानक देव जी का शिष्य (सिक्ख) बन गया और उसने लूटमार छोड़कर धर्म प्रचार शुरू कर दिया। उसने अपनी हवेली को धर्मशाला में परिवर्तित कर दिया।

जगन्नाथपुरी

जगन्नाथपुरी हिन्दुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है, जहाँ भगवान् श्री जगन्नाथ (विष्णु) का मन्दिर है। यहाँ गुरु जी ने पुजारियों को विष्णु भगवान की मूर्ति की पूजा और आरती करते देखा, तो उन्होंने लोगों को उपदेश दिया कि परमात्मा निराकार है और संपूर्ण ब्राह्मण, आकाश, सूरज, चाँद, तारे, हवा, वनस्पति, फूल आदि मिल कर हर समय उसी निराकार परमात्मा की आलौकिक आरती करते रहते हैं।

दूसरी उदासी (1510 ई.-1515 ई.)

कुछ समय तलवंडी में रुकने के बाद गुरु नानक देव जी ने 1510 ई. में दक्षिणी भारत की यात्रा शुरू की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने सैदो और गोहो नामक दो भाईयों और भाई मरदाना को अपने साथ लिया।

राजस्थान

अपनी इस उदासी के दौरान गुरु जी ने मालवा के संतों के साथ भेंट की। वे हिन्दुओं के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पुष्कर भी गए। उन्होंने माऊँट आबू में जैन मुनियों से मुलाकात भी की।

दक्षिणी भारत

राजस्थान के बाद गुरु जी ने दक्षिणी-भारत में उज्जैन, हैदराबाद, नान्देड़, कटक, बिदर, गोलकुण्डा, गंटूर, मद्रास, त्रिचनापल्ली, नागापट्टम, कांचीपुरम और तीर्थ स्थान रामेश्वरम की यात्रा की।

लंका

श्री गुरु नानक देव जी समुद्री मार्ग द्वारा लंका गए। कहते हैं कि लंका का राजा शिवनाभ और अन्य बहुत सारे लोग गुरु जी की बाणी से प्रभावित होकर उनके सिक्ख बन गए।

श्री गुरु नानक देव जी लंका से वापिस रामेश्वरम, त्रिवेंद्रम, कोटियम, श्री रंगापटनम, सोमनाथ, द्वारका, कच्छ, मांडवी, बहावलपुर, मुल्तान होते हुए, 1515 ई. को अपने गाँव तलवंडी पहुँचे और फिर सुल्तानपुर चले गए।

घर वापसी

तीसरी उदासी (1515 ई.-1517 ई.)

कुछ समय सुल्तानपुर लोधी अपने परिवार के साथ रहने के बाद गुरु जी ने भाई मरदाना, हस्सू लुहार और सीहा छींबे को साथ लेकर उत्तरी भारत की ओर तीसरी यात्रा शुरू की।

तीसरी उदासी के दौरान गुरु जी द्वारा निम्नलिखित स्थानों का भ्रमण किया गया।



चौथी उदासी (1517 ई.-1521 ई.)

श्री गुरु नानक देव जी ने 1517 ई. से 1521 ई. तक भाई मरदाना को साथ लेकर अपनी चौथी उदासी के दौरान पश्चिमी एशियाई देशों की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने मुसलमान हाजियों वाला नीला परिधान धारण किया। इस यात्रा के दौरान वे मुल्तान, उच्च, हिंगलाज, मक्का, मदीना, बगदाद, कंधार, काबुल, जलालाबाद, सुल्तानपुर, पेशावर और सैय्यदपुर की यात्रा की।

परमात्मा सर्वव्यापक है

अपनी यात्रा के दौरान गुरु जी मुसलमानों के तीर्थ स्थान मक्का गए। वहाँ वे काबे की ओर पैर करके सो गए। वहाँ के काज़ी रुकनदीन ने गुरु जी को काफिर कहते हुए इस पर एतराज़ किया, तो गुरु जी ने उनको कहा कि वे उनके पैर उस तरफ कर दे, जिधर अल्लाह नहीं है। यह सुनकर काज़ी सोचों में पड़ गया और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। इस प्रकार गुरु जी ने लोगों को ईश्वर-अल्लाह के सर्वव्यापी होने का संदेश दिया। जब हाजियों ने गुरु जी से पूछा कि हिन्दू धर्म अच्छा है या मुसलमान धर्म अच्छा है, तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि शुभ कर्मों के बिना किसी भी धर्म का व्यक्ति परमात्मा के दरबार में दुःख प्राप्त करेगा।

हसन अब्दाल

मक्का मदीना की यात्रा के बाद श्री गुरु नानक देव जी हसन अब्दाल पहुँचे। वहाँ एक ऊँची पहाड़ी पर अहंकारी मुसलमान फकीर वली कंधारी रहता था। उसने पहाड़ी से नीचे नगर की ओर बहने वाले पानी को रोका हुआ था। लोगों के विनती करने पर भी उसने पानी नहीं खोला था। उसने भाई मरदाना को भी पानी देने से इन्कार कर दिया। जब गुरु नानक देव जी को पता चला, तो उन्होंने पहाड़ी के नीचे से पत्थर हटा कर पानी निकाल दिया। गुस्से में आकर वली कंधारी ने पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी चट्टान लुढ़का कर गुरु जी को मारना चाहा, परन्तु गुरु जी ने उस चट्टान को अपने पंजे से रोक लिया। इस प्रकार वली कंधारी का अहंकार टूट गया और वह गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और उनका श्रद्धालु बन गया। आजकल वहाँ गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब (पाकिस्तान) स्थित है।

गतिविधि

श्री गुरु नानक देव जी की यात्राओं से सम्बन्धित स्थानों पर बने गुरुद्वारों के नाम व उनके ऐतिहासिक महत्त्व के बारे में जानकारी एकत्र करें।

क्या आप जानते हो?

काबा- मुसलमानों के तीर्थ स्थान मक्का में एक पवित्र काला पत्थर है, जिसको **काबा** कहा जाता है।

हाजी- मुसलमानों के तीर्थ स्थान मक्का-मदीना की यात्रा करने को हज करना कहा जाता है और जो मुसलमान इन तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, उन्हें हाजी कहा जाता है।

तत्कालीन पंजाब

श्री गुरु नानक देव जी के जीवनकाल में बाबर द्वारा इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में मुगल (तुर्क) राज्य की स्थापना करना सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम था।

क) लोधी सुल्तानों (अफगानों) के अधीन पंजाब

श्री गुरु नानक देव जी के समय में पंजाब दिल्ली सल्तनत का ही एक हिस्सा था। उनके जीवन के पहले 56 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत तीन लोधी शासकों के अधीन रही,



बहलोल लोधी (1451-1489 ई.) सिकन्दर लोधी (1489-1517 ई.) इब्राहिम लोधी (1517-1526 ई.)

लोधी सुल्तानों ने पंजाब के शासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए पंजाब में तातार खाँ लोधी (1469-1485 ई.) और दौलत खाँ लोधी (1500-1525 ई.) को अपना सूबेदार नियुक्त किया।

पंजाब का गवर्नर दौलत खाँ लोधी दिल्ली के शासक सिकन्दर लोधी के प्रति तो पूरा वफादार रहा, परन्तु जब लोधी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी ने शासन की बागडौर संभाली, तो दौलत खाँ लोधी की वफादारी बगावत में परिवर्तित होनी शुरू हो गई, क्योंकि वह स्वयं पंजाब पर अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करना चाहता था, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने बाबर को पंजाब पर हमला करने के लिए उकसाया।

ख) बाबर के पंजाब पर हमले और मुगल राज्य की स्थापना

बाबर काबुल (मध्य एशिया) से भारत पर शासन करने के उद्देश्य से भारत आया था। वह पंजाब पर अपना अधिकार करना चाहता था। पंजाब पर अधिकार करने के लिए इब्राहिम लोधी, दौलत खाँ लोधी और बाबर के बीच 1519 ई. में से लेकर 1526 ई. तक संघर्ष जारी रहा, जिसको त्रिकोणीय संघर्ष भी कहा जाता है। बाबर ने पंजाब पर विजय प्राप्त करने के लिए पाँच बार हमले किए। बाबर ने पंजाब पर पहला हमला अप्रैल 1519 ई. में भेरा और बिजनौर, दूसरा हमला सितम्बर 1519 ई. में पेशावर तथा तीसरा हमला 1520 ई. में सैय्यदपुर में किया।

1524 ई. में बाबर ने दौलत खाँ लोधी के न्यौते पर पंजाब पर चौथा हमला किया था। परन्तु 1525 ई. में पाँचवें हमले में बाबर ने दौलत खाँ लोधी को ही हरा कर बन्दी बना लिया। बाबर ने लाहौर सहित पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। पंजाब के बाद बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा। 1526 ई. को इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ, जिसको पानीपत की पहली लड़ाई कहा जाता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी हार गया। बाबर ने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर ली और भारत में मुगल (तुर्क) राज्य की स्थापना की।

सैय्यदपुर/एमनाबाद की घटना)

1520 ई. में अपनी चौथी उदासी के समय गुरु नानक देव जी जब सैय्यदपुर पहुँचे, तो उस समय सैय्यदपुर (एमनाबाद) पर बाबर ने हमला किया हुआ था। मुगल सैनिकों ने स्त्री, पुरुषों व बच्चों पर बहुत अत्याचार किए व लूटपाट की। उन्होंने बहुत सारे लोगों को बन्दी बना लिया। श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी बाणी में बाबर के पंजाब पर किए अत्याचारों का ज़िक्र भी किया है।

यदि श्री गुरु नानक देव जी की बाणी का गहराई से अध्ययन किया जाए , तो उस समय की राजनैतिक सामाजिक व धार्मिक अवस्थाओं में कुछ भी प्रशंसनीय नहीं था सामाजिक व धार्मिक व्यवस्था का पतन हो चुका था। इसी कारण श्री गुरु नानक देव जी ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। वास्तव में उनकी बाणी में समकालीन अवस्थाओं का वर्णन उनकी नैतिक शिक्षाओं के संदर्भ में ही है।

राजनैतिक अवस्था

पंजाब में तुर्क अफगान शासन के समय मुसलमान शासक शरीयत के अनुसार शासन प्रबन्ध चलाते थे। लोधीकाल में कई नगरों में अदालतें भी स्थापित की गईं, जहाँ काज़ी शरीयत के अनुसार न्याय प्रदान करते थे। मुस्लिम कुलीन वर्ग के उलमा तथा सूफी शेखों को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त था। उनको नगदी व कर-मुक्त जागीरें दी जाती थीं। दूसरी तरफ गैर-मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें ज़ियात तथा तीर्थकर देना पड़ता था। कई हिन्दू जोकि फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान रखते थे, उन्हें मध्यम व निम्न वर्ग के प्रशासनिक कार्यों जैसे-प्रांतीय दीवान, लेखाकार, कानूनगो, चौधरी, मुकद्दम (वज़ीर) व पटवारी लगा लिया जाता था। गुरु नानक देव जी तत्कालीन पंजाब के अफगान शासकों के शासन-प्रबन्धों व नीतियों से भली-भाँति परिचित थे। उन्होंने अपनी बाणी में तुर्क-अफगान शासन की कलयुग के साथ तुलना की है। उन्होंने शासक वर्ग के अत्याचार, अन्याय व गैर-मुस्लिम लोगों के साथ ज़ियात व धार्मिक यात्रा कर जैसे भेदभावपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि शासक सिंह की भान्ति प्रजा का शिकार करते हैं। उनके मुकद्दम (वज़ीर) लोगों को कुत्तों की भाँति नोचते हैं। रिश्वतखोरी का बोलबाला है। वे परमात्मा के नाम पर दिन-रात उनका शोषण करते हैं। गुरु नानक देव जी ने लोगों को सच्चे राजा अर्थात् परमात्मा की भक्ति करने की शिक्षा दी। उनके अनुसार परमात्मा की सेवा ही सच्ची सेवा है। उनके अनुसार परमात्मा सर्वशक्तिमान है। वह एक क्षण में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है।

क्या आप जानते हैं?

शरीयत- मुसलमानों के धार्मिक पवित्र ग्रंथ कुरान में बताई गई जीवन पद्धति के अनुसार जीवनयापन को शरीयत कहा जाता है।

ज़ियात- ज़ियात एक विशेष किस्म का कर था, जो मुगल सरकार द्वारा गैर-मुस्लिम लोगों पर इसलिए लगाया जाता था, क्योंकि मुगल सरकार ने उनकी रक्षा करने की ज़िम्मेवारी ली हुई थी, परन्तु हिन्दू यह कर देना अपमान समझते थे।

तीर्थयात्रा कर- गैर-मुसलमानों को अपने धार्मिक स्थानों की यात्रा करने के लिए तीर्थयात्रा कर देना पड़ता था।

इस्लाम धर्म- इस्लाम की स्थापना हज़रत मुहम्मद साहिब ने मक्का-मदीना में 7वीं शताब्दी में की। पंजाब में हिन्दू धर्म के बाद इस्लाम दूसरा बड़ा धर्म था। पंजाब पर मुस्लिम शासकों का बहुत समय तक अधिकार रहा, जिस कारण पंजाब में इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार बहुत तेज़ी से हुआ। इस धर्म के दो मुख्य सम्प्रदाय सुनी व शिया थे। इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का कुरान है।

सामाजिक एवं धार्मिक अवस्था

16वीं शताब्दी में पंजाब की सामाजिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। समाज दो प्रमुख वर्गों-हिन्दू और मुस्लिम में बँटा हुआ था। मुसलमान शासक वर्ग से संबंध रखते थे, इसलिए उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे। पंजाब में मुस्लिम समाज विदेशों से आए तुर्क-अफगानों और धर्म-परिवर्तित करने वाले स्थानीय लोगों पर आधारित था। धर्म-परिवर्तन करने वालों में युद्ध के समय गुलाम बनाए गए स्त्री, पुरुष व बच्चे और सूफी-संतों के प्रभाव से इस्लाम कबूल करने वाले लोग प्रमुख थे।

साक्षरता केवल नगरों तक सीमित थी, जहाँ विद्वान लोग रहते थे। फारसी, मुसलमान (उच्च) कुलीन वर्ग की भाषा थी, जबकि सूफी-संतों के प्रभाव के कारण पंजाबी लोक-भाषा साहित्यिक रूप धारण कर रही थी। उस समय मुस्लिम समाज तीन वर्गों में बँटा हुआ था।

-उच्च वर्ग-

मुस्लिम समाज की उच्च श्रेणी में सरदार, अमीर, खान, शेख, मलिक, इकतादार, उलमा, काज़ी आदि शामिल थे। सरकार के उच्च उपाधि के अधिकारियों को खान, मलिक, अमीर कहा जाता था। इकतादार उन सरदारों को कहा जाता था, जिनको सरकार द्वारा कुछ निश्चित इलाके मिले हुए थे। समाज में उनका जीवन उच्च स्तरीय था।

मध्य वर्ग

मुस्लिम समाज की मध्य श्रेणी में रूढिवादी, उलमा, सूफी, शेख, पीर और सैय्यदों के इलावा सैनिक, किसान, व्यापारी, विद्वान और लेखक आदि शामिल थे। समाज में इनका जीवन नीचे स्तर का था।

क्या आप जानते हो?

बाबर का पूरा नाम ज़हीर-उद-दीन मुहम्मद बाबर है, जो मध्य एशिया का रहने वाला था, वह भारत में पहला मुगल सम्राट बनने में सफल हुआ। बाबर का पैतृक घराना तैमूर और ननिहाल घराना चंगेज़ खान था।

- बाबर की आत्मकथा तुङ्क-ए-बाबरी (बाबरनामा) तुर्की भाषा में लिखी गई।



ज़हीर-उद-दीन मुहम्मद बाबर

निम्न वर्ग

मुस्लिम समाज की निम्न श्रेणी में लुहार, बढ़ई, सुनार, मोची, जुलाहे, भिश्ती आदि कारीगर व शिल्पकारों के अतिरिक्त नौकर और गुलाम शामिल थे। सबसे निचला स्तर गुलाम वर्ग का था। गुलामों को बेचा और खरीदा जाता था।

16वीं शताब्दी में तुर्क-अफगानों के शासन संभालने के कारण हिन्दू समाज की स्थिति कमज़ोर हुई। राजपूतों के शक्तिहीन होने के कारण वर्ण-व्यवस्था में कई बदलाव आए। वैदिक काल से ही हिन्दू समाज चार वर्णों- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बँटा हुआ था। ब्राह्मणों का राजनैतिक संरक्षण समाप्त हो गया। अधिकांश

ब्राह्मण शिक्षा देने और पूजापाठ का कार्य छोड़कर अन्य कार्यों में लग गए। क्षत्रिय लोगों का मुख्य व्यवसाय युद्ध करना था, परन्तु अब वे बदलते हालातों के कारण युद्ध करना छोड़कर व्यापार व अन्य व्यवसायों में लग गए। वैश्य वर्ग के लोग हमेशा से ही शाहूकार, व्यापार और खेतीबाड़ी करने वाले थे। ब्राह्मणों व क्षत्रियों का प्रभाव कम होने के कारण शूद्र भी कुछ हद तक वर्ण व्यवस्था से मुक्त होकर अन्य व्यवसाय करने लगे।

गुरु नानक देव जी की बाणी उस समय की सामाजिक व आर्थिक अवस्थाओं का भी चित्रण करती है। उनके अनुसार ब्राह्मण शासक वर्ग की स्तुति करके अपनी आजीविका कमा रहा है और क्षत्रियों ने शासक वर्ग का आचरण अपना लिया है। दोनों ही अपना वास्तविक धर्म भूल गए हैं। उनका यह विश्वास था कि सभी मनुष्य एक ही परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा की नज़र में जन्म से कोई भी उत्तम अथवा अधम (नीच) नहीं है। परमात्मा की अपनी कोई जाति नहीं है। सच्चा ब्राह्मण वह है जो अपने आचरण व कार्यों से स्वयं व लोगों को पापों से मुक्त कर सके। सच्चा क्षत्रिय वह है, जो लोगों को जुल्मों से बचा सके। गुरु नानक देव जी ने लोगों को अपने वर्णों से ऊपर उठ कर धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। उनके अनुसार ब्राह्मणों व क्षत्रियों का शूद्रों के साथ भेदभाव, पुरुषों द्वारा स्त्रियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार आदि कुरीतियों को समाप्त करके ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति संभव है।

मुस्लिम समाज में स्त्रियों की दशा- मुस्लिम समाज में सिर्फ उच्च वर्ग की स्त्रियों की हालत कुछ अच्छी थी। परन्तु बाकी स्त्रियों की हालत दयनीय थी। स्त्रियों को घर की चारदीवारी में रखा जाता था। स्त्रियाँ बुर्का पहनती थीं। उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। किसी भी तरह के फैसलों में उनकी राय ज़रूरी नहीं समझी जाती थी। अमीर लोग कई स्त्रियों से विवाह करते थे। स्त्रियाँ खरीदी व बेची जाती थीं। तलाक की प्रथा भी काफी प्रचलित थी।

हिन्दू समाज में स्त्रियों की दशा- हिन्दू समाज में भी स्त्रियों की दशा ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जन्म लेते ही कन्या की हत्या कर दी जाती थी। बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित होने के कारण छोटी आयु में ही उनका विवाह कर दिया जाता था। उस समय सती प्रथा भी प्रचलित थी।

यदि किसी विवाहिता स्त्री का पति मर जाता था, तो उस स्त्री को पति की चिता के साथ ही जला दिया जाता था। स्त्रियाँ घर की चारदीवारी में रहती थीं। उनको पढ़ने-लिखने का अधिकार नहीं था।

गुरु जी ने स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों का विरोध किया और स्त्रियों को सम्मान देने का प्रचार किया। इसलिए गुरु जी ने स्त्रियों को संगत और पंगत (पंक्ति) में शामिल किया। गुरु जी ने अपनी बाणी में फरमाया है—“सो क्यों मंदा आखियै, जित जम्मे राजान्।”



लंगर सेवा

16वीं शताब्दी में हिन्दू धर्म पंजाब का मुख्य धर्म था। वेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद, गीता आदि पर आधारित हिन्दू शिक्षाएँ प्रचलित थी। हिन्दू धर्म कई सम्प्रदायों में बँटा हुआ था।

1. **बैष्णव मत-** इस मत को मानने वाले लोग विष्णु और उसके अवतारों राम, कृष्ण आदि की पूजा करते थे। ये लोग शुद्ध शाकाहारी थे।
2. **शैव मत-** शैव मत को मानने वाले शिवजी के उपासक थे। ये अधिकतर संन्यासी थे। जिनमें गोरखपंथी, नाथपंथी और कनफटे जोगी थे।
3. **शाक्त मत-** इस मत को मानने वाले लोग काली और दुर्गा की शक्ति के रूप में पूजा करते थे। वे लोग पूजा के लिए जानवरों की बलि भी देते थे।

बहुत सारे लोग जादू-टोनों में विश्वास करते थे। कुछ लोग पितरों व स्थानीय देवताओं जैसे-गूगा पीर और शीतला माता आदि की पूजा भी करते थे। सभी गैर-मुसलमान हिन्दू नहीं थे। इसके इलावा उस समय पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में बुद्ध और मैदानी भागों में जैन धर्म को मानने वाले लोग भी रहते थे, जोकि अहिंसा में विश्वास रखते थे।

श्री गुरु नानक देव जी के परमात्मा सम्बन्धी विचार

श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार आम लोगों की भाषा में किया। गुरु जी की रचनाओं का अध्ययन करने के बाद उनकी शिक्षाओं के बारे में काफी जानकारी प्राप्त हो जाती है।


1. **परमात्मा एक है-** श्री गुरु नानक देव जी ने एक परमात्मा का प्रचार किया। उन्होंने मनुष्य को उपदेश दिया कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं।
2. **परमात्मा निराकार है-** गुरु जी के अनुसार परमात्मा का कोई रंग-रूप अथवा आकार नहीं है। वह निराकार है। इसीलिए ही गुरु जी मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे।
3. **परमात्मा सर्वशक्तिमान व सर्वव्यापी है-** गुरु जी के अनुसार परमात्मा सर्वशक्तिमान व सर्वव्यापी है। वह अथाह शक्तियों का मालिक है।
4. **परमात्मा चिर स्थायी है-** गुरु जी अनुसार परमात्मा सदा रहने वाला है, जबकि संसार नश्वर है।
5. **परमात्मा के हुक्म का महत्त्व-** गुरु जी के अनुसार मनुष्य को ईश्वर के हुक्म अथवा रजा में रहना चाहिए। जो ईश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं है, वह सब झूठ है।
6. **परमात्मा की दया व मेहर-** श्री गुरु नानक देव ने मनुष्य को परमात्मा की दयालुता, मेहर, बर्खिशश प्राप्त करने के लिए उसका सिमरन करने का उपदेश दिया।
7. **परमात्मा की महानता-** गुरु जी के अनुसार परमात्मा सबसे महान् है। उसकी महानता का वर्णन करना सम्भव नहीं है।

श्री गुरु नानक देव जी करतारपुर में

1521 ई. में सुल्तानपुर लोधी वापिस आने के बाद गुरु जी ने पंजाब के विभिन्न आस पास के क्षेत्रों की यात्रा की। 1522 ई. में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर नगर बसाया। गुरु जी ने अपने जीवन के अन्तिम 18 वर्ष करतारपुर में अपने परिवार के साथ व्यतीत किए। गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में किसान के रूप में खेतीबाड़ी करके आदर्श गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। उन्होंने लोगों को नाम जपो, किरत करो और बाँटकर छको का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएँ उनके अपने व्यावहारिक जीवन की ही उदाहरणें हैं।

उन्होंने अपने प्यारे सिक्ख भाई लहणा को गले से लगाकर अंगद नाम देकर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। भाई लहणा सिक्खों के दूसरे गुरु, गुरु अंगद देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। 22 सितम्बर, 1539 ई. को श्री गुरु नानक देव जी करतारपुर में ज्योति-जोत समा गए। उनको श्री गुरु नानक, शाह फकीर, हिन्दुओं का गुरु और मुसलमानों का पीर कहा जाता है।

श्री गुरु नानक देव जी का विश्व इतिहास में उच्च स्थान है। उन्होंने अपनी शिक्षाओं के द्वारा सारी मनुष्य जाति के कल्याण का रास्ता तैयार किया। उन्होंने विश्व भाईचारे का संदेश दिया। उनके उपदेश सिक्ख धर्म का मूल आधार बने।



किरत करते श्री गुरु नानक देव जी

क्या आप जानते हो?

गुरु जी की बाणी- श्री गुरु नानक देव जी ने वार मल्हार, वार माझ, वार आसा, जपु जी, ओंकार, पट्टी, थित बारांमाह आदि बाणियों की रचना की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु जी के 974 शब्द 19 रागों में दर्ज हैं।



याद रखने योग्य तथ्य

- श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ई. में राय भोय की तलवंडी गाँव में हुआ।
- राय भोय की तलवंडी गाँव आजकल पाकिस्तान में है और श्री ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है।
- श्री गुरु नानक देव जी के पिता का नाम महता कालू और माता का नाम तृप्ता था।
- श्री गुरु नानक देव जी का विवाह 14 वर्ष की आयु में मूलचंद की पुत्री बीबी सुलक्खनी जी से हुआ।
- श्री गुरु नानक देव जी के दो पुत्र थे- श्रीचंद और लखमीचंद।
- श्री गुरु नानक देव जी के जीवन की मुख्य घटनाएँ- जनेऊ की रस्म, सच्चा सौदा, मोदीखाने की घटना और ज्ञान की प्राप्ति।
- 16वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में राजनैतिक अस्थिरता और अराजकता फैली हुई थी।
- 16वीं शताब्दी में पंजाब पर लोधी शासकों का शासन था।
- बहलोल लोधी ने 1451-1489 ई. तक शासन किया।
- सिकन्दर लोधी ने 1489-1517 ई. तक शासन किया।
- इब्राहिम लोधी ने 1517-1526 ई. तक शासन किया।
- दौलत खां लोधी ने 1500-1525 ई. तक लाहौर पर शासन किया।
- बाबर का पूरा नाम ज़हीर-उद-दीन मुहम्मद बाबर था।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

- गुरु नानक देव जी का जन्म - 1469 ई.
- सुल्तानपुर में वेई नदी के आसपास के जंगलों में ज्ञान की प्राप्ति- 1499 ई.
- पहली उदासी (1499 ई.-1510 ई.)
- दूसरी उदासी (1510 ई.-1515 ई.)
- तीसरी उदासी (1515 ई.-1517 ई.)
- चौथी उदासी (1517 ई.-1521 ई.)
- 1522 ई. में गुरु नानक देव ने रावी नदी के किनारे करतारपुर नगर बसाया।
- पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ई. में हुई।
- 22 सितम्बर, 1539 ई. को गुरु नानक देव जी करतारपुर में ज्योति-जोत समा गए।

अध्यास

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न



(क) बहुविकल्पी प्रश्न

1. लेखक मुस्लिम समाज के कौन-से वर्ग में आते थे?

क) उच्च वर्ग	ख) मध्य वर्ग
ग) निम्न वर्ग	घ) कोई भी नहीं
2. देवी दुर्गा की पूजा करने वालों को क्या कहा जाता था?

क) वैष्णव	ख) शैव
ग) शाक्त	घ) सुन्नी
3. जजिया क्या है?

क) धर्म	ख) धार्मिक कर
ग) प्रथा	घ) गहना
4. उलमा कौन थे?

क) मज़दूर	ख) हिन्दू धार्मिक नेता
ग) मुस्लिम धार्मिक नेता	घ) कोई भी नहीं
5. सच्चा सौदा की घटना कहाँ घटी?

क) चूहड़काने	ख) राय भोय
ग) हरिद्वार	घ) सैयदपुर

(ख) रिक्त स्थान भरें:-

1. मुसलमानों के सुन्नी और.....दो मुख्य सम्प्रदाय थे।
-को मानने वाले लोग विष्णु की पूजा करते थे।
- श्री गुरु नानक देव जी के जीवन का उद्देश्य.....का कल्याण था।
- श्री गुरु नानक देव जी ने करतारपुर में.....का संदेश दिया।
- सुल्तानपुर में रहते हुए गुरु जी रोज़.....नदी में स्नान करने जाते थे।

(ग) सही मिलान करो

ए

ब

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. पानीपत का पहला युद्ध | 1. चूहड़काना |
| 2. सच्चा सौदा | 2. 1526 ई. |
| 3. गुरु अंगद देव जी | 3. तलवंडी रायभोय |
| 4. गुरु नानक देव जी का जन्म | 4. भाई लहणा |

(घ) अन्तर बताओ

1. मुस्लिम उच्च वर्ग और मुस्लिम मध्यम वर्ग
2. वैष्णव मत और शैव मत

2. अति लघु उत्तरों वाले प्रश्न -



1. लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था?
2. बाबर को पंजाब पर हमला करने के लिए किसने निमंत्रण भेजा?
3. लोधीकाल में किन धार्मिक नेताओं को राजनैतिक संरक्षण मिलता था?
4. जिया कर क्या था ?
5. तीर्थ यात्रा कर के बारे में संक्षेप में लिखें?
6. पानीपत की पहली लड़ाई कब और किसके बीच हुई?
7. मुस्लिम धर्म के दो प्रमुख सम्प्रदाय कौन से थे?
8. श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ?
9. श्री गुरु नानक देव जी के माता-पिता का नाम बताओ।
10. श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रचित किन्हीं दो प्रमुख बाणियों के नाम बताओ।
11. श्री गुरु नानक देव जी द्वारा की यात्राओं को क्या कहा जाता है?

क्रियाकलाप

1. कीर्तन, लंगर, संगत, इनकी परिभाषा और महत्ता बताओ।
2. अपने घर के पास किसी धार्मिक स्थान पर जाओ और वहाँ आपने क्या-क्या देखा, उससे आपको क्या शिक्षा मिली? इस का वर्णन करें तथा अध्यापक महोदय से इस विषय में चर्चा करें।

3. लघु उत्तरों वाले प्रश्न-



1. 16वीं शताब्दी के आरम्भ में स्त्रियों की स्थिति पर नोट लिखो।
2. श्री गुरु नानक देव जी ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? नोट लिखो।
3. श्री गुरु नानक देव जी के जीवन से सम्बन्धित सच्चा सौदा घटना का वर्णन करो।
4. श्री गुरु नानक देव जी ने किन रीति-रिवाजों का खंडन किया?
5. लोधीकाल में मुस्लिम मध्य वर्ग पर नोट लिखो।

4. दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न



1. लोधीकाल में पंजाब में मुसलमानों की सामाजिक स्थिति का वर्णन करो।
2. श्री गुरु नानक देव जी के समय सामाजिक एवं धार्मिक अवस्था का वर्णन करें।
3. श्री गुरु नानक देव जी द्वारा की पहली उदासी (यात्रा) की व्याख्या करें।
4. श्री गुरु नानक देव जी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है?



ਸਿਕਖ ਧਰ्म ਕਾ ਵਿਕਾਸ (1539੯.-1581੯.)

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਪਨੀ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋ ਸੌਂਪ ਕਰ ਗੁਰੂਗੜੀ ਕੀ ਪਰਮਪਰਾ ਆਰਮੰਭ ਕੀ। 1539 ਈ. ਸੇ 1581 ਈ. ਤਕ ਕਾ ਸਮਯ ਸਿਕਖ ਇਤਿਹਾਸ ਮੌਜੂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰਖਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਯ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ, ਪੰਗਤ (ਪੰਕਿਤ), ਮੰਜੀ ਔਰ ਮਸ਼ਦ ਪ੍ਰਥਾ ਜੈਸੀ ਸੰਸਥਾਓਂ ਕੀ ਸਥਾਪਨਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਾਕਾਰ ਕਿਯਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਅਦ੍ਵਿਤੀਧ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇ ਦ੍ਰਾਵਾ ਹੀ ਸਿਕਖ ਧਰਮ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਓਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ (1539 ਈ.-1552 ਈ.)

ਭਾਈ ਲਹਣਾ (ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ) ਕਾ ਜਨਮ 31 ਮਾਰਚ, 1504 ਈ. ਮੌਜੂਦੇ ਮਤੇ ਕੀ ਸਰਾਏ (ਸਰਾਏਨਾਗਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ) ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਨਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਫੇਰੂਮਲਲ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਸਭਾਈ ਦੇਵੀ ਥਾ। ਇਨਕਾ ਵਿਵਾਹ ਹੀ ਦੇਵੀਚੰਦ ਕੀ ਪੁਤ੍ਰੀ ਬੀਬੀ ਖੀਕੀ ਕੇ ਸਾਥ ਸਮੱਪਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਹਣਾ ਜੀ ਕੇ ਦੋ ਪੁਤ੍ਰ - ਦਾਤੂ ਔਰ ਦਾਸੂ ਥੇ ਔਰ ਦੋ ਪੁਤ੍ਰਿਆਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਔਰ ਬੀਬੀ ਅਨੋਖੀ ਥੀਂ।

1526 ਈ. ਮੌਜੂਦ ਬਾਬਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰ ਹਮਲਾਂ ਕੇ ਕਾਰਣ ਇਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੱਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਣਾ ਜੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਪਾਸਕ ਥੇ। ਵੇਹ ਹਰ ਵਰ਷ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਯਾਤਰਾ ਕੇ ਲਿਏ ਜਾਤੇ ਥੇ। ਏਕ ਦਿਨ ਤਨਾਂਨੇ ਭਾਈ ਜੋਧਾ ਜੀ ਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੁਨੀ, ਤੋ ਵੇਹ ਅਤਿਨਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇ ਵਕਤਿਤਵ ਸੇ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਸਿਕਖ ਬਨ ਗਏ ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਨੇ ਲਗੇ ਗਏ। ਤਨਕੀ ਸਚਚੀ ਭਕਿਤ ਔਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਨ ਹੋਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਨਕੀ ਅਪਨੇ ਗਲੇ ਸੇ ਲਗਾਯਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਣਾ ਜੀ ਕੀ ਅੰਗਦ ਨਾਮ ਦੇਕਰ ਅਪਨਾ ਤੁਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਯਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਲਹਣਾ ਜੀ ਸਿਕਖਾਂ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਸੇ ਪ੍ਰਸਿੰਛ ਹੁਏ।



ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ

सिक्ख धर्म के विकास में योगदान

श्री गुरु अंगद देव जी 2 सितम्बर, 1539 ई. से 29 मार्च, 1552 ई. तक गुरुगढ़ी पर विराजमान रहे। इस समय के दौरान गुरु जी ने सिक्ख पंथ के विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किए।

1. **गुरुमुखी लिपि का मानकीकरण-** इस लिपि का जन्म भले ही श्री गुरु अंगद देव जी से पूर्व हो चुका था, परन्तु गुरु जी ने इसे मानक रूप दिया। इस तरह यह लिपि आप लोगों में प्रसिद्ध हो गई। गुरु जी ने इसको गुरुमुखी (गुरुओं के मुख से निकलने वाली) का नाम दिया। गुरु जी ने गुरुमुखी लिपि में 'बालबोध' की रचना की। गुरु जी ने अपनी बाणी की रचना भी इसी लिपि में ही की, जोकि आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है।
2. **श्री गुरु नानक देव जी की बाणी की संभाल-** श्री गुरु नानक देव जी गुरुवाणी की पोथी जिसमें अन्य सन्तों और भक्तों की बाणी भी शामिल थी गुरु अंगद देव जी को सौंप गए थे। गुरु अंगद देव जी ने स्वयं भी नानक नाम से बाणी की रचना की।
3. **लंगर प्रथा का विस्तार-** लंगर प्रथा का आरम्भ श्री गुरु नानक देव जी ने किया था। श्री गुरु अंगद देव जी के समय यह एक महत्वपूर्ण संस्था बन गई। लंगर की देखरेख उनकी (माहल) धर्मपत्नी बीबी खीवी जी स्वयं करते थे। लंगर में स्त्री, पुरुष, बच्चे, गरीब, निराश्रित सभी लोग, बिना किसी भेदभाव के पक्कित में बैठकर लंगर ग्रहण करते थे। लंगर का सारा व्यय संगत की ओर से प्राप्त भेंटो से किया जाता था। इससे समाज में पारस्परिक महत्व, सहयोग व बांट कर खाने की भावना का विकास हुआ।
4. **संगत प्रथा का विकास-** श्री गुरु नानक देव ने संगत प्रथा की स्थापना की। संगत का अर्थ है-धार्मिक इकट्ठ, जिसमें किसी भी धर्म, वर्ग व जाति के लोग भाग ले सकते थे। गुरु अंगद देव जी ने संगत को एक नया स्वरूप दिया। खड़ोर साहिब में प्रतिदिन सुबह-शाम गुरु नानक देव जी की बाणी का गायन किया जाता था। इस प्रकार गुरु अंगद देव जी ने संगत प्रथा को और विकसित किया जिसने सिक्खों को संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
5. **शारीरिक विकास पर ज़ोर-** गुरु अंगद देव जी सिक्ख संगत के आध्यात्मिक विकास के साथ-साथ शारीरिक विकास भी करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने खड़ोर साहिब में व्यायाम और कुश्ती की सिखलाई देने के लिए एक अखाड़ा तैयार करवाया, जिसे मल्ल अखाड़ा कहा जाता था। यह परम्परा ही बाद में सिक्खों की सैनिक शक्ति बनकर उभरी।



गुरु अंगद देव जी का चित्र

क्या आप जानते हैं?

श्री गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी में 63 श्लोकों की रचना की, जिसे बाद में गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ साहिब में दर्ज किया।




लंगर सेवा

6. **गोइंदवाल की स्थापना**- गुरु अंगद देव जी ने 1546 ई. में अमरदास जी की देखरेख में गोइंदवाल नगर की स्थापना की। उन्होंने वहाँ पर एक बाउली का काम शुरू करवाया। इस प्रकार गोइंदवाल सिक्खों का एक प्रमुख केन्द्र बन गया।
7. **उत्तराधिकारी की नियुक्ति**- 1552 ई. में ज्योति-जोत समाने से पूर्व गुरु अंगद देव जी ने अपने पुत्रों को गुरुगद्दी न देकर भाई अमरदास जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। यह उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। 29 मार्च, 1552 ई. को गुरु अंगद देव जी ज्योति-जोत समा गए। उन्होंने 13 वर्ष तक सिक्ख धर्म की निष्काम भाव से सेवा की।

श्री गुरु अमरदास जी (1552 ई.-1574 ई.)

श्री गुरु अमरदास जी का जन्म 5 मई, 1479 ई. को अमृतसर के गाँव बासरके में हुआ था। इनके पिता जी का नाम तेजभान और माता का नाम सुलक्खनी था। इनका विवाह देवीचंद की पुत्री मनसा देवी के साथ हुआ। इनके दो पुत्र मोहन और मोहरी और दो पुत्रियाँ बीबी दानी और बीबी भानी थीं। गुरु अमरदास जी प्रत्येक वर्ष हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए जाते थे, परन्तु एक दिन गुरु अमरदास जी ने बीबी अमरो (गुरु अंगद देव जी की पुत्री और गुरु अमरदास जी के भतीजे की धर्मपत्नी) से गुरु नानक देव जी की बाणी सुनी और अत्यन्त प्रभावित हुए। वे गुरु अंगद देव जी को मिलने खड़ूर साहिब गए और उनको अपना गुरु धारण कर लिया। गुरु जी तन, मन से संगत की सेवा में लीन रहने लगे। मार्च, 1552 ई. को गुरु अंगद देव जी ने इनकी असाधारण विनम्रता व सेवा भावना से प्रभावित होकर गुरुगद्दी गुरु अमरदास जी को सौंप दी। इस समय गुरु अमरदास जी की उम्र 73 वर्ष थी। गुरुगद्दी प्राप्त करने के पश्चात् गुरु अमरदास जी को अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा।



सेवा को फल लगता है

खड़ूर साहिब में बाबा अमरदास जी गुरु अंगद देव जी की सेवा में व्यस्त रहते थे। उन्होंने जल सेवा संभाल ली। वह गुरु अंगद देव जी के लिए नित्य व्यास नदी से जल की गागर भरकर लाते और गुरु जी को स्नान करवाते। गुरु अंगद देव जी ने अमरदास जी के सेवा भावना से प्रसन्न होकर उनको गुरुगद्दी सौंप दी। उधर गुरु जी के पुत्र दातू और दासू स्वय को गुरुगद्दी का अधिकारी समझते थे और बाबा अमरदास जी से ईर्ष्या करते थे। बाबा बुढ़ा जी ने उनको समझाया कि गुरुगद्दी कोई पैतृक सम्पत्ति नहीं है, सेवा को फल लगता है। गुरु अमरदास जी द्वारा गुरु अंगद देव जी की भावना के कारण ही गुरु अमरदास जी को गुरुगद्दी प्राप्त हुई।



श्री गुरु अमरदास जी

सिक्ख धर्म के विकास में योगदान

गुरु अमरदास जी ने 1552 ई. से 1574 ई. तक 22 वर्ष सिक्ख धर्म का नेतृत्व किया। भले ही गुरु जी को अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ा, परन्तु फिर भी सिक्ख धर्म के विकास के लिए उन्होंने कई प्रशंसनीय कार्य किए, जोकि निम्नलिखित हैं-

1. **गोइंदवाल में बाउली का निर्माण**- गोइंदवाल नगर की स्थापना गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी की देखरेख में करवाई थी। गुरुगद्दी पर बैठने के पश्चात् गुरु अमरदास जी ने 1552 ई. में यहाँ एक बाउली का निर्माण शुरू करवाया और 1559 ई. में इसे पूरा करवाया। इस बाउली में 84 सीढ़ियाँ हैं। बाउली के निर्माण ने सिक्ख धर्म के प्रचार, प्रसार और विकास में अहम् योगदान प्रदान किया।



गोइंदवाल में बाउली


- लंगर प्रथा का विस्तार-** गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित लंगर प्रथा का विस्तार करते हुए, गुरु अमरदास जी ने दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पहले लंगर फिर संगत के सिद्धान्त को लागू किया। उन्होंने संगत को लंगर के लिए अपनी कमाई से भेंट देने के लिए प्रेरित भी किया। इस प्रथा ने संगत में जाति प्रथा का भेदभाव समाप्त किया जिससे उनमें एकता की भावना पैदा हुई। जब मुगल बादशाह अकबर गुरु जी के दर्शन करने आया तो उसने भी पंक्ति में बैठकर लंगर ग्रहण किया।
- बाणी की रचना-** गुरु अंगद देव जी से गुरु अमरदास जी को 'शब्दों की पोथी' प्राप्त हुई थी। गुरु अमरदास जी ने स्वयं 907 शब्दों की 17 रागों में रचना करके इसे पोथी में शामिल किया।
- मंजी प्रथा-** सिक्ख धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए गुरु अमरदास जी ने मंजीप्रथा आरंभ की। गुरु जी ने 22 मंजियों की स्थापना की। गुरु साहिब मंजियों के प्रमुख को मंजीदार कहते थे। ये मंजीदार गुरु साहिब व संगत के मध्य एक कड़ी का कार्य करते थे। संगत अपनी भेंट इनके द्वारा ही गुरु साहिब तक पहुँचाती थी। इस प्रकार मंजी प्रथा की स्थापना से दूर-दराज़ की संगत मंजीदारों के माध्यम से गुरु घर के साथ जुड़ी हुई थी। सिक्ख धर्म के योजनावद्ध विकास में इस प्रथा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

5. मुगल सम्राट अकबर के साथ अच्छे

सम्बन्ध- मुगल सम्राट अकबर गुरु अमरदास जी के व्यक्तित्व से अत्यन्त प्रभावित था। वह 1567ई. में गुरु जी के दर्शन के लिए गोइंदवाल आया। अकबर ने गुरु जी से मुलाकात करने से पहले पंक्ति में बैठकर लंगर ग्रहण किया। अकबर लंगर व्यवस्था से बड़ा प्रभावित हुआ। उसी वर्ष पंजाब में अकाल पड़ा हुआ था। गुरु जी के आग्रह पर अकबर ने किसानों का लगान माफ कर दिया था।

क्या आप जानते हैं?

मंजी प्रथा- 22 मंजियों में से दो मंजियाँ स्त्री सेवादार काबुल की माई सेवा और कश्मीर की माई भागभरी को भी दी गई।




मुगल सम्राट अकबर ने गुरु जी से मुलाकात करने से पहले पंक्ति में बैठकर लंगर ग्रहण किया।

श्री गुरु अमरदास जी एक समाज-सुधारक

श्री गुरु अमरदास जी आध्यात्मिक गुरु होने के साथ-साथ समाज-सुधारक भी थे। उनके द्वारा किए सुधारों ने ही सिक्ख धर्म को एक अलग पहचान दी।

1. श्री गुरु अमरदास जी ने जाति-भेद और छुआछूत की निन्दा की। लंगर प्रथा ने सिक्खों में इस भेदभाव को खत्म करने में मुख्य भूमिका निभाई।
2. गुरु जी ने समाज में सदियों से चली आ रही सती प्रथा का विरोध किया।

3. मध्यकालीन भारत में स्त्रियों में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। इस प्रथा ने स्त्रियों के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में रुकावट पैदा की। गुरु जी ने इस प्रथा का विरोध किया और स्त्रियों को पर्दा न करने का आदेश दिया।



गुरु जी द्वारा सामाजिक कुरीतियों का विरोध

4. गुरु जी ने सिक्खों को शराब, तम्बाकू और अन्य नशीली वस्तुओं से दूर रहने का उपदेश दिया।
5. गुरु साहिब ने गोइंदवाल में बाउली का निर्माण किया। यह सिक्खों की सामूहिक कारसेवा और दान से बनाया गया था जिससे इस क्षेत्र में जल की आपूर्ति आसान हो गई।
6. गुरु साहिब के समय सिक्ख माघी, वैशाखी और दीवाली के त्योहार मनाने के लिए गोइंदवाल में इकट्ठे हो कर, गुरु जी का उपदेश सुनते और लंगर ग्रहण करते। इसका उद्देश्य सिक्खों में सामाजिक एकता व भ्रातृत्व की भावना पैदा करना था।

गतिविधि



वर्तमान समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों के विषय में अपने अध्यापक महोदय की सहायता से विचार-विमर्श करो।

उत्तराधिकारी की नियुक्ति-

श्री गुरु अमरदास जी ने अपने श्रद्धालु भाई जेठा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जोकि गुरु रामदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्षमा, नम्रता, दया, संतोष के पुंज गुरु अमरदास जी 1574 ई. में 95 वर्ष की आयु में ज्योति-जोत समा गए।

श्री गुरु रामदास जी (1574 ई.-1581 ई.)

श्री गुरु रामदास जी का जन्म 24 सितम्बर, 1534 ई. में लाहौर की चूनामंडी में हुआ। इनके पिता श्री हरिदास और माता अनूप देवी थीं। गुरु जी के बचपन का नाम जेठा था। जेठा जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के मालिक थे। एक बार वे कुछ सिक्खों के साथ गोइंदवाल साहिब गए, वहाँ वे श्री गुरु अमरदास जी के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि उनके सिक्ख बन गए। वे गुरु जी की सेवा करते थे। श्री गुरु अमरदास जी ने भाई जेठा की भक्ति-भावना और सेवाभाव से खुश होकर अपनी सुपुत्री बीबी भानी जी का विवाह उनके साथ कर दिया। भाई

गुरु अमरदास जी ने भाई जेठा जी की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जोकि बाद में गुरु रामदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए।

सिक्ख धर्म के विकास में योगदान-

गुरु रामदास जी 1574 ई. से लेकर 1581 ई. तक गुरुगंडी पर विराजमान रहे। इन्होंने अत्यन्त कम समय में सिक्ख पंथ के विकास, प्रचार, प्रसार और संगठन के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए।

- रामदासपुर (अमृतसर) की स्थापना-** रामदासपुर अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास जी की सिक्ख धर्म को सबसे बड़ी देन है। उन्होंने 1577 ई. में बाबा बुद्धा जी की देखरेख में अमृत सरोवर की खुदाई का कार्य शुरू करवाया। उन्होंने सिक्खों को रामदासपुर जाकर बसने का आदेश दिया। गुरु जी के आदेशानुसार यहाँ 52 व्यापारी भी आकर बस गए। धीरे-धीरे यहाँ एक बाज़ार बन गया, जिसको गुरु का बाज़ार कहा जाने लगा। रामदासपुर को चक्क गुरु और चक्क गुरु रामदास के नाम से भी जाना जाने लगा। बाद में इस का नाम अमृतसर पड़ गया। जल्दी ही यह धर्म प्रचार और व्यापार का एक बड़ा केन्द्र बन गया।



चक्क गुरु राम दास नगर का निर्माण

- मसंद प्रथा का आरम्भ-** गुरु राम दास जी ने मसन्द प्रथा का आरम्भ किया। स्थानीय सिक्ख संगत के लिए वे गुरुघर के लिए प्रतिनिधि होते थे। वे संगत की सामूहिक समस्याओं का समाधान करते थे वे संगत को गुरुघर के साथ जोड़ते थे।



अमृतसर

- बाणी की रचना-** गुरु रामदास जी ने बाणी की रचना का महत्वपूर्ण कार्य किया गुरु अमरदास जी से प्राप्त बाणी की पोथी में उन्होंने 30 रागों में बाणी की रचना की। उनकी बाणी में 8 वारों और घोड़ियों के साथ -साथ सूही राग में लावां शीर्षक के अधीन रचित, उनकी 'बाणी' विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो कि आनंदकारज (विवाह की रस्म) के अवसर पर पढ़ी जाती है।
- उत्तराधिकारी की नियुक्ति-** गुरु रामदास जी अपने पुत्रों में से अर्जुन देव को गुरुगंडी के लिए सबसे योग्य समझते थे क्योंकि पिरथीया बहुत ही लालची और षड्यंत्रकारी था और महादेव की सांसारिक कार्यों में रुचि नहीं थी। इस लिए 1581 ई. में गुरु रामदास जी ने अर्जुन देव जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। 1 सितम्बर, 1581 ई. को गुरु रामदास जी ज्योति-जोत समा गए।

इस प्रकार गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी और गुरु रामदास जी ने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं और उनके द्वारा आरम्भ किए गए कार्यों को न केवल जारी रखा, बल्कि उन्होंने जन-साधारण को एक अलग जीवन पद्धति, धार्मिक पद्धति व अलग सरल रीति-रिवाज़ प्रदान करके सिक्ख धर्म को हिन्दू व मुस्लिम धर्म से अलग पहचान दी।



याद रखने योग्य-

गुरु अंगद देव जी

- 2 सितम्बर 1539 ई. से 29 मार्च 1552 ई. तक गुरगढ़ी पर विराजमान रहे।
- 1546 ई. में गोइंदवाल नगर की स्थापना की।
- 29 मार्च, 1552 ई. को गुरु जी ज्योति-जोत समा गए।

गुरु अमरदास जी

- मार्च 1552 ई. को गुरगढ़ी पर विराजमान हुए।
- गुरु जी ने मार्च 1559 ई. में गोइंदवाल में बाउली का निर्माण पूरा किया।
- 1574 ई. में गुरु जी ज्योति-जोत समा गए।

गुरु रामदास जी

- 1574 ई. से 1581 ई. तक गुरगढ़ी पर विराजमान रहे।
- 1 सितम्बर, 1581 ई. को श्री गुरु रामदास जी ज्योति-जोत समा गए।

अध्यास

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न



(क) बहुविकल्पीय प्रश्न

1. किस गुरु जी ने गोइंदवाल में बाउली का निर्माण शुरू करवाया ?
 - क) श्री गुरु अंगद देव जी ख) श्री गुरु अमरदास जी
 - ग) श्री गुरु रामदास जी घ) श्री गुरु नानक देव जी
2. मंजीदारों की कुल संख्या कितनी थी?
 - क) 20 ख) 21
 - ग) 22 घ) 23
3. मुगल सप्ताह अकबर कौन-से गुरु के दर्शन के लिए गोइंदवाल आए?
 - क) गुरु नानक देव जी ख) गुरु अंगद देव जी
 - ग) गुरु अमरदास जी घ) गुरु रामदास जी
4. भाई लहणा जी गुरु नानक देव जी के दर्शन करने के लिए कहाँ गए?
 - क) श्री अमृतसर साहिब ख) करतारपुर
 - ग) गोइंदवाल घ) लाहौर

5. गुरु रामदास जी ने अपने पुत्रों में से गुरगढ़ी किस को दी?
 - क) पिरथीचंद ख) महादेव
 - ग) अर्जुन देव घ) इन में से कोई नहीं

(ख) रिक्त स्थान भरें:-

1. गुरु अंगद देव जी ने गुरमुखी लिपि में..... लिखा।
2.जी हर साल हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए जाते थे।
3.ने गोइंदवाल में बाउली का निर्माण पूरा करवाया।
4. गुरु रामदास जी ने.....नगर की स्थापना की।
5. 'लावा' बाणी.....जी की प्रसिद्ध रचना है।

(ग) सही मिलान करो:-

क ख

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1. बाबा बुड्ढा जी | (अ) अमृत सरोवर |
| 2. मसंद प्रथा | (आ) श्री गुरु रामदास जी |
| 3. भाई लहणा | (इ) श्री गुरु अंगद देव जी |
| 4. मंजीप्रथा | (ई) श्री गुरु अमरदास जी |

(घ) अंतर बताओ-

1. संगत और पंगत

2. अति लघु उत्तर वाले प्रश्न-

1. गुरु अंगद देव जी का पहला नाम क्या था?
2. 'गुरमुखी' से क्या अभिप्राय है?
3. मंजीदार किसे कहा जाता था?
4. अमृतसर का पुराना नाम क्या था?
5. गुरु रामदास जी का मूल नाम क्या था?
6. मसंद प्रथा से क्या अभिप्राय है?



3. लघु उत्तर वाले प्रश्न-

1. मंजी प्रथा पर नोट लिखो।
2. गुरु अंगद देव जी का गुरमुखी लिपि के विकास में क्या योगदान है?
3. गुरु अमरदास जी के द्वारा किये समाज सुधार के कार्यों पर नोट लिखो।
4. अमृतसर की स्थापना पर नोट लिखो।



4. दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न-



1. श्री 'गुरु अंगद देव जी ने सिक्ख पंथ के विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किए।' वर्णन करो।
2. श्री गुरु अमरदास जी का सिक्ख धर्म के विकास में क्या योगदान है?
3. श्री 'गुरु रामदास जी ने सिक्ख पंथ के विकास के लिए कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए।' वर्णन करो।
4. गुरुओं द्वारा नये नगरों की स्थापना और नई परम्पराओं की शुरुआत ने सिक्ख धर्म के विकास में क्या योगदान दिया?



श्री गुरु अर्जुन देव जीः सिक्ख धर्म के विकास में योगदान और उनकी शहीदी

4

श्री गुरु अर्जुन देव जी सिक्खों के पाँचवें गुरु के रूप में 1581 ई. में गुरगढ़ी पर विराजमान हुए। गुरु अर्जुन देव जी ने 25 वर्षों तक सिक्ख धर्म का नेतृत्व किया। उनके द्वारा सिक्ख धर्म के विकास के लिए किए महान् कार्यों ने सिक्खों को नई सोच और नई दिशा प्रदान की। गुरु अर्जुन देव जी ने श्री हरिमंदिर साहिब का निर्माण करवा कर अमृतसर को सिक्खों के महान् आध्यात्मिक केन्द्र के रूप में स्थापित किया और सिक्ख धर्म के लिए आदि ग्रंथ साहिब का सपांदन करके सिक्ख धर्म को पूर्ण रूप से अपनी एक अलग पहचान दी। उनकी शहीदी ने सिक्खों में धर्म के लिए सर्वस्व न्योछावर करने का जज़बा भरा, आओ! गुरु अर्जुन देव जी की सिक्ख धर्म को महान् देन और उनकी महान् शहीदी के बारे में जानें।

प्रारम्भिक जीवन

श्री गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 15 अप्रैल, 1563 ई. में सिक्खों के चौथे गुरु श्री रामदास जी और बीबी भानी के घर गोइंदवाल में हुआ। गुरु अर्जुन देव जी गुरु रामदास जी के तीसरे व सबसे छोटे पुत्र थे। वह बचपन से ही अत्यन्त बुद्धिमान व धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने बाबा बुड्ढा जी से गुरमुखी का ज्ञान प्राप्त किया, इसके अतिरिक्त गुरु जी ने फारसी और संस्कृत भाषा की शिक्षा भी ग्रहण की। उन्होंने गुरु अमरदास जी व गुरु रामदास जी से आध्यात्मिक व गुरबाणी की शिक्षा प्राप्त की। 1579 ई. में अर्जुन देव जी का विवाह मीओ गाँव (फिल्हैर) के कृष्णचंद की पुत्री गंगा के साथ हुआ। 1595 ई. में आप जी के घर पुत्र ने जन्म लिया, जोकि सिक्खों के छठे गुरु, गुरु हरगोबिन्द जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु रामदास जी के तीन पुत्र पिरथीचंद (पिरथीया), महादेव और अर्जुन देव थे। पिरथीया सबसे बड़ा था। वह बहुत ही बेड़मान और लालची था। सिक्ख परम्परां के अनुसार उसको मीणा कहकर संबोधित किया जाता है। महादेव की

सांसारिक कार्यों में रुचि नहीं थी। अर्जुन देव जी बहुत ही विनम्र व आज्ञाकारी थे। उनके सेवाभाव और भक्ति के कारण गुरु रामदास जी ने 1581 ई. में उनको पाँचवें सिक्ख गुरु के रूप में गुरगढ़ी पर विराजमान किया।

गुरु अर्जुन देव जी के नेतृत्व में सिक्ख धर्म का विकास (1581 ई. - 1606 ई. तक)

गुरु अर्जुन देव जी ने अत्यन्त कठिनाइयों व विरोधों के बावजूद 25 वर्षों के अपने गुरुकाल में सिक्ख धर्म के प्रचार, प्रसार और विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किए।





1. **अमृतसर में हरिमंदिर साहिब का निर्माण-** रामदासपुरा (अमृतसर नगर) की स्थापना श्री गुरु रामदास जी ने की थी। उन्होंने अमृतसर और संतोखसर नामक दो सरोवरों का निर्माण कार्य शुरू करवाया, परन्तु उस कार्य को श्री गुरु अर्जुन देव जी ने पूरा करवाया। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर सरोवर के बीच एक धर्मसाल का निर्माण करवाया, जिस का नाम हरिमंदिर रखा गया। हरिमंदिर साहिब की नींव 1588 ई. में प्रसिद्ध सूफी फकीर मीयां मीर जी ने रखी। 1604 ई. में हरिमंदिर साहिब में आदि ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया और बाबा बुड़ा जी को इसका पहला ग्रंथी नियुक्त किया गया।

2. **आदि ग्रंथ साहिब की सपांदना -** श्री गुरु अर्जुन देव जी के समय तक सिक्ख धर्म का बहुत प्रसार हो चुका था। सिक्ख गुरुओं ने काफी मात्रा में बाणी की रचना कर ली थी। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने भी 30 रागों में 2218 शब्दों की रचना की। कुछ लोगों ने गुरुओं के नाम पर बाणी की रचना शुरू कर दी थी। इस लिए श्री गुरु अर्जुन देव जी ने सिक्खों को गुरु साहिबान की शुद्ध गुरबाणी का ज्ञान करवाने के लिए तथा गुरुओं की बाणी की संभाल करने के लिए आदि ग्रंथ साहिब जी का संकलन करके सिक्खों को एक अलग धार्मिक ग्रंथ प्रदान किया। ग्रंथ के संकलन का कार्य अमृतसर में रामसर सरोवर के किनारे एकांत स्थान पर आरम्भ किया गया। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने स्वयं बोल कर भाई गुरदास जी से बाणी लिखवाई। आदि ग्रंथ साहिब में सिक्ख गुरुओं की बाणी के अतिरिक्त कई हिन्दू भक्तों, सूफी-संतों, भट्टों और गुरुसिक्खों के शब्दों को स्थान दिया गया। 1604 ई. में आदि ग्रंथ साहिब जी के संकलन का कार्य संपूर्ण हुआ और इसका प्रथम प्रकाश श्री हरिमंदिर साहिब में किया गया। बाबा बुड़ा जी को इसका पहला ग्रंथी नियुक्त किया गया।

3. **छेहरटा का निर्माण-** गुरु अर्जुन देव जी ने बड़ाली गाँव में पानी की कमी पूरी करने के लिए एक कुँआ खुदवाया और उस पर छः रहट लगवाए। इसके बाद इस गाँव का नाम छेहरटा पड़ गया।

4. **मसंद प्रथा का विकास-** मसंद प्रथा गुरु रामदास जी ने आरंभ की थी। गुरु अर्जुन देव जी ने मसंद प्रथा के विकास के लिए नये नियम बनाए। उन्होंने सिक्खों को अपनी कमाई का दसवां भाग (दसवंध) गुरुघर को भेंट करने की प्रेरणा दी। दसवंध इकट्ठा करने के लिए गुरु

श्री हरिमंदिर साहिब को स्वर्ण मन्दिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऐतिहासिक कारणों की खोज करें और अध्यापक महोदय की सहायता से इस पर चर्चा करो।



साई मीयां मीर हरिमंदिर साहिब का नींव रखते हुए



श्री हरिमंदिर साहिब



ग्रंथ साहिब जी के संकलन का चित्र




ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश उत्सव

जी ने बहुत ही जिम्मेदार सिक्खों को मसंद नियुक्त किया, जो धर्म का प्रचार भी करते थे।

5. **लाहौर में बाउली का निर्माण-** गुरु अर्जन देव जी ने 1599 ई. में अपनी लाहौर यात्रा के दौरान डब्बी बाजार में एक बाउली का निर्माण करवाया। जिससे स्थानीय क्षेत्रों में पानी के अभाव को नियंत्रित किया जा सके-



छहरटा का निर्माण



कुछ समय बाद मसंद प्रथा में कई बुराइयाँ आ गईं। मंसद अहंकारी और लालची हो गए थे इस कारण गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस प्रथा को बंद कर दिया।

6. **उत्तराधिकारी की नियुक्ति-** 1606 ई. में गुरु अर्जुन देव जी ने अपने बलिदान से पूर्व ही अपने पुत्र हरगोबिंद जी को सिक्खों के छठे गुरु के रूप में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। उन्होंने ने गुरु हरगोबिंद जी को जुल्म व अत्याचारों का सामना करने के लिए भी प्रेरित किया।

श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी

मुगल बादशाह अकबर सभी धर्मों के प्रति बहुत उदार था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जहांगीर मुगल सम्राट बना। वह एक कट्टर मुसलमान था। वह सिक्ख धर्म और गुरु अर्जुन देव जी की बढ़ रही प्रसिद्धि से खुश नहीं था। गुरु जी के विरोधियों के लिए यह सुनहरी मौका था। उस समय सम्राट जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जहांगीर ने खुसरो की सहायता करने के दोष में गुरु जी को बहुत बेरहमी से शहीद करवा दिया।

गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी के निम्नलिखित कारण थे-

1. **सिक्ख धर्म का विस्तार-** गुरु अर्जुन देव जी की ओर से हरिमंदिर साहिब का निर्माण, तरनतारन, करतारपुर, हरगोबिंदपुर नगरों की स्थापना और आदि ग्रंथ साहिब जी के संपादन के कारण सिक्ख धर्म का प्रचार व प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा था। लोग गुरु अर्जुन देव जी को सच्चे पातशाह कहकर बुलाने लगे थे। **दसवंथ प्रथा** के कारण गुरु घर की आमदन में वृद्धि हो रही



मुगल सम्राट जहांगीर

थी। इसलिए जहांगीर गुरु अर्जुन देव जी के बढ़ते हुए प्रभाव से राजनैतिक संकट महसूस करने लगा।

2. **पृथी चंद (पिरथीया) की शत्रु-** पृथी चंद (पिरथीया) गुरु अर्जुन देव जी का सबसे बड़ा भाई था। वह अत्यन्त स्वार्थी, धोखेबाज़ और बेईमान था। इस कारण ही गुरु रामदास जी ने पिरथीया को गुरगदी नहीं सौंपी, परन्तु वह गुरगदी पर अपना अधिकार समझता था। गुरगदी न मिलने के कारण वह गुरु जी का शत्रु बन गया था। उसने गुरगदी प्राप्त करने के लिए गुरु जी के विरुद्ध कई षडयंत्र रचे। उसने मसंदों से धन छीनना आरम्भ कर दिया और अपनी रचनाओं को गुरु की बाणी कहकर प्रचारित करना आरम्भ कर दिया। उसने गुरु जी के पुत्र हरगोबिन्द जी की हत्या करने के कई प्रयास किए, परन्तु अपने कुचालों में असफल होने के कारण उसने मुगल अधिकारियों के साथ मिलकर गुरु जी के विरुद्ध जहांगीर के कान भरने शुरू कर दिए।

3. **नक्शबंदियों का विरोध-** पंजाब में सिक्खों के बढ़ रहे प्रभाव को रोकने के लिए सरहिंद के नक्शबंदी लहर से सम्बन्धित मुसलमानों ने शेख अहमद सरहंदी के नेतृत्व में गुरु अर्जुन देव जी के विरुद्ध मुगल बादशाह अकबर को बहुत शिकायतें कीं, वह चाहता था कि गैर-मुसलमानों को किसी भी प्रकार की कोई छूट न दी जाए। परन्तु अकबर धार्मिक उदारवादी था, इस लिए नक्शबंदी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सके। बाद में जहांगीर के मुगल सम्राट बनने पर उन्होंने जहांगीर को गुरु जी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उकसाया।

4. **चंदूशाह का विरोध-** चंदूशाह लाहौर दरबार का प्रभाव शाली अधिकारी था। उसकी पुत्री का रिश्ता गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र हरगोबिन्द के साथ होना तय हुआ था, परन्तु चंदू शाह के अहंकार के कारण गुरु जी ने सिक्ख संगत की सलाह मानते हुए यह रिश्ता करने से साफ इंकार कर दिया। चंदूशाह ने इसको अपना अपमान समझा और वह गुरु जी का विरोधी बन गया। उसने बादशाह अकबर को गुरु जी के विरुद्ध भड़काया, परन्तु असफल रहा। बाद में उसने जहांगीर को गुरु जी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उकसाया, जोकि गुरु जी की शहीदी का कारण बना।

5. **जहांगीर की धार्मिक असहषिता-** मुगल सम्राट जहांगीर एक कट्टर मुसलमान था। परन्तु उस समय हर जाति व धर्म के लोग सिक्ख धर्म की उदारता और शिक्षाओं से प्रभावित होकर सिक्ख धर्म को अपना रहे थे। जहांगीर को गुरु अर्जुन देव जी बढ़ते प्रभाव से ईर्ष्या होने लगी। वह सिक्ख धर्म के विस्तार को रोकना चाहता था।

6. **तत्कालीन कारण-** जहांगीर के पुत्र खुसरो ने राजगदी प्राप्त करने के लिए अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। जहांगीर ने खुसरो को गिरफ्तार करने के लिए उसके पीछे मुगल सेना भेजी। कहा जाता है कि खुसरो गुरु जी को गोइंदवाल में मिला। सिक्ख परम्परा के अनुसार गुरु जी ने उसका गुरु घर आने पर आदर-सम्मान किया और लंगर भी छकाया। परन्तु गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। परन्तु गुरु जी के विरोधियों ने बादशाह जहांगीर के कान भर दिए कि गुरु जी ने खुसरों को शरण दी है और उसको धन देकर उसकी सहायता भी की है। जहांगीर ने खुसरों



क्या आप जानते हो?

गुरगदी प्राप्त करने की सारी कोशिशें नाकाम होने के बाद पिरथीया ने एक नया सम्प्रदाय चला लिया, जिसको मीणा सम्प्रदाय के नाम से जाना जाता है। पिरथीया का पुत्र मेहरबान उच्च कोटि का विद्वान था। पिरथीया के बाद वह मीणा सम्प्रदाय का मुखी बना। उसने गुरु नानक देव जी के जीवन से संबंधित जन्मसाखी की रचना की। मेहरबान द्वारा रचित जन्मसाखी को महत्वपूर्ण जन्मसाखी माना जाता है।

की सहायता करने के अपराध में श्री गुरु अर्जन देव जी की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया।

7. **शहीदी-** मुगल सप्राट जहांगीर के आदेशानुसार 24 मई, 1606 ई. को गुरु जी को बंदी बनाकर लाहौर लाया गया। जहांगीर ने उनको शहीद करने का हुक्म सुनाया। इसके साथ साथ परिवार को मुर्तज़ा खान के सुपुर्द करने तथा सम्पत्ति जब्त करने का आदेश भी दिया। जहांगीर के आदेशानुसार 30 मई 1606 ई. को गुरु जी को हृदयविदारक यातनाएँ देकर शहीद कर दिया गया। सिक्ख परम्परा के अनुसार गुरु अर्जुन देव जी को शहीदों के 'सिरताज' कहा जाता है।

गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी का प्रभाव

गुरु अर्जुन देव जी ने राजसी शक्तियों के अत्याचारों का निर्भीकता से विरोध किया, जिसके कारण सिक्ख धर्म में



महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। उनकी शहीदी से लोगों का सिक्ख धर्म में विश्वास और भी बढ़ गया।

1. **गुरु हरगोबिन्द जी की नयी नीति-** गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी के कारण सिक्ख धर्म में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। छठे गुरु हरगोबिन्द जी पर इस घटना का अत्यन्त प्रभाव पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि धर्म की रक्षा के लिए राजनैतिक शक्ति भी अत्यावश्यक है। इसलिए उन्होंने मीरी (राजनैतिक) और पीरी (अध्यात्मिक) नामक दो तलवारें धारण कीं। उन्होंने धीरे-धीरे अपनी सैनिक शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। इस उद्देश्य के लिए अमृतसर में हरिमंदिर साहिब के सामने 1606 ई. में अकाल तख्त साहिब का निर्माण करवाया। अकाल तख्त से सारी राजनैतिक गतिविधियाँ चलाई जाती थीं। अब सिक्ख हथियार धारण करने लग गए और वे गुरु जी को घोड़े और

श्री गुरु ग्रंथ साहिब



श्री गुरु ग्रंथ साहिब- श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के कुल 1430 पन्ने हैं, जिनको अंग कहा जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में छः गुरुओं, 15 भक्तों, 11 भट्टों और 4 सिक्खों की बाणी दर्ज है। गुरु नानक देव जी के 974, गुरु अंगद देव जी के 63, गुरु अमरदास जी के 907, गुरु रामदास जी के 679, गुरु अर्जुन देव जी के 2218 श्लोक और 116 शब्द, गुरु तेग बहादुर जी के 116 शब्द और 2 श्लोक शामिल हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी में कबीर (जुलाहा), फरीद (सूफी संत), रविदास [REDACTED] सूरदास (ब्राह्मण), नामदेव (छींबा), जयदेव (ब्राह्मण), त्रिलोचन (वैश), धन्ना (किसान), पीपा (राज मिस्त्री), सैण (नाई), सधना (कसाई), परमानन्द, रामानन्द, जोकि अलग-अलग जातियों और धर्मों से संबंधित थे, की बाणी को स्थान दिया। इस में बल, दल, नल, सल, गंगा, दास, मथुरा, भीखा, किरत, हरबंस नाम के भाटों के शब्द और मरदाना, सत्ता, बलवंड और सुंदर की रचनाएँ भी शामिल हैं।

हथियार भेंट करने लग गए। गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी ने गुरु हरगोबिन्द जी को संत सिपाही बना दिया।



श्री गुरु हरगोबिन्द जी मीरी पीरी धारण करते हुए।

मीरी (राजनैतिक) पीरी (अध्यात्मिक) तलवारे

2. **सिक्ख व मुगल शासकों के संबंधों में टकराव-** अकबर के समय तक सिक्खों के मुगलों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे। मुगल बादशाह अकबर स्वयं सिक्ख गुरुओं और सिक्ख धर्म का सम्मान करता था, परन्तु मुगल सप्ताह जहाँगीर द्वारा बेदर्दी श्री से गुरु अर्जुन देव जी को शहीद करने के कारण सिक्ख मुगलों के विरोधी बन गए और दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया।
3. **मुगल शासकों का सिक्खों पर अत्याचार-** श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी के बाद श्री गुरु हरगोबिन्द जी ने सिक्खों को हथियारबंद किया। सिक्खों पर राजनैतिक अत्याचारों का दौर शुरू हो गया। श्री गुरु हरगोबिन्द जी को 1609 ई. में जहाँगीर ने ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। शाहजहाँ के समय सिक्खों और मुगलों के कई युद्ध हुए। मुगल बादशाह औरंगज़ेब ने 1675 ई. में नौवें गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में शहीद करवा दिया। गुरु गोबिन्द सिंह जी, बन्दा सिंह बहादुर और महाराजा रणजीत सिंह के समय भी मुगल-सिक्ख संघर्ष जारी रहा।
4. **सिक्खों में एकता की भावना का विकास-** श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी के बाद सिक्ख अत्याचारों के विरुद्ध मर-मिटने के लिए तैयार हो गए। उनका सिक्ख धर्म में विश्वास और गहरा हो गया। इस तरह गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी सिक्खों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई और उनमें एकता की भावना प्रबल हो गई। इस प्रकार गुरु अर्जुन देव जी ने अपने कार्यों के द्वारा सिक्ख धर्म को एक नई दिशा प्रदान की। उनकी असाधारण विनप्रता, साहस, निर्भीकता, और महान आत्म-बलिदान ने सिक्खों में अपूर्व जोश का संचार किया।

याद रखने योग्य तथ्य

सिक्ख गुरु	जन्म तिथि	जन्म स्थान	माता-पिता	पत्नी	संतान	गुरुगद्वी वर्ष
1. गुरु नानक देव जी	15 अप्रैल, 1469 ई.	राय भोय की तलवंडी (पाकिस्तान)	पिता-महता कालू जी माता- तप्ता जी	बीबी सुलक्खनी	पुत्र-बाबा श्रीचंद, बाबा लक्ष्मीचंद	1469 ई.
2. गुरु अंगद देव जी	31 मार्च, 1504 ई.	मते की सराय (सरायनगा) श्री मक्तासर साहिब	पिता- फेरुमल माता-सभाई देवी	बीबी खोबी	पुत्र-दातू और दासू पुत्रियाँ-बीबी अमरा, बीबी अनोखी	1539
3. गुरु अमरदास जी	5 मई, 1479 ई.	बासरके, अमृतसर	पिता-तेजभान माता-सुलक्खनी	मनसा देवी	पुत्र-मोहन और मोहरी पुत्रियाँ-बीबी दानी, बीबी भानी	1552
4. गुरु रामदास जी	24 सितम्बर, 1534 ई.	चूनामंडी, लाहौर	पिता-श्री हरिदास माता-अनप देवी	बीबी भानी	पुत्र-पिरथोचंद, महादेव, अर्जन देव	1574
5. गुरु अर्जुन देव जी	15 अप्रैल, 1563	गोइंदवाल, अमृतसर	पिता- गुरु राम दास जी माता- बीबी भानी	बीबी गंगा	पुत्र-हरगोबिंद	1581



महत्वपूर्ण तिथियाँ

1. 1581 ई. में श्री गुरु अर्जुन देव जी गुरगद्वी पर विराजमान हुए।
2. 1588 ई. में हरिमंदिर साहिब की नींव प्रसिद्ध सूफी फकीर मीयां मीर जी ने रखी।
3. 1590 ई. गुरु अर्जुन देव जी ने माझे के खारा गाँव में तरनतारन नामक सरोवर बनवाया।
4. 1593 ई. में करतारपुर की स्थापना की और गंगसर सरोवर का निर्माण करवाया।
5. 1595 ई. में व्यास नदी के किनारे हरगोबिंदपुर नगर बसाया।
6. 1604 ई. में आदि ग्रंथ साहिब जी के संपादना का कार्य संपूर्ण हुआ।
7. 1606 ई. में श्री गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु हरिगोबिंद जी को सिक्खों का छठा गुरु नियुक्त किया।
8. 30 मई, 1606 ई. श्री गुरु अर्जुन देव जी ज्योति-जोत समा गए।

अभ्यास

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न



(क) बहुविकल्पीय प्रश्न

1. गुरु अर्जुन देव जी की माता जी का नाम-
 क) बीबी भानी ख) सभाराई
 देवी
 ग) बीबी अमरो घ) बीबी अनोखी
2. गुरु रामदास जी के बड़े पुत्र का नाम-
 क) महादेव ख) अर्जुन देव
 ग) पिरथी चन्द घ) हरिगोबिंद
3. गुरु हरिगोबिंद जी को जहाँगीर ने कौन-से
 किले में कैद किया था?
 क) ग्वालियर ख) लाहौर
 ग) दिल्ली घ) जयपुर
4. खुसरो, गुरु अर्जुन देव जी को कहाँ मिला?
 क) गोइंदवाल ख) हरिगोबिंदपुर
 ग) करतारपुर घ) संतोखसर
5. श्री गुरु अर्जुन देव जी को जहाँगीर द्वारा कब
 शहीद किया गया?
 क) 24 मई, 1606 ई ख) 30 मई, 1606 ई
 ग) 30 मई, 1581 ई घ) 24 मई, 1675 ई

(ख) रिक्त स्थान भरें:-

1. श्री गुरु अर्जुन देव जी का गुरुकाल.....से.....
 तक था।
2. 1590 ई में श्री गुरु अर्जुन देव जी ने.....नामक
 सरोकर बनवाया।

(ग) सही मिलान करो-

क ख

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1 श्री गुरु अर्जुन देव जी | 1 जहाँगीर की शहीदी |
| 2 मीरी पीरी | 2. 30 मई 1606 ई. |
| 3 साईं मिया मीर | 3. श्री गुरु हरिगोबिंद जी |
| 4 खुसरों | 4 श्री हरिमंदिर साहिब की
नींव रखना |

(घ) अन्तर बताओ-

1. मीरी और पीरी



2. अति लघु उत्तर वाले प्रश्न

1. सिक्खों के पाँचवें गुरु कौन थे?
2. श्री हरिमंदिर साहिब जी की नींव कब और किसने रखी?
3. श्री गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ साहिब जी को किससे लिखवाया?
4. आदि ग्रंथ साहिब जी का संकलन कब पूरा हुआ?
5. नक्शबंदी नामक लहर का नेता कौन था?
6. श्री हरिमंदिर साहिब के पहले ग्रंथी कौन थे?
7. 'दसवंध' से क्या अभिप्राय है?

3. लघु उत्तर वाले प्रश्न



1. गुरु रामदास जी ने गुरुगद्वी किसे और कब सौंपी?
2. गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी का संक्षेप में वर्णन करें।
3. 'जहाँगीर की धार्मिक असहिष्णुता' से क्या अभिप्राय है।
4. चंदूशाह कौन था और वह गुरु अर्जुन देव जी के विरुद्ध क्यों हो गया?
5. गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी का तत्कालीन कारण क्या था?
6. मसंद प्रथा का सिक्ख धर्म के विकास में क्या योगदान है?
7. दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न



1. गुरु अर्जुन देव जी का सिक्ख धर्म के विकास में क्या योगदान है? - विस्तारपूर्वक लिखें।
2. गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी के कारणों का वर्णन करें।
3. गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी का सिक्ख धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा? वर्णन करें।

इकाई - II



घँटनाए तथा प्रक्रियायें
इतिहास तथा बदलता विश्व

उसको मुक्तिदाता के रूप में देखा। उसकी सोच बहुत ही प्रगतिशील थी। शीघ्र ही उसकी सेना को यूरोप में घुसपैठिए के रूप में जाना जाने लगा। उसके उदारवादी कानून फ्रांस व दूसरे यूरोपीय देशों में लागू हो गए थे व उसके पराजित होने के बाद भी इन कानूनों से लोग प्रभावित रहे। 1815ई. में वह वाटरलू के युद्ध में हार गया। अंग्रेजों ने उसको दूर एक टापू सैंट हेलिना में कैद कर दिया, जहाँ 5 मई, 1821 को उसकी मृत्यु हो गई।

फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं का योगदान

महिलाओं को किसी भी सरकार ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सक्रिय नागरिक नहीं माना, परन्तु क्रांति के दौरान उनकी भूमिका काफी अहम् थी। उन्होंने क्रांति में इस उम्मीद से भाग लिया कि नई सरकार उनके जीवन को बेहतर बनाएँगी तीसरे वर्ग में शामिल ये महिलाएँ प्रायः अपने जीवनयापन के लिए फूल, फल और सब्जी बेचने, कपड़ों की सिलाई और अमीर लोगों के घर में घरेलू कार्य में नौकरी का कार्य करती थी। पुरुषों के समान कार्य करने के बावजूद उनका बेतन पुरुषों के समान नहीं था। कामकाजी महिलाओं को अपनी घरेलू जिम्मेदारियाँ भी संभालनी पड़ती थी। उन्हें शिक्षा तथा व्यवसाय प्रशिक्षण के अवसरों से वर्चित रखा जाता था मतदान और समान

बेतन के अधिकार के लिए महिलाओं ने निरन्तर आन्दोलन चलाया। ऐसी कई प्रतिनिधि महिलाओं को आतंक के दौर में गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग 150 वर्ष बाद 1946ई. में फ्रांसीसी महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। कुछ समय बाद औरतों के पक्ष में कुछ परिवर्तन लाए भी गए। महिलाओं के लिए स्कूल शिक्षा अनिवार्य कर दी गई और सरकारी स्कूलों में इनको पढ़ने के लिए उत्साहित किया गया। सामाजिक तौर पर उनको अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। उनको तलाक का भी अधिकार दिया गया। विवाह को भी एक कानूनी अनुबन्ध माना गया।



पैट्रियोटिक महिला कलब

ओलम्पे दे गाजस

फ्रांसीसी क्रांति के समय ओलम्पे दे गाजस एक सरगरम राजनैतिक महिला प्रतिनिधि थीं। उसने संविधान के मनुष्य व नागरिकों के अधिकारों के घोषणापत्र का इसलिए विरोध किया, क्योंकि उस में महिलाओं को इन मूल अधिकारों से वर्चित रखा गया था। उसने जैकोबिन सरकार द्वारा औरतों के कलब बंद करने की आलोचना की। उस पर राष्ट्रीय विधानसभा द्वारा मुकदमा चलाया गया और शीघ्र ही उसको मौत के घाट उतार दिया गया।





फ्रांसीसी क्रांति

5

आज हम लोकतांत्रिक सरकार की धारणा को भली-भान्ति जानते हैं। इसके अधीन समय-समय पर चुनाव होते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाते व सरकार चलाते हैं। लोकतंत्र के अधीन सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं व कानून के समक्ष सभी समान हैं। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व ऐसा लोकतंत्र मौजूद नहीं था। देशों का शासन राजाओं व सम्राटों द्वारा चलाया जाता था, जो अपनी इच्छानुसार कानून का निर्माण करते थे। समाज उच्च व निम्न दो वर्गों में विभाजित था। प्रत्येक के अपने विशेष अधिकार व कर्तव्य होते थे। इस अध्याय में हम संक्षेप में पढ़ेंगे कि कैसे लोगों ने लोकतांत्रिक, राजनैतिक व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करके सामाजिक समानता प्राप्त की।

क्रान्ति: समाज में अकस्मिक तथा उग्र परिवर्तन

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

भूमि फ्रांसीसी क्रांति विश्व इतिहास की एक महान् घटना है। इसने इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। इसने मानवता को तीन नए विचार दिए- स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृभाव। यह क्रांति 1789 ई. से 1799 ई. तक हुई। फ्रांसीसी सरकार विशेष तौर पर 1780 के समय वित्तीय संकट को कम करने के लिए कर बढ़ाने की चुनौती का सामना कर रही थी। इसने लोगों में रोष की भावना पैदा की, जिसने फ्रांसीसी क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त किया। फ्रांसीसी क्रांति के वर्णन से पूर्व यूरोप की राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति का वर्णन करना आवश्यक है।

प्राचीन राज्य प्रबन्ध

फ्राँसीसी क्रान्ति से पूर्व फ्रांस में बोरबो वंश के अधीन राजतांत्रिक शासन था। फ्राँसीसी समाज मुख्यतः तीन वर्गों में विभाजित था जिन्हें 'एस्टेट' कहते थे। प्रथम पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग एवं तीसरा जन साधारण वर्ग।

आओ विचारें

यदि अब भी हम पर राजाओं का शासन होता तो हमारा जीवन कैसा होता? कानून के समक्ष यदि सभी को समान न समझा जाता व कुछ लोगों के पास विशेष अधिकार होता तो कैसी स्थिति पैदा होती? अध्यापक महोदय की सहायता से चर्चा करें।


मोनार्की (राजतंत्र) शब्द का अर्थ

राजतंत्र वह सरकार है जिसमें शासन प्रबन्ध राज अथवा रानी द्वारा चलाया जाता है। यह प्रायः वंशक्रमानुसार चलता है।

राजनैतिक व्यवस्था

फ्रांसीसी क्राँति से पूर्व फ्रांस में राजतंत्र होने के कारण राजा स्वयं को परमात्मा का प्रतिनिधि मानता था। लुइस 14वें के समय राजतंत्र की निरंकुशता पूरे शिखर पर थी। लुइस 15वां जोकि लुइस 14वें का उत्तराधिकारी था, एक अयोग्य शासक था। राज्य प्रबन्ध में सुधार करने की जगह उसने स्वयं को विलासमयी जीवन में ग्रस्त कर लिया। लुइस 16वां (जोकि लुइस 15वें का उत्तराधिकारी था) 1774ई.-1792ई. तक फ्रांस का अन्तिम शासक रहा। वह एक अच्छी सोच वाला व्यक्ति था, परन्तु उस में दृढ़ता से निर्णय लागू करने के सामर्थ्य की कमी थी। उसका विवाह आस्ट्रिया की शहजादी मेरी एनटोनिटी (Marie Antoinette) से हुआ।

राजा के दैवी अधिकार- राजा स्वयं को धरती पर परमात्मा का प्रतिनिधि समझता था। वह किसी को भी किसी भी समय बिना किसी कारण के बंदी बना सकता था।



Louis XIV,



Louis XV



Louis XVI

कई वर्षों से चल रहे युद्धों के कारण, सेना के रख-रखाव, वरसैलिज़ के महलों (Palace of Versailles) की देखरेख पर खर्च व सरकारी दफ्तरों को चलाने के खर्च आदि ने फ्रांस का राज कोष खाली कर दिया था। फ्रांस की आर्थिक, राजनैतिक व सामाजिक अवस्था इतनी विगड़ी हुई थी कि बढ़े हुए करों से होने वाली आय भी उन्हें सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

समाज- फ्रांसीसी समाज तीन वर्गों (एस्टेट)में विभाजित था-

- पहला वर्ग अथवा पादरी वर्ग- पादरी वर्ग दो हिस्सों में विभाजित था-उच्च पादरी, साधारण पादरी। उच्च पादरी की श्रेणी में प्रधान पादरी (Archbishops), धर्माध्यक्ष (Bishops) और महंत (Abbots) आते थे, जो कि फ्रांस में गिरिजाघर (Church) का प्रबन्ध चलाते थे। प्रधान पादरी जोकि कुल जनसंख्या का 1 प्रतिशत थे, गिरिजाघर की सम्पत्ति का लाभ उठाते थे, जोकि कुल भूमि का पाँचवां हिस्सा थी और उनको लोगों से कर (Tithe) इकट्ठा करने का अधिकार प्राप्त था।



वरसैलिज़ को चेनसू के वरसैलिज़ के नाम से भी जाना जाता है। यह 1682 से राजनैतिक शक्ति का केन्द्र रहा था। यह केवल इसकी सुन्दर इमारत के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, अपितु एक निरंकुश राजतंत्र का भी एक प्रतीक है।

प्रधान पादरी प्रायः साधारण पादरियों का अपमान करते थे व स्वयं ऐश्वर्यमय जीवन व्यतीत करते थे। जबकि साधारण पादरी इसाई मठों में रहते थे और गिरजाघर में आध्यात्मिक सेवाएँ प्रदान करते थे। उनकी आय इतनी कम थी कि वे साधारण जीवन भी कठिनाई से व्यतीत करते थे। ये पादरी प्रधान पादरियों के विरुद्ध थे।

2. दूसरा वर्ग अथवा कुलीन वर्ग - इस वर्ग में कुलीन वर्ग और अमीर लोग आते थे, जिनको कोई कर नहीं देना पड़ता था और भूमि के द्वारा धन एकत्र करते थे। दूसरा वर्ग कुल फ्रांसीसी जनसंख्या का 2 प्रतिशत था, परन्तु यह वर्ग देश की कुल भूमि के 30 प्रतिशत भाग का स्वामी था।

3. तीसरा वर्ग अथवा साधारण वर्ग- समाज के इस वर्ग में कुल जनसंख्या के 97 प्रतिशत लोग आते थे। इस वर्ग को असमानता और सामाजिक व आर्थिक तौर पर पिछड़ेपन का सामना करना पड़ता था। इस श्रेणी में एकरूपता नहीं थी। इसमें अमीर व्यापारी, अदालती व कानूनी अधिकारी, शाहूकार, किसान, कारीगर, छोटे काश्तकार, भूमि राहित मज़दूर और नौकर आते थे। तीसरे वर्ग के लोग ही सब से ज़्यादा कर देते थे।



पादरी वर्ग के लोग



फ्रांस के कारीगर



फ्रांस के तीसरे वर्ग के श्रमिकों/किसानों को दिखाता एक चित्र

आर्थिक स्थिति- फ्रांस की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी। फ्रांस के किसान करों के बोझ के नीचे दबे हुए थे। कर दो प्रकार के थे – प्रत्यक्ष कर (भूमिकर, आमदन कर, सम्पत्ति कर) और अप्रत्यक्ष कर (नमक, घर व तम्बाकू) पर लगने वाले कर थे। अप्रत्यक्ष कर दो तरह के थे–

अप्रत्यक्ष कर दो प्रकार के थे:-

टिथे (Tithe)- यह कर गिरजाघर को दिया जाता था।

टैले (Taille)- यह कर राज्य को दिया जाता था।

क्या आप जानते हैं?

केवल तीसरा वर्ग के सदस्यों पर कर लगाया जाता था। उन्हें टिथे व टैले के अतिरिक्त, असंख्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करना पड़ता था। फ्रांसीसियों की एक पुरानी कहावत के अनुसार पादरी सबके लिए प्रार्थना करते हैं, कुलीन वर्ग सबके लिए लड़ते हैं तथा आम लोग सबकी तरफ से कर देते हैं।

टिथे (Tithe)- यह गिरिजाघर को दिया जाने वाला कर था। किसानों को अपनी वार्षिक आमदन का दसवां हिस्सा भूमि कर के रूप में देना पड़ता था। यह भूमि पर लगाया जाने वाला कर था जो पहले पहल स्वेच्छा पर था जो कि बाद में अनिवार्य कर दिया।



टाइले (Taille)- यह राज्य को दिया जाने वाला कर था। जो कि आम लोगों पर लगाया जाता था और आमतौर पर राजा द्वारा अपनी प्रजा की भूमि और सम्पत्ति पर लगाया जाता था। यह कर रोज़ की आवश्यकताओं जैसे कि नमक व तम्बाकू पर लगाया जाता था। इसका प्रतिशत हर वर्ष राजा की मर्जी से तय किया जाता था।



गतिविधि



गतिविधि

निम्न चित्रों को ध्यान से देखो व इसका विश्लेषण अपने अध्यापक की सहायता से करें।



मध्यवर्ग का विकास (बौद्धिक आन्दोलन)

उस समय एक विश्वास पैदा हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति ही फ्रांस की दयनीय अवस्था से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय है। लोगों में जागरूकता लाने के लिए ज्ञानवर्धक इश्तिहार, पत्र आदि जारी किए गए। बाद में इन पत्रों ने पुस्तकों और एनसाइक्लोपीडिया का रूप धारण कर लिया।

शिक्षित लोगों को अमरीकी क्रांति और प्रबोधन (Enlightenment) आन्दोलन के विषय में जानकारी थी। अमेरिकन क्रांति के कुछ नेता जैसे कि बैंजामिन फ्रैंकलिन (Benjamin Franklin) फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों के साथ जुड़े हुए थे और वह पैरिस में रह रहे थे।

प्रबोधन आन्दोलन/ विवेक तर्क का दौर

18वीं शताब्दी को तर्क और विवेक का दौर कहा जाता है। फ्रांसीसी विद्वानों के अनुसार मनुष्य दुःख सहने के लिए पैदा नहीं हुआ (जैसे कि इसाई धर्म की शिक्षा है), परन्तु वह प्रसन्न रहने के लिए पैदा हुआ है। मनुष्य तभी प्रसन्न रह सकता है, यदि चेतनता द्वारा भेदभाव को नष्ट किया जाए। उन्होंने भगवान् के अस्तित्व को नकारा और प्रकृति के सिद्धांत को माना और प्रकृति के कानून में विश्वास माना।



वाल्टेयर (1694ई.-1778ई.)

वाल्टेयर ने अपनी रचनाओं द्वारा कुलीन व अमीरों के वर्चस्व (दवदवे) को प्रस्तुत किया। उसका विश्वास था कि सारे धर्म व्यर्थ हैं और तर्क के विरुद्ध हैं। इस प्रकार क्रांति की अग्नि ओर तीव्र हो गई। लॉक (Locke) जैसे विद्वानों ने एक ऐसे समाज पर ज़ोर दिया, जोकि समान मूल्यों पर आधारित था।



रूसो (1712ई.-1778ई.)

रूसो ने निरंकुश 'व' अत्याचारी शासकों के विरुद्ध आवाज़ उठाई व एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना पर बल दिया। उसने 'लोकमत प्रभुसत्ता' के सिद्धान्त पर ज़ोर दिया। उसने कहा कि मनुष्य स्वतन्त्र पैदा हुआ है, फिर भी वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसने 'राज्य की प्रकृति' के बारे में बताया। उसने कहा कि धन सम्पत्ति के प्रभाव ने मनुष्य को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उसने राज्य को एक आवश्यक बुराई बताया है। अपनी पुस्तक **सोशल कान्ट्रैक्ट (Social Contract)** में इस बात पर ज़ोर दिया कि मनुष्य केवल प्राकृतिक अवस्था में ही सामाजिक आजादी व समान अधिकारों से परिपूर्ण जीवनयापन कर सकता है। उसने लोकतंत्र को सबसे बढ़िया सरकार माना और कहा कि एक राजा तब तक राज्य कर सकता है, जब तक उसे लोगों का विश्वास प्राप्त हो।



मान्टेस्क्यू (1689ई.-1755ई.)

मान्टेस्क्यू, जोकि एक महान् विद्वान व दार्शनिक था, ने राजा के दैवी अधिकारों को चुनौती दी और संवैधानिक राजतंत्र की रूपरेखा तैयार की। उसने सरकार की शक्तियों को विधानपालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में विभाजित करने पर बल दिया। उसने लोकतांत्रिक सरकार को ही सबसे उत्तम सरकार माना, जिसको बाद में अमेरिका द्वारा लागू भी किया गया।

फ्रांसीसियों ने सबसे पहले स्वतन्त्रता और समानता के विचारों को ग्रहण किया और इसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। फ्रांस के विद्वान जैसे कि वाल्टेयर, रूसो, मान्टेस्क्यू आदि ने सरकार की निरंकुशता पर प्रकाश डाला। उन्होंने लोगों के साथ हो रहे भेदभाव, असमानता के विरुद्ध लोगों की भावनाओं को जागृत किया।

क्रांति का आरम्भ

प्रतिनिधि सभा की बैठक- लुइस 16वें ने वित्तीय संकट से निपटने के लिए 5 मई, 1789ई. को अतिरिक्त कर लगाने की सहमति लेने के लिए प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई। प्रतिनिधि सभा में मतदान के समय तीनों वर्गों के प्रतिनिधि मतदान किया करते थे। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा की बैठक 1614 ई. में बुलाई गई थी और हर वर्ग की एक वोट थी। इस बार भी लुइस 16वें ने इसी प्रथा को जारी रखने का निर्णय किया। परन्तु तीसरे वर्ग के लोगों ने यह माँग की कि प्रत्येक सभा के सभी सदस्यों को वोट डालने की आज्ञा दी जाए और बहुमत से निर्णय लिया जाए।



प्रतिनिधि सभा की बैठक का दृश्य

पहले दो वर्गों के लोगों ने इसका विरोध किया। इस तरह प्रतिनिधि सभा की बैठक होने से पूर्व ही अड़चन पैदा हो गई। लुइस 16वें ने तीसरे वर्ग के लोगों की यह माँग रद्द कर दी थी। तीसरे वर्ग के लोग रोष स्वरूप सभा में से बाहर चले गए। प्रतिनिधि सभा की बैठक संकट को कम करने के लिए बुलाई गई थी, परन्तु संकट और बढ़ गया। 17 जून, 1789 ई. में तीसरे वर्ग ने एक साहसपूर्ण कदम उठाते हुए स्वयं को राष्ट्रीय परिषद् एलान कर दिया। क्रांति के सम्बन्ध में यह सर्वप्रथम महत्वपूर्ण

कदम था और इसी ने आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया।

टेनिस कोर्ट का शपथग्रहण- 17 जून, 1789 ई. को तीसरे वर्ग ने स्वयं को राष्ट्र की जनता के प्रतिनिधि होने का दावा करते हुए मानवीय अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया।

मानव व नागरिक के अधिकारों का घोषणा पत्र-

1. सभी मनुष्य कानून के समक्ष समान हैं।
2. सार्वजनिक-कार्योलयों में काम करने के लिए सभी नागरिकों की समान पात्रता।
3. प्रमाणित कारणों के बिना गिरफ्तारी व दण्ड से स्वतंत्रता।
4. प्रैस व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
5. सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह था कि करों के भार की बराबर बाँट व निजी सम्पत्ति का अधिकार दिया गया।

गतिविधि

मानव व नागरिक के अधिकार के घोषणा पत्र का अध्ययन करें इन अधिकारों में से कौन कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए हैं। इस सम्बन्ध में अपनी अध्यापक महोदय की सहायता से चर्चा करें।

20 जून, 1789 को तीसरे वर्ग के लोगों ने इन्डोर टेनिस कोर्ट में अपनी बैठक शुरू की। उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसको टेनिस कोर्ट शपथ के नाम से जाना जाता है। सदस्यों ने यह फैसला किया कि कभी अलग नहीं होंगे और जब भी ज़रूरत पड़ेगी दोबारा इकट्ठा होंगे। तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों की ओर से शपथ ग्रहण की गई व हस्ताक्षर भी किए गए। 5 जुलाई, 1789 ई. को राष्ट्रीय संसद का नाम बदल कर राष्ट्रीय संविधान सभा रखा गया। यह आम जनता की राजा पर पहली विजय थी।

क्या आप जानते हैं?

टेनिस कोर्ट शपथ का उद्देश्य लोगों को प्रभुसत्ता के मुख्य स्रोत के तौर पर प्रकट करना था। तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों की ओर से उठाया गया यह पहला क्रांतिकारी कदम था। इसके परिणामस्वरूप इन प्रतिनिधियों में एकता और दृढ़ हो गई। इन्होंने संविधान बनाने की भी माँग की।



टेनिस कोर्ट में शपथ लेते समय का दृश्य

लुइस 16वां इन परिवर्तनों से समझौता नहीं कर सका और वह अपने पुरानी प्रतिष्ठा को पुनः हासिल करने का इच्छुक था। उसने प्रतिनिधि सभा को भंग करने की योजना बनाई। उसने सेना बुला ली और अफवाह फैला दी गई कि राष्ट्रीय संवैधानिक सभा का नेतृत्व करने वाले प्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 14 जुलाई, 1789 ई. को क्रोधित भीड़ ने कठोर सुरक्षा प्रबन्धों वाली किले की जेल पर आक्रमण कर दिया। जिसको बेस्टील को घेरा डालना कहा जाता है। बेस्टील को घेरने से क्रांति अपनी चरमसीमा तक पहुँच गई। हथियार व गोला-बारूद लूट लिया गया। दंगइयों ने 14 कैदियों को रिहा करवा लिया। बेस्टील के सुरक्षाकर्मियों व अन्य कर्मचारियों को बंदी बना लिया गया और फिर मृत्युदण्ड दिया गया। बेस्टील के पतन से राजतंत्र की तानाशाही का अन्त हो गया तथा राजनैतिक शक्ति राष्ट्रीय विधान सभा को सौंप दी गई।



बेस्टील का पतन 14 जुलाई, 1789

4 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय विधान सभा ने कर हटा दिए और पादरियों को अपने विशेषाधिकार छोड़ने के लिए विवश कर दिया। गिरिजाघरों के अधीन आने वाली भूमि को छीन लिया गया और टिथे (चर्च की ओर से लिया जाने वाला कर) समाप्त कर दिया गया। इससे सामंतवाद का अंत हो गया। विद्रोहियों की शक्ति के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए लुइस 16वें ने राष्ट्रीय सभा को मान्यता दे दी और उसने यह स्वीकार कर लिया कि अब उसकी शक्तियाँ संविधान द्वारा नियंत्रित होंगी।

राष्ट्रीय परिषद (National Assembly) 1789 ई.-1791 ई.

तीसरे एस्टेट के (IIIrd Estate) के प्रतिनिधियों ने स्वयं को फ्रांस के प्रवक्ता के रूप में अभिव्यक्त करने के लिए विचार किया। उन्होंने स्वयं को राष्ट्रीय परिषद घोषित किया और सौगन्ध ली कि वे फ्रांस के लिए संविधान बनाने से पूर्व अलग नहीं होंगे। राष्ट्रीय परिषद केवल सामन्तवाद और कुलीन वर्ग के प्रभुत्व को समाप्त करने में ही सफल नहीं हुई अपितु इसने अधिकारों की घोषण भी की जो कि जो इस क्रांति का उद्देश्य था।

फ्रांस का संवैधानिक राजतंत्र बनना (1791-92 ई.)

- फ्रांस के लिखित संविधान का ढाँचा 1791 ई. में पूरा हो गया।
- इस संविधान ने शक्तियों को विधानपालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका में बाँट दिया। जबकि पिछले संविधान में सारी शक्तियाँ राजा के हाथ में थीं।
- इस नए संविधान ने फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र में बदल दिया।

क्या आप जानते हैं?

14 जुलाई को अभी भी फ्रांस में बेस्टील दिवस के रूप में मनाया जाता है।

बेस्टील पैरिस का एक प्राचीन किला था, जिसको राजनैतिक कैदियों को रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। यह लोगों की नज़रों में पुराने राज्य का प्रतीक था।

कन्वेंशन (1792 ई.-1795 ई.)- राष्ट्रीय सभा के शासन के दौरान फ्रांस में निरन्तर उथल-पुथल मची रही। परिषया और आस्ट्रिया जैसे पड़ोसी देशों में सामाजिक और राजनैतिक गतिविधियाँ चिंता का मुख्य कारण थीं। तीसरे वर्ग के उभरने के भय से लुइस 16वें ने इन देशों के साथ गुप्त सन्धि की और क्रान्ति को कुचलने के लिए सेना भेजने की योजना बनाई। इससे पहले कि इस योजना पर फ्रांस, परिषया और आस्ट्रिया के शासकों की ओर से अमल किया जाता, राष्ट्रीय सभा ने परिषया और आस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध ने क्रांतिकारी शक्तियों को अत्यधिक प्रोत्साहित किया, जिन्होंने उनका आत्म-विश्वास बढ़ा दिया। जिसके परिणामस्वरूप कन्वेंशन ने फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। विभिन्न प्रांतों से हजारों लोग स्वेच्छा से सेना में शामिल हो गए। उनमें से अधिकतर के लिए यह लड़ाई फ्रांस को बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि यूरोप के गरीब लोगों की ओर से राजतंत्र के विरुद्ध एक युद्ध था।

क्या आप जानते हैं?

पेरिस की ओर कूच करते हुए रोजर डी लाइसले (Roger de L'Isle) द्वारा लिखा एक गीत 'मारसेइस' (Marseillaise) फ्रांस का राष्ट्रीय गान बन गया। लुइस 16वें व उसकी पत्नी ने फ्रांस से भागने की कोशिश की, परन्तु वे पकड़े गए। दोनों को 1793 ई. में सज़ा देकर गुलूटाइन के द्वारा मृत्युदण्ड दिया गया।



गुलूटाइन द्वारा मृत्यु दण्ड दिए जाने का दृश्य

जैकोबिन

फ्रांस में राजनैतिक क्लब लोगों के समूह का मुख्य केन्द्र बन गए। इन क्लबों में लोग राजनैतिक घटनाओं के बारे में चर्चा व अगली कार्यवाही के लिए योजनाएँ बनाते। इन क्लबों में से फ्रांस का जैकोबिन क्लब सबसे प्रसिद्ध क्लब था। जोकि फ्रांस के गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों से सम्बन्धित था। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर, मोची, घड़ीसाज़ व दिहाड़ीदार कर्मी शामिल थे। यह क्रांतिकारी समूह (Radical) सीधे लोकतंत्र में विश्वास रखता था। इन्होंने क्रांति का विरोध करने वाली शक्तियों को कुचलने के लिए सख्त कदम उठाए। इनका प्रतिनिधि मैक्सीमिलान रोबसपायरी (Maximilien Robespierre) था। वह स्वयं को दूसरों से अलग दिखाने के लिए धारीदार पाज़ामी पहनते थे।



मैक्सीमिलान रोबसपायरी

गुलूटाइन

डॉ. गुलूटाइन द्वारा बनाया गया एक यंत्र जोकि दो खम्भों व आरे से बना था। इससे आदमी का सिर धड़ से अलग किया जाता था।

आतंक का दौर व जैकोबिनों का अंत

खाद्य-पदार्थों की बढ़ती कीमतों व पूर्ति कम होने के कारण लोगों के सरकार के प्रति बढ़ते गुस्से को देखते हुए, जैकोबिनों ने 1792 में विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त को उन्होंने तुलेराई (Tuilleries) के महलों को घेर लिया और राजा के अंगरक्षकों को मौत के घाट उतार दिया। 1793ई. से 1794ई. का समय फ्रांस के लिए बुरा समय था, जिसमें कम-से-कम 16000 से लेकर 40000 तक लोग जैकोबिन सरकार द्वारा मार दिए गए। इस समय को आतंक का दौर के नाम से भी जाना जाता है। जैकोबिनों के प्रतिनिधि रोबसपायरी (Robespierre) ने लोगों को सख्ती से काबू रखने व कठोर सज़ा देने की नीति अपनाई। वे सभी लोग जिन्हें वह गणतंत्र का दुश्मन मानता था, यहाँ तक कि उसकी अपनी पार्टी के सदस्य, जो उसके साथ सहमत नहीं थे, को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। एक क्रांतिकारी ट्रिब्यूनल द्वारा मुकदमे चलाए गए और दोषियों को गुलूटाइन के द्वारा कल्प कर दिया।

रोबसपायरी की सरकार ने कानूनों द्वारा वेतन और कीमतों की सीमाएँ निश्चित कर दीं। मीट और रोटी (ब्रैड) को राशन की सरकारी दुकानों पर बेचना आवश्यक बनाया और साथ ही किसानों को सरकार द्वारा निश्चित की गई कीमतों पर अनाज बेचने के लिए मजबूर किया। महंगे मैदे के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। गिरजाघर बंद कर दिए और इनकी इमारतों को छावनी और कार्यालयों (दफ्तरों) में परिवर्तित कर दिया।

रोबसपायरी ने अपनी नीतियों को इतनी कठोरता से लागू किया कि उसके अपने समर्थक भी इन नीतियों में ढील की माँग करने लगे। अंत में, उन पर मुकदमा चलाकर दोषी पाया और उसको जुलाई 1794 में गुलूटाइन की सज़ा देकर मौत के घाट उतार दिया।

डायरेक्टरी (Directory) 1795 ई.-1799ई.

रोबसपायरी की मृत्यु के साथ ही जैकोबिनों की सरकार का अंत हो गया। इसके साथ ही फ्रांसीसी समाज के अमीर लोगों ने राजनैतिक शक्तियों और सरकार को अपने हाथों में ले लिया। सम्पत्ति हीन लोगों से मतदान का अधिकार छीन लिया गया।

1795 ई. से 1799ई. तक फ्रांस में डायरेक्टरी का राज्य रहा। लोग इस बात से चेतन थे कि राजनैतिक सत्ता एक हाथ में नहीं रहनी चाहिए, जैसे कि जैकोबिनज़ ने किया था। उन्होंने पाँच सदस्यों की डायरेक्टरी कौसिल बनाई और दो विधान परिषदों का चुनाव किया। हालांकि इस से सत्ता की शक्तियों का



फ्रांस का डायरेक्टरी राज

विभाजन हो गया, फिर भी विधान परिषद् सदस्यों और डायरेक्टरों के बीच झड़पें होती रहती थीं। विधान परिषद् व डायरेक्टरों की आपसी लड़ाई के कारण पैदा हुई राजनैतिक अस्थिरता के कारण फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट की फौजी तानाशाही के उत्थान का मार्ग प्रशस्त हुआ।

नेपोलियन बोनापार्ट

नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी जरनैल था, जो इटली पर अपनी विजयों के कारण प्रसिद्ध हुआ, उसने 1799 ई. में राजनैतिक सत्ता हासिल की, परन्तु 1804 में उसने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। वह केवल एक फौजी जरनैल ही नहीं था, बल्कि एक योग्य राजनैतिक प्रशासक भी था। उसने अपने पड़ोसी यूरोपीय देशों को जीता और अपने पारिवारिक सदस्यों को वहाँ का शासक बना दिया। प्रारम्भ में लोगों ने



नेपोलियन बोनापार्ट

उसको मुक्तिदाता के रूप में देखा। उसकी सोच बहुत ही प्रगतिशील थी। शीघ्र ही उसकी सेना को यूरोप में घुसपैठिए के रूप में जाना जाने लगा। उसके उदारवादी कानून फ्रांस व दूसरे यूरोपीय देशों में लागू हो गए थे व उसके पराजित होने के बाद भी इन कानूनों से लोग प्रभावित रहे। 1815ई. में वह वाटरलू के युद्ध में हार गया। अंग्रेजों ने उसको दूर एक टापू सैंट हेलिना में कैद कर दिया, जहाँ 5 मई, 1821 को उसकी मृत्यु हो गई।

फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं का योगदान

महिलाओं को किसी भी सरकार ने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सक्रिय नागरिक नहीं माना, परन्तु क्रांति के दौरान उनकी भूमिका काफी अहम् थी। उन्होंने क्रांति में इस उम्मीद से भाग लिया कि नई सरकार उनके जीवन को बेहतर बनाएँगी तीसरे वर्ग में शामिल ये महिलाएँ प्रायः अपने जीवनयापन के लिए फूल, फल और सब्जी बेचने, कपड़ों की सिलाई और अमीर लोगों के घर में घरेलू कार्य में नौकरी का कार्य करती थी। पुरुषों के समान कार्य करने के बावजूद उनका बेतन पुरुषों के समान नहीं था। कामकाजी महिलाओं को अपनी घरेलू जिम्मेदारियाँ भी संभालनी पड़ती थी। उन्हें शिक्षा तथा व्यवसाय प्रशिक्षण के अवसरों से वर्चित रखा जाता था मतदान और समान

बेतन के अधिकार के लिए महिलाओं ने निरन्तर आन्दोलन चलाया। ऐसी कई प्रतिनिधि महिलाओं को आतंक के दौर में गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग 150 वर्ष बाद 1946ई. में फ्रांसीसी महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। कुछ समय बाद औरतों के पक्ष में कुछ परिवर्तन लाए भी गए। महिलाओं के लिए स्कूल शिक्षा अनिवार्य कर दी गई और सरकारी स्कूलों में इनको पढ़ने के लिए उत्साहित किया गया। सामाजिक तौर पर उनको अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। उनको तलाक का भी अधिकार दिया गया। विवाह को भी एक कानूनी अनुबन्ध माना गया।



पैट्रियोटिक महिला कलब

ओलम्पे दे गाजस

फ्रांसीसी क्रांति के समय ओलम्पे दे गाजस एक सरगरम राजनैतिक महिला प्रतिनिधि थीं। उसने संविधान के मनुष्य व नागरिकों के अधिकारों के घोषणापत्र का इसलिए विरोध किया, क्योंकि उस में महिलाओं को इन मूल अधिकारों से वर्चित रखा गया था। उसने जैकोबिन सरकार द्वारा औरतों के कलब बंद करने की आलोचना की। उस पर राष्ट्रीय विधानसभा द्वारा मुकदमा चलाया गया और शीघ्र ही उसको मौत के घाट उतार दिया गया।



क्रांति व फ्रांस के लोगों का दैनिक जीवन :

क्रांति के पश्चात् फ्रांस के लोगों के जीवन में कई परिवर्तन आए। क्रांति के पश्चात् बनी सरकार ने स्वतंत्रता और समानता के विचारों को लोगों के साधारण जीवन में लाने के लिए कई कानून पारित किए। पुराने राज्य में कुछ वर्गों को मिले विशेष अधिकार समाप्त कर दिए। चर्च की ज़मीन मध्यवर्ग के लोगों द्वारा खरीद ली गई और कुलीन लोगों की ज़मीनें ज़ब्त कर ली गईं। मानवीय व अधिकारों के घोषणापत्र में उनके लिए बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई। परिणामस्वरूप प्रैस, साहित्य, कला आदि का विकास हुआ। आज़ादी, समानता व बन्धुत्व के सिद्धांत, जोकि फ्रांसीसी क्रांति के मूलाधार थे, प्रैस की आज़ादी से दूर-दूर तक फैल गए।

इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्र शब्द के नए अर्थ दिए। राष्ट्र केवल एक क्षेत्र नहीं होता, बल्कि उस क्षेत्र से सम्बद्धित लोग होते हैं। फ्रांस को केवल इसके क्षेत्र के कारण नहीं, बल्कि फ्रांसीसी लोगों के कारण जाना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति से ही प्रभुसत्ता की धारणा विकसित हुई, जिसका भाव है कि लोग ही शक्ति और अधिकारों का प्राथमिक स्रोत होते हैं। गणतंत्र में लोगों से ऊपर कोई शासक नहीं हो सकता, गणतांत्रिक सरकारें अपनी समस्त शक्तियाँ और अधिकार लोगों से ही प्राप्त करती हैं। बहुत सारे राजनैतिक चिंतक व इतिहासकार फ्रांसीसी क्रांति से दीर्घकाल तक प्रभावित रहे।

महान् चिंतक कार्ल मार्क्स की विचारधारा भी फ्रांसीसी क्रांति की घटनाओं से प्रभावित थी। अधिकतर इतिहासकार इस क्रांति को मध्यकाल और आधुनिक काल को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी मानते हैं। इसको आधुनिक युग की सवेर माना जाता है।

फ्रांसीसी क्रांति संसार के इतिहास में प्रमुख घटना मानी जाती है। इस ने मध्यकाल में राजाओं की ओर से चलाई जा रही तानाशाही का अंत कर दिया। पादरी और कुलीन वर्ग के विशेष अधिकारों का पतन हुआ और राजकीय शक्ति काफी हद तक आम लोगों के हाथों में आ गई। इस क्रांति से उदारवादी युग की शुरूआत हुई, जिसमें लोकतंत्र का एक शासन प्रणाली के रूप में विकास हुआ। जिसमें मध्यवर्ग, किसान, मज़दूर व महिलाओं ने अपने आस पास की दुनिया में सक्रिय रूप से भाग लेना आरम्भ कर दिया।



क्रांति के बाद उत्साहित लोग

क्या आप जानते हो?

क्रांति और राष्ट्रीय विधानसभा के विकास के दौरान समाज में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। फ्रांसीसी समाज का तीसरा वर्ग अधिकांशतः अनपढ़ था, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे चिह्न बनाए, जो कुछ खास विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे।



त्रिकोण में आँख ज्ञान का चिह्न और सूर्य की किरणें अज्ञानता दूर करने के लिए हैं।



एक साँप अपनी पूँछ को खा रहा है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक प्रक्रिया का अंत होता है।



टूटी हुई ज़जीरों का अर्थ है-गुलामी से आज़ादी।



एक फ्रीजियन टोपी (Phrygian Cap) गुलामों की आज़ादी को दर्शाती है।



कुलहाड़ी सहित दण्ड की गाँठ एकता में बल को दर्शाती है।



राज्य का राज्य दंड शाही ताकत का प्रतीक है।



कानून की पट्टी का अर्थ है कि कानून की नज़रों में सारे नागरिक समान हैं।



पंखों वाली औरत कानून की सर्वोच्चता का प्रतीक थी।



नीला, सफेद व लाल रंग फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं।

क्या आप जानते हैं?

राष्ट्रवाद : राजनैतिक रूप से एक ही देश से जुड़े होने की भावना है। जिसमें नागरिक एक साँझे क्षेत्र में रहते, जिनका साँझी सरकार प्रतिनिधि होते हैं तथा जो अपनी साँझी विरासत व साँझे हितों के बारे जागरूक हैं।

उदारवाद : उदारवाद का अर्थ है किसी भी व्यक्ति का जाति, वर्ग तथा सरकारी प्रतिबन्धों से मुक्त होना तथा लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुसार अधिकारों का मिलना है। कोई भी सत्ता मनमर्जी से किसी व्यक्ति पर शासन नहीं कर सकी। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं तथा मानवता का अर्थ विभिन्न व्यक्तियों में भ्रातृभाव की भावना का होना है।

समाजवाद : समाज के अधिकारों व कल्याण की भावना पर बल देता है। व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा समूह के हित को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है।

अध्यास

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न



(क) बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर

1. पुराने राज्य के दौरान आर्थिक गतिविधियों का भार किस द्वारा चुकाया जाता था?

क) चर्च	ख) केवल अमीर
ग) तीसरा वर्ग	घ) केवल राजा
2. आस्ट्रियन राजकुमारी मैरी एंटोनिटी फ्रांस के किस राजा की रानी थी?

क) लुइस तीसरा	ख) लुइस 14वाँ
ग) लुइस 15वाँ	घ) लुइस 16वाँ
3. नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांस का राजा कब बनाया?

क) 1805ई.	ख) 1804ई.
ग) 1803ई.	घ) 1806ई.
4. फ्रांस में टेनिस कोर्ट शपथ कब ली गई?

क) 14 जुलाई, 1789ई.	ख) 20 जून, 1789ई.
ग) 4 अगस्त, 1789ई.	घ) 5 मई, 1789ई.
5. फ्रांस संदर्भ में कन्वेंशन से क्या अभिप्राय है?

क) एक फ्रांसीसी स्कूल	ख) नई चुनी परिषद्
ग) क्लब	घ) एक महिला संगठन
6. माटेसेक्यू ने कौन-से विचार का प्रचार किया?

क) दैवी अधिकार	ख) सामाजिक समझौता
ग) शक्तियों की	घ) शक्ति का संतुलन विकेन्द्रीयकरण
7. फ्रांसीसी इतिहास में किस समय को आतंक का दौर के नाम से जाना जाता है?

क) 1792ई.-93ई.	ख) 1774ई.-76ई.
ग) 1793ई.-94ई.	घ) 1804ई.-1815ई.

(ख) सिक्त स्थान भरो-

1. एक सिर काटने वाला यंत्र था जिसका प्रयोग फ्रांसीसियों ने किया था.....।

2. बेस्टाइल का हमला.....में हुआ था।
3. 1815 ई. में वाटरलू के युद्ध मेंपराजित हुआ।
4. जैकोबिन क्लब का प्रतिनिधि.....था।
5.ने सोशल कांट्रेक्ट नाम पुस्तक की रचना की।
6. मारसेर्ईस की रचना.....ने की।

(ग) मिलान करो-

क	ख
(1) किलेनुमा जेल	(अ) गुलूटाइन
(2) चर्च द्वारा प्राप्त कर	(आ) जैकोबिन
(3) आदमी का सिर काटना	(इ) रूसो
(4) फ्रांस की मध्य श्रेणी का क्लब	(ई) बेस्टाइल
(5) द सोशल कांट्रैक्ट	(उ) टिथे

(घ) अंतर बताओ-

1. पहला वर्ग और तीसरा वर्ग
2. टिथे और टेले

2. अतिलिंगु उत्तर के प्रश्न

1. फ्रांस की क्रांति कब हुई?
2. जैकोबिन क्लब का नेता कौन था?
3. डायरैक्ट्री क्या थी?
4. फ्रांस के समाज में कौन कर देता था?
5. राज्य को प्रत्यक्ष दिये जाने वाले कर को क्या कहते थे?
6. किन वर्गों को कर से छूट प्राप्त थी?
7. किसानों को कितने प्रकार के करों का भुगतान करना पड़ता था?
8. फ्रांस के राष्ट्रीय गान का नाम लिखो।



3. लघु उत्तर वाले प्रश्न-

- फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व समाज किस प्रकार विभाजित था?
- फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं के योगदान पर टिप्पणी लिखे-
- फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख लेखको, दार्शनिको के विषय में संक्षेप में लिखें।
- राजतंत्र से आप क्या समझते हैं?
- 'राष्ट्रीय संविधानिक परिषद' का संरक्षित वर्णन करें?



4. दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न-

- उन स्थितियों का वर्णन करें जिनके कारण फ्रांसीसी क्रांति का उदय हुआ?
- फ्रांस की क्रांति के पड़ावों के बारे में विस्तारपूर्वक लिखो।
- फ्रांस की क्रांति के क्या प्रभाव पड़े?
- फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का विस्तारपूर्वक वर्णन करें?
- 1789 ई. से पूर्व तीसरे वर्ग की महिलाओं की क्या स्थिति थी?



मानचित्र



प्रारूप

मानचित्र

यूरोप के उपरोक्त मानचित्र में निम्नलिखित देश और उनकी राजधानियाँ दर्शाओ-

फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, इंग्लैंड, आस्ट्रिया





रूसी क्रांति

6

पिछले अध्याय में आपने यूरोप की सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक स्थितियों के विषय में पढ़ा है, जिनके कारण फ्रांस के समाज में बड़े स्तर पर परिवर्तन आए। हमने यह भी पढ़ा है कि कैसे संवैधानिक राजतंत्र प्रणाली धीरे-धीरे समाप्त हो गई और फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व जैसे सिद्धांत प्रचलित होने लगे। फ्रांस की क्रांति के कारण फ्रांस के समाज में कई तरह के परिवर्तन आए। इस अध्याय में हम रूस की क्रांति का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय को हम रूस की क्रांति के साधारण विवरण से आरम्भ करेंगे और इसका समाप्त हम फरवरी और अक्टूबर की क्रांतियों की चर्चा से करेंगे।

आमूल परिवर्तनवादी और उदारवादियों की प्रतिक्रियाएँ- यह प्रतिक्रियाएँ मुख्य तौर पर उन लोगों की थीं, जोकि समाज के मूल ढाँचे को पुनर्गठित करना चाहते थे।

रूढ़िवादी प्रतिक्रियाएँ- रूढ़िवादी समूह मूल ढाँचे में परिवर्तित किए बिना धीमी गति से परिवर्तन के पक्ष में थे।

1. रूस की क्रांति से पूर्वकालीन स्थितियाँ

19वीं शताब्दी के अंत में पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिवर्तन हो रहे थे। कुछ देशों में जैसे फ्रांस-गणराज्य बन गए थे, जबकि इंग्लैंड जैसे देश संवैधानिक राजतंत्र बन गए थे। पुराने सामंती और कुलीन वर्गों की जगह नए मध्य वर्गों का उभार हो रहा था। तीव्रता से हो रहे औद्योगीकरण ने इन वर्गों को समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया। उदारवादी, समृद्ध और शक्तिशाली पश्चिमी यूरोप की तुलना में, रूस कृषि पर आश्रित एक पिछड़ा देश बनकर रह गया था। रूस में ज़ार की तानाशाही थी और वह सेना की सहायता से समाज के निम्न वर्गों पर अपना नियंत्रण रखता था।




कृषि दास प्रथा का एक दृश्य दिया। उदारवादी, समृद्ध और शक्तिशाली पश्चिमी यूरोप की तुलना में, रूस कृषि पर आश्रित एक पिछड़ा देश बनकर रह गया था। रूस में ज़ार की तानाशाही थी और वह सेना की सहायता से समाज के निम्न वर्गों पर अपना नियंत्रण रखता था।

यद्यपि 1861ई. में कृषि दास प्रथा का अंत हो गया था तथापि किसानों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। दासों को अपनी मुक्ति और ज़मीन के छोटे-छोटे टुकड़ों पर अधिकार के लिए पैसे देने पड़ते थे। अधिकतर किसान ज़ार के प्रति वफादार थे और उनको अपने पिता समझते थे। किसान अपनी दैनिक जिन्दगी की मुश्किलों के समाधान के लिए भी ज़ार का नेतृत्व चाहते थे।

औद्योगीकरण

औद्योगीकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है, जिसमें मानव समाज की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बदल जाती है। इसमें उद्योग-धंधों का बोलबाला होता है।



रूस का औद्योगीकरण

रूस को एक शक्तिशाली देश बनाने के उद्देश्य से ज़ार (Tsar) ने 19वीं शताब्दी के अंत में औद्योगीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करना आरम्भ कर दिया। मास्को के आसपास और यूराल में बहुत सारे लोहा इस्पात और अन्य उद्योग स्थापित किए गए। अधिकतर उद्योगों के मालिक विदेशी थे और उन्होंने काफी मात्रा में रूसी कर्मी भर्ती किए। कार्य के दयनीय हालातों और कम तनखाव के कारण ये मज़दूर एक-दूसरे के नज़दीक आए और इकट्ठे होने लगे। समाजवाद के प्रभाव से मज़दूरों ने अपने संगठन बना लिए और अपनी अलग पहचान स्थापित की।

क्या आप जानते हो?



ज़ार निकोलस II

'Tsar' या Czar का उच्चारण Zaar के तौर पर होता है, जिसका अर्थ है- सर्वोच्च शासन। रूस में ज़ारशाही का प्रारम्भ 1547 ई. में हुआ।

समाजवाद-

समाजवाद एक विचारधारा है, जिसका अर्थ है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार अथवा समूहों का अधिकार होना।



- बाज़ार (मण्डी) को राज्य की ओर से नियमित करना
- आय का समान वितरण
- उत्पादन व वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण
- वर्ग रहित समाज की स्थापना, जिसका अर्थ है कि सम्पत्ति और आय के आधार पर समाज में वर्ग भेद का न होना।

इस दौरान ज़ार (Tsar) निरंकुश ढंग से अपना राज्य चलाता रहे। उन्होंने जनता को लोकतांत्रिक और नागरिक अधिकारों से वंचित रखा। ज़ार (Tsar) गुप्त पुलिस और सेना की सहायता से लोगों का दमन करते थे। परिणामस्वरूप उद्योगपतियों, शहरी पेशेवरों और बुद्धिजीवियों आदि पर आधारित नए उभर रहे मध्यवर्गीय समूहों के लोगों में शासकों के प्रति असंतोष व रोष बढ़ने लगा।

नागरिक और राजनैतिक स्वतंत्रता की कमी, राजनैतिक दमन और दयनीय औद्योगिक स्थितियों के कारण मज़दूरों और मध्यवर्गीय लोगों (बुर्जुओं) ने अपने अलग-अलग दल बना लिए। बाद में यही दल राजनैतिक दलों के रूप में उभरे, जैसे कि लिबरल (उदारवादी), बोलशिवक और मैनशिवक आदि। राजनैतिक परिवर्तन के इच्छुक दलों ने हिंसक कार्यवाहियाँ करनी आरम्भ कर दीं, जैसे कि 1881ई. में ज़ार अलैग्ज़ेंडर द्वितीय (Tsar Alexander II) की हत्या करना आदि।

2. 1905 ई. की क्रांति

पिछले कुछ वर्षों से लोगों को आई कठिनाइयों ने अंत में 1905 ई की क्रांति को जन्म दिया। 1905 ई. के रूसी-जापानी युद्ध में भी जापान के हाथों रूस की करारी पराजय ने क्रांति की चिंगारी भड़काई। इस पराजय ने ज़ार (Tsar) की अपराजित योद्धा होने व रूस की महानता की छवि पर बड़ा धब्बा लगाया। असंतुष्ट सिपाहियों और किसानों द्वारा किए गए छोटे-छोटे विद्रोह ज़ार (Tsar) द्वारा मध्यवर्गीय लोगों व अमीर जिमींदार (कुलको) की सहायता से कुचल दिए गए। विद्रोहियों में तालमेल व एकता की कमी के कारण ज़ार (Tsar) ने बहुसंख्यक सेना की सहायता से उनको पराजित कर दिया।



3. रूस 1905 ई. से 1917 ई. तक

ज़ार निकोल्स द्वितीय (Tsar Nicholas-II) ने 'अक्तूबर घोषणा पत्र' द्वारा रूस के लोगों को कई रियायतें देने का वचन किया किया। इनमें निम्नलिखित रियायतें मुख्य थीं-

1. डयूमा (संसद) का चुनाव।
2. प्रैस और संगठन बनाने की स्वतंत्रता।
3. औद्योगिक मज़दूरों की कार्य करने की स्थितियों में सुधार और उनकी मज़दूरी में वृद्धि।
4. मुक्ति भुगतान (दासों की ओर से स्वयं को मुक्त करवाने व ज़मीन की मलकीयत हासिल करने के लिए दिया जाने वाला पैसा) को रद्द करना।

'डयूमा' शब्द रूसी भाषा का है, जिसका अर्थ है-सोचना। 1905 ई. की रूसी क्रांति के साथ ज़ार को बड़ा झटका लगा। ज़ार को मजबूर होकर डयूमा की स्थापना करनी पड़ी, जिसका काम ज़ार को परामर्श देना और रूस के लोगों के लिए कानून पास करना था। डयूमा एक तरह की चुनी हुई सलाह देने वाली संसद थी। आजकल भी रूस की संसद को डयूमा (Duma) कहा जाता है।

इनमें से अधिकतर सुधार केवल कागजों तक ही सीमित रहे और ज़ार (Tsar) बहुत सारे वायदों से मुकर गया। डयूमा (Duma) को नज़र अंदाज़ किया गया और चुनावी नियमों को तोड़ मरोड़ कर इस तरह बनाया गया, जिससे ज़ार (Tsar) के वफादार लोग ही डयूमा (Duma) में चुने जा सकें। गुप्त पुलिस ने विद्यार्थियों, यहूदियों व शिक्षित लोगों को निरन्तर तांग करना और गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। प्रैस अभिव्यक्ति व संगठन बनाने की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई।

स्टॉलीपिन (Stolypin's) के सुधारों के बावजूद बढ़ती हुई जनसंख्या व ज़मीन की कमी के कारण किसानों में रोष लगातार बढ़ता गया। 1912 ई. से 1914 ई. तक होने वाली औद्योगिक हड़तालों की लहर से मज़दूरों में पैदा हुआ तनाव प्रत्यक्ष दिखाई देता था। 1912 ई. में लेना गोल्ड (Lena Gold) नामक सोने की खान में 270 हड़तालियों को मौत के घाट उतार दिया गया। सामाजिक लोकतांत्रिक और सामाजिक क्रांतिकारी नामक राजनैतिक पार्टीयाँ (रेडिकल राजनैतिक पार्टीयाँ) पुनः क्रियाशील हो गईं।

सामाजिक क्रांतिकारी पार्टी देश में क्रांति लाने के लिए किसानों को संगठित करना चाहती थी।

सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी जोकि 1898 ई. में अस्तित्व में आई, सर्वहारा वर्ग को क्रांति लाने वाला मुख्य तत्व मानती थी।

रूसी समाज के कई महत्वपूर्ण वर्ग जैसे कि किसान, मज़दूर व मध्यवर्गीय लोग सरकार के प्रति उदासीन होने लगे। कई घोटालों (जिनमें ज़ार और उसका शाही परिवार शामिल था) के कारण ज़ार (Tsar) और उसका शाही परिवार बदनाम हो गया था। शाही परिवार को रूस के किसानों और रुदिवादी ईसाइयों का भरपूर विश्वास प्राप्त था। स्टॉलीपिन (Stolypin) के कत्ल और शाही दरबार में रैसपुटिन (Rasputin) के बढ़ते प्रभाव ने शाही परिवार की छवि को धूमिल कर दिया।

पहले विश्व युद्ध (1914ई.-1918ई.) में रूस की पराजय ने क्रांति को अनिवार्य बना दिया था। पूर्वी मोर्चे पर जर्मन की अनुशासित व पेशेवर सेना के मुकाबले में रूस की सेवा के कमज़ोर नेतृत्व, हथियारों की कमी और अयोग्य व भ्रष्ट सैनिक संगठन आदि के कारण रूस की सेना की बुरी तरह हार हुई। 1916 ई. तक रूस के 16 से 18 लाख सैनिक युद्ध में मारे गए और 20 लाख तक सेना बंदी बना लिए गए। रूस के इस विनाश के लिए ज़ार को सर्वाधिक दोषी करार दिया गया, जोकि रूसी सेना का सर्वोच्च कमांडर था। इसी दौरान बढ़ती हुई महंगाई, खाद्यपदार्थों व ईंधन की कमी और दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की कमी के कारण रूसी समाज के सभी वर्गों में बेचैनी दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई। रूसी समाज के महत्वपूर्ण वर्ग (कुलीन वर्ग, ड्यूमा, उद्योगपति और सेना आदि) ज़ार की अयोग्यता के कारण उसके के विरुद्ध होने लग गए।

3.1 दो क्रांतियाँ (मार्च और नवंबर 1917 ई.)

मार्च की क्रांति (March Revolution)— 8 मार्च को पैट्रोग्राड (Petrograd) में डबल रोटी के लिए होने वाले दंगों से क्रांति की शुरूआत हुई। 10 मार्च को हड़ताल पैट्रोग्राड के मज़दूरों में फैल गई। सैनिकों ने लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया। पैट्रोग्राड की सैनिक टुकड़ी ने बगावत कर दी और स्वयं लोगों की भीड़ में शामिल हो गए। भीड़ ने सरकारी इमारतों को घेर लिया, थानों पर कब्ज़ा कर लिया, हथियार लूट लिए और कैदियों को रिहा करवा लिया।

ड्यूमा (Duma) ने ज़ार (Tsar) को संवैधानिक राजतंत्र की घोषणा करने की सलाह दी। परन्तु ज़ार ने इसको रद्द करके और सैनिक भेज दिए। आखिरकार ड्यूमा (Duma) के क्रियाशील सदस्यों और सैनिक अधिकारियों ने ज़ार निकोल्स द्वितीय को गद्दी से हटाने का निर्णय किया। तीन दिनों बाद इनके दबाव में आकर ज़ार निकोल्स ने विवश होकर गद्दी छोड़ दी। इस तरह पिछली चार शताब्दियों से रूस में चल रही ज़ारशाही का अंत हो गया।

इसके बाद रूस में अस्थायी तौर पर जार्ज ल्वोव (George Lvov) को उदारवादी सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया। जुलाई में उसकी जगह एलेंज़ेंडर कर्नेस्की ने सत्ता की बागडौर संभाली। नई सरकार को कई व्यापक समस्याओं का सामना करना पड़ा। कर्नेस्की की सरकार इन समस्याओं से निपटने में असफल रही, जिस कारण नवंबर 1917 ई. में इसका पतन हो गया।

अस्थायी सरकार के पतन के कारण

अस्थायी सरकार ने युद्ध जारी रखने का फैसला लिया। इस कारण लड़ाई से ऊब चुकी जनता सरकार के प्रति उदासीन हो गई। जून के हमले के असफल होने के कारण फौज के हौसले व अनुशासन को बड़ा झटका लगा और हज़ारों सैनिक भगौड़े हो गए। सरकार की साख बुरी तरह गिर गई।

अस्थायी सरकार को पैट्रोग्राड की सोवियत को कुछ अधिकार देने पड़े। जिस कारण सरकार की शक्ति व अधिकार सीमित हो गए। सिपाहियों की ओर से केवल पैट्रोग्राड सोवियत के आदेश मानने के निर्णय से अस्थायी सरकार को बड़ा झटका लगा। लड़ाई के बहाने संविधान सभा के चुनाव टालने के निर्णय से भी आम जनता में अस्थायी सरकार बदनाम हो गई।

‘सोवियत’ का अर्थ है—परिषद् अथवा स्थानीय स्तर पर शासन चलाने वाली इकाई। इसका साधारणतया मज़दूर वर्ग की ओर से चयन होता था।

गतिविधि- विद्रोह और क्रांति में क्या अंतर है? कुछ विद्रोह और क्रांतियों के नाम लिखो।

बड़े खेतों को छोटे-छोटे खेतों में बाँटकर किसानों को ज़मीन देने की उम्मीद भी पूरी नहीं हो सकी थी। बहुत सारे किसानों ने बोलशिवकों की सहायता से स्वयं ही ज़मीन पर कब्ज़े करने शुरू कर दिए। परिणामस्वरूप किसानों के एक महत्वपूर्ण दल ने बोलशिवकों का समर्थन करना आरम्भ कर दिया।

बोलशिवक पार्टी का नेता लैनिन

बोलशिवक पार्टी का यह विश्वास था कि रूस जैसे देश में जहाँ संसदीय लोकतंत्र नहीं है, वहाँ लोकतांत्रिक आदर्शों पर चलने वाली पार्टी प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर सकती। लैनिन ने स्वयं को बोलशिवक पार्टी को संगठित करने के लिए समर्पित किया था। उस पर कार्ल मार्क्स (Karl Marx) और ऐंजलज़ (Engels) के विचारों का गहरा प्रभाव था। लैनिन को मार्क्स के बाद समाजवादी आन्दोलन का सबसे महान् नेता माना जाता था।



लैनिन द्वारा लोगों को सम्बोधित किए जाने का प्रश्न

लैनिन के निर्वासन से वापिस रूस आने पर बोलशिवक अधिक उत्साहित हुए। लैनिन के अप्रैल प्रस्ताव, जिसमें उसने अस्थायी सरकार को समर्थन देना बंद करने, सोवियतों को सत्ता देने और युद्ध से रूस को अलग होने के नुक्ते दिए, जो निरन्तर लोगों में प्रसिद्ध होने लगे।

इसी दौरान कीमतों के बढ़ने, वेतन के कम होने और ईंधन, भोजन तथा कच्चे माल की कमी के कारण आर्थिक उथल-पुथल मच गई। अस्थायी सरकार की ओर से इन हालातों से निपटने में असफल रहने के कारण हालात और भी बिगड़ गए। दूसरी ओर बोलशिवकों की ओर से दिए जाने वाले शान्ति, रोटी और ज़मीन के विकल्प लोगों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करने लगे।

कोर्नीलोव (The Kornilov) की ओर से सोवियत को तोड़ने का असफल प्रयास, सरकार के लिए भारी परेशानी का कारण सिद्ध हुई। इससे बोलशिवकों की ओर भी प्रसिद्ध हुई। इसी दौरान बोलशिवकों ने पैट्रोग्राड (Petrograd) और मास्को की सोवियतों में अपने विरोधी मैनशिवकों और सामाजिक क्रांतिकारियों को पराजित कर बहुमत हासिल किया। इससे बोलशिवकों की स्थिति और भी दृढ़ हो गई। ट्रोस्टकी (Trostky) को ‘पैट्रोग्राड सोवियत’ का चेयरमैन चुना गया।

2. नवम्बर की क्रांति- नवंबर की क्रांति को सोवियत साहित्य में सरकारी तौर पर 'अक्टूबर का विद्रोह' अथवा 'बोलशिवक क्रांति' के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रूस उस समय ग्रीगोरियाई (Gregorian) कैलेंडर की जगह जूलियन कैलेंडर के अनुसार चलता था जो कि ग्रीगोरियाई कैलेंडर से तेरह दिन पीछे था।

क्या आप जानते हैं?

31 जनवरी, 1918 ई. से रूस ने ग्रीगोरियाई कैलेंडर अपना लिया था और इसको नई शैली करार दिया। तब तक रूस में जूलियन कैलेंडर प्रयोग किया जाता था, जिसको अब वे पुरानी शैली का कहने लग गए थे। दोनों कैलेंडर में तेरह दिनों का अंतर था।



समाजवादियों का एक दल मैनशिवक अल्प-संख्यक कहलाता था

ट्रोस्ट्की (Trostky) मैनशिवक पार्टी के उदारवादी नेता थे और उन्होंने फ्रांस और जर्मनी में स्थापित समाजवादी पार्टियों जैसी पार्टी का गठन किया। वे संसदीय चुनाव में भी भाग लेना चाहते थे। अक्टूबर क्रांति से कुछ समय पहले वह बोलशिवक पार्टी में शामिल हो गए।

अस्थायी सरकार और बोलशिवकों के बीच संघर्ष बढ़ा। लैनिन को यह खतरा लगने लगा कि अस्थायी सरकार तानाशाही लागू कर देगी। सितम्बर में लैनिन ने सरकार के विरुद्ध विद्रोह की योजना बनानी आरम्भ कर दी। सेना, सोवियतों और उद्योगों में काम करने वाले बोलशिवकों के समर्थक एकत्र किए गए। 16 अक्टूबर, 1917 को लैनिन ने पैट्रोग्राड सोवियत और बोलशिवक पार्टी के सदस्यों को एकत्र करके सत्ता हासिल करने के लिए और अपनी सरकार बनाने की योजना को अंतिम रूप दिया। लियोन ट्रोस्ट्की (Leon Trotsky) के नेतृत्व में सत्ता हासिल करने के लिए सोवियतों ने एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया। कार्यवाही की तिथि को गुप्त रखा गया।


25 अक्टूबर (ग्रीगोरियाई कैलेंडर के अनुसार 7 नवम्बर) की देर रात तक सेंट पीटर्सबर्ग शहर सैनिक क्रांतिकारी समिति के लाल गार्ड (Red Guards) के नियंत्रण में आ चुका था और अस्थायी सरकार के मंत्री आत्म-समर्पण कर चुके थे। दिसम्बर, 1917 तक बोलशिवकों ने रूस के दो मुख्य नगरों मास्को और पैट्रोग्राड को अपने नियन्त्रण में कर लिया। लैनिन के नेतृत्व में नई बोलशिवक सरकार ने सत्ता संभाल ली।

3.2 अक्टूबर क्रांति के पश्चात रूस में हुए परिवर्तन- सोवियतों की कांग्रेस ने आदेश जारी किया-

- इस आदेश के द्वारा रूस पहले विश्व युद्ध से अलग हो गया। बाद में जर्मनी के साथ शान्ति संधि हुई, इस संधि में रूस ने जर्मनी को अपने कई क्षेत्र (शान्ति की कीमत के रूप) में दिए।
- ज़ार, चर्च और ज़िमींदारों की सम्पत्तियाँ ज़ब्त करके किसानों को दे दी गईं, क्योंकि नई सरकार निजी सम्पत्ति रखने के हक में नहीं थी।
- उद्योगों का नियन्त्रण मज़दूर समितियों को दे दिया गया।
- बैंकों, बीमा कंपनियों, खानों, पानी, यातायात के साधनों और रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
- विदेशी निवेश ज़ब्त कर दिया गया।

4. **बोलशिवक पार्टी और सामाजिक परिवर्तन-** बोलशिवक पार्टी का नाम बदल कर रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी रख दिया गया। 1917ई. में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, पर बोलशिवकों को बहुमत हासिल नहीं हुआ।

1918ई. में राजनैतिक सहयोगियों के विरोध के बावजूद बोलशिवकों ने जर्मनी के साथ संधि कर ली और चुनाव में भाग लेने वाली एक ही पार्टी रह गई। इसके साथ ही रूस एक पार्टी के राज्य वाला देश बन गया। बोलशिवकों के सत्ता हासिल करने से रूस में कई सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। बोलशिवकों ने परिवर्तनों से संबंधित विचारों का 'प्रावदा' नामक समाचारपत्र द्वारा प्रचार किया। 'युद्ध रोको, किसानों को खेत दो और गरीब को रोटी दो।' यह आवाज सारे रूस में गूंजी, बोलशिवकों के रूस पर नियंत्रण करने के बाद कई परिवर्तन लाए गए।



बोलशिवक पार्टी का नाम बदल कर रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी रख दिया गया।

नवम्बर 1917ई. में संविधान सभा के चुनाव में बोलशिवक (Bolsheviks) बहुमत हासिल नहीं कर सके। जनवरी, 1918ई. में संविधान सभा ने बोलशिवकों के कुछ अन्य प्रस्ताव रद्द कर दिए और इससे लैनिन ने संविधान सभा को भंग कर दिया। उसका मानना था कि अस्थिर हालात में चुनी गई संविधान सभा से सोवियतों की अखिल रूसी कांग्रेस कहीं अधिक लोकतांत्रिक है।

गृह युद्ध- जैसे ही बोलशिवकों ने ज़मीन के पुनर्वितरण की घोषणा की, किसान परिवारों से संबंधित कई सैनिकों ने ज़मीन प्राप्त करने के लिए सेना छोड़ दी। बहुत से गैर-बोलशिवक समाजवादियों, उदारवादियों और ज़ारशाही के अन्य समर्थकों ने बोलशिवकों के विद्रोह का विरोध किया। उनके नेता दक्षिणी रूस चले गए और उन्होंने बोलशिवकों से लड़ने के लिए सैनिक टुकड़ियों का गठन किया। 1918ई. और 1919ई. के दौरान 'हरे' (ग्रीन) समाजवादी क्रांतिकारियों और 'सफेद' (Pro-Tsarists) ज़ार समर्थकों ने रूसी साम्राज्य के अधिकांश भाग पर कब्ज़ा कर लिया।

दिसम्बर 1922 में बोलशिवकों ने रूसी साम्राज्य के अलग-अलग हिस्सों को इकट्ठा करके सोवियत संघ (USSR) की स्थापना की। अलग-अलग राष्ट्रीयताओं को एकत्र करने का यह प्रयोग आंशिक तौर पर सफल हुआ, क्योंकि बोलशिवक सरकार ने स्थानीय सरकारों को कई ऐसी नीतियों का पालन करने पर विवश किया, जो लोगों को पसन्द नहीं थीं, जैसे कि खानाबदोश जीवन शैली को सख्ती से रोकना।

निष्कर्ष- रूसी क्रांति 20वीं शताब्दी के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह क्रांति 1917 ई. में हुई। इससे निरंकुश ज़ारशाही का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हो गई। इससे रूस के सामाजिक, आर्थिक और कृषि के क्षेत्रों में कुलीनवर्ग, पूंजीपतियों और जमींदारों की शक्ति का अंत हो गया। इस क्रांति ने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को स्थापित किया। इस ने संसार में पहली बार समाजवाद की विचारधारा को स्पष्ट रूप से लागू किया।

अभ्यास

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न



(क) बहु-विकल्पीय प्रश्न

1. रूस की क्रांति के दौरान बोलशिवकों का नेतृत्व किसने किया?

क) कार्ल मार्क्स	ख) फ्रैंडरिक एंजल्स
ग) लैनिन	घ) ट्रोस्ट्की
2. रूस की क्रांति द्वारा समाज के पुनर्गठन के लिए कौन-सा विचार सबसे महत्वपूर्ण है?

क) समाजवाद	ख) राष्ट्रवाद
ग) उदारवाद	घ) कोई नहीं
3. मैनशिवक समूह का नेता कौन था?

क) ट्रोस्ट्की	ख) कार्ल मार्क्स
ग) ज़ार निकोल्स	घ) कोई नहीं
4. किस देश ने अपने आप को पहले विश्व युद्ध से बाहर निकाल लिया और जर्मनी से संधि कर ली?

क) अमेरिका	ख) रूस
ग) फ्रांस	घ) इंग्लैण्ड

ख) रिक्त स्थान भरो-

1.ने रूसी क्रांति के समय रूस के बोलशिवक संगठन का नेतृत्व किया।
2.का अर्थ है- परिषद् अथवा स्थानीय सरकार।
3. रूस में चुनी गई सलाहकार संसद को.....

.....कहा जाता था।कहा जाता था।
-------------------	-------------------
4. ज़ार का शाब्दिक अर्थ है

ग) अंतर बताओ-

1. बोलशिवक और मैनशिवक
2. उदारवादी और रूढ़िवादी

घ) सही मिलान करें -

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. लैनिन | मैनशिवक |
| 2. ट्रोस्ट्की | समाचार पत्र |
| 3. मार्च की रूस की क्रांति | रूसी पार्लियामेंट |
| 4. ड्यूमा | बोलशिवक |
| 5. प्रावदा | 1917 ई. |

2. अति लघु उत्तर के प्रश्न

- | | |
|---|--|
| 1. 20वीं शताब्दी में समाज के पुनर्गठन के लिए कौन-सा विचार सबसे महत्वपूर्ण माना गया? | 2. 'ड्यूमा' से क्या अभिप्राय है? |
| 2. 'ड्यूमा' से क्या अभिप्राय है? | 3. मार्च 1917 ई. की क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? |
| 3. मार्च 1917 ई. की क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? | 4. 1905 ई. में रूस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? |
| 4. 1905 ई. में रूस की पराजय किस देश द्वारा हुई? | 5. 1905 ई. में रूस की पराजय किस देश द्वारा हुई? |

3. लघु उत्तर वाले प्रश्न

- | | |
|---|--|
| 1. अक्तूबर 1917 ई. की रूसी क्रांति के तत्कालीन परिणामों का वर्णन करो। | 2. मैनशिवक और बोलशिवक पर नोट लिखो? |
| 2. मैनशिवक और बोलशिवक पर नोट लिखो? | 3. रूस में अस्थायी सरकार की असफलता के क्या कारण थे? |
| 3. रूस में अस्थायी सरकार की असफलता के क्या कारण थे? | 4. लैनिन का अप्रैल प्रस्ताव क्या था? |
| 4. लैनिन का अप्रैल प्रस्ताव क्या था? | 5. अक्तूबर की क्रांति के बाद रूस में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए? |

4. दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न

- | | |
|--|---|
| 1. 1905 ई. की क्रांति से पूर्व रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीति अवस्था का वर्णन करें। | 2. औद्योगिकरण के रूस के आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़े? |
| 2. औद्योगिकरण के रूस के आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़े? | 3. समाजवाद पर एक विस्तारपूर्वक नोट लिखो। |
| 3. समाजवाद पर एक विस्तारपूर्वक नोट लिखो। | 4. किन कारणों से सामान्य जनता ने बोल्शिवकों का समर्थन किया? |
| 4. किन कारणों से सामान्य जनता ने बोल्शिवकों का समर्थन किया? | 5. अक्तूबर की क्रांति के बाद बोलशिवक सरकार की ओर से क्या परिवर्तन किए गए? विस्तारपूर्वक वर्णन करें। |

प्रोजेक्ट

निम्नलिखित विषयों पर अपने अध्यापक की सहायता से चर्चा करें:-

- (i) फरवरी की क्रांति
- (ii) अक्तूबर की क्रांति
- (iii) बोलशिवक सरकार की स्थापना



इकाई - |||



घट्ठनाए तथा प्रक्रियायें
सास्कृतिक पहचान तथा समाज

अध्याय 7

वन्य समाज तथा बस्तीवाद

वन

वन मानव समाज के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण संसाधन है। आदिकाल से ही मानव वनों का प्रयोग रहने, घर बनाने, ईंधन, जड़ी-बूटियों व अन्य उपयोग की वस्तुओं के लिए करता आया है। ग्रामीण जीवन में यह आजीविका का भी महत्वपूर्ण साधन हैं। इसके अतिरिक्त ये पशुओं को चारा प्रदान करते हैं तथा जंगली जानवरों के लिए आश्रय स्थल भी है।



वन का दृश्य

वन समाज-

वन समाज का अभिप्राय उन लोगों से है जो वनों के आस पास रहते हैं तथा अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं।

उपनिवेशवाद- उपनिवेशवाद ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी शक्तिशाली राज्य / राष्ट्र द्वारा किसी कमज़ोर देश की प्राकृतिक एवं मानवीय सम्पदा अथवा क्षेत्र पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से नियंत्रण कर अपने हितों के लिए उनका उपयोग करना हैं। आजादी से पूर्व भारत पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार इसका एक उदाहरण है।

गतिविधि

वनों से ग्रान होने वाली कोई छः वस्तुओं के नाम लिखे-

क्लोनियलइज़्ज़म- यह शब्द लातिनी भाषा के शब्द **कॉलोनिया** से बना है, जिसका अर्थ एक ऐसी सम्पत्ति से है, जिस को योजनाबद्ध ढंग से विदेशों में स्थापित किया गया हो।

क.) वन व आजीविका में सम्बन्ध

हमारे समाज में जल और वन को जीवन का आधार माना गया है। वनों से हमें फल, फूल, जड़ी-बूटियाँ, रबड़, इमारती लकड़ी तथा ईंधन के लिए लकड़ी आदि मिलता है। वन जंगली-जीवों का रैन-बसेरा (पनाहगाह) हैं। पशु-पालन पर निर्वाह करने वाले अधिकतर लोग इन पर निर्भर हैं। इसके



जंगली जीवों का रैन-बसेरा

अतिरिक्त वन

पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। वर्षा लाने में भी सहायक हैं। वर्षा की पुनरावृत्ति वनों में रहने वाले लोगों की कृषि, पशु-पालन आदि कार्यों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। यूरोप की औद्योगिक क्रांति से पूर्व वनों में रहने वाले लोग पूर्णतः इन पर आश्रित थे। उनका बाहरी दुनिया से अधिक तालमेल नहीं होता था। वे अपना निर्वाह वनों से ही करते थे।

औद्योगिक क्रांति

1750 ई. से 1850 ई. के समय के दौरान इंग्लैंड और यूरोप के दूसरे देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में तकनीकी अविष्कारों की मदद से उत्पादन प्रक्रिया में आने वाले व्यापक बदलावों को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। औद्योगिक क्रांति के कारण हाथ चलाये जाने वाले औजारों की जगह उत्पादन मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर होने लगा। यूरोप की औद्योगिक क्रांति से कच्चे माल और भोजन की बढ़ती जरूरतों के कारण जंगलों की कटाई शुरू हो गई। संसार के हर क्षेत्र में जंगलों की कटाई तेजी से होने लगी, जिसने वन समाज और वातावरण पर अपना प्रभाव डाला।

ख.) उपनिवेशवाद के अधीन वन-समाज में परिवर्तन

औद्योगिक क्रांति ने कच्चे माल और खाद्यपदार्थों की मांग को बढ़ाया जिसके कारण विश्व में लकड़ी की मांग बढ़ गई, जंगलों की कटाई होने लगी और धीरे-धीरे लकड़ी की कमी महसूस होने लगी। इससे वन निवासियों का जीवन व पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हुआ। यूरोपीय देशों की आँख भारत सहित उन देशों पर टिक गई, जो वन-संपदा व अन्य प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न थे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए डचों, पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों आदि ने न केवल वन-सम्पत्ति, बल्कि अन्य प्राकृतिक साधनों की लूट-खसूट करनी आरम्भ कर दी। जिस के परिणाम स्वरूप संसार के विभिन्न वन समाजों में विद्रोह हुए।

उपनिवेशवाद के अधीन वनों की कटाई के कारण-

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. कृषि का विस्तार | 2. रेलवे का विस्तार |
| 3. समुद्री जहाज़ों के निर्माण के लिए लकड़ी की मांग | 4. व्यापारिक फसलों की कृषि |

वनों की कटाई के कारण




गतिविधि

- वन संसाधनों के अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक साधनों के विषय में जाने तथा अपनी कक्षा में अध्यापक महोदय के साथ इस विषय में चर्चा करें।




1. **कृषि का विस्तार** - विश्व में जैसे-जैसे जनसंख्या की वृद्धि होने लगी, वैसे-वैसे भोजन/अनाज की माँग बढ़ने लगी। इस लिए लोगों ने भोजन की पूर्ति के लिए जंगलों की कटाई शुरू कर दी और उस भूमि को खेती के लिए प्रयोग किया जाने लगा।



2. **रेलवे का विस्तार** - अंग्रेज़ों के भारत वर्ष में आने से पहले कई देशों में रेल यातायात आरम्भ हो चुका था। अंग्रेज़ों ने अपने सैनिक व व्यापारिक हितों की पूर्ति और देश के प्रशासकीय ढाँचे की मज़बूती के लिए रेलवे की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने रेलवे का विस्तार करना आरम्भ कर दिया, जोकि बहुत तेज़ी से हुआ। जैसे कि 1890 ई. में रेलवे लाइनों की लम्बाई लगभग 25,000 किलोमीटर थी, जोकि 1946 ई. में बढ़कर 7,65,000 किलोमीटर हो गई। विटिशों ने भारत में रेलवे का आरम्भ सैनिकों व सैन्य सामग्री तथा कच्चे माल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए की।



रेलवे पटरी बनाने के लिए स्लीपरों का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा। ये स्लीपर लकड़ी के बनते थे। स्लीपरों के लिए भारी पैमाने पर लकड़ी की खपत का अंदाज़ा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि एक किलोमीटर रेलवे पटरी के लिए 450 स्लीपरों की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अतिरिक्त रेलवे डिब्बों और ईंधन के रूप में भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता था।



3. समुद्री जहाज निर्माण के लिए लकड़ी- यूरोप में ओक के वृक्ष से जहाज बनाए जाते थे, जिनकी आयु अधिक से अधिक 18 वर्ष होती थी। भारत में जहाज के लिए सागवान की लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, जिस की आयु लगभग 50 वर्ष होती है। सागवान के वृक्षों के तनों की लम्बाई ज़्यादा होती है, जिसके कारण जहाज अधिक मज़बूत बनते थे। इस कारण यूरोप, विशेष तौर पर इंग्लैंड में सागवान की लकड़ी की माँग बहुत बढ़ गई। इंग्लैंड द्वारा लकड़ी आयात करके बड़े पैमाने पर जहाज तैयार किये जाने लगे, जिस से भारतीय जहाज निर्माण व्यापार लुप्त होने की कगार पर पहुँच गया। अंग्रेजों ने सागवान के वनों पर अधिकार स्थापित कर लिया और उनकी कटाई करके बढ़िया लकड़ी भारत से इंग्लैंड भेजने लगे।



ओक वृक्ष (शाहबलूत वृक्ष)



सागवान के वृक्ष (शाहबलूत वृक्ष)

4. व्यापारिक फसलों की खेती- 19वीं शताब्दी में यूरोप की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप यूरोप में व्यापारिक फसलों जैसे- कपास, पटसन, चाय, कॉफी, रबड़ आदि की माँग वहाँ बहुत बढ़ गई। इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने न केवल किसानों को उत्साहित किया, बल्कि वन-क्षेत्र को साफ करके रबड़, चाय, कॉफी आदि के बाग लगाने के लिए बागबानी विशेषज्ञ बुला लिए। जंगलों की कटाई करके उस भूमि को व्यापारिक कृषि के लिए प्रयोग करना आरम्भ कर दिया।



कपास का खेत



रबड़ का वृक्ष



काफी का पौधा



चाय का बाग



नीचे दिए चित्रों का अवलोकन करें तथा इनके आधार पर वनों के विभिन्न उपयोगों की कक्षा में चर्चा करें-



गृह निर्माण




रेल पटरी का निर्माण

वन कानून

व्यापारिक बागबानी- वन सम्पत्ति पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश प्रशासन ने कई वन-कानून बनाए जिनका मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों और व्यापारियों को वनों की कटाई से रोकना था। (यह स्थिति आज तक ज्यों की त्यों है) लार्ड डल्हौज़ी ने 1855 ई. में पूरे देश में वन-सुरक्षा के लिए नियम बनाए, जिसके अन्तर्गत उसने मालाबार की पहाड़ियों में सागवान और नीलगिरि की पहाड़ियों में बबूल (कीकर) के वृक्ष लगाए। अलग-अलग कानूनों के अधीन जंगलों की कटाई और इनमें पशु चराने की पाबन्दी लगा दी। डाइट्रिच ब्रैडिस नामक एक जर्मन माहिर को वन-महानिदेशक (डायरैक्टर जनरल) नियुक्त कर दिया। उसको भारत की आधुनिक बागबानी का संस्थापक माना जाता है। उसका मुख्य कार्य जंगलों की सुरक्षा के लिए बनाए कानूनों का पालन करवाना और बागबानी को व्यापारिक मार्गों पर अग्रसर करना था। उसने भारतीय वन-सेवा नामक संस्था बनाकर व्यापारिक वनों की कृषि को उत्साहित किया। वैज्ञानिक बागवानी में वर्तमान वनों में से अलग-अलग किस्मों के वृक्षों की कटाई करके एक ही प्रकार के वृक्षों को एक ही पंक्ति में लगाया जाता था।



लार्ड डल्हौज़ी




वन कानून- उपनिवेशवाद के अधीन बने नियमों/कानूनों पर एक नज़र:

1855 ई.-लार्ड डल्हौज़ी ने वनों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। इसके अधीन मालाबार की पहाड़ियों में सागवान और नीलगिरि की पहाड़ियों में बबूल (कीकर) के वृक्ष लगाए।

1864 ई.-वनों की रक्षा सम्बन्धी कानूनों/नियमों की पालना हित भारतीय वन विभाग की स्थापना की गई। इसका

मुख्य उद्देश्य व्यापारिक बागबानी को प्रोत्साहित करना था।

1865 ई.-भारतीय वन अधिनियम 1865 वनों के प्रबन्धन सम्बंधी कानून बनाने के सम्बंध में था।



वर्तमान भारत में चल रहे वन कानून के विषय में जानकारी प्राप्त करें एवं श्रेणी में चर्चा करें।

1878 ई.-भारतीय वन अधिनियम 1878, इस अधिनियम के अधीन वनों की तीन श्रेणियाँ बना दी गई- 1. आरक्षित वन, 2. सुरक्षित वन, 3. ग्रामीण वन। जंगलों को निजी सम्पत्ति से सरकारी सम्पत्ति बनाने के अधिकार इस कानून को दे दिए गए और जन साधारण लोगों के जंगलों में जाने व उनका प्रयोग करने पर भारी पाबन्दियाँ लगा दी गईं।



1906 ई.-

देहरादून में इम्पीरियल वन अनुसंधान केन्द्र, देहरादून की स्थापना की गई।

1927 ई.-

वनों से सम्बन्धित कानूनों को मज़बूत करने, जंगली लकड़ी का उत्पादन बढ़ाने, इमारती लकड़ी व अन्य वन्य उपजों पर कर लगाने के उद्देश्य से भारतीय वन अधिनियम 1927 लागू किया गया। इस कानून का उल्लंघन करने वालों को कारावास व भारी जुरमाने का प्रावधान था।



इम्पीरियल वन अनुसंधान केन्द्र, देहरादून

ग) समकालीन भारत में वनों की स्थिति

भारत ऋषियों-मुनियों व भक्तों की धरती है। इन का वनों से गहरा सम्बन्ध रहा है। इसी कारण हमारे यहाँ वन व वन्य जीवों की सुरक्षा करने की परम्परा रही है। इस से तीन सदियाँ पूर्व सम्राट अशोक ने एक शिलालेख पर लिखवाया था कि निम्नलिखित जीव-जन्तुओं को मारा नहीं जाएगा- तोता, मैना, अरुणा कलहंस, नंदीमुख, सारस, बिना काँटे वाली मछलियाँ, गेंडे और सभी वह जानवर जो उपयोगी व खाने के योग्य नहीं थे। इस के अतिरिक्त वनों को जलाया नहीं जाएगा।



वृक्षों की पूजा का दृश्य



पशुओं की पूजा का दृश्य

उपनिवेशवाद से पूर्व भारत में वनों व वन-समाज में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। इनमें रहने वाले लोग पूर्णतः वनों पर निर्भर थे। परन्तु विदेशियों के आगमन ने भारत के वनों व वन-समाज का पूरा ढाँचा ही बदल दिया।

उपनिवेशवाद के अधीन बने कानूनों का वन-समाज पर प्रभाव

1. **मानवीय जीवन पर प्रभाव-** वनों में रहने वाले लोग सदियों से वनों पर निर्भर थे। वे अपने जीवन की सभी आवश्यकताएँ वनों में से पूरी करते थे। अपने जीवनयापन के लिए फल, रहने के लिए झोपड़ियाँ, ईंधन के लिए लकड़ी, पशुओं के लिए चारा व कृषि के औज़ारों के लिए लकड़ी आदि के लिए वनों पर निर्भर थे। उपनिवेशवाद के समय लागू किए वन-कानूनों ने उनकी इस आज़ादी पर पाबन्दी लगा दी। लोग चोरी-छुपे वनों से लकड़ी काटने लगे। यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता, तो या तो उसे दण्ड दिया जाता या फिर रिश्वत लेकर छोड़ दिया जाता।



वनों में पशुओं के लिए चारे का प्रबन्ध



वनों से ईधन के लिए लकड़ी चुगाता व्यक्ति

२. कृषि पर प्रभाव- उप निवेश युग से पूर्व वनों में पारम्परिक कृषि की जाती थी, जिसको झूम प्रथा अथवा झूमी कृषि (स्थानांतरित कृषि) कहा जाता था। कृषि की इस प्रथा में जंगल के कुछ भाग के वृक्षों को काट कर आग लगा दी जाती थी। मानसून के बाद उस क्षेत्र में फसल बोई जाती थी, जिसको अक्तूबर-नवंबर में काट लिया जाता था। दो-तीन वर्ष इसी क्षेत्र में से फसल पैदा की जाती थी। जब इसकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी, तो इस क्षेत्र में वृक्ष लगा दिए जाते थे, ताकि फिर वन तैयार हो सके। ऐसा वन 17-18 वर्षों में पुनः तैयार हो जाता था। वनवासी कृषि के लिए अन्य स्थान चुन लेते थे। इसके अतिरिक्त मिश्रित कृषि करने की भी परम्परा थी। वे इस प्रकार की कृषि में कई फसलों को मिलाकर बीज देते थे, जैसे-ज्वार, बाजरा आदि। ब्रिटिश सरकार ने वन कानून का लागू करते हुए झूम कृषि पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारिक फसलों को प्रोत्साहित किया जिससे वन निवासियों में भारी रोष उत्पन्न हुआ।



झूमी कृषि (स्थानांतरित कृषि)

3. **वन कानून का शिकार पर प्रभाव-** पहले वनों के आसपास रहने वाले लोग जंगलों में से छोटे-छोटे जानवरों और पक्षियों का शिकार करके अपना जीवनयापन करते थे, परन्तु उपनिवेशवादी सरकार के वन-कानूनों ने उनके जंगलों में प्रवेश पर पाबन्दी लगा दी। दूसरी ओर सरकार ने माँसाहारी हिंसक जानवरों, जैसे- शेर, चीता, लकड़बघे आदि के शिकार को उत्साहित किया। इनका शिकार करने वालों को नगद पुरस्कार दिया जाता था। यदि ग्रामीण लोग इन नियमों का उल्लंघन करते तो उस गाँव के समस्त लोगों का वन में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था।



शिकार किये गए जानवरों का एक चित्र

क्या आप जानते हैं?

एक अनुमान के अनुसार लगभग इन 50–60 वर्षों (1875ई.–1925ई.) में 2,00,000 भेड़िए, 80,000 बाघ और 1,50,000 तेंदुए का शिकार किया गया।

समकालीन भारत में वन्य-वासियों की स्थिति

स्वतंत्रता के पश्चात 1952 की वन-नीति से भी भारतीय वन-वासियों की स्थिति में अधिक अन्तर नहीं आया। इस वन-नीति में भी वनों के वर्गीकरण पर उपनिवेशवाद के अधीन वन-कानूनों का प्रतिबिम्ब देखा जा सकता है। इस नीति में ‘सार्वजनिक हित’ की जगह ‘राष्ट्रीय हित’ की बात की गई, जिसका उद्देश्य औद्योगिक उत्पादन के लिए लकड़ी व ईंधन का प्रबन्ध करना और कागज़ उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता थी। इस तरह शहरी और औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगलों की लूट-खसूट जारी रही। इस नीति में यह सिफारिश की गई कि उचित कर लेकर पशुओं को बार-बार चराने की अनुमति दी जाए और भेड़-बकरियों को चराने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया जाए।

स्वतंत्रता के पश्चात सर्वैधानिक संशोधनों द्वारा वनों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, जिस के अधीन अब केन्द्र और राज्य दोनों वनों के सम्बन्ध में कानून बनाने के समर्थ हो गए। तब से लेकर आज तक केन्द्र सरकार राष्ट्रीय नीति और कानूनी ढाँचा बनाती है, जोकि राज्य सरकारों के लिए मार्ग-दर्शक का काम करते हैं।

वन अधिकार अधिनियम 2006, जोकि 18 दिसम्बर 2006 को पारित किया गया था, वनों में रहने वाले लोगों के अधिकारों से जुड़ा हुआ था। इस कानून का उद्देश्य जहाँ वनों की रक्षा करना था, वहाँ वनों में रहने वाले लोगों को उनके

क्या आप जानते हैं?

1980 ई. से वनों के संरक्षण सम्बन्धीं कानून में संशोधन किया गया। जिसमें इस बात को स्वीकार किया गया कि आज कुछ वर्षों से वृक्षों की कटाई तीव्र गति से जारी है। इस कानून की आधारभूत विशेषता यह थी कि इसमें वन्य निवासियों के लिए ईंधन के लिए लकड़ी, चारे, लघु स्तर पर वन्य वस्तुओं के उत्पादन व इमारती लकड़ी के अधिकार को स्वीकार किया गया है। यह भी स्वीकार किया गया है कि वन व वन्य प्राणियों के पारस्परिक सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ है तथा वनों के अच्छे प्रबन्धन में वन विभाग के साथ साथ स्थानीय निवासियों के सहयोग की भी आवश्यकता है। इस कानून का उद्देश्य वनों के विनाश व वन भूमि को गैर वन्य कार्यों के प्रयोग से रोकना था।

जहाँ 19वीं शताब्दी के अंत तक 80 प्रतिशत वन किसी-न-किसी रूप में निजी सम्पत्ति अथवा समुदाय के हाथ में थे, वही आज 21वीं शताब्दी में 90 प्रतिशत वनों पर सरकारों का अधिकार हो गया है।

अधिकार दिलाना भी था, जो शताब्दियों से उनको मिले हुए थे। इस कानून का उद्देश्य वन-वासियों को उनके द्वारा प्रयोग में लाई जा रही भूमि का अधिकार प्रदान करना था, वहाँ उन्हें पशु चराने का अधिकार भी देता था। यह कानून उन्हें प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पुनः-स्थापन का हक देता था, साथ ही वन-प्रबन्धन में स्थानीय भागीदारी को सुनिश्चित करता था। इन कानूनों के बनने के बावजूद भी आज देश के भिन्न भिन्न भागों में वन-वासी अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघष कर रहे हैं।

उपर्युक्त चर्चा के साथ यह भी आवश्यक है कि हम वन-वासियों द्वारा अलग-अलग समय में अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए किए आन्दोलनों के विषय में जानकारी प्राप्त करें जिसमें मुण्डा आन्दोलन भी एक है।

1. **मुण्डा आन्दोलन-** जल, वन और भूमि की रक्षा के लिए किए गए आन्दोलनों में से मुण्डा आन्दोलन प्रमुख स्थान रखता है, जो कि आदिवासी नेता विरसा मुण्डा के नेतृत्व में चलाया गया।

विरसा मुण्डा (जीवन परिचय)

आदिवासी नेता विरसा मुण्डा का जन्म 1875 ई. को रांची (वर्तमान झारखण्ड) के निकट लिहातू नामक गाँव में हुआ। उसके पिता का नाम सुगना मुण्डा व माता का नाम 'रकमी हाटू' था। उसका परिवार घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था परन्तु उसका बचपन चलकड़ गाँव में बीता। वह भेड़-बकरी चराया करता था। निर्धनता के कारण उसके अभिभावकों ने उसे मामा के यहाँ भेजा, जहाँ उसे एक ईसाई स्कूल में प्रवेश मिला। ईसाई धर्मान्तरण के कारण उसका नाम विरसा डेविड में बदल गया। विरसा मुण्डा के मन में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उनकी जातीय भेदभाव की नीति के कारण रोष पैदा हो गया—जिसका कारण था उसकी। उसने वह स्कूल छोड़ दिया तथा इसी समय वह वैष्णव भक्त आनंद पाण्डेय के सम्पर्क में आ गया तथा उन्होंने हिन्दू धर्म की शिक्षा प्राप्त की।



विरसा मुण्डा का चित्र


1886 ई. से 1890 ई. का समय उनके जीवन का निर्णायक मोड़ रहा। उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई थी। अंग्रेज़ों द्वारा बनाए कानून वन-वासियों को जल-जंगल-ज़मीन से दूर कर रहे थे। वे जंगलों को पिता और ज़मीन को माता की तरह पूजते थे। जंगलों से सम्बन्धित बनाए नए कानूनों ने उनको इनसे दूर कर दिया। डॉ. नोटरेट नाम के ईसाई पादरी ने लोगों कबीले के नेताओं को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया और लालच दिया कि उनकी ज़मीनें उन्हें वापिस करवा दी जाएँगी। परन्तु सरकार बाद में इनकी माँगें मानने से पीछे हट गई। बिरसा मुण्डा ने अपने आन्दोलन में तीन पक्षों सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक को शामिल कर लिया। उसने लोगों को अन्धविश्वासों में से निकाल कर शिक्षा के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित किया। जल-जंगल-ज़मीन की रक्षा और उन पर आदिवासियों के अधिकार की बात करके उसने आर्थिक पक्ष से लोगों को साथ जोड़ लिया। अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा का नारा देकर अपनी संस्कृति बचाने की बात की। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से आदिवासियों को संगठित कर लिया।

1895 ई. में वन सम्बन्धी बकाए की माफी का आन्दोलन चला, सरकार ने आन्दोलनकारियों की माँगों को ठुकरा दिया। बिरसा मुण्डा ने 'अबुआ देश में अबुआ राज' का नारा देकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजा दिया। 8 अगस्त, 1895 ई. को उसको 'चलकट' स्थान से गिरफ्तार करके दो वर्ष के लिए जेल भेज दिया। 1897 ई. में उसकी रिहाई के बाद उस क्षेत्र में अकाल पड़ा। बिरसा मुण्डा ने अपने साथियों को साथ लेकर लोगों की सेवा की और अपने विचारों से लोगों को जागृत किया। लोग उसको धरती बाबा के तौर पर पूजने लगे। 1897 से 1900 ई. के दौरान अंग्रेज़ों व मुण्डा विद्रोहियों के बीच युद्ध होते रहे। 1897 ई. में लगभग 400 मुण्डा विद्रोहियों ने खँटी थाने पर हमला कर दिया। 1898 ई. में तांगा नदी के इलाके में विद्रोहियों ने अंग्रेज़ी सेना को पीछे धकेल दिया, परन्तु बाद में अंग्रेज़ी सेना ने सैंकड़ों आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया।

14 दिसम्बर, 1899 ई. को बिरसा मुण्डा ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया, जोकि जनवरी 1900 ई. में सारे क्षेत्र में फैल गया। अंग्रेज़ों ने बिरसा मुण्डा की गिरफ्तारी के लिए ईनाम का ऐलान कर दिया। कुछ स्थानीय लोगों ने लालच वश 3 फरवरी, 1900 ई. को उसको छल से पकड़वा दिया। उसको राँची जेल भेज दिया गया। वहाँ अंग्रेज़ों ने धीरे-धीरे असर करने वाला विष दे दिया, जिस कारण उसकी 9 जून, 1900 ई. को

मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का कारण हैज़ा बताया गया, ताकि मुण्डा समुदाय के लोग भड़क न जाएँ। उसकी पत्नी, बच्चों और साथियों पर मुकद्दमे चला कर भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाएँ दी गईं।

अपने 25 वर्ष के इस छोटे से जीवन में ही वन-वासियों को अपने अधिकारों की रक्षा, संस्कृति और धर्म के प्रति जोड़ कर रखने व जंगलों की रक्षा के प्रति जागृत करने सम्बन्धी उनकी देन व विशाल आन्दोलन का नेतृत्व करने के लिए बिरसा मुण्डा का नाम हमेशा स्मरण किया जाएगा।



लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हुए विरसा मुण्डा

खेजड़ी के वृक्ष की रक्षा के लिए संघर्ष

राजस्थान (थार मरुस्थल) में वनस्पति की कमी के कारण लोग वृक्षों का बहुत सम्मान करते हैं। यहाँ के लोग खेजड़ी (जण्ड) के वृक्ष की पूजा करते थे। यह वृक्ष वनस्पति की कमी के कारण उनके जीवन का आधार रहा है। वे इसकी फलियों का भी प्रयोग रायते में अथवा खाने के लिए करते थे। पत्तों का प्रयोग पशुओं के चारे के लिए करते थे। इस वृक्ष की छटाई के बाद की लकड़ी ईंधन के रूप में जलाने के लिए प्रयोग करते थे। लगभग 300 वर्ष पहले राजस्थान के मारवाड़ के इलाके में इस वृक्ष की रक्षा के लिए लोगों ने संघर्ष किया। जोधपुर के राजा, अभय सिंह को अपने नए महल के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। 1787 ई. में उसने खेजड़ी नामक गाँव में खेजड़ी के वृक्षों की कटाई के लिए सैनिक भेजे। इस गाँव की एक महिला, अमृता देवी बिश्नोई ने वृक्ष काटने का विरोध किया और उसके साथ लिपट गई। उसकी तीन पुत्रियों ने भी उसका साथ दिया। सैनिकों ने उनके सिर धड़



से अलग कर दिए, इसका बिश्नोई भाईचारे ने तीव्र विरोध किया। वृक्षों की रक्षा के लिए यह संघर्ष हिंसक हो गया। राजा के सैनिकों ने इस भाईचारे के 363 लोगों की हत्या कर दी। लोगों के रोष को देखते हुए राजा ने वृक्षों की कटाई रोक दी और इस क्षेत्र को वृक्षों और जानवरों के लिए सुरक्षित घोषित कर दिया। आज भी बिश्नोई सम्प्रदाय के लोग वृक्षों और जानवरों की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाते हैं।

उपर्युक्त आन्दोलनों के अतिरिक्त कई अन्य आंदोलन हैं जो वृक्षों व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आरम्भ किए गए। लोग पर्यावरण के प्रति सचेत हो चुके हैं क्योंकि यह केवल वन निवासियों की जीवन रक्षक ही नहीं अपितु हमारे पर्यावरण के रक्षक भी हैं।



कुछ याद रखने योग्य-

1. वन समाज का सम्बन्ध उन लोगों से है जो वनों में या उनके आस पास रहते हैं तथा जिनकी आजीविका वनों पर निर्भर है।
2. व्यापारिक फसलें-कपास, पटसन, चाय कॉफी, रबड़ व गेहूँ आदि।
3. डाइट्रिच ब्रैडिस नामक एक जर्मन विशेषज्ञ को वन महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया। उसे भारत की 'आधुनिक बागवानी का जनक' कहा जाता है।
4. लार्ड डलहोजी ने 1855 ई. में वनों के संरक्षण सम्बन्धी कानून बनाए।
5. भारतीय बन अधिनियम 1878ई. के अनुसार वनों की तीन श्रेणियाँ बना दी गईं- आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण।
6. भारतीय बन अधिकार अधिनियम 18 दिसम्बर 2006 को पारित किया गया, जो वन निवासियों के अधिकारों को काफी सीमा तक सुरक्षित रखता है।
7. 'मुण्डा आंदोलन' के नेता विरसा मुण्डा थे।

अभ्यास

वस्तुनिष्ठ प्रश्न -



1. (क) बहुविकल्पीय प्रश्न -

1. औद्योगिक क्रान्ति किस महाद्वीप में आरम्भ हुई ?

क) एशिया	ख) यूरोप
ग) आस्ट्रेलिया	घ) उत्तरी अमेरिका
2. इम्मीरियल बन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है ?

क) दिल्ली	ख) मुंबई
ग) देहरादून	घ) अबोहर
3. भारत की आधुनिक बागबानी का जनक किसे कहा जाता है ?

क) लार्ड डलहौजी	ख) डाइट्रिच ब्रैडिस
ग) कैप्टन वाट्सन	घ) लार्ड हार्डिंग
4. भारत में समुद्री जहाजों के लिए किस वृक्ष की लकड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है ?

क) बबूल	ख) ओक
ग) नीम	घ) सागवान
5. मुण्डा आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ ?

क) राजस्थान	ख) छोटा नागपुर
ग) मद्रास	घ) पंजाब

ख) रिक्त स्थान भरें-

1., और मनुष्य के लिए अति आवश्यक संसाधन है।
2. कलोनियलइज़्म लातीनी भाषा के शब्द से बना है।
3. यूरोप में के वृक्ष की लकड़ी से समुद्री जहाज़ बनाए जाते थे।

4. विरसा मुण्डा को, 8 अगस्त 1895 ई. को.....
.....नामक स्थान से गिरफ्तार किया गया।

5. परम्परागत कृषि कोकृषि भी कहा जाता था।

ग) सही मिलान करो-

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. विरसा मुण्डा | (अ) 2006 |
| 2. समुद्री जहाज | (आ) बबूल |
| 3. जण्ड | (इ) धरती बाबा |
| 4. वन अधिकार अधिनियम | (ई) खेजड़ी |
| 5. माल बार पहाड़ियाँ | (उ) सागवान |

घ) अन्तर बताएं-

1. आरक्षित वन और सुरक्षित वन
2. वैज्ञानिक बागबानी और प्राकृतिक वन

2. अति लघु उत्तर वाले प्रश्न -



1. वन समाज से क्या अभिप्राय है?
2. उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं?
3. वनों की कटाई के कोई दो कारण लिखें?
4. भारतीय समुद्री जहाज किस वृक्ष की लकड़ी से बनाए जाते थे ?
5. किस प्राचीन भारतीय सम्राट ने जीव जन्तुओं के वध पर प्रतिबन्ध लगा दिया था?
6. नीलगिरी की पहाड़ियों पर कौन कौन से वृक्ष लगाए गए?
7. चार व्यापारिक फसलों के नाम बताएं?
8. विरसा मुण्डा ने कौन सा नारा दिया ?
9. जोधपुर के राजा को किस समुदाय के लोगों ने बलिदान देकर वृक्षों की कटाई से रोका?

3. लघु उत्तर वाले प्रश्न -



1. उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है? उदाहरण दे कर स्पष्ट करें।
2. वन व आजीविका में क्या सम्बंध है?
3. रेलवे के विस्तार में वनों का प्रयोग कैसे किया गया ?
4. 1878 ई. के वन अधिनियम के अनुसार वनों के वर्गीकरण का उल्लेख करें।
5. समकालीन भारत में वनों की क्या स्थिति है।
6. झूम प्रथा पर नोट लिखें।

4. दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न



1. वनों की कटाई के क्या कारण हैं? वर्णन करें।
2. उपनिवेशवाद के अन्तर्गत बने वन-अधिनियमों का वन समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? वर्णन करें।
3. मुण्डा आन्दोलन पर निबन्ध लिखें।

प्रोजेक्ट

1. वनों की सुरक्षा तथा विकास के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं? सूची बनाएँ।
2. अपने विद्यालय में मनाए गए 'वातावरण दिवस' पर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करें।
3. 'चिपको आंदोलन' के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें और चार्ट बना कर अपनी कक्षा में लगाए।




पहनावे का सामाजिक इतिहास

8

पहनावा सभ्यता की विशेष पहचान है। किसी मनुष्य के पहनावे से यह पहचान की जा सकती है कि वह किस क्षेत्र का रहने वाला है अथवा किस सभ्यता से सम्बन्ध रखता है। किसी व्यक्ति का पहनावा उसकी बौद्धिक, मानसिक व आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन करता है। पहनावे का प्रयोग केवल शरीर ढकने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इसके द्वारा मनुष्य के रूतबे, सभ्यता, सामाजिक स्तर आदि की पहचान होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगी कि पहनावे का अपना सामाजिक इतिहास है। इस अध्याय में हम इस विषय में चर्चा करेंगे।

पहनावा: सामाजिक इतिहास

प्राचीनकाल में मनुष्य गर्मी-सर्दी व तीव्र हवाओं आदि से बचने के लिए गुफाओं में रहते थे। फिर उसने शरीर को ढकने के लिए पत्तों, वृक्षों की छाल और जानवरों की खाल का प्रयोग करना शुरू कर दिया।



पुरातन युग में मनुष्य
(बिना पहनावे के)

गतिविधि



निम्नलिखित चित्रों को देखकर बताएं कि
इनके पहनावे से हमें क्या मालूम होता हैं?



नये रेशों के आविष्कार के कारण लोग विभिन्न प्रकार के रेशों से बने कपड़े पहनने लगे। मौसम, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक व धार्मिक प्रभावों के कारण लोगों के पहनावे में निरन्तर परिवर्तन आता रहा, जोकि आज भी जारी है। समाज के अलग-अलग वर्गों के पुरुष, स्त्रियाँ, बच्चे और बुजुर्ग अपने-अपने वर्ग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही वस्त्र पहनते थे, जिससे उनकी पहचान बनती थी। लोगों के विचारों में हुई परिवर्तनशीलता की झलक उनके पहनावे से स्पष्ट रूप में देखी जा सकती है।


पहनावे के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें अलग-अलग तरह के रेशों के बारे में जानना ज़रूरी है, जिनसे अलग-अलग तरह के कपड़े बनते हैं।



पुरातत्व वैज्ञानिकों को कोस्तोनकी (रूस) के नज़दीक की खुदाइयों में हड्डियों और हाथी-दाँत की बनी हुई सुइयाँ प्राप्त हुई हैं, जिनसे जानकारी मिलती है कि हज़ारों वर्ष पहले से ही हाथ से कपड़े सिलने का रिवाज़ शुरू हुआ। उससे पहले बिना सिलाई के कपड़े पहने जाते होंगे।



विभिन्न प्रकार के रेशों से बने कपड़े



अलग अलग रेशों से बने कपड़े

सूती कपड़ा

सूती कपड़ा कपास से बनाया जाता है। भारत के लोग सदियों से सूती वस्त्र पहनते आ रहे हैं। प्राचीन सभ्यताओं में भी कपास और सूती वस्त्रों के प्रयोग के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। पुरातत्व वैज्ञानिकों को सिंधु घाटी की सभ्यता में से भी कपास और सूती कपड़े के प्रयोग के बारे में प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऋग्वेद के मंत्रों में भी कपास के विषय में चर्चा की गई है।

ऊनी कपड़ा

उन वास्तव में रेशेदार प्रोटीन है, जो विशेष प्रकार की चमड़ी की कोशिकाओं से बनती है। भेड़, बकरी, याक, खरगोश आदि जानवरों से भी उन प्राप्त की जाती है। ऊनी वस्त्रों के अवशेष मिस्र, बेबीलोन, सिंधु घाटी की सभ्यता में से मिले हैं। इससे मालूम होता है कि उस समय के लोग भी ऊनी कपड़े पहनते थे।

रेशमी कपड़ा

रेशम का कपड़ा रेशम के कीड़ों से तैयार रेशों से बना होता है। वास्तव में रेशम का कीड़ा अपनी सुरक्षा के लिए अपने इर्द-गिर्द एक कवच तैयार करता है, जिसको वह अपनी लार द्वारा बनाता है। इस कवच से ही रेशमी धागा तैयार किया जाता है। रेशम का कीड़ा प्रायः शहतूत के वृक्षों पर पाला जाता है। रेशमी कपड़ों की तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित हुई। भारत में भी रेशमी कपड़े का प्रयोग हज़ारों वर्षों से किया जा रहा है। पहले-पहल केवल धनी लोग ही रेशमी कपड़े पहनते थे।



चरखा



कपास का पौधा

क्या आप जानते हैं?



मैरिनो भेड़े

मैरिनो नामक भेड़ों की उन सबसे उत्तम मानी जाती है।



रेशम के कीड़े द्वारा बनाया कवच



रेशम के कीड़े

क्या आप जानते हैं?

एक प्रचलित कथा के अनुसार रेशम के कीड़े चीन से बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध था, परन्तु राजकुमारी बांस के खोल में रेशम के कीड़े छुपाकर देश से बाहर ले गई। इस तरह पूरे संसार में रेशमी कपड़े बनाए जाने लगे।

कृत्रिम रेशे से बने कपड़े

आजकल बहुत सारे लोग कृत्रिम (बनावटी) रेशों के बने कपड़ों का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम रेशे बनाने का विचार सबसे पहले एक अंग्रेज वैज्ञानिक राबर्ट हुक (Robert Hooke) के मन में पैदा हुआ। उसके बाद एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने भी इस के बारे में लिखा, परन्तु वह इसको व्यावहारिक रूप न दे सका।

सन् 1842 ई. में अंग्रेजी वैज्ञानिक लुइस सुबाब ने बनावटी रेशों से कपड़े तैयार करने की एक मशीन तैयार की। कृत्रिम रेशों के उत्पादन के लिए शहतूत, अल्कोहल, रबड़, मनकका, चर्बी और कुछ अन्य वनस्पतियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। नायलोन, पोलिस्टर और रेयान मुख्य कृत्रिम रेशे हैं। पोलिस्टर और सूत से बना कपड़ा ‘टैरीकाट’ भारत में बहुत प्रयोग किया जाता है।

औद्योगिक क्रांति व पहनावा

सदियों से लोग कपड़ों का प्रयोग तन ढकने के लिए ही करते रहे हैं। परन्तु 18वीं-19वीं शताब्दी के सामाजिक-राजनैतिक परिवर्तनों और औद्योगिक क्रांति ने समस्त विश्व के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक ढाँचे पर गहरा प्रभाव डाला। इससे लोगों के विचारों तथा जीवन-शैली में परिवर्तन आया, परिणामस्वरूप लोगों के पहनावे में भी परिवर्तन आया।

कपड़े का उत्पादन मशीनों से होने लगा। इस कारण कपड़ा सस्ता हो गया और वह बाजार में बहुतायत में हो गया। मशीनी कपड़ा अलग-अलग डिज़ाइनों में आ गया। कपड़ा सस्ता होने के कारण लोगों के पास पोशाकों की संख्या बढ़ गई। पहले लोगों के पास पहनने के लिए कम पोशाक होती थीं, क्योंकि कपड़ा महंगा था।



कृत्रिम रेशे व उन्हें बनाने की प्रक्रिया


गतिविधि

कृत्रिम रेशे को बनाने की प्रक्रिया के चित्र चार्ट बनाएँ व अपनी कक्षा में लगाएँ।


क्या आप
जानते हैं?

औद्योगिक क्रांति का आरम्भ यूरोप महाद्वीप में हुआ था तथा बहुत से यूरोपीय देशों ने संसार के भिन्न भिन्न भागों में अपनी बस्तियाँ स्थापित की हुई थी। इस लिए इस औद्योगिक क्रांति ने समस्त विश्व के लोगों के पहनावे में परिवर्तन ला दिया।

1. आम लोगों के पहनावे पर प्रभाव- 18वीं शताब्दी में यूरोप के लोग अपने सामाजिक स्तर, वर्ग अथवा लिंग के अनुसार कपड़े पहनते थे। पुरुषों व स्त्रियों के पहनावे में काफी अंतर था। महिलाएँ पहनावे में स्टॉर्ट और ऊँची एड़ी वाले जूते पहनती थीं। जबकि पुरुष पहनावे में नैकटाई का प्रयोग करते थे। समाज के उच्च वर्ग का पहनावा आम लोगों से अलग होता था। 1789ई. की फ्रांसीसी क्रांति ने कुलीन वर्ग के लोगों के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। जिसके परिणम स्वरूप गरीब व निम्न वर्ग के लोग भी अपनी इच्छा के अनुसार रंग-बिरंगे कपड़े पहनने लगे। फ्रांस के लोग अपने-आपको देशभक्त और क्रांतिकारी समझते हुए नीले, सफेद और लाल रंग के कपड़े पहनने लगे। वे स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में लाल टोपी पहनते थे। इस प्रकार आम लोगों द्वारा रंग-बिरंगे कपड़े पहनने का प्रचलन पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया।



कुलीन वर्ग की औरतों का पहनावा



सख्त फीतों से खीचें हुए
कपड़े पहने स्त्री

फ्रांसीसी क्रांति व फिझूल-खर्च रोक कानूनों के अनुसार पहनावे में किए सुधारों को कई स्त्रियों ने स्वीकार नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप कुछ महिला-संगठनों ने पहनावे से सम्बन्धी सुधारों का विरोध करना शुरू कर दिया। 1830 ई. में इंग्लैंड में कुछ महिला-संस्थाओं ने स्त्रियों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों की माँग करनी शुरू कर दी। जैसे ही सफरेज आन्दोलन का प्रसार हुआ, तो अमेरिका की 13 ब्रिटिश बसिस्थाँ में पहनावा-सुधार आन्दोलन शुरू हुआ। प्रैस व साहित्य ने तंग कपड़े पहनने के कारण नवयुवतियों को लगाने वाली बीमारियों के बारे में बताया कि तंग पहनावे

से शरीर का विकास मेरुदण्ड में विकार व रक्त संचार प्रभावित होता है। लड़कियों के शरीर की माँसपेशियों का विकास भी नहीं होता और उनकी रीढ़ की हड्डी खराब हो जाती है। इसलिए बहुत सारे महिला-संगठनों ने सरकार से लड़कियों की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पोशाक में सुधार की माँग की।



फ्रांसीसी लोगों का पहनावा

अमेरिका में भी कई महिला-संगठनों ने स्त्रियों के लिए पारम्परिक पोशाक की निन्दा की। उदाहरण के तौर पर स्त्रियों को घर के बाहर जाने के लिए लम्बे गाउन पहनना ज़रूरी था, ऐसा इसलिए किया गया ताकि वे घर के इलावा कहीं बाहर न जा सकें। कई महिला-संस्थाओं ने इस गाउन की अपेक्षा स्त्रियों के लिए सुविधाजनक परिधान पहनने की माँग की क्योंकि यदि स्त्रियों की पोशाक आरामदायक होगी, तभी वे आसानी से काम कर सकेंगी।

इसलिए 1870 ई. में दो संस्थाएँ ‘नेशनल वूमैन सफरेज़ ऐसोसिएशन’ और ‘अमेरिकन वूमैन सफरेज़ ऐसोसिएशन’ ने मिलकर स्त्रियों के पहनावे में सुधार करने के लिए आन्दोलन आरम्भ किया, जो असफल रहा। क्योंकि रूढ़िवादी विचारधारा के लोग इन महिला-संस्थाओं का विरोध करते थे, फिर भी 19वीं शताब्दी में स्त्रियों की सुन्दरता व पहनावे संबंधी विचारों का प्रसार होना शुरू हुआ, परिणामस्वरूप स्त्रियों की सुन्दरता और पहनावे के नमूनों में परिवर्तन हुआ।



क्या आप जानते हो?

सफरेज अन्दोलनः

स्त्रियों के मताधिकार की प्राप्ति के लिए किया गया अन्दोलन था।



सफरेज अन्दोलन का एक दृश्य

2. **स्त्रियों के पहनावे पर प्रभाव-** यूरोपीय देशों में लड़कियों को बचपन से ही सख्त फीतों से खींचे हुए कपड़े पहनने के लिए कहा जाता था, ताकि उनके शरीर का फैलाव न हो सके और वे सुन्दर अथवा आकर्षक लगें। वे चाहते थे कि स्त्रियाँ आज्ञाकारी, सहनशील व कर्तव्यनिष्ठ हों। विक्टोरिया के शासनकाल में प्रचलित पहनावा औरतों की दब्बू छवि बनाने के लिए काफी हद तक उत्तरदायी था।
3. **19वीं शताब्दी के आरम्भ से पहनावे में परिवर्तन-** इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप पहनावे संबंधी नई सामग्री व तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त होने के कारण लोगों के जीवन में अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ। 16वीं शताब्दी के बाद यूरोपीय देशों ने एशियाई देशों विशेष तौर पर भारत के साथ सूती कपड़े का व्यापार करना शुरू किया। उस समय भारत सूती कपड़े का उत्पादन करने में विश्व प्रसिद्ध था। यूरोपियन व्यापारियों ने भारत की छींट (कपड़े की एक किस्म) का आयात करना आरम्भ किया, जो बहुत सस्ता व संभालने में आसान होता था।

औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैण्ड में सूती कपड़े का बहुत अधिक उत्पादन होने लगा, जो भारत सहित संसार के अन्य देशों में निर्यात किया जाता था। 19वीं शताब्दी के अंत में भारी भरकम कपड़े धीरे-धीरे विलुप्त होने आरम्भ हो गए क्योंकि 20वीं शताब्दी के आरम्भ में बनावटी रेशों से तैयार किए गए कपड़े आ गए थे जो कि सस्ते होने के साथ-साथ धोने में भी आसान थे। पहले से कपड़े छोटे, हल्के व बारीक बनने लगे, परन्तु फिर भी 1914 ई. तक तो गाउन की लंबाई एड़ी तक होती थी। 1915 ई. तक स्कर्ट की लम्बाई घुटनों तक थी। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण महिलाओं के कार्य करने की परिस्थितियों में अत्यन्त परिवर्तन हुआ।



औद्योगिक क्रांति से पहले का दृश्य



पहले विश्व युद्ध का महिलाओं के पहनावे पर बहुत प्रभाव पड़ा, पुरुषों द्वारा युद्ध में भाग लिए जाने के कारण कार्य करने की ज़िम्मेदारी औरतों पर आ गई। वे औद्योगिक क्षेत्र में भी कार्य करने के लिए जाने लगीं। उनके खुले व लम्बे कपड़े फैक्ट्रियों में कार्य करते समय बाधा उत्पन्न करते थे। इस लिए अपनी काम करने की ज़रूरत के अनुसार उन्होंने तंग व छोटे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। वे उद्योगों में वर्दी के तौर पर ब्लाउज़, पैंट और टोपी का प्रयोग करने लगीं। उनकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी हो गई थी। इस कारण भी उनके पहनावे में अंतर आ गया था। इसके अतिरिक्त स्त्रियों ने अपने बाल छोटे रखने शुरू कर दिए।



औद्योगिक क्रांति के बाद का दृश्य

20वीं शताब्दी में लोगों का साधारण जीवन व्यावसायिक व व्यस्त हो गया। स्कूलों में विद्यार्थियों की चमकीली-भड़कीली वर्दी के स्थान पर सादी वर्दी पहनना अनिवार्य किया गया। शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में जिमनास्टिक और खेलों के विषय शामिल किए, जो लड़कियों के लिए भी पढ़ने अनिवार्य थे। खेलते समय लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहनती थीं, जो उनके लिए सुविधाजनक होते थे। इसी तरह ही उन्हें उद्योगों में काम करते समय आरामदायक पोशाक पहनने की ज़रूरत थी। धीरे-धीरे नई तकनीक, आर्थिक गतिविधियों व शिक्षा के प्रसार के प्रभाव ने लोगों की विचारधारा को बदला, जिस का प्रभाव उनके पहनावे पर देखने को मिला।



कामकाजी औरतों का नया पहनावा

भारतीय बस्तीबाद में पहनावे पर चर्चा

भारतीय समाज में जातिवाद के कारण लोगों के पहनावे, खान-पान व रहन सहन सम्बन्धी विभिन्न सामाजिक नियम निर्धारित थे। जब निम्न जाति के लोग इन नियमों की उल्लंघना करते थे, तो उनको कठोर दंड दिया जाता था। भारत में बस्तीबाद काल के दौरान लोगों के पहनावे में बहुत परिवर्तन हुआ। स्त्रियाँ परम्परागत पहनावे के अनुसार कपड़े पहनती थीं। अंग्रेज़ी भाषा सीख कर सरकारी नौकरी करने वाले पुरुषों ने पश्चिमी पहनावे के अनुसार कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। सारे भारत में लोगों के पहनावे में परिवर्तन एक जैसा नहीं हुआ था, जो भारतीय ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन पदों पर नियुक्त थे, वे कुर्ते के ऊपर सिलाई की हुई जैकेट पहनते थे, जबकि भारत के अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त व्यक्ति, अंग्रेज़ी सूट पहनते थे। ड्यूटी पर कार्यरत अधिकारी वर्ग ग्रीष्मकाल में निक्कर (Half Pant) पहनते थे। अंग्रेज़ अधिकारी व उनके सहायक भारतीय कर्मचारी बड़ा टोप (solo hat) पहनते थे।

ब्रिटिश शासन और पोशाक नियमावली

कुछ भारतीय लोग पश्चिमी पहनावे की नकल करने की कोशिश करते थे, जबकि अन्य लोग इस पहनावे के बिलकुल विरुद्ध थे। प्रायः भारतीय लोग किसी दफ्तर और सरकारी भवन में प्रवेश करने से पूर्व अपने जूते बाहर उतारते थे, जबकि अंग्रेज़ों को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती थी। इसी तरह भारतीय लोग अपने सिर पर सम्मान स्वरूप पगड़ी बाँधते थे, जोकि किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए उतारनी ज़रूरी नहीं थी। अंग्रेज़ लोग अपने सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे। वह पश्चिमी परम्परा के अनुसार किसी को सम्मान देने के लिए अपना टोप (हैट) उतारते थे। इस सांस्कृतिक विभिन्नता ने दोनों जातियों में मतभेद पैदा कर दिए। अंग्रेज़ भारतीयों से बहुत नाराज़ थे, क्योंकि जब वे ब्रिटिश अधिकारियों से मिलने जाते थे, तो वे अधिकारियों को सम्मान देने के लिए अपनी पगड़ी नहीं उतारते थे।




इसके अतिरिक्त भारत के लोगों और यूरोपीय देशों के लोगों के बीच झगड़े का दूसरा मुख्य कारण जूते पहनने से सम्बन्धित था। 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अंग्रेज़ भारतीय परम्परा के अनुसार राजाओं के दरबार में जूते उतार कर जाते थे। कुछ ब्रिटिश अफसर भी भारतीय पहनावा पसन्द करते थे। परन्तु 19वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों को सरकारी दावतों में भारतीय पोशाक पहनकर जाने पर रोक लगा दी गई। इस समय के दौरान भारतीयों की इच्छा थी कि लोग दफ्तरों में भारतीय पहनावे की नियमावली के अनुसार कपड़े पहनें। भारतीय गवर्नर जनरल एमहर्स्ट ने ज़ोरदार शब्दों में कहा कि जब भारतीय लोग किसी अंग्रेज़ अधिकारी के सामने पेश होते हैं, तो वे उसके सम्मान में अपने जूते उतारें, परन्तु भारतीयों ने इस आदेश की उल्लंघना की। 19वीं शताब्दी में लार्ड डल्हौज़ी के शासनकाल (1848ई.-1856ई.) के दौरान जब भारतीय लोग किसी सरकारी दफ्तर में जाते थे, तो पहले जूते उतारते थे। भारतीय सरकार के बहुत सारे कर्मचारी पहनावे के इन नियमों के विरुद्ध थे।

राष्ट्रीय पोशाक तैयार करना

19वीं शताब्दी के अंत तक प्रशासनिक प्रबन्ध, प्रैस, शिक्षा और सभी देशों में कानून की समानता ने लोगों में राष्ट्रवाद व एकता की भावना पैदा की। भारतीय लोगों ने सभ्यता के चिह्न तैयार किए, जो राष्ट्रीय एकता को प्रकट करते थे। इसी समय के दौरान राष्ट्रीय गीत लिखा गया और राष्ट्रीय ध्वज का नमूना तैयार करने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ। विचार-विमर्श के दौरान कुछ विद्वानों और दर्शन-शास्त्रियों ने सभ्यतासूचक पहनावे का भी समर्थन किया। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार भारत की राष्ट्रीय पोशाक भारतीय और यूरोपियन पोशाक की मिली-जुली पोशाक की जगह, हिन्दू और मुस्लिम परिधान के तत्वों का सुमिश्रण होना चाहिए। इसी लिए पुरुषों के लिए अचकन (बटनों वाला लम्बा कोट) योग्य पोशाक समझी जाती थी। ज्ञानदानदीनी (सतेन्द्रनाथ टैगोर की पत्नी)



ज्ञानदानदीनी टैगोर



पारसी शैली की साड़ी

ने राष्ट्रीय पोशाक तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह पारसी ढंग से साड़ी पहनती थीं, जो बाईं ओर से कन्धे पर पिन की होती थी, जिसके साथ मिलता-जुलता ब्लाउज़ और जूते भी पहने जाते थे। इसको 'ब्रह्मका' साड़ी कहा जाता था, क्योंकि ऐसी साड़ियाँ ब्रह्मा समाज की स्त्रियाँ पहनती थीं। बाद में पोशाक का यह नमूना महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ब्रह्मो समाज से गैर-ब्रह्मो समाज में भी प्रचलित हुआ था।

स्वदेशी लहर और खादी

स्वदेशी लहर 1905 ई. में लार्ड कर्ज़न द्वारा बंगाल के विभाजन करने के कारण अस्तित्व में आई। यह लहर भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण भाग थी। इसका प्रमुख उद्देश्य बंगाल के विभाजन को रोकना, भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और भारत में से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की एक सफल योजना तैयार करना था।

अपने देश के साधनों से निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना ही स्वदेशी कहलाता है।

स्वदेशी लहर का उद्देश्य भारतीय उद्योगों का विस्तार करना था। इस कारण शीघ्र ही यह लहर राजनैतिक और आर्थिक लहर का रूप धारण कर गई। आरम्भ में यह लहर बंगाल में और फिर देश के शेष भागों में फैल गई। तत्पश्चात् कई अन्य संस्थाएँ जैसे कि बंगाल का जिमींदार वर्ग जो राजनीति से नफरत करता था। वह भी स्वदेशी लहर में शामिल हो गया।

1920 ई. में महात्मा गाँधी जी द्वारा खादी लहर की कार्य-सूचि जारी की गई। स्वतंत्रता संघर्ष खादी के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार करने पर आधारित था। गाँधी जी के आहवान पर लोगों ने विदेशी कपड़ों और

वस्तुओं का न केवल बहिष्कार किया, बल्कि उनको जला भी दिया गया। 'स्वदेशी लहर' ने भारतीय उद्योगों को बहुत उत्साहित किया। खादी लहर का उद्देश्य था कि हर एक व्यक्ति खादी के वस्त्र पहने।

महात्मा गांधी जी स्वदेशी लहर के महान् समर्थक थे। उन्होंने स्वदेशी लहर के समर्थकों को अंग्रेजों द्वारा तैयार की वस्तुओं की जगह भारतीय वस्तुओं, भोजन, कपड़ा आदि का प्रयोग करने पर ज़ोर दिया। इसका उद्देश्य भारत के गाँवों के लोगों के लिए रोज़गार के अवसर प्रदान करना और भारतीय खादी उद्योग को पतन से बचाना था। इस लहर ने उन लोगों को स्वतंत्रता आन्दोलन के साथ जोड़ा।

आधुनिक युग के दौरान बालगंगाधर तिलक भी स्वदेशी अन्दोलन के एक और महान समर्थक थे। उन्होंने भाषण और अखबारों के द्वारा स्वदेशी लहर के सिद्धान्तों का प्रचार किया। उनके घर के सामने स्वदेशी वस्तुओं का एक बहुत बड़ा बाज़ार था।



महात्मा गांधी चर्खा कातते हुए

पंजाबी संस्कृति में पहनावा

जहाँ तक पंजाबियों के पहनावे की बात करें तो यहाँ के पुरुषों का मुख्य पहनावा कुर्ता-पायजामा और स्त्रियों का पहनावा सलवार-कमीज़ ही रहा है। पुरुष प्रायः सिर पर पगड़ी बाँधते थे। ग्रामीण क्षेत्र में पगड़ी की जगह परना (साफा) का प्रयोग करनते थे। पगड़ी तुर्रे वाली और मावा लगा कर बाँधने का निवाज़ भी रहा है। पहले एक लड़ी पगड़ी बाँधने का रिवाज़ था। आधुनिक समय में यह दोहरी अथवा सिलाई वाली पगड़ी बाँधने में बदल गया है। कुछ पुरुष पगड़ी के नीचे 'फिफटी' भी बाँधते हैं।

फिफटी- दूसरे विश्वयुद्ध में सिक्ख सैनिकों को वर्दी के साथ पाँच मीटर कपड़ा पगड़ी बाँधने के लिए दिया जाता था। लेकिन युद्ध में हमेशा भारी और लम्बी पगड़ी पहनना संभव नहीं था। इस लिए 2 मीटर कपड़ा छोटी पगड़ी के रूप दिया जाता था। जो कि फिफटी के नाम से प्रसिद्ध हुई।

विवाह-शादी के अवसर पर लाल, गुलाबी अथवा सिन्दूरी पगड़ी बाँधी जाती थी। शोक के समय सफेद अथवा हल्के रंग की पगड़ी बाँधी जाती थी। पुरुष लम्बे कुर्ते के साथ चादर बाँधते थे। धीरे-धीरे कुर्ते-चादर की जगह कुर्ते-पायजामे ने ले ली। अब पढ़े-लिखे व नौकरी पेशा लोग पेंट कमीज का प्रयोग कर रहे हैं। पुरुष अलग-अलग तरह की जूते पहनते रहे



गतिविधि

आधुनिक पंजाबी पहनावे की उदाहरण देते हुए चित्रों समेत एक चार्ट पर दर्शायें।

जैसे पंजाबी जुती, सैंडल और बूट आदि।

पंजाबिनों का मुख्य पहनावा सलवार-कमीज़ ही रहा है। पले औरतें कमीज़ की जगह लम्बे कुर्तें का प्रयोग करती थी। फिर कॉलर वाले कमीज़ का रिवाज़ भी रहा। स्त्रियाँ सिर दुपट्टे से ढक कर रखती हैं। इसी दुपट्टे का प्रयोग बुजुर्गों से घूंघट निकालने के लिए भी किया जाता था। दुपट्टे की सुन्दर व आकर्षक बनाने के लिए गोटे, सितारे, मुकैश, शीशे आदि भी लगाए जाते हैं। रंग बिरंगे दुपट्टे लेने का रिवाज़ भी प्रचलित रहा है। कुंवारी लड़कियाँ बड़े चाव से विवाह के लिए फुलकारी निकालती थी। सूटों से मिलते-जुलते दुपट्टे लिए जाते थे। सूटों पर कढाई भी की जाती थी और कभी-कभी पेंट द्वादा फूल-पत्तियाँ डाल लिए जाते हैं। दुपट्टे को गोटा लगाकर और भी आकर्षक बना लिया जाता है। शहरी औरतों साड़ी और ब्लाउज़ भी पहनती हैं। सर्दियों में स्वेटर, कोटी ओर स्कीवी डालने का भी रिवाज़ रहा है। श्रृंगार के लिए गहनों का प्रयोग किया जाता था, जिनमें टीका, मोहरें, कोका, झुमके, बालियाँ, काटे, अंगूष्ठियाँ क्लिप, चूड़ियाँ-चूड़े आदि शामिल हैं।

पहनावे पर सामाजिक और धार्मिक प्रभाव देखने को मिलता है। निहंग सिंहों का पहनावा नीला अथवा केसरी ही रहा है। वे लम्बा चोला पहनते हैं। सिर पर बड़ी गोल पगड़ी बाँधने का रिवाज़ था, यह आजकल भी प्रचलित है। पगड़ी के ऊपर चक्र और खण्डे के छोटे-छोटे चिह्न लगाते हैं। नामधारी सम्प्रदाय के लोग सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। वे सिर पर गोल पगड़ी बाँधते हैं। लम्बे कमीज़ और तंग पायजामें पहनते हैं। पंडित और हिन्दू धर्म के लोग आमतौर पर कुर्ता धोती पहनते हैं। भक्त, साधु, जोगियों का पहनावा अलग है। वे लम्बे-लम्बे चोले पहनते हैं, जो आमतौर पर भगवे रंग के होते हैं। किसान मज़दूर प्राय कुर्ता और चादर पहनते हैं। मशीनीकरण, पश्चिमी करण कृश्म, मीडिया और शहरीकरण ने भी लोगों के पहनावे पर प्रभाव डाला। पहले लोग त्योहारों और मेलों पर, विशेष अवसरों पर नए व रंग-बिरंगे कपड़े बड़े चाव से डालते थे, परन्तु आय बढ़ने और जागरूकता के आने से लोग स्वच्छ व अच्छे वस्त्रपहनने लगे हैं।

अब शहरों और कस्बों में कपड़ों के मलटीनेशनल कंपनियों के खुले शोरूम, मॉल और पार्लर पहनावे और जीवनशैली के ढंग पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं।



निहंग सिंहों का पहनावा

कुछ याद रखने योग्य बातें-

1. मनुष्य ने उपयोगिता और सामाजिक कारणों के कारण कपड़े पहनने शुरू किए।
2. कपड़े आमतौर पर चार तरह के रेशों से बनते हैं- सूती, ऊनी, रेशमी और कृत्रिम।
3. मैरिनो भेड़ की ऊन सबसे उत्तम मानी जाती है।
4. औद्योगिक क्रांति और विश्वयुद्ध ने भी लोगों के पहनावे पर अपना प्रभाव डाला।
5. अंग्रेजों के भारत में आगमन के बाद पहरावे में बहुत परिवर्तन हुआ।
6. ज्ञानदानदीनी ने राष्ट्रीय पोशाक तैयार करने में अहम् योगदान दिया है।
7. खादी लहर द्वारा गाँधी जी ने लोगों को स्वतंत्रता आनंदोलन से जोड़ा।
8. फिफ्टी बाँधने का रिवाज् अंग्रेजों के समय से शुरू हुआ।

अभ्यास

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

(क) सही उत्तर चुनो-

सही उत्तर चुनो-

1. सूती कपड़ा किससे बनता है?

क) कपास	ख) जानवरों की खाल
ग) रेशम के कीड़े	घ) ऊन
2. बनावटी रेशो का विचार सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया?

क) मेरी क्यूरी	ख) राबर्ट हुक्क
ग) लुइस सुबाब	घ) लार्ड कर्जन
3. कौन-सी शताब्दी में यूरोप के लोग अपने सामाजिक स्तर, वर्ग अथवा लिंग के अनुसार कपड़े पहनते थे?

क) 15वीं	ख) 16वीं
ग) 17वीं	घ) 18वीं
4. किस देश के व्यापारियों ने भारत की छीट का आयात शुरू किया?

क) चीन	ख) इंग्लैंड
ग) इटली	घ) फ्रांस



(ख) रिक्त स्थान भरो-

1. पुरातत्व वैज्ञानिकों को..... के नज़दीक हाथी दाँत की बनी हुई सुझाँ प्राप्त हुई।
2. रेशम का कीड़ा प्राय..... के वृक्षों पर पाला जाता है।
- वस्त्रों के अवशेष मिस्र, बेबीलोन, सिन्धु घाटी की सभ्यता से मिले हैं।
- औद्योगिक क्रांति का आरम्भ महाद्वीप में हुआ था।
- स्वदेशी आनंदोलन..... ई. में आरम्भ हुआ।

(ग) सही मिलान करो-

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. बंगाल का विभाजन | रविन्द्रनाथ टेगोर |
| 2. रेशमी कपड़ा | चीन |
| 3. राष्ट्रीय गान | 1789 ई. |
| 4. फ्रांसीसी क्रांति | महात्मा गाँधी |
| 5. स्वदेशी लहर | लॉर्ड कर्जन |

अन्तर स्पष्ट करें:-

1. ऊनी कपड़ा और रेशमी कपड़ा
2. सूती कपड़ा और कृत्रिम रेशो से बना कपड़ा

2 अति लघु उत्तरों वाले प्रश्न



1. आदिकाल में मनुष्य शरीर ढकने के लिए किसका प्रयोग करता था?
2. कपड़े कितने तरह के रेशों से बनते हैं?
3. किस किस्म की भेड़ों की ऊन सबसे बढ़िया होती है?
4. स्त्रियों ने सबसे पहले किस देश में पहनावे की आज़ादी सम्बन्धी अपनी आवाज़ उठाई?
5. इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति से पहले सूती कपड़ा किस देश से आयात करता था?
6. खादी लहर चलाने वाले प्रमुख भारतीय नेता का नाम लिखो।
7. नामधारी सम्प्रदाय के लोग किस रंग के कपड़े पहनते हैं?

3. लघु उत्तरों वाले प्रश्न



1. मनुष्य को पहनावे की ज़रूरत क्यों पड़ी?
2. रेशमी कपड़ा कैसे तैयार होता है?
3. औद्योगिक क्रांति का मनुष्य के पहनावे पर क्या प्रभाव पड़ा?
4. स्त्रियों के पहरावे पर महायुद्धों का क्या प्रभाव पड़ा?

5. स्वदेशी आंदोलन से आप क्या समझते हैं?

6. राष्ट्रीय पोशाक तैयार करने से सम्बन्धित किए गए यत्नों का संक्षेप वर्णन करो।
7. पंजाबी महिलाओं के पहनावे पर सर्किप्त नोट लिखें।

4. दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न



1. कपड़ों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न रेशों का वर्णन करें।
2. औद्योगिक क्रांति ने साधारण लोगों के पहनावे पर क्या प्रभाव डाला? वर्णन करें।
3. भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहनावे में हुए परिवर्तनों का वर्णन करो।
4. भारतीय लोगों के पहनावे पर स्वदेशी आंदोलन का क्या प्रभाव पड़े?
5. पंजाबी लोगों के पहनावे सम्बन्धी अपने विचार लिखो।

प्रोजेक्ट

1. आपके और आपके परिवार के पहरावे में बदलते समय के साथ क्या-क्या परिवर्तन आए? जानो और लिखो। इस बारे में अपनी कक्षा में चर्चा करो।
2. 'सादा जीवन और उच्च विचार' से क्या भाव है? इस पर एक पोस्टर बनाए।
3. भारत के किन्हीं पाँच राज्यों के पहनावे के चित्र एकित्र करो और अपनी कॉपी लगाएँ।



इकाई - 4



1. वर्तमान लोकतंत्र का इतिहास
विकास एवम् विस्तार
2. लोकतन्त्र का अर्थ एवम् महात्मा

वर्तमान लोकतंत्र का इतिहास विकास एवं विस्तार

प्राचीन युग से लेकर आधुनिक युग तक विश्व में कई प्रकार की शासन प्रणालियाँ प्रचलित रही हैं। जिनमें राजतंत्र, सत्तावादी (Authoritarian), सर्वसत्तावादी (Totalitarian), तानाशाही एवं सैनिक तानाशाही प्रमुख हैं। परन्तु वर्तमान युग लोकतंत्र का युग माना जाता है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने लोकतंत्र को अपना लिया है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली आधुनिक युग की सर्वप्रिय व्यवस्था है। जिन राष्ट्रों में लोकतंत्र को पूर्णतः नहीं स्वीकारा या उन राष्ट्रों की सरकारें भी स्वयं को लोकतांत्रिक कहलाने का दावा कर रही हैं। जिस प्रकार रूस एवं चीन में साम्यवादी दल का प्रभुत्व है। प्रत्येक पाँच वर्ष पश्चात् साम्यवादी दल की ही सरकार बनती है। इन राष्ट्रों में विपक्ष के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता। फिर भी ये राष्ट्र लोकतांत्रिक कहलाने का दावा करते हैं। जबकि विपक्ष का होना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् स्वतंत्र हुए राष्ट्रों में एशिया व अफ्रीका के राष्ट्रों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है। अमेरिका के लोग लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों जैसे साम्यवाद, फासीवादी, सत्तावाद व तानाशाही से उत्तम मानते हैं।

लोकतंत्र का इतिहास

1. यूनान तथा रोम का प्राचीनकाल:- विश्व में लोकतंत्र का आरम्भ यूनान व रोमन गणराज्यों से हुआ है। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में सीधा व प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित था। इन राज्यों की जनसंख्या बहुत कम थी। राज्य के नागरिक प्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक नीतिगत निर्णय लेते थे। अपने राज्य की सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक नागरिक कानून बनाने, सार्वजनिक नीतियों के निर्माण करना व राज्य के वार्षिक बजट को पारित करने में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता था। परन्तु यह लोकतंत्र सीमित लोकतंत्र था। क्योंकि इन नगर राज्यों में समाज का एक बहुत बड़ा भाग गुलामों का था। जिनका प्रशासनिक कार्यों में भाग लेना वर्जित था। रोमन राज्यों में भले ही राजा लोगों द्वारा निर्वाचित होता था परन्तु राजा प्रशासन स्वेच्छा से चलाता था। सैद्धांतिक रूप में राजा लोगों का प्रतिनिधित्व करता था परन्तु व्यावहारिक रूप में राजा स्वेच्छा से शासन प्रबन्ध चलाता था।

2. भारत का प्राचीन काल :- प्राचीनकाल में भारत के कुछ राज्यों में गण तंत्र के सिद्धान्त को स्वीकारा कीया था। चोलवंश के राज्यकाल में निम्न स्तर पर लोकतंत्र के उदाहरण मिलते हैं। चोल शासकों ने प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाने हेतु राज्य को आगे छोटी इकाइयों में बांटा हुआ था जैसे: मण्डलम, वलांडू, नायडू एवं उर्र ये प्रशासनिक इकाइयाँ अवरोही क्रमानुसार थी। चोलवंश के शासकों की यह एक विशेषता थी कि उन्होंने उपर्युक्त प्रशासनिक इकाइयों को स्वायत्ता का अधिकार प्रदान किया था। चोल शासकों के समय स्थानीय प्रबन्ध चलाने के लिए समिति प्रणाली लागू की गई थी जिसे 'वरियाम' प्रणाली कहते थे। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न समितियों का गठन किया जाता था। जैसे स्वच्छता के लिए समिति, जल प्रबन्ध व न्याय प्रबन्ध

के लिए समिति। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई उरू जो कि आजकल के गाँवों की भाँति ही थी का प्रबन्ध चलाने के लिए 30 सदस्यों की समिति एक वर्ष के लिए उरू के व्यस्कों द्वारा ही चुनी जाती थी। प्रत्येक उरू को 30 खण्डों में विभाजित किया जाता था। प्रत्येक खण्ड के लोग एक से अधिक उमीदवारों के नामों की सिफारिश करते थे। इन उमीदवारों के नामों को ताड़ के पत्तों पर लिख कर एक डिब्बे में डाल दिया जाता था फिर डिब्बों में 30 ताड़ के पत्ते किसी बच्चे द्वारा निकलवाए जाते थे। जिनके नाम बच्चे द्वारा डिब्बे में से बाहर निकलते थे उन्हे सदस्य मान लिया जाता था। इस निर्वाचन ढंग को कददूबलाय कहा जाता था। परन्तु कुल मिला कर प्राचीन भारत में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सका। प्रशासनिक समितियाँ गाँवों का प्रबन्ध करने के लिए निर्णय प्रायः वृक्षों की छाया अथवा मंदिरों के प्राँगण में बैठ कर लेती थी।

3. मध्यकाल: यूरोप में 5वीं सदी से 15वीं सदी तक के समय को 'मध्यकाल' माना जाता है। भारत में यह काल 7वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक माना जाता है। इस युग को सामन्तवाद युग भी कहा जाता है। सामन्तवाद एक आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था थी। राजा सामंतों को भूमि बांट देता था जिसके बदले में वह सामंतों से आर्थिक व सैनिक सहायता लेता था। सामंत आगे कर्मियों (काश्तकारों) को भूमि बांट देते थे। कर्मियों को भूमि की उपज का थोड़ा भाग दिया जाता था। सामंत अत्याचारी होते थे। इस काल को 'अन्धकार युग' भी कहा जाता है। इस युग में लोकतंत्र के कोई अंश नहीं मिलते। जन साधारण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। इस युग के अंत तक पुनर्जागृति की लहर आरम्भ हो चुकी थी। परन्तु फिर भी इस काल में लोकतंत्र उभर कर नहीं आया। क्योंकि इस युग के हालात सामंतों के पक्ष में थे।

4. आधुनिक काल: शासकों की निरंकुश व दमनकारी नीतियों के विरुद्ध यूरोप में विरोधी प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। मॉर्टेस्क्यू, वाल्टेर व रूसो जैसे विद्वानों के प्रगतिशील विचारों ने राजाओं के जनता पर नियंत्रण को शिथिल कर दिया। राजाओं के देवी अधिकारों को इंग्लैड की संसद ने चुनौती दी। राजतंत्र को संवैधानिक बनाने के उद्देश्य से राजा के अधिकारों व शक्तियों का अत्यधिक सीमा तक सीमित कर दिया गया। अन्त में संसदीय लोकतंत्र की विजय हुई। इंग्लैड ने विश्व के लोगों को संसदीय लोकतंत्र अपनाने के लिए प्रेरित किया एवं लोकतांत्रिक आदर्शों को स्थापित किया।

लोकतंत्र में शासन करने की अंतिम शक्ति लोगों द्वारा निर्वाचित नेताओं के पास होती है लोगों को अपनी पसन्द के नेता के चुनाव की स्वंतत्रता होती है। लोकतंत्र प्रणाली में सार्वजनिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत लागू होता है। इसका अभिप्राय यह है कि लोकतंत्र में प्रभुसत्ता वास्तव में लोगों के पास होती है। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहिम लिंकन ने कहा है कि "लोकतंत्रीय सरकार लोगों की, लोगों के लिए और लोगों द्वारा निर्वाचित होती है। लोकतांत्रिक प्रणाली में कानून का शासन होता है एवं लोगों द्वारा बनाए संविधान को वैधानिक पक्ष से सर्वोच्चता प्राप्त होती है।

परिभाषा:

1. 'शीले' के अनुसार: लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभागी होता है।
2. यूनान के प्रसिद्ध लेखक हैरोडोटस के अनुसार प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें सर्वोच्च शक्ति लोगों के पास होती है।
3. लार्ड ब्राईस के अनुसार: लोकतंत्र वह शासन है जिसमें राज्य की शासन शक्ति किसी विशेष श्रेणी अथवा श्रेणियों के हाथों में न होकर समस्त समाज के हाथों में होती है।

छात्रो! क्या आप जानते हैं?

पंजाब में कौन कौन सी स्थानीय स्तर की संस्थाएँ ग्रामीण एवं शहिरी क्षेत्र में कार्यरत हैं?

अमेरिका में स्थापित अंग्रेज बस्तियों ने अंग्रजों के निरंकुश तंत्र के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा (1775-83) की क्रान्ति के पश्चात् अंग्रेजी प्रशासन से स्वंत्रता प्राप्त की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सार्वजनिक प्रभुसत्ता तथा अधिकारों के लिए पृष्ठभूमि तैयार की तथा अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान की रचना की। फ्रांस में 1789-94 की क्रांति के पश्चात् राजतंत्र का अन्त हो गया एवं फ्रांस गणतंत्र राष्ट्र बन गया। फ्रांस ने लोकतांत्रिक प्रणाली को चुना।

लोकतंत्र का स्वर्णिम युग: 20 वीं शती को लोकतंत्र का स्वर्णिम युग कहा जाता है। योरूप के लोगों का लोकतंत्र के प्रति रुझान आरंभ हो चुका था। ब्रिटिश एवं अमेरिका ने कहा कि प्रथम महायुद्ध (1914-18) लोकतांत्रिक सुरक्षा व आत्म निर्णय के सिद्धान्त के लिए लड़ा गया। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् कई नए राष्ट्र अस्तित्व में आए। इन राष्ट्रों ने लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाने को प्राथमिकता दी जो राष्ट्र साम्राज्यवाद के शिकार थे उन सभी ने स्वयं को साम्राज्यवाद से मुक्त करवाने के लिए वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने की इच्छा प्रकट की। परन्तु लोकतंत्र के स्वर्णिम युग का शीघ्र ही अंत हो गया। लोकतंत्र को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् इटली व जर्मनी में दो ऐसी लहरें चली जिन्होंने लोकतंत्र पर कुठाराघात किया। जर्मनी में नसलवादी विचारधारा नाज़ीवाद एवं इटली में फासीवादी विचारधारा के आगमन से लोकतांत्रिक प्रक्रिया जैसे ठप्प होकर रह गई। ये दोनों विचार धाराएँ साम्राज्यवाद की समर्थक थी। इन विचार धाराओं के कारण द्वितीय महायुद्ध का आरम्भ हुआ जो 1939 ई. से 1945 ई. तक चला।

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीपों के बहुत से राष्ट्रों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। 1947 को भारत को पूर्ण स्वाधीनता मिली तथा सन् 1950 में भारत प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। भारत में से एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान में लोकतंत्र का प्रचलन निरंतर न हो सका। यहाँ प्रायः सत्ता का नियंत्रण सैनिक जरनैलों के हाथों में रहा। जैसे 1958 ई. से 1968 ई. तक जनरल अयूब खां ने सैनिक तानाशाही स्थापित की। इसी प्रकार 1999 ई. में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट कर शासन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। इंडोनेशिया में राष्ट्रपति सुकार्नों (Sukarno) ने नियंत्रित लोकतंत्र स्थापित किया।

लोकतंत्र के विकास एवं विस्तार की ओर बढ़ते कदम:-

लोकतांत्रिक इतिहास के विषय में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि विश्व के राष्ट्रों में लोकतंत्र के विकास एवं विस्तार की दशा व दिशा कैसी रही है। क्या लोकतंत्र का विकास व विस्तार विश्व में निरंतर हो रहा है। क्या इसके मार्ग में कठिनाइयाँ आ रही हैं। लोकतंत्र के विकास व विस्तार का जानने के पश्चात् हम विश्व स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं की भी चर्चा करेंगे। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि विश्व स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यशीलता लोकतांत्रिक है अथवा इसमें कुछ त्रुटियाँ आ रही हैं।

लोकतंत्र के विकास व विस्तार को जानने के लिए हमें विश्व के कुछ देशों के उदाहरण लेने होंगे। सर्वप्रथम हम चिच्ची की उदाहरण लेते हैं जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। एलैंडे नामक व्यक्ति ने ची में सोशलस्ट नामक पार्टी का मार्गदर्शन किया। इस दल को राष्ट्रपति चुनाव में विजय प्राप्त हुई। 1970 ई.

में एलेण्डे चिच्ली का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पश्चात एलेण्डे ने निर्धनों व कर्मियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उसने शिक्षा प्रणाली में भी कई सुधार किए। बच्चों के लिए निःशुल्क दूध एवं भूमिहीन किसानों को भूमि वितरित की गई। उसने विदेशी कम्पनियों का विरोध किया जो राष्ट्र के प्राकृतिक साधनों का शोषण कर रही थी। जागीरदारों, अमीरों एवं चर्चे ने उसकी नीतियों का विरोध किया। चिच्ली की कुछ अन्य पार्टियों ने भी एलेण्डे की सरकार का विरोध किया।

11 सितम्बर 1973 ई., को सैनिक घड़यंत्र के द्वारा एलेण्डे को सत्ता छोड़ने के लिए विवश किया गया। एलेण्डे ने त्याग पत्र देने से मना कर दिया। सेना ने राष्ट्रपति भवन का घेराव कर आक्रमण कर दिया। इस सैनिक विद्रोह में एलेण्डे मारा गया। सत्ता सैनिक कमांडर पिनोस के हाथ आ गई। पिनोस ने लगभग, 17 वर्ष तक निर्वाचित सरकार के स्वयम्भू तानाशाह शासक की तरह शासन किया। इस दौरान लोकतंत्र के समर्थकों एवं उन सैन्य अधिकारियों जिन्होंने सैनिक घड़यंत्र में भाग नहीं लिया था को मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें चिच्ली वायु-सेना कमाण्डर जनरल अलबर्ट बैचलैट भी थे। जनरल बैचलैट की पुत्री मिसल बैचलैट व पत्नी को भी कैद कर लिया गया।

चिली में लोकतंत्र की पुनः स्थापना (Restoration of Democracy in Chile): पिनोसे (Pinochet) की सैनिक निंरु शता का अन्त सन् 1988 में हो गया जब उसने जनमत संगृह करवाने का निश्चय किया। पिनोसे को विश्वास था कि जनता उसे सत्ता पर बने रहने के लिए समर्थन देगी। परन्तु जनता अपनी लोकतांत्रिक परम्पराओं को भूली नहीं थी। अतः जनमत संगृह पिनोसे के विरुद्ध सिद्ध हुआ। पिनोसे को सैनिक तानाशाह के रूप में सत्ता छोड़ने पर विवश होना पड़ा। उस समय से चिच्ली में चार बार चुनाव हो चुके हैं जिनमें भिन्न भिन्न राजनैतिक दलों ने भाग लिया है। धीरे धीरे चिच्ली में सैनिक शासन समाप्त हो गया। लोगों को राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। निर्वाचित सरकार ने पिनोसे (Pinochet) के शासन काल में हुए अन्याय व दमन की जाँच करवाई। जिससे सिद्ध होता है कि पिनोसे शासन काल में लोगों पर न केवल अत्याचार ही हुआ अपितु उसके शासन काल में भ्रष्टाचार भी पूरे घौवन पर था।

जैसे वायु सेना के कमाण्डर जनरल अलबर्ट बैचलर की पुत्री मिसल एवं उसकी पत्नी को सैनिक निंरुशता स्थापित होने पर कारावास में डाल दिया गया एवं कठोर यातनाएँ दी गई। यही लड़की मिसल बैचलैट जनवरी 2006 में चिच्ली की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई।

पोलैंड में लोकतंत्र:- आओ अब हम एक अन्य घटना की चर्चा करें। सन् 1980 में पोलैंड में ‘पोलिस युनाइटेड वरकर्ज पार्टी’ नामक सरकार थी। यह पार्टी पूर्वी यूरोपीय देशों में शासन कर रही थी। उन देशों में किसी अन्य पार्टी को कार्य नहीं करने दिया जाता था। लोग अपने नेताओं का चुनाव स्वंत्रतापूर्वक नहीं कर सकते थे। पार्टी अथवा सरकार का विरोध करने वाले व्यक्ति को कारावास में डाल दिया जाता था। पोलैंड की सरकार को सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था जोकि उन दिनों एक विशाल व सशक्त साम्यवादी देश था।

14 अगस्त 1980 को ग्डांसक (Gdansk) नगर में लेनिन शिपयार्ड के कर्मियों ने हड़ताल कर दी। यह शिपयार्ड सरकार के अधीन था। वास्तव में पौलेण्ड में सभी कारखाने व संपत्ति सरकार के नियंत्रण में थी। यह हड़ताल एक महिला क्रेन कर्मी को पुनः नौकरी में लेने के लिए की गई थी जिसे अन्याय पूर्वक सेवा मुक्त कर दिया गया था। इस हड़ताल को पोलैंड की सरकार ने अवैध घोषित कर दिया था। क्योंकि पोलैंड में व्यापार संघ बनाना व हड़ताल करना वृजत था। परन्तु हड़ताल जारी रही। कुछ समय पश्चात् लेकवालेशा जो कि शिपयार्ड में इलैक्ट्रिशन था हड़ताल में सम्मिलित हो गया। लेकवालेशा (Lekwalesha) को 1976 में अधिक वेतन की मांग करने पर नौकरी से निकाल कर दिया गया। शीघ्र ही वालेशा एक नेता के रूप में उभर कर सामने आया। उसके भरसक प्रयत्नों के कारण हड़ताल व्यापक स्तर पर फैल गई। हड़ताल करने वालों ने स्वतंत्र व्यापक संघ बनाने की माँग की। उन्होंने राजनैतिक बंदियों को मुक्त करने व प्रैस पर प्रतिबंध उठाने की माँग भी की। अन्ततः सरकार को झुकना पड़ा। कूम्हयों ने वालेशा के मार्गदर्शन में सरकार के साथ 21 सूत्रीय समझौता

किया व हड़ताल समाप्त हो गई। हड़ताल के पश्चात् सरकार ने 'स्वतंत्र व्यापार संघ' बनाने एवम् कर्मियों द्वारा हड़ताल करने के अधिकार को स्वीकार कर लिया। इस समझौते के पश्चात् एक नए व्यापार संघ की स्थापना की गई। जिसका नाम 'सोलिडेरिटी (Solidarity)' रखा गया। वर्ष भर में सोलिडेरिटी संघ सम्पूर्ण पोलैंड में प्रसिद्ध हो गया तथा इसके लगभग एक करोड़ सदस्य बन गए। सरकार में व्याप्त स्तर पर फैले भ्रष्टाचार के कारण प्रशासन की स्थिति बिगड़ गई। जनरल जेरुजेलस्की (Jaruzelski) के मार्गदर्शन में चल रही सरकार ने देश में 1981 ई. में सैनिक शासन लागू कर दिया। सोलिडेरिटी संघ के हजारों कूमयों को बन्दी बना लिया गया। एक बार फिर अभिव्यक्ति व विरोध प्रकट करने की स्वतंत्रता को छीन लिया गया।

सोलिडेरिटी संघ के मार्गदर्शन में एक बार पुनः हड़ताल आरंभ हो गई। इस समय पोलिस सरकार कमज़ोर हो चुकी थी। उसे सोवियत संघ द्वारा समर्थन भी नहीं था। राष्ट्र की आर्थिक स्थिति पतनोन्मुख थी। वालेशा एवं सरकार में बातचीत हुई तथा 1989 में एक नया समझौता हुआ। जिसके अनुसार देश में स्वतंत्र चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया। सोलीडेरिटी संघ ने सीनेट की 100 सीटों पर चुनाव लड़ा जिसमें 99 सीटों पर उसने विजय प्राप्त की। 1990 ई. में पोलैंड में प्रथम बार राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव हुए। जिसमें एक से अधिक दलों ने भाग लिया। वालेसा पोलैंड का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ।

हमने उपर्युक्त दो देशों की वास्तविक कहानियाँ पढ़ी हैं। चिच्ची में 'एलण्डे' द्वारा लोकतंत्र सरकार संचालित की गई। 'फिनौस' के निरंकुश शासन के पश्चात् लोकतंत्र पुनः जीवित हो गया। मिसल बैचलेर राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। पोलैंड में अलोकतंत्रीय सरकार के पश्चात् लोकतंत्र की स्थापना हुई। इन दो उदाहरणों से मालूम होता है कि विश्व में लोकतंत्र का विकास एक सरल रेखा में नहीं हुआ। लोकतंत्र के विकास में कई बार बाधाएं आती रही परन्तु उसके पश्चात् पुनः लोकतंत्र जीवित होता रहा।

अब हम संक्षेप में गत 200 वर्षों में विश्व में लोकतंत्र के विस्तार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अध्याय के आरम्भ में फ्रांस की 1789 ई. की भव्य क्रांति की चर्चा हुई है पर इस क्रांति के बाद फ्रांस में निरन्तर लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सका। 19वीं शती में फ्रांस में कई बार निरंकुश शासन स्थापित हुआ एवम् तत्पश्चात् लोकतंत्र पुनः स्थापित हुआ। परन्तु एक बात वर्णनीय है कि फ्रांस की क्रांति ने योरूप के कई राष्ट्रों में लोकतांत्रिक लहर को जन्म दिया। बिट्रेन में लोकतंत्र का आरम्भ फ्रांस की क्रांति से पूर्व हो चुका था। परन्तु इस की गति अत्यन्त धीमी थी। 18वीं व 19वीं शती में घटित घटनाओं ने राजतंत्र और सामंतवादी शक्तियों को काफी सीमा तक कम कर दिया। उत्तरी अमेरिका में स्थापित ब्रिटिश कालोनियाँ को संघर्ष के पश्चात् 1776 में स्वतंत्रता मिल गई। अगामी कुछ वर्षों में इन कालोनियों ने एकत्र होकर संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की। अमेरिका ने 1787 ई. में लोकतांत्रिक संविधान को ग्रहण किया। परन्तु मताधिकार कुछ लोगों तक ही सीमित रखा गया। 19वीं सदी में लोकतंत्र तीन मुख्य बातों पर केन्द्रित रहा। राजनैतिक समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय। इन आंदोलनों में सभी वयस्क नागरिकों ने मत के अधिकार की मांग की। योरूप के बहुत से लोग जिस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपना रहे थे आरम्भ में उसमें सभी नागरिकों को मत का अधिकार नहीं दिया गया था। कुछ देशों में मताधिकार केवल उन लोगों को प्रदान किया गया था जिनके पास संपत्ति थी। प्रायः महिलाओं को भी यह अधिकार प्राप्त नहीं था 1965 ई. तक संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेत लोगों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। जो लोग लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयासरत थे उन्होंने सर्वव्यापक वयस्क मताधिकार की मांग की। पुरुष अथवा महिला, अमीर या गरीब श्वेत या अश्वेत सभी के लिए मताधिकार की मांग ने ज़ोर पकड़ा।

सर्वव्यापक वयस्क मताधिकार

सभी नागरिकों को वर्ण, नस्ल, जन्म, जाति, धर्म व लिंग के भेदभाव के बिना एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर मत का अधिकार प्रदान किया जाता है इस अधिकार को सर्व व्यापक वयस्क मताधिकार कहते हैं।


प्रिय छात्रों!

अपने अध्यापक जी के साथ उस देश का नाम जानने का प्रयास करें जिसने संविधान लागू होने के तत्पश्चात ही अपने नागरिकों को सर्वव्यापक वयस्क मताधिकार प्रदान कर दिया

लोकतंत्रीय देश दिखाते हुए संसार के नक्शे


मानचित्र 1.1

1900-1950 तक की लोकतंत्रीय सरकारें



मानचित्र 1.2

2000 तक की लोकतंत्रीय सरकारें



उपनिवेशवाद का अन्तः- अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीप के देश दीर्घकाल तक यूरोपियन जातियों की उपनिवेशवादी नीति का शिकार रहे। यूरोपियन जातियों ने इन राष्ट्रों की राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रणाली के ऊपर नियंत्रण किया हुआ था। उपनिवेशवादी देश इन राष्ट्रों के मानवीय एवं साधनों का शोषण करते रहे। उपनिवेशवाद के शिकार राष्ट्र के लोगों को स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए आंदोलन करने पड़ा। उनमें भारत भी एक था। हमारे भारत में स्वंत्रता प्राप्ति के लिए लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन चलाना पड़ा। द्वितीय महायुद्ध जो कि 1945 ई. में समाप्त हुआ, के पश्चात् एशिया व अफ्रीका के बहुत से देश यूरोपियन देशों की पराधीनता से मुक्त हो गए।

हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए राष्ट्रों ने लोकतंत्र प्रणाली अपनाने पर बल दिया। भारत ने भी स्वतंत्रता के उपरांत लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया जो कि अन्य राष्ट्रों की लोकतंत्रिक प्रणाली की अपेक्षा अधिक सफलतापूर्वक चल रही है। कुछ त्रुटियों के बावजूद हम भारत में लोकतंत्र के सफल भविष्य के प्रति आशान्वित हैं।

भारत की भाँति अफ्रीका महाद्वीप के देश 'घाना' में उपनिवेशवाद था वह देश भी अंग्रेजों के अधीन था। पहले यह गोल्डकोस्ट के नाम से जाना जाता था। यह अफ्रीका का पहला देश था जिसने 1957 में अंग्रेजों से स्वाधीनता प्राप्त की एवं अफ्रीका के अन्य देशों को भी स्वाधीनता के लिए प्रेरित किया। 'घाना' के एक महान् व्यक्ति कवामे नकरूमाह (Kwame Nkrumah) जो एक स्वर्णकार का पुत्र था, ने स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए नेतृत्व किया एवं अपने देश को स्वतंत्र कराया। वह घाना का प्रथम प्रधानमंत्री बना तथा तत्पश्चात राष्ट्रपति बन गया। वह पण्डित जवाहर लाल नेहरू के मित्र भी थे। इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए देश के लोगों को प्रेरित किया। उसने स्वयं को आजीवन काल तक राष्ट्रपति निर्वाचित करवा तो दिया पर शीघ्र ही 1996 ई. में उसके साम्राज्य को सैनिक घडयंत्र द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा घाना में सैनिक निरंकुशता स्थापित हो गई। घाना की भाँति जो राष्ट्र स्वतंत्रता के उपरांत लोकतंत्रीय बने वहाँ भी लोकतंत्र निरन्तर स्थापित नहीं हो सका। परन्तु भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् लोकतांत्रिक शासन प्रणाली चल रही है।

छात्रों! आपको बताया जाता है कि भारत दीर्घकाल तक उपनिवेश का शिकार रहा है। 1945 ई. के पश्चात् विश्व के अधिकांश देश उपनिवेशवाद नामक कुरीति से मुक्त हो गए।

1980 ई. के पश्चात् लोकतंत्र को एक अन्य बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई। लेटिन अमेरिका के बहुत से राष्ट्रों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। सोवियत संघ के टूटने से लोकतंत्र की गति तीव्र हो गई। जैसे हम पहले पोलैंड की चर्चा कर चुके हैं जिस पर सोवियत संघ का नियंत्रण था। पूर्वी योरूप में सोवियत संघ ने कई साम्यावादी राष्ट्रों पर नियंत्रण किया हुआ था। पोलैंड तथा कई अन्य देश 1989-90 ई. में सोवियत संघ के नियंत्रण से मुक्त हो गए। इन सभी राष्ट्रों ने लोकतांत्रिक प्रणाली को चुना। 1991 ई. में सोवियत संघ (जिसमें 15 देश सम्मिलित थे) का विभाजन हो गया। सोवियत संघ से अलग हुए राष्ट्रों ने भी लोकतंत्र शासन प्रणाली को चुना। पूर्वी योरूप के देशों पर सोवियत संघ का नियंत्रण हटने एवं सोवियत संघ के विभाजन के कारण विश्व का राजनैतिक मानविचित्र ही बदल गया। इस समय हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान व बंगला देश में एक बड़ा परिवर्तन आया है। इन दोनों देशों में 1990 ई. में सैनिक तानाशाही समाप्त हो गई एवं लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई। नेपाल के राजाओं ने अपनी बहुत सी शक्तियाँ जनता द्वारा निर्वाचित नेताओं को सौंप दी परन्तु 1999 ई. में पाकिस्तान की सत्ता सैनिक तानाशाह मुशर्रफ के हाथ आ गई। 2005 में नेपाल के नए राजा ने निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया। लोगों को पहले से प्राप्त राजनैतिक स्वतंत्रता वापिस ले ली गई। गत 100 वर्षों के रूझान से मालूम होता है कि

अधिकाँश राष्ट्रों में लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। सन् 2005 ई. में 140 राष्ट्रों में चुनाव सम्पन्न हुए जिसमें कई दलों ने चुनाव में भाग लिया। 1980 ई. के पश्चात लगभग 80 राष्ट्रों ने जहाँ पहले अलोकतांत्रिक व्यवस्था थी, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपना लिया गया। परन्तु विश्व के अभी भी बहुत से राष्ट्र ऐसे हैं जिन्हें मताधिकार तथा अपने नेता चुनने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

ऐसा ही एक राष्ट्र ‘म्यांमार’ है जिसे पहले बर्मा कहा जाता था यह देश 1948 ई. में उपनिवेशवाद से मुक्त हुआ तथा लोकतांत्रिक देश बना। परन्तु 1962 में लोकतांत्रिक शासन समाप्त हो गया एवम् देश में सैनिक तानाशाही स्थापित हो गई। 1990 ई. में लगभग 30 वर्षों के पश्चात् चुनाव करवाए गए। सूकी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक लीग ने चुनाव में विजय प्राप्त की परन्तु सैनिक तानाशाहों ने चुनाव परिणामों को पूर्णतः नकारत हुए सत्ता छोड़ने से इन्कार कर दिया। लोकतंत्र के समर्थकों व सूकी को बन्दी बना लिया गया। इसके बावजूद भी सूकी ने लोकतंत्र के इस संघर्ष को जारी रखा। अन्ततः इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली गई। ‘सूकी’ को शाँति के लिए नोबल पुस्कार भी प्राप्त हुआ। अभी तक भी लोग म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्षरत हैं।

अपने अध्यापक महोदय की सहायता से उन देशों के नाम लिखे जिन्होंने दीर्घ काल तक अन्य राष्ट्रों को उपनिवेशवाद का शिकार बनाया। केवल इंग्लैण्ड (ब्रिटेन) ही ऐसे राष्ट्रों की सूची में नहीं है अपितु अन्य औपनिवेशक शक्तियाँ भी हैं। उनके विषय में चर्चा करें।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना: अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई लोकतांत्रिक सरकार कार्यरत है अथवा नहीं। क्या ऐसी सरकार की बात विश्व के सभी देश मानते हैं। विश्व के कुछ ऐसे स्थान हैं जिस पर किसी भी देश का नियंत्रण नहीं। ऐसे स्थानों के प्रबन्ध के लिए कौन सी सरकार विधान बनाती है। क्या ऐसी सरकार की कार्य शीलता लोकतांत्रिक है। इस सम्बन्ध में पहला सत्य तो यह है कि विश्व में कोई भी ऐसी सरकार नहीं जो समस्त राष्ट्रों की सरकारों को आदेश दे सके। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी संस्थाएँ अवश्य हैं जो विश्व में शाँति स्थापित करने, विश्व के राष्ट्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने, निर्धन राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देने, संसार में पर्यावरण पर उत्पन्न हुए संकट का नियंत्रण करने, राष्ट्रों के पारस्परिक अतिक्रमण को रोकने एवम् विश्व में सामाजिक समानता लाने के लिए प्रयासरत है। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की कार्यशीलता लोकतांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित है या नहीं?

अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ का उदाहरण लेते हैं। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। अब तक इसके 193 राष्ट्र सदस्य हैं इस की एक संसद भी है जहाँ प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एकमत, एकसमान मताधिकार प्राप्त है इस संसद को ‘महासभा’ का नाम दिया गया है जिसमें सभी देशों के सदस्य विश्व की समस्याओं के सम्बन्ध में विचार विमर्श करते हैं। महा सभा का एक प्रधान होता है जिसे चेयरमैन कहते हैं। सचिवालय के प्रमुख को महासचिव कहा जाता है सभाओं की कार्यवाही चेयरमैन के निर्देशन में होती है। महा सभा में निर्णय सदस्य देशों के परामर्श से लिए जाते हैं। महा सभा की कार्यशीलता लोकतांत्रिक प्रतीत तो होती है परन्तु महा सभा राष्ट्रों के मध्य किसी झगड़े को निपटाने का निर्णय नहीं ले सकती। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद इस प्रकार के झगड़ों के निपटाने सम्बन्धी निर्णय लेती है। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं जिसमें 5 स्थायी व 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्य काल दो वर्ष है जो कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में ही चलता रहता है। भारत भी

कई बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस एवं चीन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं इन पाँच सदस्यों के पास 'वीटो शक्ति' है। वीटो शक्ति का अभिप्राय है न कहने की शक्ति। अर्थात् अगर पाँच सदस्यों में कोई भी वीटो के अधिकार का प्रयोग करता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। सुरक्षा परिषद विश्व में शाँति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। सुरक्षा परिषद् राष्ट्रों के पारस्परिक आक्रमणों को रोकने का प्रयास करती है गलती करने वाले देश के विरुद्ध सदस्य देशों की सेना द्वारा कार्यवाही की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के प्रबन्धन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण योगदान देता है।

प्रिय छात्रों!

संयुक्त राष्ट्र संघ (यू.एन.ओ.) नामक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था का जन्म 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। जिसके प्राथमिक सदस्यों की संख्या 51 थी भारत भी संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक सदस्य था।

अब हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की एक अन्य संस्था की बात करते हैं। इसका नाम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) है। यह संस्था विश्व भर के राष्ट्रों को रिण देती है। इस संस्था के 188 राष्ट्र सदस्य हैं सभी के पास मत का अधिकार है प्रत्येक सदस्य देश के मत की शक्ति उस देश द्वारा इस संस्था को दी गई राशि के अनुसार निश्चित की जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 52% मत शक्ति केवल 10 राष्ट्रों के पास है। इन राष्ट्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, चीन, इटली, साऊदी अरब, केनेडा एवं रूस हैं। शेष 178 राष्ट्रों की शक्ति बहुत कम है। अतः इन 178 राष्ट्रों के पास अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में निर्णय लेने में बहुत कम भूमिका होती है। तीसरी बड़ी संस्था है विश्व बैंक (Word Bank) इसकी व्यवस्था भी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भाँति ही है। विश्व बैंक का प्रमुख हमेशा संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को ही बनाया जाता है।

अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या उपर्युक्त संस्थाओं का कार्य करने का ढंग लोकतांत्रिक है अथवा नहीं। मान लीजिए किसी सरकार के मंत्रिमंडल में पाँच मंत्रियों को वीटो-शक्ति दे दी जाती है जो मंत्रिमंडल के किसी भी निर्णय को रद्द कर सके तो ऐसी सरकार को लोकतांत्रिक कैसे कह सकते हैं। अगर किसी राष्ट्र की संसद में कुछ सदस्यों के मत की शक्ति अन्य सदस्यों की मतशक्ति से अधिक हो तो क्या उस संसद को हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं?

अधिकांश अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं लोकतांत्रिक सिद्धान्तों पर खड़ी नहीं उत्तरती हैं यदि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ लोकतांत्रिक नहीं हैं तो क्या ये संस्थाएँ पहले से अधिक लोकतांत्रिय बन रही हैं? यहाँ भी हमें कोई उत्साह वर्द्धक प्रमाण नहीं मिलता। वास्तव में जैसे जैसे विश्व के राष्ट्र लोकतांत्रिक बन रहे हैं वैसे ही अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ कम लोकतांत्रिक हो रही हैं! लगभग 27 वर्ष पूर्व विश्व की दो महा शक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका एवं भूतपूर्व सोवियत संघ थे। इन दो महा शक्तियों के कारण संसार में अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सन्तुलन बना रहा परन्तु 1991 में सोवियत संघ के विघटन के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका महा शक्ति बन गया है। अमेरिका का बढ़ रही प्रमुखता अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की कार्यशीलता को प्रभावित कर रहा है।



संयुक्त राष्ट्रीय संघ की तस्वीर

क्या विश्व के शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश एवम् बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ लोकतंत्र के लिए संकट हैं।

विश्व के शक्तिशाली देश अलोकतांत्रिक राष्ट्रों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए सैनिक कार्यवाही कर रहे हैं। उन राष्ट्रों में अपनी पसंद की सरकार की स्थापना कर रहे हैं। क्या ऐसा करना लोकतांत्रिक है। बिल्कुल नहीं। हिंसात्मक साधनों के द्वारा लोकतंत्र की स्थापना करना लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सैनिक कार्यवाही द्वारा किसी अलोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की स्थापना होने से उस राष्ट्र में लोकतंत्र दीर्घ काल तक चल सकेगा या नहीं। जिस देश के लोग लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हो वहाँ के लोगों की सहायता करना लोकतांत्रिक है अथवा नहीं। आओ! इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करें।

सर्वप्रथम हम इराक का उदाहरण लें। इराक पश्चिमी एशिया का देश है यह 1932 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुआ। तीन दशकों के पश्चात सैनिक अधिकारियों द्वारा सत्ता पलटने के कई प्रयास हुए। सन् 1968 तक इराक में अरब समाजवादी पार्टी का शासन रहा। इसके पश्चात इस दल का नेतृत्व सद्दाम हुसैन ने किया एवम् षड्यंत्र द्वारा सत्ता प्राप्त की। इस पार्टी ने कई पारम्परिक इस्लामिक कानूनों को समाप्त किया। महिलाओं को मताधिकार दिया गया तथा कई प्रकार की स्वतंत्रता भी दी गई। जो कि अन्य इस्लामिक राष्ट्रों में नहीं दी गई। सद्दाम हुसैन 1979 ई. में इराक का राष्ट्रपति बन गया एवम् एक निरंकुश शासक की भाँति सरकार चलाने लगा। कहा जाता है कि उसने अपने बहुत से विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया एवम् कई अन्य अल्पसँख्यक समुदायों के लोगों का नरसंहार भी किया।

अमेरिका एवम् इंग्लैण्ड ने इराक पर दोषारोपण किया कि उसके पास परमाणु एवम् घातक हथियार हैं जिनसे विश्व शाँति को भयंकर संकट है। इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का दल इराक भेजा गया। परन्तु इस दल को भी इराक में कोई परमाणु 'व' व्यापक स्तर पर घातक हथियार नहीं मिले। फिर भी अमेरिका व इसके सहयोगी राष्ट्रों ने 2003 ई. में इराक पर आक्रमण कर दिया। सद्दाम को सत्ता से हटाकर अपने पसंद की सरकार स्थापित की। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव ने इस कार्यवाही को अवैध करार दिया। अमेरिका व इसके सम्बंधित राष्ट्रों की यह कार्यवाही अलोकतांत्रिक थी।

आओ! अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विषय में थोड़ा विचार-विमर्श करें। क्या यह अप्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यवाद फैला रही हैं। क्या ये कम्पनियां लोकतंत्र के लिए कोई संकट तो नहीं। आजकल विकासशील व पिछड़े राष्ट्रों ने भी खुली प्रतिस्पद्धि व वैश्वकरण की नीति को अपना लिया है। इस नीति के अन्तर्गत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों इन राष्ट्रों में अपना व्यवसाय कर रही है। इन कम्पनियों का एक मात्र उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना है। जिस कारण लोगों को उपलब्ध सेवाएं दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। जन साधारण को कम्पनियों द्वारा किसी न किसी रूप में शोषित किया जा रहा है। वर्तमान सरकारें देखने में भले ही लोकतंत्रिक प्रतीत हो रही हो परन्तु इन्हें राष्ट्रों के व्यापारिक परिवार ही चला रहें हैं। इन व्यापारिक परिवारों का बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर एकाधिकार सा है इसलिए सरकार की नीतियों को अपने पक्ष में करने में सफल हो जाते हैं इन कम्पनियों ने गरीब व अमीर में अन्तर को और बढ़ा दिया है। इन व्यापारिक कम्पनियों व शक्तिशाली राष्ट्रों के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा बनानी होगी। तभी विश्व में यदार्थ लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगी।

विद्यार्थियों! आपकी जानकारी के लिए बताया जाता है-कि स्वदेशी कम्पनियों के उत्पादन करने से लोगों को जहाँ देश में ही आजीविका मिलती है वहाँ आय भी अपने ही राष्ट्र में रहती है।

अभ्यास

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न

◆ (क) रिक्त स्थान भरें:-

1. चोल शासकों के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई..... थी।
2. ने चिल्ली में सोशलिस्ट पार्टी का मार्गदर्शन किया।

◆ (ख) निम्नलिखित कथनों में सही के लिए तथा गलत के लिए चिन्ह लगाएं।

1. भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ()
2. हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में लोकतंत्र निरन्तर चल रहा है। ()

◆ (ग) बहुविकल्पी प्रश्न

1. निम्नलिखित में किस देश ने दुनिया के देशों को संसदीय लोकतंत्र प्रणाली अपनाने की प्रेरणा दी-
 (अ) जर्मनी (आ) फ्राँस (इ) इंग्लैंड (ई) चीन
2. निम्नलिखित देशों में 'वीटो शक्ति' किस देश के पास नहीं है?
 (अ) भारत (आ) अमेरिका (इ) फ्राँस (ई) चीन

2. अति लघु उत्तरों वाले प्रश्न:-

1. आजकल विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई जा रही है।
2. प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् इटली व जर्मनी में प्रचलित विचारधाराओं के नाम लिखें जिनके कारण लोकतंत्र को भीषण झटका लगा।
3. 'एलैंडे' चिल्ली का राष्ट्रपति कब चुना गया।
4. 'चिल्ली' में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना कब हुई।
5. 'पोलैंड' में लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग के लिए हड़ताल की कार्यवाही किसने की?
6. पोलैण्ड में राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम बार चुनाव कब हुआ तथा राष्ट्रपति पद के लिए कौन निर्वाचित हुआ।
7. भारत में सर्वव्यापक वयस्क मताधिकार कब दिया गया।
8. कौन से दो बड़े महाद्वीप उपनिवेशवाद का शिकार रहे हैं।
9. दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के देश घाना को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई।
10. हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में किस सैनिक कमाण्डर ने 1999 में निर्वाचित सरकार की सत्ता पर अधिकार कर लिया।
11. दो अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम लिखें।
12. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संस्था क्या कार्य करती है।
13. संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने राष्ट्र सदस्य हैं?
14. विश्व भर में प्रचलित शासन प्रणालियों के नाम लिखें।

3. लघु उत्तरों वाले प्रश्न

1. सर्वव्यापक वयस्क मताधिकार से आपका क्या अभिप्राय है।
2. चौलवंश के शासकों के समय स्थानीय स्तर के लोकतंत्र पर नोट लिखें।
3. वीटो शक्ति से क्या अभिप्राय है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो शक्ति किन राष्ट्रों के पास है।
4. हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में लोकतंत्र के इतिहास पर नोट लिखें।
5. 'चिल्ली' के लोकतंत्र के इतिहास पर नोट लिखें।
6. अफ्रीका महाद्वीप के देश 'घाना' की स्वतंत्रता के लिए किस व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घाना की स्वतंत्रता का अफ्रीका के अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा?
7. चोल वंश के शासकों के समय स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए अपनाई गई निर्वाचन पद्धति का वर्णन करें।

4. दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न

1. 'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' पर संक्षिप्त निबन्ध लिखें।
2. 'संयुक्त राष्ट्र संघ' पर संक्षिप्त निबन्ध लिखें।
3. यूनान व रोम में प्राचीनकाल में लोकतंत्र के विकास पर संक्षेप नोट लिखें।
4. बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ आधुनिक युम में लोकतंत्र के खतरा है- इस की व्याख्या करें।



प्रिय विद्यार्थियों। इस अध्याय में हम लोकतंत्र सम्बन्धी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे

- ◆ लोकतंत्र का अर्थ क्या है।
- ◆ लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं।
- ◆ लोकतंत्र का महत्व क्या है।
- ◆ लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाएँ कौन सी हैं।
- ◆ लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी शर्तें अनिवार्य हैं।

उपर्युक्त प्रश्नों के अतिरिक्त यह जानने में सक्षम हो जाओगे कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली व अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्या अन्तर है। सर्वप्रथम हम लोकतंत्र के शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयास करेंगे तत्पश्चात् इसके विस्तृत अर्थ के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करेंगे।

लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ:-

लोकतंत्र अंग्रेज़ी भाषा के शब्द ‘डेमोक्रेसी’ का हिन्दी अनुवाद है। Democracy शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों Demos व cratia से बना है। Demos का अर्थ है लोग व cratia का अर्थ है शासन अर्थात् लोगों का शासन। लोकतंत्र के अर्थ को विद्वानों ने भिन्न ढंगों से व्यक्त किया है। कुछ विद्वान लोकतंत्र को सरकार का रूप मानते हैं जिसमें लोग राजनैतिक शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं। शासक लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं।

तथा जनता के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाते हैं जबकि अन्य विद्वान लोकतंत्र को सरकार के रूप के अतिरिक्त एक जीवन शैली, विचारों व दृष्टिकोण का संग्रह मानते हैं जो मनुष्य का मनुष्य के प्रति व्यवहार को प्रेरित व नेतृत्व करते हैं। ये विचार और दृष्टिकोण केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही प्रेरणा व नेतृत्व नहीं देता अपितु सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में भी मार्गदर्शन करते हैं।

लोकतंत्र का स्वरूप:- लोकतंत्र एक ऐसा संगठनात्मक प्रबन्ध है जिसमें राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए लोगों की स्वतंत्र रूप में प्रतिभागिता को विश्वसनीय बनाया जाता है। लोकतंत्र में लोग सरकार पर नियंत्रण रखते हैं कई बार लोकतंत्र को सभी लोगों का शासन कहा जाता है यह मात्र एक कल्पना ही है। क्योंकि सभी लोग एक मत नहीं हो सकते। कई बार लोकतंत्र को बहुसंख्यकों का शासन भी कहा जाता है। यह भी ठीक नहीं। उदाहरण के तौर पर कई बार एक अराजकतावादी शक्ति के बल पर बहुसंख्यकों का समर्थन, प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो क्या हम इस प्रकार के शासन को लोकतंत्र कहेंगे।

चुनाव करने की स्वतंत्रता ही लोकतंत्र का मूल आधार है। लोकतंत्र का अस्तित्व विचारों की भिन्नता में ही है। प्रत्येक व्यक्ति का राष्ट्र की समस्याओं को हल करने का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। लोकतंत्र में विचारों की भिन्नता का समाधान गोलियों से नहीं अपितु मतों से किया जाता है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। चुनाव में कोई एक विचार धारा बहुसंख्यक लोगों को अपने पक्ष में करने में सफल हो जाती है। यही विचार धारा राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने में सफल हो जाती है।

राजनैतिक दल विचारधारा के यंत्र हैं। विचारों की भिन्नता के कारण ही भिन्न भिन्न राजनैतिक दलों का अस्तित्व होता है राजनैतिक दल इस प्रकार के यंत्र हैं जिनके द्वारा भिन्न भिन्न विचारों को समाज में प्रकट किया जाता है। फिर इसे राज्य स्तर पर अभिव्यक्त किया जाता है। राजनैतिक दल लोकतंत्र में जनता एवम् राजनैतिक शक्ति (सरकार) में एक सेतु का कार्य करते हैं।

उपर्युक्त विचार विमर्श के पश्चात् लोकतंत्र के सम्बंध में निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं:-

1. भिन्न भिन्न विचारों एवम् राजनैतिक दलों का अस्तित्व।
2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
3. सर्वव्यापक वयस्क मताधिकार।
4. नियतकाली चुनाव।

अतः लोकतंत्र आदर्श सैद्धांतिक रूप में जन्म एवम् धन के आधार पर विशेषाधिकार वाले प्रबन्ध की निंदा करता है। लोकतंत्र एक ऐसे समाज की माँग करता है जिसके नागरिकों में स्वतंत्रता, समानता, न्यायशीलता व चेतनता आदि गुणों का सम्मावेश हो। लोकतंत्र समाज में भिन्न भिन्न वर्गों के अस्तित्व को स्वीकार करता है। वर्तमान युग में प्रत्येक देश में विभिन्न धर्म व नस्ल के लोग रहते हैं। लोकतंत्र विभिन्नता में एकता की माँग करता है। लोकतंत्र अन्तर्राज्य प्रबन्धों में न्याय एवं तर्क के आधार पर आत्म निर्णय का समर्थन करता है। अन्तर्राज्य संबन्धों में प्रभुसत्ता की शक्ति लोकतंत्र के उद्देश्य को आघात पहुँचाती है।

लोकतंत्र की परिभाषा:-

अब्राहिम लिंकन:- लोकतंत्र लोगों की, लोगों के लिए एवं लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार है।

सीले:- लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागेदारी होती है।

हालः- लोकतंत्र एक ऐसा राजनैतिक संगठन है जिसमें नियंत्रण जनमत द्वारा होता है।

डाइसीः- लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक दल समस्त राष्ट्र का तुलनात्मक रूप में एक बहुत बड़ा भाग होता है।

ब्राइसः- लोकतंत्र सभी लोगों के शासन के अतिरिक्त और कुछ नहीं जिसमें जनता अपनी प्रभुसत्ता की इच्छा की अभिव्यक्ति मतों द्वारा करती है।

लोकतंत्र की किसी एक अकेली परिभाषा द्वारा लोकतंत्र का बखान नहीं किया जा सकता। अतः लोकतंत्र के अर्थ को भली प्रकार समझने के लिए हमें लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धान्तों का परिचय प्राप्त करना होगा जो कि इस प्रकार हैं-

लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धान्तः-

1. लोकतंत्र सभी व्यक्तियों को विचार प्रकट करने, आलोचना करने एवं दूसरों से असहमत होने का अधिकार प्रदान करता है।
2. लोकतंत्र सहिष्णुता के सिद्धान्त पर आधारित है। लोकतंत्र में अपना विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है।
3. लोकतंत्र में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर झगड़ों का निपटारा पर प्रेरणा एवं शान्तिपूर्वक ढंग द्वारा किया जाता है।
4. लोकतंत्र स्पष्ट रूप में हिंसात्मक साधनों के विरुद्ध है भले ही ये समाज के हित के लिए ही प्रयोग किए जाते हों।
5. समाज के हित के नाम पर जो सरकार अनुचित बल व दमन का प्रयोग करती है उसे लोकतांत्रिक सरकार नहीं कह सकते।
6. लोकतंत्र मनुष्य के व्यक्तित्व के गौरव को विश्वसनीय बनाता है इसी कारण लोकतांत्रिक देशों में व्यक्तियों को कई प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं।
7. लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें प्रभुसत्ता जनता के पास होती है।
8. व्यावहारिक रूप में लोकतंत्र बहुसँख्यकों का शासन होता है जिसमें अल्पसँख्यकों के अधिकारों के सरंक्षण का भी पूर्ण ध्यान रखा जाता है।
9. लोकतंत्र जन प्रतिनिधित्व की सरकार होती है जो कि वयस्क नागरिकों द्वारा निर्वाचित होते हैं वयस्कों को स्वतंत्रापूर्वक, बिना किसी भय व दबाव के मतों द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने की स्वतंत्रता होती है।
10. लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा स्वीकृत किए संविधान अनुसार कार्य करती है।



अब्राहिम लिंकन

11. लोकतंत्र में सम्पूर्ण जन समुदाय के हित को सम्मुख रखा जाता है।
12. लोकतंत्र में संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा सरकार को बदला जा सकता है। लोकतंत्र हिंसात्मक विद्रोही प्रक्रिया द्वारा सरकार को बदलने के विरुद्ध है।

लोकतंत्र का महत्व:- प्रत्येक शासन प्रणाली के अपने-अपने गुण-दोष होते हैं परन्तु वर्तमान युग में लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया जा रहा है। चाहे लोकतंत्र शासन प्रणाली में अपनी कुछ कमियाँ हैं? परन्तु यह शासन प्रणाली फिर भी विश्व की अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके महत्व के लिए निम्नलिखित बातों को जानना अत्यावश्यक है -

(i) रक्तपात क्रांति की कम आशंका: लोकतंत्र शासन प्रणाली में लो सरकार को शान्तिपूर्ण ढंग से अपने मत का प्रयोग करके बदल सकते हैं लोगों को सरकार बदलने के लिए किसी खूनी क्रांति की ज़रूरत नहीं पड़ती। 'बुलेट' की अपेक्षा बैलेट के प्रयोग से सरकार बदली जा सकती है।

(ii) देश भक्ति की भावना में वृद्धि : लोकतंत्र शासन प्रणाली लोगों में देश भक्ति की भावना उत्पन्न करती है जनता अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करते हुए गौरवान्वित होती है। उनमें यह भावना आती है कि राष्ट्र के शासन चलाने में उनकी भी भागेदारी या योगदान है।

(iii) लोकतंत्र समानता पर आधारित: लोकतंत्र का स्वरूप नैतिक है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। लोकतंत्र में अमीर व ग़रीब व्यक्ति को अपना वोट डालने अथवा अभिव्यक्ति की की स्वतंत्रता में समावता होती है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य एक समान माना जाता है।

(iv) जनमत का प्रतिनिधित्व:- लोकतंत्र सरकार वास्तव में लोगों की प्रतिनिधि होती है। लोकतंत्र सरकार लोगों की इच्छानुसार कानून बनाती है। लोकतंत्र सरकार जनमत की अवहेलना नहीं कर सकती है। जो सरकार जनमत की अवहेलना करती है लोग उसे आगामी चुनाव में बदल देते हैं।

(v) लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षक:- केवल लोकतंत्र शासन में ही व्यक्तियों की स्वतंत्रता व अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। लोकतंत्र में विचार प्रकट करने, बिना हथियार इकट्ठे होने व संघ बनाने की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जा सकता है। लोकतंत्र में प्रैस को भी स्वतंत्र रखा गया है। लावेल के अनुसार, "पूर्ण लोकतंत्र में कोई भी यह शिकायत नहीं कर सकता कि उसकी बात नहीं सुनी गई।"

(vi) लोकतंत्र में लोगों को राजनैतिक शिक्षा एवम् चेतनता:- लोकतंत्र में नियमित समय पर चुनाव होते हैं। चुनाव प्रचार द्वारा लोगों को राजनैतिक शिक्षा व चेतनता प्राप्त होती है। भिन्न भिन्न राजनैतिक दल चुनाव के समय अपनी नीति व कार्यक्रम लोगों के सामने रखते हैं मतदाता अपनी बुद्धि व तर्क शक्ति के आधार पर भिन्न भिन्न दलों की नीतियों व कार्यक्रमों का मूल्यांकन करके अपने पसन्द के दल के उमीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं सी.डी. बर्नज के अनुसार: 'सभी प्रकार की शासन प्रणालियाँ शिक्षा का साधन है' पर स्वैशिक्षा सबसे श्रेष्ठ साधन है इस लिए सब से बढ़िया सरकार स्वै सरकार है जो कि लोकतंत्र है।'

(vii) लोकतंत्र शाँति व प्रगति का सूचक: लोकतंत्र में शाँति की व्यवस्था बनी रहती है। लोकतंत्र ही एक ऐसी सरकार है जिसमें शाँति के कारण अधिक प्रगति होती है। यह प्रणाली लोगों को शाँतिपूर्वक रहने के योग्य बनाती है। लोगों को विकास एवम् प्रगति की राह पर चलने की प्रेरणा देती है।

(viii) लोकतंत्र में जनता में नैतिक गुणों का विकास : लोकतंत्र अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा



लोगों में नैतिक गुण अधिक उत्पन्न करती है। लोगों के आचरण के उत्थान में मदद करती है। यह प्रणाली लोगों को सहनशीलता, सहयोग व आत्मबलिदान जैसे नैतिक गुणों की शिक्षा देती है।

उपर्युक्त शीर्षकों के अध्ययन के पश्चात् हम लोकतंत्र के महत्व से भली भाँति विदित हो गए हैं। जो अधिकार व स्वतंत्रता लोगों को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में प्राप्त है वह अन्य किसी शासन प्रणाली में नहीं। इसलिए आधुनिक युग में इस शासन प्रणाली को सर्वप्रिय माना जाता है।

लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाएँ

निःसन्देह लोकतंत्र अत्यन्त सर्वप्रिय शासन प्रणाली है परन्तु लोकतंत्र के मार्ग में कई बाधाएं आ रही हैं जिससे यह पूर्णतः सफलतापूर्वक नहीं चल रहा। इन बाधाओं का वर्णन निम्नलिखित अनुसार है:-

(i) क्षेत्रवादः- लोगों के अन्दर क्षेत्रवाद की संकीर्ण भावना लोकतंत्र के लिए अत्यन्त गंभीर संकट है। क्षेत्रवाद की भावना लोगों की मानसिकता को संकीर्ण कर देती है। वे राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा क्षेत्रीय हितों को अधिक महत्व देते हैं जिससे राष्ट्रीय एकता भंग होती है।

(ii) रूग्णता (बीमारी):- रूग्णता लोकतंत्र के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। लम्बी बीमारी भोग रहे व्यक्तियों की सार्वजनिक कार्यों व समस्याओं के समाधान में कोई रुचि नहीं रहती।

(iii) जातिवाद एवम् साम्प्रदायिकता:- जातिवाद एवम् साम्प्रदायिकता का शाप समाज में घृणा व तनाव उत्पन्न करता है। जातिवाद एवम् साम्प्रदायिकता देश की एकता व अखंडता के लिए घातक सिद्ध होती हैं।

(iv) निरक्षरता (अशिक्षा):- निरक्षरता लोकतंत्र का सबसे बड़ा शत्रु है। निरक्षरता के कारण लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन होता है। अनपढ़ व्यक्ति लोकतंत्र में मुख्य भूमिका नहीं निभा सकता। उसे राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक समस्याओं की पूर्ण जानकारी नहीं होती। अनपढ़ व्यक्ति चालाक एवम् स्वार्थी नेताओं के झूठे वायदों का शिकार होकर अपने मताधिकार का उचित प्रयोग नहीं कर पाते।

(v) निर्धनता :- लोकतंत्र के रास्ते में निर्धनता भी एक बहुत बड़ी बाधा है। निर्धन व्यक्ति अपने मत को बेचने के लिए बाध्य हो जाता है। वह अपने विचारों को खुलकर प्रकट भी नहीं कर पाता। कई बार तो वह अपने मत का प्रयोग ही नहीं करता। निर्धनता लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। धनवान् व्यक्ति निर्धन व्यक्तियों के मत खरीदने में भी सफल हो जाते हैं।

(vi) उदासीनता:- उदासीन एवम् आलसी लोग समाज पर एक बोझ होते हैं क्योंकि उदासीन व आलसी लोग राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले पाते। वे अपने मताधिकार का समुचित प्रयोग नहीं करते। नेताओं के

प्रिय छात्रों ! शिक्षित 'व' चेतन नागरिक होने के नाते आप अपने विद्यालय, गाँव व नगर में क्या-क्या सुधार कर सकते हैं? चर्चा करें।

भाषण सुनने व रैली में जाने की उनकी कोई रुचि नहीं होती। ऐसे लोग लोकतंत्र के लिए संकट पैदा करते हैं।

उपर्युक्त बाधाओं के अतिरिक्त आदर्श, सैद्धान्तिक व संगठित राजनैतिक दलों का अभाव, दिन व दिन बढ़ रहा भ्रष्टाचार, राजनैतिक दलों के प्रति विश्वाहीनता, राष्ट्रीयता की भावना में कमी एवम् विपक्षी दलों में सकारात्मक चिंतन का अभाव जैसी समस्याएं भारतीय लोकतंत्र को विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र बनने के मार्ग में गंभीर समस्याएं हैं।

अब हम लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तों का वर्णन करेंगे।

लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें (दशाएँ):-

(1) राजनैतिक स्वतंत्रता:- लोकतंत्र की सफलता के लिए लोगों को भाषण देने, विचार व्यक्त करने, इकट्ठे होने व संघ बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोगों को सरकार की अनुचित नीतियों की आलोचना करने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए।

(2) आर्थिक समानता:- राजनैतिक लोकतंत्र आर्थिक समानता के बिना अधूरा है। बड़े स्तर पर आर्थिक असमानताएं क्रांति को जन्म देती हैं। पूर्णतः आर्थिक समानता संभव नहीं परन्तु प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं अवश्य पूरी होनी चाहिए। व्यक्ति का व्यक्ति द्वारा शोषण नहीं होना चाहिए। देश के आर्थिक साधनों का लाभ सभी व्यक्तियों तक पहुँचना चाहिए। राष्ट्रीय धन कुछेक व्यक्तियों के हाथों में इकट्ठा न होने दिया जाए।

(3) सामाजिक समानता:- सामाजिक समानता लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी शर्त है। समाज में नस्ल, धर्म, लिंग, जन्म व जाति के आधार पर कोई भेद भाव नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र विशेष अधिकारों पर आधारित कुलीनतंत्र को नष्ट करने की मार्ग करता है एवम् कर्मियों व किसानों का पूंजीपति वर्ग द्वारा हो रहे शोषण को समाप्त करने की मांग करता है।

(4) साक्षरता :- साक्षर नागरिक लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। केवल शिक्षित लोग ही राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक समस्याओं को समझ सकते हैं एवम् उनका समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षा लोगों के मन में उदारवादी प्रवृत्ति पैदा करती है उदारवादी विचार लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी हैं।

(5) नैतिक आचरण:- ऊँचे आचरण वाले लोग लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। यदि देश के लोग, राजनीतिक नेता एवम् शासक भ्रष्ट हो तो लोकतंत्र ताश के पत्तों की भाँति विखर जाएगा।

(6) चेतन नागरिक:- चेतन व सुचेत नागरिक लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति सर्वदा सचेत रहना चाहिए। इसके साथ-साथ अपने कर्तव्यों का भी पूरी निष्ठा के साथ पूर्ण करना चाहिए। यदि नागरिक चेतन न होंगे तो कोई भी सरकार निरंकुश बन सकती है।

(7) अच्छे नेता:- लोकतंत्र की सफलता के लिए बुद्धिमान, ईमानदार व आदर्श नेताओं का होना जरूरी है। नेताओं में विवेक पूर्ण लेने की शक्ति होनी चाहिए। नेताओं का आचरण ऊँचा होना चाहिए। उनमें किसी भी कार्य को आगे बढ़ कर करने का गुण होना चाहिए।

(8) स्थानीय सरकार की स्थापना:- स्थानीय सरकार की संस्थाएं जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति,

जिला परिषद, नगर पालिका आदि लोगों को प्रशासन चलाने की कला की शिक्षा देती हैं। स्थानीय सरकार की संस्थाएं लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य हैं।

(9) न्याय पालिका की स्वतंत्रता:- एक सच्चे लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। न्यायपालिका ईमानदार व निर्भीक होनी चाहिए। स्वतंत्र न्यायपालिका लोगों के अधिकारों व स्वतंत्रता की रक्षक मानी जाती है। 'स्वतंत्र एवम् ईमानदार न्यायपालिका सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाती है। लार्डब्राइस के अनुसार " किसी भी देश की सरकार की कार्यकुशलता उसकी स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका के होने में है। "

(10) कानून का शासन:- कानून का शासन लोकतंत्र की सफलता के लिए अत्यन्त जरूरी है। इसका अभिप्राय है कि कोई भी व्यक्ति त कानून से ऊपर नहीं तथा किसी को भी को भी पक्षपात पूर्ण ढंग से सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। प्रत्येक को कानून के समक्ष समान समझना ज़रूरी है।

(11) शक्तियों का विकेन्द्रीकरण:- लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि शक्तियों का केन्द्रीकरण न होने दिया जाए। शक्तियों का विकेन्द्रीकरण लोगों को प्रशासन चलाने की कला में शिक्षित करता है। शक्तियों के विकेन्द्रीकरण के कारण सरकार का कोई भी अंग या अधिकारी निरंकुश नहीं बन सकता।

(12) सिद्धान्तों पर आधारित संगठित राजनैतिक दल:- राजनैतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी होते हैं। सिद्धान्तों पर आधारित संगठित राजनैतिक दल लोकतंत्र को स्थिरता व दृढ़ता देते हैं। जातिवाद एवम् साम्प्रदायिकता पर आधारित दल नहीं होने चाहिए।

अत्यन्त गर्व का विषय है कि भारत में सन् 1950 से जब हमारा संविधान लागू हुआ तभी से महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं जबकि बड़े व विकसित देश अमेरिका व इंग्लैंड में महिलाओं को यह अधिकार पुरुषों के काफी पश्चात मिला।

लोकतंत्र के अर्थ, आधारभूत सिद्धान्त, महत्व, लोकतंत्र के मार्ग की बाधाओं व लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य शर्तों पर विचार विमर्श करने के पश्चात् अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार लोकतंत्रिक हो सकती है अथवा नहीं। इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम कुछेक उदाहरण लेंगे। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में वहाँ के सैनिक कमाडंर परवेज़ मुर्शरफ ने 1999 ई. में सैनिक घड़यांत्र द्वारा सत्ता संभाल ली। पाकिस्तानी केन्द्रीय संसद ने प्रांतीय असैम्बलियों की शक्तियाँ भी कम कर दी। एक कानून पास करके उसने स्वयं को देश का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इसी कानून द्वारा व्यवस्था कर दी गई कि राष्ट्रपति जब चाहे संसद को भंग कर सकता है। संसद व असैम्बलियों के गहन अवलोकन के लिए एक सैनिक अधिकारियों की परिषद बना दी गई। लोकतंत्र में अन्तिम शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास होती है। पर मुर्शरफ के शासन काल में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों से अन्तिम शक्ति छीन ली गई। अतः ऐसी सरकार को हम लोकतंत्रिक सरकार नहीं कह सकते।

अगली उदाहरण हम अपने पड़ोसी देश चीन की लेंगे। चीन में प्रत्येक पाँच वर्ष बाद चुनाव होते हैं। परन्तु मतदाताओं के पास साम्यवादी दल को वोट डालने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता। चीन में साम्यवादी दल द्वारा मनोनीत किए उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। चीन की संसद में कुछेक प्रतिनिधि सैनिक अधिकारियों में से भी लिए जाते हैं। जिस देश में एक ही दल की सरकार बनती रहे एवम् अन्य दलों का अस्तित्व न हो ऐसी लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार को हम लोकतंत्रिक कैसे कह सकते हैं। जिस देश में विरोधी दलों का अस्तित्व न

हो ऐसे देश को हम लोकतंत्र कैसे कह सकते हैं। अब हम फिजी देश की उदाहरण लेते हैं। फिजी में मूल फिजीअन लोगों के बोट की कीमत भारतीय फिजीयन लोगों की बोटों से अधिक मानी जाती है। लोकतंत्र में 'एक वयस्क, एक बोट एक मूल्य' का सिद्धान्त लागू होता है इसलिए फिजी देश को भी हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। अब हम मैक्सिको देश की उदाहरण लेते हैं। मैक्सिको 1930 में स्वतंत्र हुआ। उसी समय से मैक्सिको में हर छः वर्ष के बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन होता रहा है। देश की सत्ता कभी भी निरंकुश शासकों अथवा सेना के हाथ में नहीं रही। परन्तु सन् 2000 तक प्रत्येक चुनाव PRI (संस्थागत क्राँतिकारी दल) पार्टी द्वारा जीता गया। अन्य दलों को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है। परन्तु PRI दल शासित दल होने के कारण चुनाव में अनुचित साधनों का प्रयोग करती रही है। सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को पार्टी की सभाओं में उपस्थित होने के लिए विवश किया जाता था। राजकीय अध्यापकों को बच्चों के परिजनों और सरकारी अभिभावकों को PRI दल के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा जाता था। मतदान वाले दिन मतदान केन्द्रों को अन्तिम क्षणों में स्थानांतरित किया जाता था ताकि विरोधी पक्ष में जाने वाले मतदाता अपना मतदान करने में असफल रहें। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए केवल चुनाव होना ही ज़रूरी नहीं अपितु इस चुनाव का स्वतंत्र व निष्पक्ष होना भी ज़रूरी है। यदि कोई शासक दमनकारी नीतियों अथवा अनुचित साधनों से चुनाव जीतता है तो हम इसे सच्चा लोकतंत्र नहीं कह सकते। उपर्युक्त उदाहरणों से हम लोकतांत्रिक एवं अलोकतांत्रिक सरकारों में अन्तर जानने के योग्य हो जाएंगे। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नियमितकालिक, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होने अनिवार्य है। शासन करने की शक्ति जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। लोकतंत्र प्रणाली में विपक्षी दलों का अस्तित्व ज़रूरी है। प्रत्येक व्यसक के लिए एक बोट एवं एक मूल्य का 'सिद्धांत लागू होना अनिवार्य है।

अध्याय के अन्त में हम लोकतंत्र के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करेंगे। प्रमुख रूप से लोकतंत्र के दो प्रकार हैं: प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। परन्तु आजकल बहुत से राष्ट्रों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही अपनाया गया है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को 'प्रतिनिधि लोकतंत्र' भी कहा जाता है इस लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष ढंग द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है। ये प्रतिनिधि शासन चलाने का कार्य करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं शासकीय कार्यों में भाग लेती है। परन्तु ऐसा लोकतंत्र आज के राष्ट्रीय राज्यों में सभंव नहीं है। सीधा अथवा प्रत्यक्ष लोकतंत्र उस समय संभव था जब राज्यों की जनसंख्या हज़ारों में थी तथा छोटे-छोटे राज्य होते थे जैसे यूनान के नगर राज्य।

प्रिय छात्रों! आप जानने का प्रयास करें कि वर्तमान समय पंजाब में किस राजनैतिक समूह की सरकार है? पंजाब में कौन से समूह विपक्षी दल के तौर पर कार्यरत हैं? विपक्षी दल के नेताओं के नाम की भी चर्चा करें।

अभ्यास

◆ 1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न

(क) रिक्त स्थान भरें:-

1. के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागेदारी होती है।
2. डेमोक्रेसी यूनानी भाषा के दो शब्दों '.....' 'व' '.....' से मिलकर बना है।

◆ (ख) बहुविकल्पी प्रश्न

1. लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य है:-

(इ) व्यस्कमताधिकार (ई) उपर्युक्त सभी

2. लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है-

(अ) एक व्यक्ति का शासन (आ) नौकरशाही का

- ◆ (ग) निम्नलिखित कथनों में सही के लिए तथा गलत के लिए चिन्ह लगाएं।

1. लोकतंत्र में भिन्न भिन्न विचार रखने की स्वतन्त्रता नहीं होती। ()

2. लोकतंत्र स्पष्ट रूप में हिंसात्मक साधनों के विरुद्ध है भले ही ये समाज की भलाई के लिए ही क्यों न अपनाएं जाएं । ()

3. लोकतंत्र में व्यक्तियों को कई प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। ()

4. नागरिकों का चेतन होना लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। ()

2. अति लघु उत्तरों वाले प्रश्न

1. ‘डेमोक्रेसी’ किन दो शब्दों से बना है? उन के शाब्दिक अर्थ लिखें।

2. लोकतंत्र शासन प्रणाली के सर्वप्रिय होने के दो कारण लिखें।

3. लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली दो बाधाएँ लिखें।

4. लोकतंत्र की कोई एक परिभाषा लिखें।

5. लोकतंत्र के लिए कोई दो आवश्यक शर्तें (दशाएं) लिखें।

- 6 लोकतंत्र के कोई दो सिद्धांत लिखें।

- 7 लोकतंत्र में शासन की शक्ति का स्वोत कौन होते हैं?

- 8 लोकतंत्र के दो पक्षार कौन कौन से हैं?

3. लघु उत्तरों वाले प्रश्न

- 1 लोकतंत्र की सफलता के लिए कोई दो अनिवार्य शर्तों का वर्णन करें।

- 2 निर्धनता लोकतंत्र के सार्व सेवा कैसे बनती है वर्णन करें।

3. निरक्षता लोकतंत्र के मार्ग में बाधा कैसे बनती है। स्पष्ट करें।
4. राजनैतिक समानता लोकतंत्र की सफलता के लिए ज़रूरी है। इस कथन की व्याख्या करें।
5. राजनैतिक दलों का अस्तित्व लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है' इस कथन की व्याख्या करें।
अथवा राजनैतिक दल लोकतंत्र की गाड़ी के पहिए होते हैं इस कथन की व्याख्या करें।
6. शक्तियों का विकेन्द्रीकरण लोकतंत्र के लिए क्यों ज़रूरी है।
7. लोकतंत्र के किन्हीं दो सिद्धान्तों की व्याख्या करें।

4. दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न

1. लोकतंत्र के मूल सिद्धान्तों का संक्षेप में वर्णन करें।
2. लोकतंत्र के मार्ग में बाधाओं का संक्षेप में वर्णन करें।
3. लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं पाँच शर्तों का वर्णन करें।
4. लोकतंत्रिक शासन प्रणाली की एक परिभाषा दें तथा लोकतंत्र के महत्व का संक्षेप में वर्णन करें।

इकाई-5



1. भारतीय लोकतंत्र की स्थापना
एवम स्वरूप
2. भारत का संसदीय लोकतंत्र

भारतीय लोकतंत्र की स्थापना एवम् स्वरूप

प्रिय विद्यार्थियों इस पाठ में हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे।

भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया।

संविधान में भारत के लिए किस शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है ? भारतीय संविधान के मूल उद्देश्य क्या हैं ? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ? भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किस के पास है ? इस अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात् हम जानने के योग्य हो जाएँगे। उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर हमें मालूम हो जाएगा कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं भारत के संविधान में अन्य देशों के संविधान से ली गई हैं तथा भारतीय संविधान की एकात्मक व संघात्मक विशेषताओं के विषय में भी हमें मालूम हो जाएगा।

संविधान क्या है? संविधान देश के लिए क्यों ज़रूरी है? इन प्रश्नों का उत्तर भी हमें इस अध्याय से मालूम हो जाएगा।



मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने स्वभाव व आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समाज में रहना चाहता है। समाज में रहते हुए घर, स्कूल, कार्यालय, खेल क्लब, सांस्कृतिक केन्द्र, बस स्टैण्ड एवं मैरेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर विचरते हुए मनुष्य को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों का पालन करते हुए ही मनुष्य का विकास हो सकता है एवं समाज सुचारूरूप में चलता है। अनुशासन में रहते व नियमों का पालन करके ही एक संस्कृति समाज का अस्तित्व कायम रह सकता है।

यहाँ हम कुछ उदाहरण लेते हैं जैसे परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। परिवार को चलाने के लिए भी नियम निश्चित किए जाते हैं परिवार का एक मुखिया होता है जो परिवार के सदस्यों में कार्य का विभाजन करता है। परिवार के सदस्यों को उसकी आज्ञा का पालन करना होता है। यदि परिवार के सदस्य अनुशासनहीन ढंग से अपना कार्य करते हैं तो परिवार बिखर जाता है। अब हम स्कूल का उदाहरण लेते हैं। विद्यालय का क्षेत्र परिवार से बड़ा है। स्कूल को चलाने के लिए एक समय सारणी तैयार की जाती है। विद्यालय आरम्भ होने, आधी छुट्टी व विद्यालय बंद होने का समय निश्चित किया जाता है। भिन्न भिन्न विषयों के शिक्षण के लिए पीरियड़ों का विभाजन करना होता है। विद्यालय का एक प्रधान होता है जो विद्यालय पर नियंत्रण रखता है। स्कूल प्रधान (प्रधानाध्यापक) के आदेशों का पालन समस्त अध्यापकों व विद्यार्थियों को करना होता है। इसी प्रकार समाज के अन्य समुदाय हो सकते हैं जैसे क्रीड़ा क्लब, धार्मिक समुदाय, आर्थिक समुदाय, राजनैतिक समुदाय आदि। ये सभी समुदाय राज्य के नियमों के अधीन कार्य करते हैं राज्य समुदायों का समुदाय है। इन समुदायों का अस्तित्व राज्य के नियमों पर निर्भर करता है। राज्य समूह समाज में स्थित सभी समुदायों से बड़ा है। अतः राज्य प्रबन्ध को चलाने के लिए और भी अधिक नियमों की आवश्यकता पड़ती है।

अतः नियमों के संग्रह को जिस के आधार पर राज्य का प्रबन्ध चलाया जाता है को संविधान कहते हैं। दुनिया में प्रत्येक राष्ट्र का अपना अपना संविधान है। क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक स्थितियाँ भिन्न भिन्न हैं।

परिभाषा:- वूल्जे के अनुसार: संविधान उन नियमों का समूह है जिसके अनुसार सरकार की शक्तियाँ, प्रजा के अधिकार व इन दोनों के पारस्परिक सम्बंधों को निश्चित किया जाता है।

कूले के अनुसार:- संविधान नियमों व परम्पराओं का समूह होता है जिसके अनुसार प्रभुसत्ता की शक्तियों का स्वाभाविक रूप में प्रयोग किया जाता है।

डायसी के अनुसार: उन सभी नियमों के समूह को जिनके द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में राज्य सत्ता का विभाजन व प्रयोग किया जाता है उसे राज्य का संविधान कहते हैं।

भारतीय संविधान का निर्माण:- 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। परन्तु भारत के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही आरम्भ हो चुकी थी। भारत के नेताओं ने भारत के लिए संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया। जो कि हमारे देश के संविधान की प्रमुख विशेषता है। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया। जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से किया गया था। इस संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगे। भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग पहली बार कांग्रेस द्वारा सन् 1935 में की गई। ब्रिटिश सरकार ने 1940 ई. में इस मांग को सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर लिया। संविधान सभा का चुनाव 19 नम्बर 1946 ई. में अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति द्वारा प्रांतीय विधान पालिका के सदस्यों द्वारा किया गया। संविधान सभा के कुल 389 सदस्य थे। 292 सदस्य प्रांतों में विधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा निवार्चित किए गए थे 93 सदस्य देसी रियासतों से मनोनीत किए गए थे। चार सदस्यचीफ कमिशनर क्षेत्रों से निर्वाचित हुए।

इन सीटों का विभाजन समाज के तीन वर्ग मुस्लिम, सिक्ख व सामान्य वर्ग से किया गया था। इन सीटों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया गया था। एक सीट के लिए औसतन 10 लाख जनसंख्या निर्धारित की गई थी।

3 जून 1947 को लार्ड माऊंटबेंटन योजना के अनुसार भारत के विभाजन की घोषणा हो गई। भारत में एक

डॉ राजेन्द्र प्रसाद को संविधान निर्माण सभा का चेयरमैन (अध्यक्ष) नियुक्त किया गया। डॉ भीम राव अम्बेदकर जी को संविधान की मसौदा लिखने वाली समिति का चेयरमैन बनाया गया।

नया देश पाकिस्तान बना दिया जाना था। उसके लिए अलग से संविधान सभा की घोषणा कर दी गई। प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य संविधान सभा से अलग कर दिए गए।

पाकिस्तान के अन्तर्गत जाने वाले क्षेत्र थे:- पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र, सिन्ध, बलोचिस्तान व असम का सिलहट जिला। इस प्रकार भारतीय संविधान के सदस्यों की संख्यां विभाजन के पश्चात् 299 रह गई।

26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। परन्तु हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ई. को लागू किया गया। 26 जनवरी का ऐतिहासिक दिन इसलिए निश्चित किया गया क्योंकि हम सन् 1930 से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे थे।

स्वतंत्रता का मूल्य:- स्वतंत्रता, समानता व अधिकारों की प्राप्ति के लिए विश्व के अधिकांश देशों को दीर्घ काल तक संघर्ष करना पड़ा। दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की नीति की समाप्ति एवम् समानता की स्थापना के लिए उनके नेता नेल्सन मंडेला व उनके सहयोगियों को 28 वर्ष कारावास में गुजारने पड़े।

संविधान निर्माण में डॉ भीम राँच अम्बेदकर, पण्डित जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आचार्य जे. वी. कृपलानी व टी टी कृष्णचारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉ बी आर अम्बेदकर को भारतीय संविधान का पितामा कहा जाता है।

संविधान की प्रस्तावना

हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति करने, विश्वास धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा के अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखण्डता को सुरक्षित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प हो कर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. को इस द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं।'



Preamble

THE CONSTITUTION OF INDIA PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **1[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC]** and to secure to all its citizens: **JUSTICE**, social, economic and political; **LIBERTY** of thought, expression, belief, faith and worship; **EQUALITY** of status and of opportunity; and to promote among them all **FRATERNITY** assuring the dignity of the individual and the **2[unity and integrity of the Nation]**; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do **HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**



संविधान की प्रस्तावना से संविधान के उद्देश्य व सिद्धान्तों का पता लगता है। यह संविधान का वह झरोखा है जिसमें से संविधान के मूल उद्देश्य सिद्धान्त एवं विशेषताओं की झलक देखी जा सकती है। प्रस्तावना को संविधान का ही एक अंग माना जाता है क्योंकि प्रस्तावना में भी संविधान के अन्य अनुच्छेदों की भाँति संशोधन किया जा सकता है। परन्तु संविधान की प्रस्तावना न्याय सम्मत नहीं है अर्थात् अदालतें प्रस्तावना में निहित उद्देश्य एवं सिद्धान्तों को लागू नहीं करवा सकती। प्रस्तावना भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, लोकतंत्रिक, धर्म निरपेक्ष गणराज्य घोषित करती है इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय देने के लिए वचन बद्ध है। अवसर व पद की समानता का उद्देश्य दर्शाती है इसके सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति विश्वास तथा उपासना की स्वतंत्रता देना यकीनी बनाती है। व्यक्तिगत गरिमा, राष्ट्रीय एकता व अखण्डता के आदर्श को बनाए रखने की घोषणा करती है।



संविधान की मुख्य विशेषताएं

1.लिखित संविधान :- हमारा संविधान लिखित है जिसे संविधान सभा ने निर्मित किया है। यह संविधान 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया एवं 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत में संघात्मक सरकार होने के कारण संविधान का लिखित होना अनिवार्य था। ताकि केन्द्र एवम् राज्य सरकार के बीच के झगड़ों को रोका जा सके। दूसरी ओर इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। इंग्लैंड का संविधान परिभाषाओं व मान्यताओं के आधार पर एक लम्बे समय दौरान निर्मित हुआ है लिखित संविधान सरकार के कार्य करने में कुशलता पारदूशता तथा स्पष्टता लाता है।

2. सर्वाधिक विस्तृत व लम्बा संविधान:- भारत का संविधान विश्व भर में पाए जाने वाले संविधानों से लम्बा है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी। अब संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं एवं बहुत से नए अनुच्छेद पहले अनुच्छेदों के अन्तर्गत जोड़े गए हैं। संशोधनों के कारण भी संविधान का विस्तार हो गया है संविधान में 42 वे संशोधन के कारण में कई नए अनुच्छेद जुड़े गए हैं। इस संशोधन के द्वारा दो नए भाग 4ए व 14ए जोड़े गए हैं। 9 वाँ अनुसूचि प्रथम संशोधन द्वारा सन् 1951 में जोड़ी गई 10वाँ अनुसूचि ‘दल बदल रोकने सम्बंधी’ 1985 में 52 वे संशोधन द्वारा जोड़ी गई।

11वाँ अनुसूचि पंचायती राज्य संस्थाओं से सम्बंधित है जो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई। जबकि 12वाँ अनुसूची जो कि नागरिक क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से सम्बंधित थी 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं।

3. संविधान की प्रस्तावना:- प्रस्तावना का संविधान में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। प्रस्तावना से हमें संविधान के स्वरूप का पता चलता है। प्रस्तावना हमारी राजनैतिक प्रणाली के लिए योजना का कार्य करती है। 42 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में तीन नए शब्द जोड़े गए समाजवाद, धर्म निरपेक्ष एवम् अखण्डता।

4. कई स्रोतों से लिया गया संविधान:- संविधान सभा ने संविधान निर्माण से पूर्व भिन्न भिन्न देशों के संविधान का सूक्ष्म अध्ययन किया। भिन्न भिन्न अधिनियम जो कि ब्रिटिश सरकार ने पारित किए थे उनका भी अध्ययन किया गया। इस अध्ययन से संविधान निर्माताओं ने दूसरे संविधानों की अच्छी अच्छी बातों को संविधान में शामिल करने के योग्य बनाया। भिन्न भिन्न स्रोतों से लिए गए उपबन्ध इस प्रकार हैं-

1. संसदीय प्रणाली – यू. के (ब्रिटिश)
2. मौलिक अधिकार (संयुक्त राज्य अमेरिका)
3. सर्वोच्च न्यायालय की सरचना एवम् शक्तियाँ (संयुक्त राज्य अमेरिका)
4. न्यायिक पुनर्निरीक्षण (संयुक्त राज्य अमेरिका)
5. उपराष्ट्रपति का पद (संयुक्त राज्य अमेरिका)
6. संघीय संरचना (कैनेडा, भारत सरकार अधिनियम 1935)
7. राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्त (आयरलैंड)
8. आपात कालीन शक्तियाँ (जर्मनी, भारत सरकार अधिनियम 1935)
9. मौलिक कर्तव्य (भूतपूर्व सोवियत संघ)
10. कानून पास करने की विधि-(ब्रिटिश)यू. के

11. संसद के विशेषाधिकार - (ब्रिटिश) (U.K)
12. गणतंत्र -(फ्रांस)
13. समवर्ती सूची - (आस्ट्रेलिया)
14. संवैधानिक संशोधन -(दक्षिणी अफ्रीका)
15. कानून का शासन - (ब्रिटिश) (U.K)

भारतीय संविधान की मूल संरचना ब्रिटिश के संविधान की लय पर निर्मित है। चाहे ब्रिटिश का संविधान अलिखित है इसकी परम्पराओं एवम् रीति रिवाज़ को भारतीय संविधान में लिखित रूप दिया गया है।

5. कठोर एवम् लचीला संविधान:- साधारण कानून पास करने की विधि तथा संविधान में संशोधन करने की विधि की तुलना के आधार पर भारतीय संविधान दो प्रकार का है। संविधान में संशोधन करने के लिए तीन प्रकार की व्यवस्था की गई है।

(क) संसद के साधारण बहुमत द्वारा:- संविधान में कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें संसद आम कानून बनाने की विधि के अनुसान ही संशोधन कर सकती है। जैसे अनुच्छेद 2,3, एवं 4 राज्यों के नाम एवम् सीमाओं में परिवर्तन करना व नए राज्यों की स्थापना करनी।

(ख) संसद के दोनों सदनों का स्पष्ट बहुमत एवम हाजर और वोट देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत व कम से कम आधे राज्यों से अधिक राज्यों की सहमति होना ज़रूरी:- जैसे अनुच्छेद 54 एवं 55 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के चुनाव एवं विधि सम्बन्धी संशोधन करना तथा अनुच्छेद 73 व 162 के अधीन केन्द्र एवम् राज्य सरकारों की शक्तियों में वृद्धि करनी। इसके अन्तर्गत आते हैं।

(ग) संसद के दोनों सदनों के स्पष्ट बहुमत द्वारा एवम हाजर और वोट देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा :- कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें संशोधन संसद के दोनों सदनों के स्पष्ट बहुमत एवम हाजर और वोट देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा किया जा सकता है। संशोधन बिल संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है संशोधन बिल पास करने के लिए दोनों सदनों लोकसभा व राज्य सभा की शक्ति समान है। एक बात स्मरणीय है कि संसद संविधान के मूल ढाँचे में परिवर्तन नहीं कर सकती परन्तु मूल ढाँचे में क्या कुछ सम्मिलित है इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करती है। 1980 में सुप्रीमकोर्ट के निर्णय के अनुसार न्यायिक पुनर्नीरक्षण भी मूल ढाँचे का अंग माना गया है।

6. भारत एक सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न (देश):- सम्पूर्ण प्रभुसत्ता का अर्थ है कि भारत अपने बाह्य व आंतरिक विषयों में पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत अपनी स्वदेशी व विदेशी नीति के निर्माण करने के लिए किसी भी बाह्य देश के दबाव के अधीन नहीं है। इसका उदाहरण भारत द्वारा अपनाई गई गुट निरपेक्ष नीति है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात दो सैनिक गुट अमेरिका व सोवियत संघ बन गए थे भारत ने इन गुटों में सम्मिलित न होकर अपने सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न होने का प्रमाण दिया है।

7. लोकतांत्रिक देश:- भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत की सरकार लोगों द्वारा निर्वाचित होती है तथा लोगों के प्रति उत्तरदायी है। संविधान के निर्माता भारत में न केवल राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे अपितु संविधान में आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना भी करना चाहते थे। इस लिए संविधान में आर्थिक व सामाजिक न्याय देने की व्यवस्था भी की गई है जैसे:- समानता के अधिकार के अनुसार सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान माने जाते हैं। प्रत्येक के लिए विकास के समान अवसर देने की व्यवस्था की गई।

है। देश के पिछड़े एवम् निर्धन लोगों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है ताकि वे समाज के अन्य वर्गों की भाँति अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भारत के लोगों को विचार प्रकट करने, संघ बनाने, बिना हथियार इकट्ठे होने, सरकार की ग़लत नीतियों की आलोचना करने तथा विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता मिली हुई है जो कि लोकतंत्रात्मक देश के प्रमुख तत्व हैं।

8. गणतंत्रः- भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। देश का प्रधान राष्ट्रपति लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष ढंग से चुना जाता है। जिस देश का प्रधान लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से चुना जाता है उस देश को गणतंत्रात्मक कहा जाता है। भारतीय संविधान में यह विशेषता विद्यमान है इस लिए भारत लोकतंत्र के साथ गणतंत्रात्मक देश भी

निम्नलिखित देशों में अपने अध्यापक महोदय की सहायता से गणराज्य देशों की सूचि बनाएः-

कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ईरान, ईराक, इज़राइल, पाकिस्तान, जर्मनी, फ़ॉस, जापान, इटली।

9. धर्म निरपेक्षः- भारतीय समाज में भिन्न धर्मों व नस्लों के लोग रहते हैं। अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई गई दृविभाजित करो और राज्य करों की नीति के कारण समाज के दो बड़े वर्गों हिन्दू व मुस्लिम में धार्मिक संकीर्णता की भावना पैदा कर दी गई थी। जिसके परिणामस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। संविधान के निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य बनाने का प्रयास किया। इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्ष शब्द भी जोड़ दिया गया। धर्म निरपेक्ष पश्चिमी धारणा है जिसका अर्थ है धर्म व राजनीति को अलग करना। परन्तु भारत की धर्म निरपेक्षता में सभी धर्मों की समानता पर भी बल दिया गया है। जैसे सर्वधर्म समभाव। भारत की धर्म निरपेक्षता की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं

- (क) भारत में किसी भी धर्म को राजधर्म घोषित नहीं किया जाएगा।
- (ख) सरकार की ओर से सभी धर्मों को समान माना जाएगा। प्रत्येक धर्म के लोगों को विकास करने के समान अवसर दिए जाएंगे। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की ओर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।
- (ग) भारत में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। वह अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक विश्वास रख सकता है तथा उपासना कर सकता है।
- (घ) धर्म के आधार किसी भी शैक्षणिक संस्था के साथ राज्य द्वारा भेद भाव नहीं किया जाएगा।

10. संघात्मक व एकात्मकता का सामंजस्यः- भारत का संवैधानिक ढांचा संघात्मक है। भारत में दो प्रकार की सरकारों की स्थापना की गई है। एक ओर केन्द्र सरकार तो दूसरी ओर राज्य सरकार है। इन दोनों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। परन्तु केन्द्र को राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ दी गई हैं।

अगर कोई विषय जो कि कानून बनाने की तीन सूचीयों में दर्ज नहीं है उसके ऊपर संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इन शक्तियों को बच्ची हुई शक्तियाँ (Residuary Powers) कहा जाता है।

स्मरण रखें:- भारत ने संघात्मक संरचना (ढांचा) कनाडा के संविधान से प्राप्त की है।

भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएँ इस प्रकार हैं:-

1. इकहरी नागरिकता
2. दोनों सरकारों के लिए इकहरा संविधान (जम्मू व कश्मीर के अतिरिक्त)
3. राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ।
4. संसद द्वारा राज्यों की सीमा एवम् नाम में परिवर्तन करने की शक्ति।
5. इकहरी न्याय पालिका
6. सर्वभारतीय सेवाएँ (आई. ए. एस., आई. पी. एस, आई. एफ एस)
7. केन्द्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति
8. राज्य के झगड़ों का केन्द्र द्वारा निपटारा।
9. राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित किए गए बिलों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखने की शक्ति।
10. लचकीला संविधान।
11. कानून बनाने की बची हुई शक्तियों (Residuary Power) का संसद के पास होना।

संघात्मक विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

1. संविधान की सर्वोच्चाता।
2. केन्द्र एवम राज्यों में शक्तियों का विभाजन।
3. संसद का ऊपरी सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है।
4. लिखित संविधान।
5. स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका

11. एकल न्याय पालिका:- भारतीय संविधान में केन्द्र व राज्यों के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। चाहे राज्यों के भिन्न भिन्न उच्च न्यायालय हैं परन्तु उनके अधिकार क्षेत्र, सरंचना, जजों की नियुक्तियाँ, उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की शक्ति, उच्च न्यायालय के जजों का स्थानात्मण व उनकी सेवा शर्तें केन्द्र सरकार के अधीनस्थ हैं।

12. सर्वव्यापक व्यस्क मताधिकार:- भारत का संविधान सभी व्यस्क नागरिकों को मतदान अधिकार प्रदान करता है मतदान का अधिकार 18 वर्ष या इससे अधिक के नागरिक को प्रदान किया गया है। यह अधिकार जाति, धर्म, नसल, जन्म स्थान एवं लिंग के भेदभाव के बिना प्रदान किया गया है। 1988 ई.में 61वीं संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान का अधिकार प्राप्त करने की आयु सीमा 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी गई है। पागलों, देशद्रोहियों व अदालतों द्वारा कुछ विशेष अपराधों में संलिप्त एवं दोषी करार दिए गए कुछ व्यक्तियों को इस अधिकार से वंचित रखा गया है। सर्वव्यापक व्यस्क मताधिकार आधुनिक लोकतंत्र का आधार है।

भारत ने रंग भेद की नीति, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद जैसे बड़े भीषण दुःखों का सामना करने के उपरांत ही स्वतंत्रता प्राप्त की है।

संवैधानिक संशोधन: संविधान की सर्वोच्चता इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें बदल रही युग की परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया जा सके। भारत के संविधान निर्माताओं ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान में संशोधन करने की व्यवस्था की है। भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति भारतीय संसद को सोंपी गई है। संशोधन बिल संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दोनों संदनों में पारित होने के पश्चात् बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। परन्तु यह संशोधित बिल प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वालों के 2 / 3 बहुमत से पारित होना ज़रूरी है। संविधान में पहला

संशोधन सन् 1951 में किया गया था। 1976 में संविधान में किया गया 42 वीं संशोधन अत्यन्त महत्पूर्ण स्थान रखता है। 73 वें 74 वें संशोधन जो कि संसद में 1992 में पारित किए गये थे क्रमशः ग्रामीण एवं मूल शहरी स्थानीय इकाईयों के सम्बंध में हैं। संविधान में 2016 तक 101 वें संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। हमारे संविधान ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करके देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की कार्यशीलता को स्थिरता प्रदान की है।

गतिविधि:- संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली सात सदस्य समिति के सदस्यों के नाम जानने का प्रयास करें व उनके चित्र अपनी उत्तरपुस्तिका पर चिपकाएँ।

अभ्यास

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न

◆ (क) रिक्त स्थान भरें:-

1. भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांत के संविधान से लिए गए हैं।
2. ' ' भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के प्रधान थे।

◆ (ख) बहुविकल्पी प्रश्न (✓ / ×)

1. संविधान सभा के प्रधान थे

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| (अ) पंडित जवाहर लाल नेहरू | (आ) महात्मा गांधी |
| (इ) डॉ राजेन्द्र प्रसाद | (ई) डॉ.बी.आर अम्बेदकर |

2. गणतंत्र देश वह होता है-

- | | |
|--|---|
| (अ) जिसका अध्यक्ष जन्मजात होता | (आ) जिसका अध्यक्ष सैनिक तानाशाह होता है |
| (इ) जिसका अध्यक्ष लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से चुना जाता है | |
| (ई) जिसका अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है | |

◆ (ग) निम्नलिखित कथनों में सही के लिए तथा गलत के लिए चिन्ह लगाएं।

1. संविधान के 42वां संशोधन में समाजवाद, धर्म निरपेक्ष व अखण्डता शब्दों को शामिल किया गया है। ()
2. भारत एक प्रभुसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य देश है। ()

2. अति लघु उत्तरों वाले प्रश्न

1. हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ ?

2. 'संविधान उन नियमों का समूह है जनके अनुसार सरकार की शक्तियों, प्रजा के अधिकारों एवं इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों को निश्चित किया जाता है।' यह कथन किस का है ?
3. भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा?
4. संविधान निर्माण समिति के कुल कितने सदस्य थे?
5. भारत के विभाजन की घोषणा कब की गई ?
6. भारत के विभाजन के पश्चात् भारत के लिए संविधान बनाने वाली सभा के कितने सदस्य रह गए थे ?
7. भारत के संविधान की कोई दो एकात्मक विशेषताएं लिखें?
8. भारतीय संविधान की कोई दो संघात्मक विशेषताएं लिखें?
9. संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त कोई दो स्वतंत्रताओं के नाम लिखें?
10. भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों के साथ आरम्भ होती है?
11. सन् 1976 में 42 वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में कौन से नए शब्द जोड़े गए? इनमें से कौन सा शब्द अध्यक्ष का नाम है?
12. संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
13. संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे?

3. लघु उत्तरों वाले प्रश्न

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना कौन कौन से मूल उद्देश्यों पर प्रकाश डालती हैं?
2. गणतंत्र देश किसे कहते हैं?
3. भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है इसके पक्ष में तर्क दें।
4. संघीय सरंचना अथवा संघात्मक सरकार से क्या अभिप्राय है? भारतीय संविधान की यह विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है?
5. भारत का संविधान 26 नवम्बर 1949 को निर्मित हो गया था। परन्तु भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया। 26 जनवरी की तिथि संविधान लागू करने के लिए क्यों नियत की गई? व्याख्या करें।
6. सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य का क्या अर्थ है?
7. सर्वव्यापक व्यस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है?
8. भारतीय संविधान की कोई चार एकात्मक विशेषताएं लिखें।

4. दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न

1. भारतीय संविधान की प्रस्तावना को मूल रूप में लिखें।
2. भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है इस कथन की व्याख्या करें।
3. सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य से क्या अभिप्राय है- व्याख्या करें।
4. भारत के संविधान की एकात्मक विशेषताओं की संक्षेप में व्याख्या करें।

अध्याय
12

भारतीय संसदीय लोकतंत्र



सरकार के तीन अंग हैं: विधान पालिका, कार्यपालिका एवंम् न्यायपालिका। कार्यपालिका एवं विधान पालिका के सम्बन्धों के आधार पर लोकतांत्रिक सरकार के दो रूप हैं— संसदात्मक एवंम् प्रधानात्मक। संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल—अपनी नीतियों व कार्यों के प्रति विधानपालिका के समक्ष उत्तरदायी होता है सबैधानिक विधि से विधानपालिका कार्यपालिका को हटा सकती है। प्रधानात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका को विधानपालिका द्वारा हटाया नहीं जा सकता। संसदीय प्रणाली पारम्परिक रूप में इंग्लैंड से जुड़ी हुई है। प्रधानात्मक प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका से विकसित हुई है। संसदीय प्रणाली में विधान पालिका व कार्यपालिका का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। मंत्रिमंडल प्रत्यक्ष रूप में अपने कार्य के प्रति विधानपालिका के समक्ष उत्तरदायी होता है।

परिभाषा: गार्नर:- संसदीय सरकार वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल विधानपालिका अथवा उसके एक लोकप्रिय सदन के आगे एवं निर्वाचन मंडल के समक्ष अपनी राजनैतिक नीतियों एवम् कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है जबकि राज्य का अध्यक्ष जो कि नाम मात्र की कार्यपालिका है उत्तरदायी नहीं होता ।

संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल के सदस्य विभागों के प्रमुख होते हैं मंत्रिमंडल के सदस्य विधानपालिका मे से ही लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल विधानपालिका की समिति की तरह ही लगता है। मंत्रिमंडल विधानपालिका में बहुमत पार्टी की एक समिति होती है। मंत्री उस समय तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक उन्हें विधानपालिका के सदस्यों का बहुमत प्राप्त होता है। यदि विधानपालिका मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर

देता है तो मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधानपालिका में किसी अन्य दल के नेता को बहुमत सिद्ध करने करने के लिए समय दे सकता है यदि वह नेता विधानपालिका में बहुमत प्रदाशित करने में सफल हो जाता है तो नए मंत्रिमंडल का गठन होता है यदि किसी भी दल का नेता विश्वास मत प्राप्त करने में सफल नहीं होता तो नया चुनाव करवाया जाता है।

संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल की सभाओं की अध्यक्षता करता है। मंत्रियों की विधानपालिका में सहायता करता है। सत्ताधारी दल का नेता होने के नाते प्रधानमंत्री का दल पर पूरा नियंत्रण होता है। कई बार संसदीय प्रणाली एक व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा शासन प्रतीत होती है जो कि प्रधानमंत्री होता है।

संसदीय प्रणाली की विशेषताएँ: संसदीय प्रणाली का अर्थ व परिभाषा जानने के उपरांत हमें इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ विदित होती हैं:-

1. देश का प्रधान नाम मात्र कार्यपालिका:- संसदीय प्रणाली में देश का एक प्रधान होता है जो राष्ट्रपति, गवर्नर जनरल, राजा या रानी होता है। भारत, फ्रांस व आस्ट्रिया में राष्ट्रपति देश का प्रधान है। केनेडा, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में गवर्नर जनरल देश का प्रधान है। जापान, इंग्लैंड, डेनमार्क, हालैंड, स्वीडन एवम् नोर्वे में राजा या रानी देश का प्रधान हो सकता है। इन देशों के प्रधान नाम मात्र की कार्यपालिका हैं। संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता है कि संवैधानिक तौर पर देश के प्रधान के पास बहुत सी शक्तियां होती हैं परन्तु व्यवहारिक रूप में वह इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। व्यवहारिक रूप में देश का मंत्रिमंडल इन शक्तियों का प्रयोग करता है संसदीय प्रणाली वाले देशों के प्रधान भारत के राष्ट्रपति के समान ही हैं मंत्रिमंडल प्रधान के नाम पर शासन चलाते हैं एवं शासन का सारा दायित्व मंत्रिमंडल के कंधों पर होता है।

अपने अध्यापक महोदय की सहायता से भारत के राष्ट्रपति व अमेरिका के राष्ट्रपति के मध्य अन्तर जानने का प्रयास करें।

2. स्पष्ट बहुमत :- संसदीय प्रणाली में देश का शासन चुनाव में बहुमत प्राप्त दल द्वारा चलाया जाता है। देश का प्रमुख चुनाव में बहुमत हासिल करने वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करता है। प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों की सूची राष्ट्र के प्रमुख को सौंप देता है। राष्ट्र का प्रमुख उन्हें नियुक्त करता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। मंत्री उस समय तक ही अपने पद पर रह सकते हैं जब तक उन्हे विधानपालिका अथवा संसद के निम्न सदन में बहुमत प्राप्त होता है। बहुमत न रहने पर उन्हें त्याग पत्र देना पड़ता है। दो दलीय प्रणाली वाले देशों में सरकार का गठन करना आसान है। परन्तु बहुदल वाले देशों में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर सरकार बनाने में कठिनाई आती है। बहुदल-प्रणाली वाले देशों में सरकार प्रायः स्थिर नहीं रहती। भारत में 14 वीं व 15वीं लोकसभा के चुनाव में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी थी। श्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे।

मई 2014 में हुऐ लोक सभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है लोकसभा की 543 सीटों में 282 सीटें भाजपा को मिली हैं एवम् श्री नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं।

छात्रों! आप की ज्ञान वृद्धि के लिए बताया जा रहा है कि भारत में आठवीं लोकसभा (1984-89) श्री राजीव गांधी जी की सरकार के बहुत समय बाद वर्ष 2014 में 16वीं लोकसभा में श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक स्पष्ट बहुमत सरकार बनी जो कि संसदीय लोकतन्त्र के लिए एक शुभ संकेत है।

3. सामूहिक दायित्व : संसदीय प्रणाली की एक अन्य विशेषता यह है कि कैबिनेट अथवा मंत्रिमण्डल सामूहिक रूप में संसद अथवा विधानपालिका के समक्ष उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ यह है कि यदि मंत्रिमण्डल कोई निर्णय एक बार ले लेता है तो प्रत्येक मंत्री को संसद के भीतर या बाहर उस निर्णय का समर्थन करना पड़ता है चाहे मंत्रिमण्डल की मीटिंग में कोई मंत्री उस निर्णय से सहमत हो या न हो। प्रत्येक विभाग के नीति निर्माण व शासन चलाने में सभी मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं चाहे कोई नीति किसी एक विभाग के लिए ही क्यों न बनी हो।

यदि संसद अथवा विधानपालिका द्वारा किसी एक मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो यह प्रस्ताव समस्त मंत्रिमण्डल के विरुद्ध पारित हुआ माना जाएगा तथा प्रधानमंत्री सहित समूचे मंत्रिमण्डल को त्याग पत्र देना होगा। विधान पालिका अथवा संसद के सदस्य मंत्रियों से उनके विभाग सम्बन्धी प्रश्न पूछ सकते हैं। विधानपालिका मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के दोषों की जाँच के लिए जाँच समिति का गठन कर सकती है। संसद का बजट पर पूरा नियंत्रण होता है देश की गृह व विदेश नीति पर भी संसद का पूरा नियंत्रण होता है मंत्री व्यक्तिगत रूप में भी अपने विभाग के लिए उत्तरदायी होते हैं।

4. मंत्रियों के लिए विधानपालिका अथवा संसद का सदस्य होना अनिवार्य :- मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं परन्तु उसे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर देश के प्रमुख (राष्ट्रपति) द्वारा मंत्री बना दिया जाता है। तो ऐसे मंत्री को निश्चित समय के अन्दर संसद की सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी। भारत में यह समय 6 मास निश्चित किया गया है। भारत में गैर संसदीय सदस्य का मंत्री पद तो दिया जा सकता है परन्तु उसे 6 मास के भीतर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ती है अन्य था उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा।

5. प्रधानमंत्री का नेतृत्व:- संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री मंत्रिमण्डल का नेतृत्व करता है। संसद के निम्न सदन लोकसभा में प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है अतः वह लोकसभा का नेता भी होता है देश का प्रधान (राष्ट्रपति) उसके परामर्श पर ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह मंत्रिमण्डल की सभाओं की अध्यक्षता भी करता है। वह मंत्रिमण्डल की सभाओं की तिथि व कार्यक्रम भी निर्धारित करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमण्डल के परामर्श से कार्य करता है पर विवादास्पद विषयों पर उसका निर्णय अंतिम होता है प्रधानमंत्री मंत्रियों में विभागों का वितरण करता है मंत्रियों के कार्यों की देखरेख करता है उनके कार्यों में सामंजस्य पैदा करता है। यदि कोई मंत्री उसे सहयोग नहीं देता अथवा उसकी नीतियों से सहमत नहीं होता तो उस मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है यदि वह मंत्री त्याग पत्र नहीं देता तो प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रपति को प्रार्थना कर उस मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। वह सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है वह राष्ट्रपति को मंत्रिमण्डल के निर्णय की जानकारी देता है। कुछ विशेष एवम् महत्वपूर्ण विषयों पर वह राष्ट्रपति का परामर्श भी लेता है भले ही वह राष्ट्रपति के परामर्श मानने को बाध्य नहीं परन्तु फिर भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर गंभीरता से विचार करता है।

6. राजनीतिक एकरूपता : राजनीतिक एकरूपता से अभिप्राय है सभी मंत्री एक दल की तरह काम करते हैं ये जनता के समक्ष अपने मतभेदों को उजागर नहीं करते। प्रायः मंत्री एक पार्टी से सम्बंधित होते हैं और उनकी राजनीतिक विचारधारा एक होती है जिस कारण सरकार की नीतियां और प्रोग्राम लागू करने में सुविधा रहती है। परन्तु गठबंधन सरकार में वो एक से अधिक दलों से भी सम्बंधित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में गठबंधन में सम्मिलित सभी दलों के मंत्री एक नीति निर्धारित कर लेते हैं। जिसका सभी मंत्रियों को पालन करना होता है। कई बार गठबंधन सरकार में सम्मिलित दलों के मंत्रियों में मतभेद अधिक हो जाता है कुछ दलों के मंत्री सरकार को त्याग कर चले जाते

है ऐसी स्थिति में मंत्रिमण्डल भंग हो जाता है एवम् नए मंत्रिमण्डल का निर्माण किया जाता है।

7. गोपनीयता : मंत्रियों की नियुक्ति के समय उन्हें संविधान के प्रति निष्ठा व गोपनीयता की सौगंध खानी पड़ती है नीतियों का भेद प्रकट होने पर मंत्रियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा सकती है मंत्रिमण्डल की सभाओं में लिए गए निर्णय को अतिंम रूप देने तक गोपनीय रखा जाता है।

8. राजनैतिक दलों में पारस्परिक सहिष्णुता: राजनैतिक दलों के बिना संसदीय सरकार चलाना असंभव है। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाला दल संसद में सरकार का निर्माण करता है। अन्य दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। विपक्ष का कर्तव्य है कि वह सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना करे व सरकार की निरंकुशता को रोके। शासक दल का कर्तव्य है कि वह विपक्ष की आलोचना को सहन करे व अपनी त्रुटियों को दूर करने का यत्न करें।

विपक्ष का कर्तव्य है कि उसके द्वारा की आलोचना केवल आलोचना के उद्देश्य से न हो बल्कि उसमें रचनात्मकता की भावना हो। विपक्ष को उत्तेजित एवं विषाक्त भाषण देने से परहेज़ करना चाहिए। संभंव है कि वर्तमान शासक आगामी चुनाव में विपक्ष बन जाए एवं वर्तमान विपक्ष भविष्य में शासक दल बन जाए। इसलिए शासक एवम् विपक्ष के बीच सहयोग की भावना होनी चाहिए। शासक दल को विपक्षी दलों को कठोरता से दबाने का प्रयास नहीं होना चाहिए एवम् विपक्षी दल को शासक दल के विरुद्ध झूठा प्रचार नहीं करना चाहिए। उपरोक्त विशेषताएँ भारतीय संसदीय प्रणाली में पाई जाती हैं।



संसद भवन की तस्वीर

भारत के राज्यों में भी संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। राज्यों में राज्य का राज्यपाल नाम मात्र प्रधान होता है। एवम् मुख्यमंत्री व मंत्रिमण्डल वास्तविक कार्यपालिका होता है। राज्यों में संसदीय सरकार भी केन्द्र में संसदीय सरकार की भाँति कार्य करती है। राज्यों में संसदीय सरकार की विशेषताएँ भी केन्द्र में संसदीय सरकार की भाँति ही हैं जिनका वर्णन उपर्युक्त किया जा चुका है।

भारतीय संसद (केन्द्रीय विधान पालिका) संविधान के अनुच्छेद 79 के अधीन संसद की व्यवस्था की गई है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति शामिल है। लोकसभा को लोगों का सदन व राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है। लोकसभा निम्न सदन व राज्य सभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। लोकसभा इंग्लैंड के 'हाऊस आफ कॉमन' की भाँति है तथा राज्य सभा इंग्लैंड के सदन 'हाऊस आफ लॉडज' की भाँति है। भारत में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है जबकि राज्य सभा राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। इन दोनों सदनों की संरचना इस प्रकार है।

राज्य सभा:- राज्य सभा के सदस्यों की अधिक संख्या 250 हो सकती है। जिसमें 238 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जिन व्यक्तियों को साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है। 238 सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधान सभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर इकहरी परिवर्तित बोट द्वारा किया जाता है। राज्य सभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं राज्य सभा कभी भी भंग नहीं होती। यह एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य हर द्वितीय वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं रिक्त स्थानों पर नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। केन्द्रीय शासित प्रदेशों में लिए जाने वाले राजसभा के सदस्यों का चुनाव संसद द्वारा निर्धारित विधि द्वारा किया जाता है। राज्य सभा में राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। प्रत्येक राज्य एवं केन्द्रीय शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्वकी संख्या संविधान की चौथी अनुसूचि में दी गई है। उदाहरण के तौर पर पंजाब से 7 तथा हरियाणा से 5 राज्य सभा के सदस्य लिए जाते हैं। केन्द्रीय शासित प्रदेश दिल्ली से 3 तथा पुडुचरी से 1 सदस्य निर्वाचित होता है। उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।

वर्तमान समय राज्य सभा के सदस्यों की संख्या 245 है जिसमें से 229 सदस्य राज्यों की विधान सभाओं से 3 सदस्य संघीय क्षेत्र दिल्ली से 1 सदस्य संघीय क्षेत्र पुदुचरी से लिए जाते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

भिन्न भिन्न राज्य और संघीय क्षेत्र को दिये गए राज्य सभा के स्थानों का वर्णन

राज्य	गिनती	राज्य	गिनती
1. आन्ध्र प्रदेश	11	2. अरुणाचल प्रदेश	01
3. असाम	07	4. बिहार	16
5. छत्तीसगढ़	05	6. गोआ	01
7. गुजरात	11	8. हरियाणा	05
9. हिमाचल प्रदेश	03	10. जम्मू एवं कश्मीर	04
11. झारखण्ड	06	12. कर्नाटक	12
13. केरला	09	14. मध्य प्रदेश	11
15. महाराष्ट्र	19	16. मणिपुर	01
17. मेघालय	01	18. मिजोरम	01
19. नागालैंड	01	20. उड़ीसा	10
21. पंजाब	07	22. राजस्थान	10
23. सिक्किम	01	24. तामिलनाडू	18
25. त्रिपुरा	01	26. उत्तर प्रदेश	31
27. उत्तराखण्ड	03	28. पश्चिम बंगाल	16
29. तेलंगाना	07		
राज्य	229		
केन्द्रीय शासित प्रदेश			
दिल्ली	3		
पुदुचरी	1		
मनोनीत सदस्य	12	कुल सदस्य	245

लोक सभा : लोकसभा को प्रथम व निम्नसदन कहा जाता है। लोक सभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। 530 सदस्य राज्यों व 20 सदस्य केन्द्रीय शासित प्रदेशों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय

वर्ग के अधिकतम दो सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि इस जाति के लोगों को चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। राज्यों व केन्द्रीय शासित प्रदेशों में लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या राज्यों की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की गई है।

संविधान के अनुच्छेद 82 में यह व्यवस्था की गई है। प्रत्येक जनगणना के पश्चात् लोकसभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की जाएगी। लोकसभा व राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों की संख्या के लिए 2000 के पश्चात् होने वाली पहली जनगणना तक 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों को आधार माना गया था। 2001 में हुई जनगणना के पश्चात् इनमें परिवर्तन किया जाना था। परन्तु भारतीय संसद ने 2001 में एक संवैधानिक संशोधन पास करके यह व्यवस्था कर दी है कि 2026 तक लोकसभा के राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 16वीं लोकसभा में 543 सदस्य चुने गए हैं एवं 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है यह नव निर्वाचित लोक सभा की पहली सभा की तिथि से लिया जाता है।

भिन्न भिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में राज्य सभा सदस्यों की संख्या

राज्य	गिनती	राज्य	गिनती
1. आन्ध्र प्रदेश	25	2. अरुणाचल प्रदेश	02
3. असाम	14	4. बिहार	40
5. छत्तीसगढ़	11	6. गोआ	02
7. गुजरात	26	8. हरियाणा	10
9. हिमाचल प्रदेश	04	10. जम्मू एवं कश्मीर	06
11. झारखण्ड	14	12. कर्नाटक	28
13. केरला	20	14. मध्य प्रदेश	29
15. महाराष्ट्र	48	16. मणिपुर	02
17. मेघालय	02	18. मिजोरम	01
19. नागालैंड	01	20. उड़ीसा	21
21. पंजाब	13	22. राजस्थान	25
23. सिक्किम	01	24. तामिलनाडू	39
25. त्रिपुरा	02	26. उत्तर प्रदेश	80
27. उत्तराखण्ड	05	28. पश्चिम बंगाल	42
29. तेलंगाना	17		530 मेंबर

केन्द्रीय शासित प्रदेश

वर्तमान समय में लोकसभा के 545 सदस्य हैं जिनमें 530 सदस्य राज्यों में से तथा 13 संघीय क्षेत्रों में से चुने जाते हैं तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग से मनोनीत किए गए हैं।

1. अण्डेमान निकोबार द्वीप समूह	01	2. चण्डीगढ़	01
3. दादरा एवं नगर हवेली	01	4. दमन व देव	01
5. दिल्ली	07	6. लक्ष्मीपुर	01
7. पुदुचेरी	01	8. मनोनीत (एंग्लोइंडियन)	02

कुल संख्या 545

13 सदस्य

भिन्न भिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में राज्य सभा सदस्यों की संख्या

राज्य	सीटें
1 to 29	530
संघीय क्षेत्र	सीटें
1 to 7	13
मनोनीत सदस्य	02
कुल सदस्य	545

लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी अनिवार्य है।

गतिविधि-

- वर्तमान समय आप के राज्य पंजाब में लोकसभा तथा राज्यसभा के कौन-कौन से सदस्य हैं? अपने अध्यापक महोदय की सहायता से इन के नाम अपनी स्क्रेप बुक नोट बुक पर लिखें।
- भारत के राजनीतिक मानचित्र पर प्राँत के अनुसार लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की संख्या के स्टीकर बनाएं व सम्बंधित राज्यों में मानचित्र पर चिपकाएँ लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दर्शाने के लिए दो भिन्न भिन्न मानचित्रों का प्रयोग किया जाए।

लोकसभा अध्यक्ष एवम् उप-अध्यक्ष (स्पीकर एवम डिप्टी स्पीकर)लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष (स्पीकर) व एक उप-अध्यक्ष (डिप्टी स्पीकर) का चुनाव करते हैं अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष का दायित्व निभाता है।

राष्ट्रपति :- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति को संसद का अंग माना जाता है। क्योंकि संसद द्वारा पास किए बिल उस समय तक कानून का रूप धारण नहीं कर सकते जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है तो राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है उसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में राज्य सभा, लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। देश का समूचा शासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है।

राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएँ (अनुच्छेद 58 के अनुसार)

- वह भारत का नागरिक हो।
- वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यताएँ पूरी करता हो।
- वह भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय सरकार के अन्तर्गत किसी लाभकारी पद पर आसीन न हो।

चुनाव:- भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से किया जाता है। जिसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों व केन्द्रीय प्रदेशों (दिल्ली व पांडेचरी) के विधान सभायों के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते।

कार्यकाल : भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। यह समय उसके पद ग्रहण की तिथि से गिना जाता है। उसे महादोष का अभियोग चलाकर संसद द्वारा 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है। नए राष्ट्रपति का चुनाव कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त होने से पूर्व कर लिया जाता है। यदि ऐसा न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति उस समय तक अपने पद पर रहता है जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता। त्याग पत्र देने के कारण अथवा महादोष के अभियोग के कारण रिक्त हुए पद पर नए राष्ट्रपति का चुनाव छः मास के अन्दर करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचन तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।

छात्रो! आपको स्मरण होगा कि डॉ.राजेन्द्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये लगातार दो बार राष्ट्रपति चुने गये थे

शक्तियाँ : राष्ट्रपति को संविधान में असीम शक्तियाँ प्राप्त हैं। परन्तु संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमण्डल के परापर्श से करेगा। वास्तव में राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमण्डल द्वारा किया जाता है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्य पालिका कहा जाता है।

1. वैधानिक शक्तियाँ :- भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल को किसी महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाने के लिए कह सकता है। ऐसे विषय पर मंत्रिमण्डल को गभीरता से विचार करना पड़ता है। नई चुनी हुई लोकसभा के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति सम्बोधित करता है। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। संसद द्वारा पारित किया विधेयक उस समय तक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर न किए जाए।

2. कार्यकारी शक्तियाँ:- राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवम् उसके साथी मंत्रियों की नियुक्ति करता है एवम् उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है।

राष्ट्रपति विदेश में भेजे जाने वाले राजदूतों की नियुक्ति करता है। देश के सभी उच्च पदों की नियुक्ति को स्वकृति प्रदान करता है। देश के सभी उच्च पदों की नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। जैसे संघ लोक सेवा आयोग, मानवीय अधिकार आयोग, चुनाव आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति एवं मूल जनजाति के सभापति एवं सदस्यों की नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। सरकार के कानूनी परामर्शदाता, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीशों की नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं।

3. वित्तीय शक्तियाँ:- राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय बिल (बजट) वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पेश करवाता है। धन विधेयक लोकसभा में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ज़रूरी है।

4. न्यायिक शक्तियाँ:- संविधान द्वारा राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। भारत का राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दण्ड को कम या क्षमा कर सकता है। मृत्युदण्ड को उम्र कैद में परिवर्तित कर सकता है।

5. आपातकालीन शक्तियाँ:- भारत के राष्ट्रपति महोदय को संकटकाल का सामना करने के लिए निम्नलिखित विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं

- i. राष्ट्रीय संकटकाल (अनुच्छेद 352)
- ii. संवैधानिक संकटकाल (अनुच्छेद 356)
- iii. वित्तीय संकटकाल (अनुच्छेद 360)

भारत के राष्ट्रपति महोदय को लोकसभा में 2 अंगल भारती जाति के सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। इसी प्रकार राष्ट्रपति राज्य सभा में 12 सदस्य (जो विज्ञान, कला, साहित्य, सहकारिता एवं समाज सेवा के क्षेत्र में अगणी या अनुभवी हैं) को मनोनीत करने का अधिकार है।



राष्ट्रपति भवन

भारत के राष्ट्रपति को रहने के लिए निःशुल्क निवास स्थान दिया जाता है। संसद द्वारा समय पर पारित किए जानुनों के अनुसार वेतन एवं भत्ते मिलते हैं राष्ट्रपति के वेतन व भत्तों को उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के आवास को राष्ट्रपति भवन कहा जाता है जो कि भारत की राजधानी दिल्ली में है।

भारत के राष्ट्रपति जो 1950 से वर्तमान समय तक हैं, की सूची तैयार करके कॉपियों पर लगायें और यह भी जानने की कोशिश करें कि कौन इस पद पर दो बार राष्ट्रपति रहे हैं।

मंत्रिपरिषदः- भारत ने स्वाधीनता के पश्चात् संसदीय प्रणाली को अपनाया है संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होती है वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। जिसका (प्रधान)प्रधानमंत्री होता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता करने एवं राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श के साथ कार्य करेगा। मंत्रीपरिषद् में तीन प्रकार के मंत्री होंगे।

1. केबिनेट मंत्री : केबिनेट मंत्री, मंत्री परिषद में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं ये विभागों के प्रमुख (मुखी) होते हैं। प्रधानमंत्री भी केबिनेट मंत्री ही होता है। केबिनेट अथवा मंत्रिमण्डल जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। देश के लिए नीति निर्माण करने वाली वास्तविक संस्था यही है। मंत्रिमण्डल की सभा में केवल केबिनेट मंत्री ही भाग ले सकते हैं। केबिनेट मंत्री का पद ऊँचा होता है।

2. राज्यमंत्री : राज्य मंत्री का पद केबिनेट मंत्रियों के नीचे होता है। इनको विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी दिया भी जा सकता है अथवा नहीं भी दिया जा सकता। राजमंत्री केवल उसी समय ही केबिनेट की सभा में भाग ले सकते हैं जब उन्हें सभा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया हो।

3. उपमंत्री: मंत्री परिषद में उपमंत्री तीसरे स्थान पर आते हैं। उपमंत्री केबिनेट मंत्रियों के विभागें के कार्यों में सहायता करते हैं। उपमंत्री कभी भी मंत्रिमण्डल की सभाओं में भाग नहीं ले सकते। न ही इन्हे किसी विभाग का स्वतंत्र कार्य दिया जाता है। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते समय समय पर संसद द्वारा तय किए जाते हैं।

4. संसदीय सचिव: संसदीय सचिव मंत्री नहीं होते इनका कार्य विभाग के मंत्रियों के कार्य में सहायता करना होता है।

छात्रो! स्मरण रहे कि सभी मंत्री मंत्रि-परिषद के सदस्य होते हैं परन्तु उनमें कुछ विशेष मंत्री ही मंत्रिमण्डल के सदस्य होते हैं।

मंत्रियों की नियुक्ति :

1. लोकसभा के चुनाव के पश्चात् बहुमत प्राप्त करने वाला दल अपना एक नेता चुनता है। इस नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इसके पश्चात् प्रधानमंत्री अपने साथी मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति इन मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है।


2. मंत्री बनने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री पद सौंपने के लिए राष्ट्रपति को सिफरिश की जा सकती है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो पर ऐसा व्यक्ति छः मास तक अपने पद पर रह सकता है छः मास के भीतर उसे संसद के किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। यदि वह ऐसा करने में असफल होता है तो उसे मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा।

3. प्रधानमंत्री द्वारा त्याग पत्र देने अथवा उसकी मृत्यु हो जाने पर मंत्रिमण्डल भंग हो जाता है

गतिविधि:- अपने अध्यापक की सहायता से 14वीं और 15वीं लोकसभा में बनी मंत्रिपरिषद के ऐसे मंत्रियों के नाम जानने की काशिश करों जो मंत्रिपद ग्रहण करने के समय संसद के मैंबर नहीं थे पर छः महीने के अन्दर लोक सभा / राज्य सभा के मैंबर बने।

मंत्रिपरिषद का सामूहिक दायित्व:- मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पास कर दें तो सारे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। यदि किसी एक विभाग के लिए मंत्रिपरिषद नीति निर्णय लेता है। तो इसका दायित्व सारे मंत्रिपरिषद का होता है।

मंत्रीयों की व्यक्तिगत ज़िम्मेवारी:- प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप में भी अपने विभाग के लिए ज़िम्मेदार है यदि किसी विभाग का कार्य ठीक न चल रहा हो तो प्रधानमंत्री ऐसे मंत्री से त्याग पत्र मांग सकता है। यदि वह त्याग पत्र नहीं देता तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कह कर उस मंत्री को निष्कासित करवा देता है।



प्रधानमंत्री:- प्रधानमंत्री संसदीय सरकार में देश का वास्तविक शासक होता है। सारा देश उसकी ओर देखता है प्रधानमंत्री को देश का नेता भी कहा जाता है वास्तव में देश के मतदाता पार्टी को नहीं चुनते अपितु प्रधानमंत्री को ही चुनते हैं। लोक सभा के चुनाव के पश्चात् जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री बनाय जाता है। बहुमत दल का नेता होने के कारण प्रधानमंत्री लोकसभा का भी नेता होता है। गठबंधन सरकार में कई दल मिलकर अपने नेता का चुनाव करते हैं उसी नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री चुना जाता है।

छात्रो ! क्या आपको मालूम है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।

शक्तियाँ:-

1. प्रधानमंत्री मंत्री परिषद् का निर्माण करता है।
2. मंत्रियों में विभागों का वितरण करता है।
3. वह मंत्रियों के विभागों में सामंजस्य पैदा करता है मंत्रियों के विभागों में आने वाले गतिरोध को दूर करता है।
4. प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन कर सकता है।
5. प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री से त्याग पत्र की मांग कर सकता है।
6. मंत्री परिषद का पुनर्गठन भी कर सकता है।
7. वह राष्ट्रपति व मंत्रिमण्डल के बीच कड़ी का काम करता है। मंत्रिमण्डल के निर्णय के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को जानकारी देता है। प्रधानमंत्री की आज्ञा के बिना कोई भी मंत्री अपने विभाग सम्बन्धी किसी भी तरह की बातचीत के लिए राष्ट्रपति को नहीं मिल सकता।
8. प्रधानमंत्री मंत्रिमण्डल की बैठकों का कार्यक्रम तैयार करता है व बैठकों की अध्यक्षता करता है।
9. प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देकर लोकसभा को भंग करवा सकता है।

प्रधानमंत्री की शक्तियों को देखकर ऐसा प्रतीत करता है कि देश का शासन एक व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है। कुछ आलोचक तो यहाँ तक कहते हैं कि संसदीय सरकार का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सरकार ही क्यों न रख दिया जाए। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का प्रयोग संविधान के घेरे में रहकर ही करता है। प्रधानमंत्री को अपने पद के शपथ ग्रहण करते समय संविधान पालन करने की शपथ ग्रहण करनी होता है। यदि कोई प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का अनुचित प्रयोग करता है तो उसे जनादेश का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री व मंत्रिमण्डल जनादेश की उल्लंघना का साहस नहीं कर सकते हैं। परन्तु उचित जनादेश के लिए शिक्षित व चेतन नागरिकों का होना अनिवार्य है नागरिकों में जितनी चेतनता आएगी-लोकतंत्र उतना ही सुद्धढ़ एवं सशक्त होगा।

अभ्यास

1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न

◆ (क) रिक्त स्थान भरें:-

1.सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति करते हैं।
2. भारत के राष्ट्रपति महोदय अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोगके परामर्श से करते हैं।

◆ (ख) बहुविकल्पी प्रश्न

1. भारत में कानून निर्माण की अन्तिम शक्ति किसके पास है?
(अ) मंत्रिमण्डल (आ) संसद (इ) लोकसभा (ई) राष्ट्रपति
2. मंत्रिमण्डल की सभाओं की अध्यक्षता करता है
(अ) राष्ट्रपति (आ) राज्यपाल (इ) प्रधानमंत्री (ई) दल का प्रमुख

◆ (ग) निम्नलिखित कथनों में सही के लिए तथा गलत के लिए चिन्ह लगाएं।

1. प्रधानमंत्री देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। ()
2. भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति सम्मिलित हैं। ()

2. अति लघु उत्तरों वाले प्रश्न

1. भारत में संघ व राज्यों में कौन सी शासन-प्रणाली अपनाई गई है?
2. संसदीय प्रणाली में देश की वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है?
3. भारत में नाम मात्र कार्यपालिका कौन है?
4. राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है?
5. संसदीय प्रणाली की कोई दो विशेषताएं लिखे।
6. भारत में संसद के निम्न सदन को क्या कहा जाता है?
7. राज्य सभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है?
8. राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
9. कैनेडा व आस्ट्रलिया में देश के प्रमुख के पद का नाम क्या है?
10. प्रधानमंत्री व मंत्रियों को उनके पद की शपथ ग्रहण कौन करवाता है?

11. मंत्रिमण्डल की सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है ?
12. कार्यपालिका व विधानपालिका के पारस्परिक सम्बन्धों के आधार पर शासन प्रणाली के कौन से दो रूप होते हैं ?
13. संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है?
14. इंग्लैण्ड में संसद के उच्च व निम्न सदन को क्या कहते हैं?

संसद के चल रहे समागम दौरान टैलीविजन पर दिखाई जा रही कार्यवाही को देखें और पता करें कि किस किस विषय पर बहस चल रही है?

- स्पीकर की क्या शक्तियाँ हैं?
- विरोधी पार्टीयाँ क्या भूमिका निभाती हैं?

3. लघु उत्तरों वाले प्रश्न

1. प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है?
2. मंत्रियों की सम्मिलित ज़िम्मेवारी से क्या भाव है?
3. विधानपालिका मंत्रियों पर किस प्रकार नियंत्रण रखती है?
4. प्रधानमंत्री के किन्हीं तीन कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें।
5. लोकसभा की संरचना पर नोट लिखें।
6. राज्य सभा के सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है?
7. राष्ट्रपति की कोई चार शक्तियों का वर्णन करें।
8. मंत्री परिषद के गठन पर नोट लिखें?

4. दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न।

1. राज्य सभा की संरचना पर नोट लिखें।
2. संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर नोट लिखें।
3. राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता, चुनाव व क्रार्यकाल का संक्षेप में वर्णन करें।
4. मंत्रिपरिषद की सामूहिक व व्यक्तिगत ज़िम्मेवारी (दायित्व) से क्या अभिप्राय है? व्याख्या करें।

इकाई-6



1. लोकतंत्र व चुनाव राजनीति
2. संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार

अध्याय 13

लोकतंत्र व चुनाव राजनीति

विद्यालय में आधी छुट्टी का समय: भोजन करने के उपरांत परस्पर चर्चा कर रहे छात्र मनदीप (बारहवीं कक्षा) : मित्रो ! एक नई बात सुनो- मैं भी बन सकता हूँ मतदाता इस बार।

दिलावर (हर्ष व उत्सुकता के साथ पूछा) “ अच्छा ! कब और कैसे ?, मैं अगले मास 18 वर्ष की आयु पूरी कर लूँगा एवम मतदान कर सकूँगा ! ”

“ परन्तु मैं भी नवम्बर मे 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लूँगा । ” सनदीप ने जोर से कहा ।

“ वाह । भई वाह । फिर तो तू भी बन गया मतदाता । ” मनदीप ने मुस्कुराते हुए कहा ।

सुनील (नवम कक्षा) “ भाई ! मुझे नहीं लगता कि मात्र 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही आप मतदाता बन जाएंगे-आपको मतदान का अधिकार मिल जाएगा अरे ! और भी कई शर्तें होंगी और दस्तावेज बनवाने पड़ेंगे । ”

भुपेन्द्र उत्सुकता से “ पर कौन से दस्तावेज और कैसे बनेंगे ये ?

मनदीप “ यानि, मतदाता पहचान पत्र ”

मनदीप “ मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ? कौन बनाएगा मतदाता पहचान पत्र ? आओ ! हम अपने अध्यापक महोदय से इसके विषय में विस्तार से जानकारी लें । ”

(सभी छात्र अपने अध्यापक के पास जाते हैं)

अध्यापक: (छात्रों से पूरी बात सुनने के पश्चात्) : “ यह तो अत्यन्त हर्ष का विषय है कि आप स्वतंत्र भारत के मतदाता बनने जा रहे हैं । देश की राजनीति में आपकी भी भागेदारी होंगी । आप भी अपनी सरकार का चयन करने के लिए भागीदार होंगे । अब आप ध्यान से सुनें-मतदान पहचान पत्र के लिए आप अपने बूथ स्तर के अधिकारी के पास जाएंगे । यह कार्य चुनाव से पहले निश्चय ही दोहराया जाएगा । नए मतदाता अपना नाम दाखिल करवाने के लिए तथा जिन मतदाताओं का वहाँ से स्थानांतरण हो चुका अथवा मृत्यु हो चुकी हो उनके नाम रद्द किए जाएंगे ।

इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज ज़मा करवाने होंगे:-

1. जन्म तिथि का प्रमाण पत्र,
2. आवास का प्रमाण पत्र
3. आधार कार्ड
4. फोटो



प्रति सम्बंधित अधिकारी को देनी होगी। समस्त कार्यवाही के उपरांत सम्बंधित अधिकारी आपका मतदान पहचान पत्र आपको सौंप देगा।

सभी विद्यार्थी, “वाह ! भाई वाह ! बन गए हम भारत के मतदाता !”

प्रिय छात्रो ! इस अध्याय में हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे-

- ◆ चुनाव क्या हैं?
- ◆ लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है?
- ◆ स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने का दायित्व भारतीय संविधान ने किसे सौंपा है?
- ◆ चुनाव में राजनैतिक दलों की क्या भूमिका है? चुनाव प्रक्रिया के कौन कौन से पड़ाव हैं?

गाँव, नगर, राज्य एवं देश का प्रशासन चलाने के लिए कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। निर्णय लेने के लिए लोगों का एकत्र होकर आपस में विचार विमर्श करना पड़ता है। वर्तमान युग में गाँव, नगर एवं देश की जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है। सबसे पहले हम गाँव का उदाहरण लेते हैं। क्या हम गाँव के सभी लोगों को एक स्थान पर एकत्र कर सकते हैं? हमें ऐसा करने के लिए बड़े हाल कमरे अथवा शामयाने का प्रबन्ध करना पड़ेगा। नगर की आबादी तो गाँव से भी अधिक होती है अतः नगर के लोगों को एक स्थान पर बिठाना और भी कठिन है। इसलिए गाँव व नगर की समस्याओं के समाधान के लिए निर्णय लेने का दायित्व स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को दिया जाता है। गाँव में ग्राम पंचायत व नगरों में नगर परिषद अथवा नगरपालिका की स्थापना की गई है। इसी प्रकार राज्य का प्रशासन चलाने के लिए राज्य विधान सभाओं एवं संपूर्ण देश की समस्याओं के समाधान एवं प्रबन्धन के लिए लोकसभा एवं राज्य सभा की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण एवं नागरिक स्थानीय संस्थाओं, विधान सभा तथा लोकसभा में लोगों द्वारा प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाते हैं जो देश का प्रशासन चलाते हैं। इन प्रतिनिधियों का चुनाव मतदाताओं द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि मतदाता अथवा वोटर कौन हैं? इसका उत्तर स्पष्ट है कि जिस नागरिक की आयु 18 वर्ष हो जाती है उसे मतदान का अधिकार मिल जाता है। जिसे मतदाता अथवा वोटर कहा जाता है। निर्वाचित होने वाले नागरिक के पदों को क्या कहा जाता है? इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना ज़रूरी है। ग्राम पंचायत के लिए चुने जाने वाले प्रत्याशी को पंच तथा नगरपालिका के लिए चुने जाने वाले प्रत्याशी को पार्षद कहा जाता है। विधान सभा के लिए चुने जाने वाले प्रत्याशी को एम एल ए अथवा विधायक कहा जाता है। जो प्रत्याशी लोकसभा अथवा राज्यसभा के लिए चुना जाता है उसे एम पी (मैंबर पार्लियामेंट) अथवा सांसद कहा जाता है। आजकल अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का युग है क्यों कि राज्यों की जनसंख्या करोड़ों में पहुँच चुकी है। सभी व्यक्तियों को प्रशासन के कार्यों में प्रतिभागी बनाना कठिन है इस लिए लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि जनता के लिए प्रशासन चलाने का कार्य करते हैं। इसलिए चुनाव आधुनिक लोकतंत्रिक युग में अत्यन्त ज़रूरी हैं।

चुनाव का महत्व: हमें निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर चुनाव का महत्व पता चलता है:-

1. राजनीतिक शिक्षा का मंच:- चुनाव लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। चुनाव लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। चुनाव के द्वारा नागरिकों को प्रशासन के कार्यों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। जिससे नागरिकों को प्रशासन चलाने में आत्म विश्वास उत्पन्न होता है।

2. व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि:- चुनाव के समय प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को नेता समझता है। चुनाव व्यक्ति में स्वाभिमान की भावना पैदा करता है। चुनाव के समय हर दल के नेता मतदाता को अपने पक्ष में करने के लिए उनके पास जाते हैं। चुनाव में जब उसकी पसन्द के उम्मीदवार विजय प्राप्त करते हैं तो उसे और भी अधिक गौरव महसूस होता है।

3. चुनाव सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं:- चुनाव के पश्चात् बहुमत प्राप्त करने वाले दल की सरकार बनती है। यदि निर्वाचित सरकार लोगों की इच्छाओं के अनुरूप प्रशासन नहीं चलाती अथवा लोगों के कल्याण से मुख मोड़ लेती है तथा अपनी मनमर्जी करती है एवं प्रशासन में भ्रष्टाचार फैलाती है तो लोग ऐसी सरकार को आगामी चुनाव में पराजित कर देते हैं इसलिए प्रत्येक सरकार को लोकमत का ध्यान रखना पड़ता है।

4. सरकार में परिवर्तन आसान है:- चुनाव के द्वारा अत्यन्त शाँतिपूर्वक ढंग से सरकार को परिवृत्त किया जा सकता है इसमें कोई विद्रोह अथवा रक्तपात नहीं होता। हम देखते हैं कि जिन देशों में चुनाव नहीं करवाए जाते वहाँ सरकार बदलने के लिए विद्रोह है व रक्तपात होता है। जिस प्रकार इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार का तख्ता पलटने के लिए रक्तपात हुआ। लीबिया में कर्नल गदाफी को सत्ता से हटाने के लिए रक्तपात हुआ। इसी प्रकार मिश्र में भी सरकार बदलने के लिए रक्तपात हुआ।

5. लोगों द्वारा विधान की पालना:- निर्वाचित सरकार में लोग कानून का पालन अत्यधिक रूचि से करते हैं क्योंकि उन्हें यह अहसास होता है कि यह सरकार उनके द्वारा निर्वाचित हुई है। प्रशासन में वे अपनी भागेदारी अनुभव करते हैं।

6. राष्ट्रीय एकता की भावना:- बहुदल प्रणाली वाले देशों में मतदाताओं के विकल्प का दायरा विशाल होता है। लोग अपनी अपनी विचारधारा के दल के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं। उन्हें अपनी पसन्द के उम्मीदवार के चयन का अवसर मिलता है। अतः लोगों में विद्रोह की आशंका कम होती है। देश भर में राष्ट्रीय एकता की भावना बनी रहती है।

7. समाज में समानता: भारत में प्रत्येक नागरिक को निर्धारित आयु (18 वर्ष) होने पर मतदान का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अमीर गरीब, स्त्री-पुरुष, शिक्षित अशिक्षित सभी को समान रूप से मतदान का अधिकार दिया जाता है। समानता लोकतंत्र का आधार है। हमारे संविधान में एक 'वयस्क, एक वोट-एक मूल्य' का सिद्धान्त लागू किया गया है। जिससे समानता लाने में बल मिलता है लोकतंत्र के समानता के सिद्धान्त की पूर्ति होती है।



चुनाव सम्बन्धी (मूल) आधारभूत जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् हम भारतीय निर्वाचन प्रणाली तथा भारत में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने वाली संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की चर्चा निम्नलिखित अनुसार करेंगे:-

लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रणाली

नियमित कालीन चुनाव संसदीय लोकतंत्र की अनिवार्य विशेषता है। चुनाव के बिना लोकतंत्र की स्थापना करना एक कल्पना ही लगती है। लोकतंत्र का मूल आधार नागरिकों को स्वेच्छा से अपने उम्मीदवार के चयन का अधिकार देना है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था की गई है। शेष चुनाव के लिए संसद समय समय पर व्यवस्था कर सकती है। लोकसभा, विधान सभा एवं स्थानीय संस्थाओं के चुनाव के लिए इकहरी वोटर सूची तैयार की जाती है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर उम्मीदवार को सभी धर्मों एवं वर्गों के लोग मिलकर चुनते हैं किसी विशेष धर्म अथवा वर्ग के लिए अलग चुनाव क्षेत्र नहीं बनाया जाता।

प्रिय छात्रों! भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव 1952 ई. में हुआ। एवं 2014 ई. में 16वीं लोकसभा निर्वाचित हुई।

भारतीय चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ :-

1. चुनाव व्यस्क मताधिकार के आधार पर करवाए जाते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष हो जाती है उसे मतदान का अधिकार प्राप्त हो जाता है।
2. चुनाव क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर करवाए जाते हैं सारे देश को समान चुनाव क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है।
3. एकल चुनाव क्षेत्र अर्थात् एक चुनाव क्षेत्र से एक ही उम्मीदवार का चयन किया जाता है।
4. चुने जाने के लिए साधारण बहुमत प्राप्त करने की व्यवस्था है। अर्थात् निर्वाचित में जिस उम्मीदवार को डाले गए कुल वैध मतों में से अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है।
5. लोक सभा, विधान सभा व स्थानीय संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रत्यक्ष चुनाव ढंग अपनाया गया है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का भाव है कि मतदाता प्रत्यक्ष रूप में मतदान केन्द्र पर जाकर अपनी पसन्द के उम्मीदवार के लिए मतदान करते हैं। परन्तु राज्य सभा एवं राज्यों में विधान परिषद् के चुनाव अप्रत्यक्ष ढंग से करवाए जाते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव भी अप्रत्यक्ष ढंग से करवाए जाते हैं।
6. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कुछ सीटें आरक्षित रखने की व्यवस्था है।
7. भारत का राष्ट्रपति राज्य सभा के लिए 12 व लोकसभा के लिए दो सदस्य मनोनीत कर सकता है।
8. भारत में मतदाताओं को अपना मत गुप्त रूप में प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए मतदान केन्द्रों में मतदाताओं के लिए पर्दे में मतदान की व्यवस्था की गई है। ताकि किसी अन्य व्यक्ति को मतदाता की पसन्द का ज्ञान न हो सके।

चुनाव सम्बन्धी विवाद का निपटारा:- चुनाव सम्बन्धी समस्त विवाद उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की व्यवस्था है। परन्तु राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही निपटाए जाते हैं।

चुनाव आयोग:- भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 324-(1) के अन्तर्गत एक संवैधानिक संस्था की स्थापना करने का उपबन्ध किया गया है जिसे चुनाव आयोग कहा जाता है। चुनाव आयोग एक सदस्यी, होगा अथवा बहु सदस्यी इसकी व्यवस्था का अधिकार भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति की इच्छा पर छोड़ दी है। वर्तमान चुनाव आयोग बहु सदस्यी है इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त व दो चुनाव आयुक्त हैं मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए कोई योग्यताएँ निर्धारित नहीं की गईं। परन्तु प्रायः ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचन आयोग का सदस्य बनाया जाता है। जिन्हें दीर्घकालीन प्रशासकीय अनुभव प्राप्त हो। चुनाव आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को अवधि से पहले तभी हटाया जा सकता है यदि संसद के दोनों सदन उसके विरुद्ध दो तिहाई बहुमत से दोष प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दे। दोष प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटा सकता है बाकी सदस्यों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

चुनाव आयुक्त के कार्य:-

1. लोकसभा, विधानसभा एवं स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचन के लिए मत सूचियाँ तैयार करवाना एवं उनमें संशोधन करवाना।
2. चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण व निरीक्षण करना।
3. चुनाव के लिए समय सूची तैयार करना, चुनाव करवाने के लिए चुनाव तिथियों की घोषणा करना, चुनाव से सम्बंधित साधारण नियम बनाना, मनोनीत पत्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना।
4. चुनाव दौरान राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों के लिए चुनाव आचार संहित लागू करना।
5. चुनाव चिह्न आवंटित करना एवं राजनैतिक दलों का पंजीकरण एवं मान्यता देना।
6. किसी विशेष कारण से चुनाव रद्द करना जैसे मतदान केन्द्रों पर बलात् अधिकार अथवा व्यापक स्तर पर हिंसा हो जाने कारण चुनाव आयोग चुनाव को स्थगित भी कर सकता है।
7. राजनैतिक दलों के लिए आकाशवाणी (रेडियो) व दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए दिन एवं समय निश्चित करना।
8. न्यायपालिका द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित व्यक्तियों के लिए कुछ छूट देना।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र के स्तम्भ हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव से अभिप्राय मतदाता किसी भी तरह के भय या तनाव से मुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दूसरा वह धन के लोभ में आकर मताधिकार का दुरुपयोग न करें। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर जब तक भारत का मतदाता चेतन नहीं हो जाता उस समय तक चुनाव में होने वाले विकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। यह सत्य है कि सरकार ने कई चुनाव सुधार किए हैं जैसे दल बदली अधिनियम के अन्तर्गत दल बदलने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई विजयी प्रत्याशी अपना दल बदलता है तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। परन्तु दल बदली अब भी किसी न किसी रूप में प्रचलित है। चुनाव से पूर्व कई उम्मीदवार टिकट के दावेदार होते हैं जिन प्रत्याशियों को पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिलता वे दूसरे राजनैतिक दलों में सम्मिलित कर लिए जाते हैं एवं उनको उस दल में ऊँचे पद दिए जाते हैं। जबकि उसी दल में दीर्घकाल से काम कर रहे व्यक्तियों की अवहेलना की जाती है। सन् 1988 में अनुच्छेद 326 के अन्तर्गत 61 वें संशोधन द्वारा मताधिकार प्राप्त करने के लिए कम से कम आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। ऐसा

करने का उद्देश्य था—युवा शक्ति की राजनीति में सहभागिता में वृद्धि करना। इसी संशोधन के अन्तर्गत ई. वी. एम. मशीनों की व्यवस्था की गई है। बूथ कैपचरिंग अर्थात् मतदान केन्द्रों पर बलात अधिकार करने के कारण भी चुनाव को स्थगित अथवा रद्द करने की व्यवस्था की गई है। ‘बूथ कैपचरिंग’ निम्नलिखित अपराधों को सम्मिलित किया गया है।

1. मतदान केन्द्र को एक व्यक्ति अथवा एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा घेर लेना तथा चुनाव अमले को आत्म समर्पण के लिए कहना।
2. मतदान केन्द्र पर अधिकार करके केवल अपने समर्थकों को मतदान करने देना एवं दूसरे दलों के समर्थकों को मतदान न करने देना।
3. मतदान केन्द्र की ओर आ रहे मतदाताओं को रोकना, भयभीत करना एवं धमकाना।
4. मतगणना वाले स्थान को एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा घेरना, गणना करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों से मतपेटियां अथवा ई. वी. एम. मशीनों को छीन लेना अथवा कुछ इस प्रकार की गतिविधि करना जिससे मतगणना में विषय उत्पन्न हो। राजकीय अमले द्वारा भी उक्त गतिविधियाँ करने को भी ‘बूथ कैपचरिंग’ ही कहा जाएगा। कानून के अनुसार मतदान केन्द्र पर (कब्जा) करने वाले साधारण व्यक्ति को कम से कम 6 मास की कारावास व जुर्माने का प्रावधान है। कारावास की अवधि को दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। परन्तु राजकीय कर्मचारी को कम से कम 1 वर्ष की कारावास एवं जुर्माना तथा कारावास की सजा को तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

चुनाव प्रक्रिया:- चुनाव कार्यक्रम के आरम्भ होने से चुनाव परिणामों तक के कार्य को चुनाव प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया के निम्नलिखित पड़ाव हैं:-

1. चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन:- लोकसभा के चुनाव के लिए समूचे देश को समान चुनाव क्षेत्र में विभाजित किया जाता है इसी प्रकार विधान सभा के चुनाव के लिए राज्य को समान चुनाव क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। यह कार्य योजनाबंदी आयोग द्वारा किया जाता है। इस आयोग का ‘मुख्य चुनाव आयुक्त’ भी सदस्य होता है। पंजाब में विधान सभा चुनाव के लिए 117 चुनाव क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं एवं लोकसभा चुनाव के लिए 13 चुनाव क्षेत्र बनाए गए हैं। चुनाव क्षेत्रों का विभाजन राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। सबसे अधिक लोकसभा व विधान सभा के चुनाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अन्य राज्यों से अधिक है।

2. चुनाव तिथियों की घोषणा:- मुख्य चुनाव आयोग लोकसभा व विधान सभा के लिए चुनाव करवाने के लिए समय सारणी तैयार करता है। इस समय सारणी के अनुसार केन्द्र में राष्ट्रपति महोदय व राज्यों में राज्यपाल महोदय अधिसूचना जारी करते हैं। अधिसूचना जारी होने के पश्चात् वास्तव में चुनाव प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है। जिसमें मतदाताओं को निर्धारित तिथि को अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए कहा जाता है।

3. नामांकण पत्र भरना:- चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रायः 8 दिन का समय नामांकण पत्र भरने के लिए दिया जाता है। रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा नामांकण पत्रों का निरीक्षण किया जाता है।

4. नामांकण पत्र वापिस लेना:- नामांकण पत्र प्रविष्ट करने की अंतिम तिथि के पश्चात् 2 दिन का समय नामांकण पत्र वापिस लेने के लिए दिया जाता है। इसके पश्चात् प्रत्याशियों की अन्तिम सूची तैयार की जाती है तथा चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं।

5. चुनाव अभियान:- नामांकण पत्र वापिस लेने की अंतिम तिथि के पश्चात् राजनैतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए 20 या इससे कम दिनों का समय दिया जाता है। इस समय के दौरान चुनाव लड़ रहे राजनैतिक दल अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हैं। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए राजनैतिक दल अपने चुनाव घोषणा पत्र जनता के समक्ष रखते हैं। जिसमें जनता के साथ बड़े लुभावने वायदे किए जाते हैं।


6. चुनाव प्रचार बन्द करना :- मतदान से 48 घण्टे पूर्व चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जाता है।

7. मतदान करना:- निश्चित तिथि को मतदाता मतदान के केन्द्रों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। मतदान का समय भी चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है।

8. मतगणना :- चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित तिथि को मतगणना अपने निरीक्षण में 'चुनाव अमले' द्वारा करवाई जाती है।

9. परिणाम :- मतगणना के पश्चात् विजयी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाती है।

चुनाव प्रक्रिया के कार्य को भली भाँति करने हेतु चुनाव आयोग केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों को चुनाव इयूटी पर तैनात किया जाता है। जिस समय तक चुनाव के कार्य सम्पन्न नहीं होता ये अधिकारी व कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन डेपुटेशन पर रहते हैं।



क्या आप जानते हैं

लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय संस्थाओं के चुनाव पाँच वर्ष के लिए करवाये जाते हैं

जिमनी चुनाव :- विजयी प्रत्याशी द्वारा त्याग पत्र देने अथवा उसके चुनाव के अयोग्य घोषित किए जाने अथवा देहाँत हो जाने के कारण रिक्त हुई सीट पर जो चुनाव कराए जाते हैं उस चुनाव को जिमनी चुनाव कहते हैं।

राजनीतिक दल :- राजनीतिक दल लोकतंत्र रूपी गाड़ी के पहिये होते हैं। बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की सकती। भारत में बहुदल प्रणाली है पर सन् 1989 तक मुख्य रूप से एक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही एकाधिकार रहा है। सन् 1989 के पश्चात् क्षेत्रीय दलों की स्थिति मज़बूत हुई है।

। ये दल केन्द्रीय सरकार में प्रतिभागी रहे हैं। सन् 1989 के पश्चात् गठबंधन सरकारों का रूझान बढ़ा है। 14 वीं व 15 वीं लोकसभा में कांग्रेस-गठबंधन को सत्ता प्राप्त हुई थी। परन्तु मई 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ।

भारत में दो प्रकार के राजनैतिक दल पाए जाते हैं राष्ट्रीय राजनैतिक दल व राज्य (क्षेत्रीय) राजनैतिक दल। दलों का चुनाव आयोग के पास पंजीकृत होना अनिवार्य है। चुनाव आयोग समय समय पर निर्धारित शर्तों के अनुसार राजनैतिक दलों को राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देता रहता है। जब कोई दल राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो उसे पक्का चुनाव चिन्ह आबंटित किया जाता है। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सी पी आई, सी पी आई (एम) टी.आई.सी. (तिरण्मूल कांग्रेस) एन.सी.पी. राष्ट्रीय राजनैतिक दल हैं। शिरोमणि अकाली दल, नेशनल



राष्ट्रीय राजनीति दल

कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, इण्डियन नेशनल लोकदल, डी एम के, ऐ . आई. ऐ . डी. एम. के., पी डी पी, असम गण परिषद, तेलगु देशम पार्टी, शिव सेना आदि क्षेत्रीय दल हैं। भारत में राजनैतिक दलों में स्पष्ट विचार धारा का अभाव है। परिणामस्वरूप दल के सदस्यों में अनुशासनहीनता पाई जाती है। सदस्यों में एक दल से दूसरे दल में जाने का रूझान बना रहता है। अधिकाँश दल विचार धारा की अपेक्षा व्यक्तित्व पर आधारित दल हैं।

गतिविधि

छात्रो! अपने परिवार एवम् आस पास के मित्र-गण से चर्चा करें कि किस किस ने पिछले चुनावों में भाग लिया एवम् उन्होंने प्रत्याशी अथवा दल के किंगूण से प्रभावित होकर उसके पक्ष में मतदान का किया।

अभ्यास

◆ 1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न

(क) रिक्त स्थान भरें:-

1. भारत में केन्द्रीय संसद के चुने हुए प्रतिनिधि को..... कहा जाता है।
2. प्रथम लोकसभा चुनावई. में हुआ।

3. मुख्या चुनाव आयुक्त तथा उप चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति..... द्वारा की जाती है।

◆ (ख) बहुविकल्पी प्रश्न

1. लोगों के प्रतिनिधि

- (अ) नियुक्त किए जाते हैं
(इ) लोगों द्वारा पक्के तोर पर चुने जाते हैं
- (आ) लोगों द्वारा निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं
(ई) राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं

2. निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र का स्तम्भ नहीं है

- (अ) राजनैतिक दल
(इ) गरीबी
- (आ) निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव
(ई) व्यस्क मताधिकार

◆ (ग) निम्नलिखित कथनों में सही के लिए तथा गलत के लिए चिन्ह लगाएं।

1. भारत में बहुदलीय प्रणाली है। ()
2. चुनाव आयुक्त का मुख्य कार्य चुनाव का निर्देशन, प्रबन्धन व निरीक्षण करना है। ()

2. अति लघु उत्तरों वाले प्रश्न

- ग्राम पंचायत के लिए चुने गए प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है?
- विधान सभा के लिए चुने गए प्रतिनिधि को क्या कहते हैं?
- चुनाव विधियों के नाम लिखें।
- राष्ट्रपति एवं मूल उपराष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा किया जाता है?
- भारत में चुनाव कराने वाली संस्था का क्या नाम है?
- भारत में चुनाव प्रणाली की कोई दो विशेषताएँ बतलाएं?
- चुनाव विवाद के सम्बन्ध में याचिका कहां दायर की जा सकती है?
- चुनाव आयोग के कोई दो कार्य लिखें।
- पंजाब विधान सभा के चुनाव क्षेत्र कितने हैं? अथवा पंजाब विधान सभा की कितनी सीटें हैं?
- भारत में चुनाव -प्रक्रिया का संचालन कौन करता है?
- मुख्य चुनाव आयुक्त व उप चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है?
- 'मुख्य चुनाव' आयुक्त व 'उप चुनाव आयुक्तों' के पद का कार्यकाल कितना है?

3. लघु उत्तरों वाले प्रश्न

- चुनाव का लोकतांत्रिक देशों में क्या महत्व है?
- चुनाव प्रक्रिया के पड़ावों की तालिका बनाएँ।
- चुनाव अभियान से क्या अभिप्राय है?
- 'मतदान केन्द्र' पर बलात अधिकार करने से क्या अभिप्राय है?
- राजनैतिक दलों की चुनाव में क्या भूमिका है?

6. भारत के कोई चार राष्ट्रीय दलों के नाम लिखें।
7. भारत के कोई चार क्षेत्रीय दलों के नाम लिखें।
8. 'मुख्य चुनाव आयुक्त' को पद से कैसे निष्कासित किया जा सकता है?

4. दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न:-

1. भारतीय चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन संक्षेप में करें।
2. चुनाव आयुक्त के कार्यों का संक्षेप में वर्णन करें।
3. चुनाव प्रक्रिया के मुख्य पड़ावों का संक्षेप में वर्णन करें।
4. चुनाव के महत्व पर संक्षेप में नोट लिखें।

अध्याय
14

संविधान के अन्तर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार

प्रिय विद्यार्थियों, मौलिक अधिकारों को जानने से पूर्व हम अधिकारों के सम्बंध में कुछ आधारभूत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

अधिकार क्या हैं?

अधिकार मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक हैं?

अधिकार का स्वभाव क्या है?

मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं?

मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में क्या प्रावधान हैं?

न्याय पालिका की न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति के सम्बन्ध में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि मौलिक अधिकार मौलिक कैसे हैं?

समाज में रहते हुए मनुष्य कई प्रकार की सुविधाओं का आनन्द लेते हैं जैसे: अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करता है। भाषण अथवा लिखित रूप में अपने विचार दूसरों तक सम्प्रेषित करता है। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता है। अपनी आजीविका कर्माने के लिए कोई भी व्यवसाय अपना सकता है। अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म की उपासना कर सकता है। मनुष्य संयुक्त रूप से रीति रिवाज़ एवं त्योहार मना सकते हैं। व्यक्तियों को पारिवारिक जिन्दगी जीने का सुविधा दी गई है। परन्तु ये सारी सुविधाएँ मनुष्य समाज में रहकर ही भोग सकता है। साधारण भाषा में इन सुविधाओं को ही 'अधिकार' कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसी सुविधा नहीं दी जा सकती जो समूचे समाज के हित में न हो। अधिकार व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा की गई वह उचित मांग है जिन्हें समाज एवं राज्य मान्यता देता है अधिकार में तीन तथ्य सम्मिलित हैं पहला गुण: व्यक्ति द्वारा किया गया उचित दावा, दूसरा तथ्य इस दावे को सामाजिक स्वीकृति एवं तीसरा तथ्य राजनैतिक मान्यता। अधिकार निःस्वार्थ होते हैं जिनमें सभी के हित का उद्देश्य निहित होता है। अधिकार व कर्तव्य को भिन्न नहीं किया जा सकता। जिस समय तक अधिकारों को राजनैतिक मान्यता नहीं मिलती उस समय तक अधिकार केवल नैतिक दावा ही रहते हैं अधिकारों का नैतिक होना भी ज़रूरी है। स्वतंत्रता, वैधानिक न्याय एवं प्रभुस्ता के साथ अधिकारों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अधिकारों का ही विस्तृत क्षेत्र है। संक्षेप में अधिकार व्यक्ति अथवा समूह का वह दावा है जो निःस्वार्थ भावना पर आधारित है। समाज द्वारा उसे मान्यता प्राप्त है एवं राज्यकी ओर से वैद्यानिक मान्यता प्राप्त है इन दावों में व्यक्ति और समाज दोनों का हित निहित है।

आओ! इस विषय पर चिन्तन करें कि अधिकार मनुष्य के लिए क्यों ज़रूरी है? ज़रा सोचिए—यदि व्यक्ति को अभिव्यक्ति करने, देश में भ्रमण करने, आजीविका के लिए राज्य द्वारा प्रमाणित कोई भी व्यवसाय अपनी योग्यता अनुसार अपनाने, अपनी श्रद्धा अनुसार किसी भी धर्म की उपासना करने व अपने रीति रिवाज़ व त्योहार मनाने की स्वतन्त्रता न हो तो क्या मनुष्य का मानसिक विकास हो सकेगे? नहीं। वास्तव में मानसिक विकास से ही व्यक्ति का शारीरिक विकास जुड़ा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं तो उसका शारीरिक विकास भी अच्छी तरह नहीं हो सकता। अधिकार व्यक्ति के सर्वतोमुखी विकास के लिए

अत्यन्त ज़रूरी हैं। व्यक्ति के विकास पर ही समाज का विकास निर्भर करता है। यदि व्यक्ति मानसिक व शारीरिक रूप से हष्ट-पृष्ट होंगे तभी समाज प्रगति करेगा और देश प्रगति करेगा।

अधिकार की परिभाषा:-

प्रो. लास्की के अनुसार: “अधिकार सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएं हैं जिन के बिना मानव का पूर्ण विकास नहीं हो सकता।”

वाइल्ड के अनुसार: “अधिकार कुछ कार्यों को करने के लिए आज़ादी की उचित मांग है।”

बोसांक के अनुसार: “अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है व राज्य लागू करता है।”

टी एच ग्रीन के अनुसार: अधिकार वे शक्तियां हैं जो मनुष्य के नैतिक प्राणी होने के कारण उसके व्यवसाय की पूर्ति के लिए आवश्यक होती हैं।

अधिकार के सम्बन्ध में आधारभूत जानकारी करने के उपराँत हम भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करेंगे।

नागरिक के मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान में नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास एवम् उनके गौरव को सुनिश्चित करने के लिए कुछेक उद्देश्य रखे गए हैं इसीलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों को संविधान में सम्मिलित करके उन्हीं उद्देश्यों की पूत का प्रयास किया है। किसी भी देश के लोकतांत्रिक स्वरूप की पुष्टि हमें उस देश द्वारा दिए गए नागरिकों के मौलिक अधिकारों से हो जाती है। स्वतन्त्रता से पूर्व भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। ‘भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन’ में समय समय पर मौलिक अधिकारों की मांग की गई। सन् 1895 में बालगंगाधर तिलक ने अंग्रेज़ों को स्वराज बिल पास करने को कहा। जिसमें भारतीय लोगों के लिए विचार प्रकट करने, कानून के समक्ष समानता एवम् कुछ अन्य अधिकारों की मांग की गई थी। जिसमें स्त्रियों व पुरुषों के लिए समानता के अधिकार की मांग की गई थी। परन्तु ब्रिटिश प्रशासन ने इन मांगों को रद्द कर दिया था। सन् 1935 ई. के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय लोगों के लिए मौलिक अधिकारों की सूचि को सम्मिलित नहीं किया गया था।

1946 ई. में ‘केबिनेट मिशन’ ने भारतीय लोगों के लिए मौलिक अधिकारों का समर्थन किया। संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों को संविधान में दर्ज करने के लिए एक परामर्श समिति का गठन किया था। इसके पश्चात् एक उपसमिति भी बनाई गई। जिसनें सूक्ष्म रूप में मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया। अन्ततः भारतीय संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों को संविधान में तीसरे भाग में दर्ज कर एक प्रशसनीय कार्य किया।

मौलिक अधिकारों का स्वरूप

1. अत्यन्त विस्तृतः- भारतीय संविधान में संलग्न मौलिक अधिकारों का काफी विस्तृत रूप में स्पष्टता पूर्वक वर्णन है। ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 32 तक दर्ज हैं। जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवम् शैक्षणिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार सम्मिलित है।



2. अधिकारों का नकारात्मक एवम् साकारात्मक स्वरूप :- मौलिक अधिकार जहाँ सरकार को कुछ कार्यों करने में प्रतिबंध लगाते हैं वहीं मौलिक अधिकार सरकार को सकारात्मक आदेश भी देते हैं अतः इनका नकारात्मक व साकारात्मक स्वरूप है। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार सरकार को धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करने से रोकते हैं दूसरी और शोषण विरुद्ध अधिकार सरकार को व्यक्तियों के हर प्रकार के शोषण रोकने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है।

3. विदेशी व नागरिक में अंतर:- मौलिक अधिकारी विदेशी व नागरिक में अन्तर स्पष्ट करते हैं कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिक ही प्राप्त कर सकते हैं कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनका आनन्द विदेशी एवम् नागरिक दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ बनाने, बिना हथियार इकट्ठे होकर सभा करने एवं सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार केवल नागरिक को ही प्राप्त है परन्तु कानून के सामने समानता एवम् धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार विदेशी व नागरिक दोनों को समान रूप में प्राप्त है।

4. पुलिस एवम् सुरक्षा बलों के मौलिक अधिकारों पर कुछ सीमा तक प्रतिबन्ध:- पुलिस एवं सुरक्षा बलों के अधिकारियों व कर्मचारियों के मौलिक अधिकार कुछ सीमा तक संसद द्वारा सीमित किए गए हैं। ऐसी इसलिए किया गया है कि देश का प्रबन्ध चलाने में कुशलता आए एवं देश की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जा सके। देश की एकता व अखण्डता को अक्षुण्ण रखा जा सके। मौलिक अधिकारों को देश में राष्ट्रीय संकट की घोषणा होने पर राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जा सकता है।

5. ये अधिकार असीमित नहीं हैं:- मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं इन के प्रयोग के साथ साथ उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी भारतीय संसद को दिया गया है।

6. मौलिक अधिकार नागरिक एवम् राजनैतिक दोनों स्वरूप के हैं:- कुछ मौलिक अधिकार नागरिक स्वरूप के हैं तथा कुछ राजनैतिक स्वरूप के हैं जैसे संघ बनाने, विचार प्रकट करने व बिना हथियार इकट्ठे होने राजनैतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। समानता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा सम्बन्धी अधिकार नागरिक अधिकार हैं। संविधान निर्माताओं ने आर्थिक एवम् सामाजिक अधिकारों की आवश्यकता का अनुभव करते हुए राजनीति के निर्देशक सिद्धान्तों के अधीन दर्ज किया है।


7. मौलिक अधिकारों की उल्लंघना नहीं की जा सकती :- विधानमण्डल साधारण कानून पास करने की विधि द्वारा एवं कार्यपालिका किसी आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। यदि विधान मंडल का कानून अथवा कार्यपालिका का आदेश ऐसा करता है तो भारतीय न्याय पालिका ऐसे कानून अथवा आदेश को रद्द कर सकती है।

8. मौलिक अधिकार न्यायसंगत है: ये अधिकार न्याय संगत है अर्थात् कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जा सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत में जाने का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार ही है।

मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण:- संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकार छः प्रकार के हैं। पहले इनकी संख्या सात थी परन्तु 1978 में 44 वें संविधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से रद्द कर दिया गया। अनुच्छेद 300 (ए) के अन्तर्गत इसे साधारण कानूनी अधिकार बना दिया। सन् 2002 में भारतीय संसद ने 86 वें संशोधन द्वारा बगां के शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। पर इस मौलिक अधिकार को संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों की सूचि में नया नम्बर नहीं दिया गया। इस अधिकार को अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार के अन्तर्गत 21 ए में सम्मिलित किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण निम्नलिखित अनुसार है:-

- (i) समानता का अधिकार अनुच्छेद (14 से 18)
- (ii) स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद (19 से 22)
- (iii) शोषण विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद (23 से 24)
- (iv) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद (25 से 28)
- (v) सांस्कृतिक एवं मूल्यशिक्षा सम्बन्धी अधिकार अनुच्छेद (29 से 30)
- (vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद (32)

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की धारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है।



मौलिक अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है- (i) समानता का अधिकार (14-18):- इस अधिकार के अन्तर्गत पाँच प्रकार के अधिकार सम्मिलित किए गए हैं।

1. विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14):- सभी नागरिक कानून के समक्ष समान माने जाते हैं। कोई भी नागरिक चाहे वह ऊँचे से ऊँचे पद पर हो पर वह कानून से ऊपर नहीं है। कानून किसी भी व्यक्ति के साथ नस्ल, धर्म, जाति एवं मूलिक लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत इसका वर्णन किया गया है।

2. भेदभाव का निषेध:- (अनुच्छेद 15) के अधीन किसी भी तरह के भेदभाव का निषेध किया गया है। किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थान, होटल रेस्टोरेंट, पार्क, दुकान एवं मनोरंजन वाले स्थानों पर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर जाने से रोका नहीं जा सकता। संविधान में इस तरह का उपबन्ध सामाजिक समानता लाने के लिए किया गया है।

3. अवसर की समानता:- (अनुच्छेद 16) के अधीन भारत के नागरिकों को सरकारी पद प्राप्त करने एवं उनकी योग्यता अनुसार समानता के अवसर देने की व्यवस्था की गई है। किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर सरकारी पद प्राप्त करने में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। यह अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से एकल नागरिकता को प्रकट करता है।

4. अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार:- अनुच्छेद 17 के अधीन भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इस अधिकार की व्यवस्था की गई है। अस्पृश्यता फैलाने अथवा व्यवहार में लाने वाले व्यक्ति को कानून के अन्तर्गत दण्ड दिया जा सकता है। कानून के अनुसार इस कुरीति की समाप्ति उन लाखों लोगों के लिए की गई है जो सदियों से समाज में दुर्व्यवहार का शिकार होते आ रहे हैं।

5. उपाधियों का अंत:- अनुच्छेद 18 के अन्तर्गत अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त सभी उपाधियों या उपनामों का अंत कर दिया गया है। अब केवल सैनिक एवं शैक्षिक सम्मान ही दिए जा सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा दिए गए उपनाम एवं उपाधियाँ समाज में भेदभाव उत्पन्न करते थे। भारत का राष्ट्रपति भारत के उस नागरिक को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान कर सकता है जिसने सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त की है। इन सम्मानों में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री सम्मिलित हैं।

अनुच्छेद 14 से 18 तक सलंगन मौलिक अधिकार कानूनी, राजनैतिक एवं सामाजिक समानता लाने का प्रावधान करते हैं परन्तु राजनैतिक समानता आर्थिक समानता के बिना अर्थहीन प्रतीत होती है।

(ii) स्वतंत्रता का अधिकार: (अनुच्छेद 19 से 22) अनुच्छेद 19 के अधीन भारतीय नागरिक को छः प्रकार प्रकट की स्वतंत्रता दी गई है जिनका परिचय निम्नलिखित अनुसार है-

- (क) विचार प्रकट करने व भाषण देने की स्वतंत्रता
- (ख) शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने व सभा करने की स्वतंत्रता
- (ग) भारत के किसी भी क्षेत्र में भ्रमण करने की स्वतंत्रता
- (घ) संघ बनाने की स्वतंत्रता
- (ड) देश के किसी भी भाग में निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता (अपवाद जम्मू कश्मीर)
- (च) कोई भी काम, व्यापार अथवा आजीविका चलाने की स्वतंत्रता

उपर्युक्त छः प्रकार की स्वतंत्रताएं व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी हैं परन्तु ये स्वतंत्रताएं असीमित नहीं हैं। हर स्वतंत्रता के साथ वांछित प्रतिबंध भी लगे हैं। भाषण देने एवं विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता लोकतंत्र की सफलता के लिए अत्यन्त ज़रूरी है। लोग अपने विचारों को भाषण अथवा लेखन द्वारा प्रकट कर सकते हैं। भाषण की स्वतंत्रता विचार विनिमय एवं लोकमत के निर्माण के लिए भी ज़रूरी है इस स्वतंत्रता के बिना संसदीय लोकतंत्र प्रभावशाली नहीं है। राज्य इस आज़ादी पर देश की सुरक्षा, कानूनी व्यवस्था, पड़ौसी देशों से मधुर सम्बन्ध एवं नैतिकता को ध्यान में रखते हुए, उचित प्रतिबन्ध भी लगा सकता है। बिना हथियार इकट्ठे होने की स्वतंत्रता के साथ सभाएं करने, रैली करने एवं शोभा यात्राएं निकालने का अधिकार भी मिला है परन्तु इस अधिकार के साथ भी उचित प्रतिबंध भी है जैसे सभाएं शांतिपूर्वक व बिना हथियारों के हो। सार्वजनिक सभाएं, यात्राएं व रैलियाँ शांतिपूर्वक होनी चाहिए। ये प्रतिबन्ध लोकतन्त्र में शांतिपूर्वक ढंग से काम करने के लिए अनिवार्य हैं। लोकतांत्रिक सरकार प्रेरणा पर आधारित होती है हमारा संविधान नागरिकों को अपनी इच्छानुसार आजीविका या व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देता है। व्यवसाय की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक समाज के विकास के लिए ज़रूरी है।

अनुच्छेद 20 से 22 नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 में व्यवस्था है-

(क) व्यक्ति को किसी ऐसे कानून की उल्लंघना करने की सज़ा नहीं दी जा सकती जो

कानून उसके अपराध के समय लागू नहीं था।

(ख) किसी भी व्यक्ति को एक अपराध की एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती।

(ग) किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

(घ) अनुच्छेद 21 के अनुसार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को उसके जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से अलग नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 21-ए शिक्षा का अधिकार:- संविधान के 86वें संशोधन द्वारा सन् 2002 में नागरिकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया जिसके अन्तर्गत छः से चौदह वर्ष तक के बगाँ को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी।



अनुच्छेद 22 के अधीन बंदियों के सम्बन्ध में ये अधिकार दिए गए हैं-

(क) किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध बताए बिना हिरासत में नहीं लिया जा सकता।

(ख) अपराधी को कैद करने के 24 घण्टे के अन्तर्गत नज़दीक के दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना ज़रूरी है।

(ग) न्यायालय के आदेश के बिना किसी भी दोषी को 24 घण्टों से अधिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

(iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24) के अन्तर्गत यह अधिकार व्यक्तिगत गरिमा को सुनिश्चित बनाने के लिए दिया गया है। जो कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में घोषित है। अनुच्छेद 23 हर प्रकार की बंधुआ मज़दूरी, बेगार एवम् मानवीय व्यापार का निषेध करता है। इन प्रथाओं को व्यवहार में लाना एक दंडनीय कानूनी अपराध है। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए राज्य व्यक्तियों से अनिवार्य सेवाएं ले सकता है। परन्तु ऐसा करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। अनुच्छेद 24 बच्चों की सुरक्षा के लिए है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से फैक्टरी, खानों एवम् अन्य जोखिम से परिपूर्ण स्थानों पर काम लेने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

(iv) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28) (क) अनुच्छेद 25: सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म अपनाने, विश्वास एवम् उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह अधिकार भारत के संविधान की प्रस्तावना में दिए भारत के धर्म निरपेक्ष होने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत में रह रहे विदेशियों को भी समान रूप से प्राप्त है।

(ख) अनुच्छेद 26: व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने, धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने उनमें चल व अचल सम्पत्ति रखने व उसका प्रबन्ध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। परन्तु इसके साथ साथ सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य एवम् नैतिकता का ध्यान रखना ज+रुरी है। अनुच्छेद 27: के अन्तर्गत धर्म के नाम पर बलात् चन्दा आदि लेने पर भी प्रतिबन्ध है किसी भी व्यक्ति से कोई भी धार्मिक संस्था बलात् धन की वसूली नहीं कर सकती। अनुच्छेद 28: के अन्तर्गत राज्य विधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने पर प्रतिबन्ध लगा है। निजी क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाएं धार्मिक शिक्षा दे सकती हैं परन्तु किसी भी विद्यार्थी को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।

(v) संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार :- (अनुच्छेद 29-30) (क) अनुच्छेद 29 के अन्तर्गत: अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को जीवित रखने के लिए अधिकार दिया है। इसी अधिकार के अन्तर्गत राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ी श्रेणियों अनुसूचित जातियों एवम् जनजातियों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में सीटें आरक्षित कर सकता है।

(ख) अनुच्छेद 30 के अधीन: भाषा एवम् धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं एवम् उनका प्रबन्ध चला सकते हैं। राज्य शिक्षा संस्थाओं को वित्तीय अनुदान व सहायता देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि वे अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाई जा रही हैं।

(vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार:- (अनुच्छेद 32) भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संविधान में संलग्न करने के साथ साथ इन अधिकारों को लागू करने का प्रावधान भी किया है। भारत के नागरिक मौलिक अधिकारों की उल्लंघना की अवस्था में राज्य के उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालयों में जा सकते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए पाँच प्रकार की रिट्रैट जारी कर सकती हैं जैसे -

(क) बंदी प्रत्यक्षीकरण (ख) परमादेश (फरमान लेख) (ग) प्रतिषेध-लेख (घ) अधिकार: पृथक्कालेख (ड+) उत्प्रेषण लेख।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत न्याय पालिका की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता

न्यायपालिका की स्वतंत्रता से अभिप्राय है कि न्यायाधीश किसी भी प्रकार के नियंत्रण अथवा प्रभाव से मुक्त होने चाहिए। ताकि वह निर्भय होकर न्याय कर सके। देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका नागरिकों के अधिकार एवम् संवैधानिक सरकार के लिए अत्यन्त अनिवार्य है। संविधान निर्माता स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता सम्बन्धी; सचेत थे ताकि देश में लोकतांत्रिक सरकार सफलतापूर्वक कार्य कर सके। इसलिए संविधान निर्माताओं ने न्याय पालिका की स्वतंत्रता व निष्पक्षता के लिए निम्नलिखित उपबंध किए हैं -

(क) सुप्रीमकोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी मनमज्जी नहीं कर सकता। जजों के लिए निर्धारित योग्यताओं के आधार पर नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सुप्रीमकोर्ट के मुख्य जज व कुछ अन्य जजों की परामर्श भी लेता है।

- (ख) संविधान जजों के पद की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाता है। सुप्रीमकोर्ट के जज 65 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। जजों को हटाने की विधि कठिन है। जजों के अपने दुर्व्यवहार एवं अयोग्यता के कारण राष्ट्रपति द्वारा तभी हटाया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदन उनके विरुद्ध उपस्थित एवं वोट देने वालों के दो तिहाई बहुमत तथा कुल सदस्यों के बहुमत से दोष प्रस्ताव पारित हो जाए।
- (ग) सुप्रीमकोर्ट के जजों के वेतन एवं भत्ते उनके कार्यकाल दौरान कम नहीं किए जा सकते।
- (घ) सुप्रीमकोर्ट के जजों का वेतन एवं भत्ते एवम् सुप्रीमकोर्ट का अन्य प्रबन्धकीय व्यय भारत के संचित निधि से दिया जाता है जिसे संसद के लेखा गई से मुक्त रखा गया है।
- (ङ) संसद सुप्रीमकोर्ट की शक्तियों में वृद्धि तो कर सकती है परन्तु उन शक्तियों को कम नहीं कर सकती।
- (च) सुप्रीमकोर्ट के सेवानिवृत जज किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते।
- (छ) सर्वोच्च न्यायालय अपने प्रबन्धकीय अमले की भर्ती एवं सेवाशर्तों (दशाओं) के लिए स्वतंत्र है।
- (ज) सर्वोच्च न्यायालय के पास मानहानि करने वाले व्यक्तियों को दण्ड देने की शक्ति है न्यायपालिका की स्वतंत्रता व सुरक्षा के लिए संविधान ने उपर्युक्त प्रावधान किए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जजों ने अपने साहस व बुद्धिमत्ता से भारत में कानून का शासन लागू करना सुनिश्चित बनाया है।


प्रिय छात्रों! आपकी जानकारी के लिए आपको विदित कराया जाता है कि भारत में केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवीय अधिकार आयोग की स्थापना दिसम्बर, 1993 में की गई है। इसी प्रकार राज्यों में भी मानवीय अधिकार आयोग की स्थापना की गई है ताकि विभिन्न स्तरों पर मानवीय अधिकारों के हनन को रोका जा सके एवम् मानवीय अधिकारों को सुरक्षित बनाया जा सके।

न्यायिक पुनर्निरीक्षण :- न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिप्राय है कि न्यायपालिका के पास विधानमण्डल द्वारा पारित किए कानून एवं कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेशों को संविधान की कसौटी पर परखने की शक्ति है। यदि विधानमण्डल का पास किया कानून अथवा कार्यपालिका का ज़ारी किया आदेश संवैधानिक व्यवस्थाओं की उल्लंघना करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून अथवा आदेश को रद्द कर सकती है। भारत में सरकार का संघात्मक स्वरूप अपनाए जाने के कारण एवं नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संविधान में दर्ज करने के कारण सुप्रीमकोर्ट को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति दी गई है। न्याय पालिका की यह शक्ति सुनिश्चित बनाती है कि संघ एवं राज्य सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रह कर कार्य करें ताकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन न हो सके।

न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति ने संघ एवम् राज्य सरकारों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रख कर देश में संवैधानिक सरकार की व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बदलती परिस्थितियों के अनुसार संविधान की मूल भावना को अक्षण्ण रखा है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करके नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखा है। इन अधिकारों को विधानपालिका एवं कार्यपालिका की निरंकुशता से बचा कर रखा है।

मौलिक अधिकार-मौलिक क्यों है? इस की जानकारी के लिए हमें निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना होगा:-

1. कुछ विद्वानों का विचार है कि ये अधिकार मनुष्य के सर्वपक्षीय विकास के लिए अत्यन्त ज़रूरी है। इसलिए इन्हें मौलिक कहा जाता है।
2. मौलिक अधिकारों को देश के सर्वोच्च कानून अर्थात् संविधान में अंकित कर दिया गया है। इसलिए भी ये मौलिक हैं।
3. सरकार द्वारा पारित कोई कानून अथवा अध्यादेश इन अधिकारों की उल्लंघना नहीं कर सकता है यदि सरकार द्वारा पास किया कोई कानून व अध्यादेश इन अधिकारों की उल्लंघना करता है तो भारत की न्यायपालिका ऐसे कानूनों व अध्यादेशों को रद्द कर सकती है।



4. संवैधानिक उपचारों का अधिकार अपने आप में ही मौलिक है क्योंकि यह अधिकार मौलिक अधिकारों का न्यायालय द्वारा लागू करवाने की शक्ति देता है।
5. भारत की संसद साधारण कानून पास करने की विधि द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है।

उपरोक्त तथ्य मौलिक अधिकारों के मौलिक होने का दावा पेश करते हैं।

कुछ महत्वपूर्ण मानवीय अधिकार

गौरवमय जीवन जीने का अधिकार, आजीविका कमाने का अधिकार, अवकाश का अधिकार, उचित मजदूरी का अधिकार, राजनैतिक आश्रय लेने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार, पारिवारिक जीवन का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, आत्म निर्णय का अधिकार, बंदियों को यातना देने के विरुद्ध अधिकार, अभियोग की न्यायपूर्ण सुनवाई का अधिकार, अन्तःकरण (ज़मीर) के बंदियों के अधिकार।

गतिविधि

- मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सही युग्म बनाएँ।
- (क) अनुच्छेद 15 किसी भी धर्म को अपनाने, विश्वास की स्वतंत्रता।
(ख) अनुच्छेद 23 संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
(ग) अनुच्छेद 32 निःशुल्क एवम् अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
(घ) अनुच्छेद 22 भेदभाव पर प्रतिबन्ध।
(ड) अनुच्छेद 21 ए बँधुआ (बलात) श्रम, मानवीय व्यापार पर प्रतिबंध।
(च) अनुच्छेद 25 कैदियों (बंदियो) के अधिकार व स्वतंत्रताएँ।

अभ्यास

◆ 1. वस्तुनिष्ठ प्रश्न

◆ (क) रिक्त स्थान भरें:-

- भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को..... मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।
- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेदद्वारा..... संशोधन के अन्तर्गत दिया गया है।

◆ (ख) बहुविकल्पी प्रश्न

- ‘बालश्रम’ किस अधिकार द्वारा प्रतिबंधित है

- | | |
|--------------------------------------|---|
| (अ) स्वतंत्रता का अधिकार | (आ) समानता का अधिकार |
| (इ) शोषण विरुद्ध अधिकार | (ई) संवैधानिक उपचारों का अधिकार |
| 2. धर्म निरपेक्ष राज्य का अर्थ है | |
| (अ) वह राज्य जहाँ केवल एक ही धर्म हो | (आ) वह राज्य जिस में कोई धर्म न हो |
| (इ) वह राज्य जहाँ बहुत से धर्म हों | (ई) वह राज्य जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं |

◆ (ग) निम्नलिखित कथनों में सही के लिए तथा गलत के लिए चिन्ह लगाएँ।

- “अधिकार सामाजिक जीवन की वे अवस्थाएँ हैं जिनके बिना मानव का पूर्ण विकास नहीं हो सकता।” ()
- धर्म निरपेक्ष का अर्थ है लोग किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। ()

2. अति लघु उत्तरों वाले प्रश्न

1. मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में अंकित हैं?
2. मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय न्याय पालिका को कौन सी शक्ति प्राप्त है?
3. उस विधेयक का नाम बताएं जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भारतीयों के लिए अंग्रेज़ों से कुछ अधिकारों की माँग की थी?
4. अंग्रेज़ों से पुरुषों व स्त्रियों के लिए समान अधिकारों की माँग किस रिपोर्ट में की गई थी?
5. व्यक्ति द्वारा किया गया उचित दावा जिसे समाज स्वीकार करता है एवम् राज्य कानून द्वारा लागू करता है को क्या कहते हैं?
6. संपत्ति का मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की सूचि से कब और किस संशोधन द्वारा निष्कासित किया गया?
7. कोई दो मौलिक अधिकार बताएँ जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं?
8. बच्चों के शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों से सम्बंधित किस अनुच्छेद के अधीन दर्ज किया गया है?
9. मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दर्ज हैं?
10. 'स्पृश्ता के उन्मूलन' के लिए भारत के संविधान में किस अनुच्छेद अधीन व्यवस्था की गई है?

3. लघु उत्तरों वाले प्रश्न

1. 'समानता का अधिकार' की संक्षेप में व्याख्या करें।
2. 'न्यायपालिका की न्याय पुनर्निरीक्षण' की शक्ति पर नोट लिखें।
3. न्याय पालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए भारत के संविधान में क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं?
4. 'धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार' की संक्षेप में व्याख्या करें।
5. भारत के नागरिक को अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत कौन कौन सी स्वतन्त्रता प्रदान की गई हैं?
6. 'शोषण-विरुद्ध अधिकार' की व्याख्या करें।
7. मौलिक अधिकार-मौलिक कैसे हैं? अपने उत्तर की पुष्टि तर्क सहित करें।

4. दीर्घ उत्तरों वाले प्रश्न

1. मौलिक अधिकारों का स्वरूप कैसा है? संक्षेप में व्याख्या करें।
2. अनुच्छेद 20 से 22 तक मौलिक अधिकारों सम्बन्धी की गई व्यवस्थाओं का व्याख्या करें।
3. धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार के अन्तर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक की गई व्यवस्थाओं की व्याख्या करें।
4. संवैधानिक उपचारों के अधिकार की संक्षेप में व्याख्या करें।

